व्याकरण वार्त्तिक—एक समीक्षात्मक अध्ययन

लेखक

वेदपति मिश्र

व्याकरणाचार्य, एम०ए०, पीएच०डी०

प्रस्तावना

(स्व०) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

१९७०

पृथिवी प्रकाशन

वाराणसी–५

VYĀKARAṆA VĀRTṬIKA—
EKA SAMĪKSHĀTMAKA ADHYAYANA

[A Critical Study on Vyākaraṇa-Vārttika]

By

VEDPATI MISHRA

Vyākaraṇāchārya, M.A., Ph.D

Introduction by

The Late Prof. V. S. AGRAWALA

1970

PRITHIVI PRAKASHAN

VARANASI—5 [India]

व्याकरण वार्त्तिक–एक समीक्षात्मक अध्ययन

लेखक

वेदपति मिश्र

व्याकरणाचार्य, एम०ए०, पीएच०डी०

प्रस्तावना

(स्व०) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

१९७०

पृथिवी प्रकाशन

वाराणसी–५

प्रकाशक—पृथिवी प्रकाशन, वाराणसी-५

प्रथम संस्करण, १९७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक :—तारा प्रिंटिंग वर्क्स
वाराणसी

INTRODUCTION[1]

I have great pleasure in introducing the present study on Kātyāyana's Vārttika to the scholarly world, especially to students of Sanskrit Grammar. The work was accomplished under my guidance by Dr. Ved Pati Mishra for his Ph. D. Degree of the Banaras Hindu University. Only the introduction divided into 6 chapters is being published here in more or less a revised form of his research work, which is in two parts.

The author has attempted here a critical and comparative study of the Vārttikas in the *Mahābhāshya*, largely on the lines shown by Prof. Kielhorn in his outstanding work entitled *Kātyāyana And Patañjali*. It is a stupendous undertaking covering a detailed and penetrating examination of about four thousand Vārttikas of Kātyāyana and some other *Śloka-Vārttikas* and *Ishṭis* that have been preserved in voluminous *Mahābhāshya* of Patañjali. The problem of the genesis of the Vārttika Sūtras was first raised by Kielhorn but only 135 Vārttikas on the first three Adhikāras of

1. It was originally designed by the late Prof. V.S. Agrawala to publish the work of Dr. Mishra under his editorship as supplement to the great work of Prof. Kielhorn on *Kātyāyana and Patañjali* in its second photo reprint But as Kielhorn's book was reprinted by a publisher in 1964, this scheme remained postponed for several years. Here we have taken opportunity to publish Dr. Mishra's work with the Introduction of Prof. Agrawala as it was written originally in 1965.—*Publishers*.

the *Bhāshya* on Pāṇini were touched by him. Here in this study Dr. Ved Pati has extended that study to all the Vārttikas of Kātyāyana which are over four thousand in number. He has by his patient and masterful study discovered the unifying thread underlying the Vārttikas of the each *Sūtra* showing the correct grammatical position of each Vārttika as to whether it raised a doubt, or provides an answer, or criticises the doubt raised, or supports the *Sūtra* of Pāṇini, or discovers a new reason in support of it, and so on. It will thus appear that Kātyāyana was not a wholesale or uncharitable critic of Pāṇini but a balanced and scientific judge of grammatical formulations found in Pāṇini's *Sūtras*. He was moreover concerned with many grammatical theories incorporated by him in the Vārttikas. It has been pointed out that the grammatical systems in the *Vārttika-sūtras* of Kātyāyana belonged to Indra, and Kātyāyana was a teacher of Aindra Vyākaraṇa. It was his great generosity and scholarly magnanimity that instead of writing an independent Vyākaraṇa he contended himself by tending the vast ocean of his knowledge to embellish the system of Pāṇinian grammar in the spirit of utmost humility and devotion. One cannot speak too highly of Kātyāyana's exalted contribution to the system of Pāṇini. The study of Ved Pati Mishra brings us face to face with this truth and it will be found to be an eye opener to all those who may be interested in the relative significance of the material in Pāṇini, Kātyāyana and Patañjali. The author has given

attention to distinguish two kinds of style in the *Mahābhāshya*, namely Paraphrasing (*Chūrṇi* style) and Theoretical Discussions (*Taṇḍaka* style), and thereby detected a key to the separation of Vārttikas from the corpus of the *Bhāshya* into which they were embedded. It should be confessed that this is a point to which Kielhorn had drawn attention but which he had not worked out in its entirety.

The First chapter of the work is a historical introduction in which an account of the various grammatical systems of Indra, Kāśakṛitsna and Pāṇini is recovered from preceding sources, and it is shown that the system of writing Vārttikas existed even before Pāṇini. Chapter 2 deals at length with the *Vārttika-Paribhāshā*. In chapter 3 it has been shown that the objective of these great teachers was not to get lost in the barren sands of criticism but to raise stately edifices of constructive thought by which the grammatical structure was duly enriched. The true position of Kātyāyana as a friend to Pāṇinian system is here fully established. Chapter 4 is an important contribution showing a number of Vārttikas which were not attributed to Kātyāyana, and drawing attention to others which were assigned to him but without sufficient reason. This critical approach throws new light on the authorship of the Vārttikas. It has been shown that the phrase "*na vā*" cannot be attributed to Kātyāyana. The phrase "*uktaṁ*" used 105 times in the *Bhāshya* belonged mostly to Patañjali but only 8 or 9 times to Kātyāyana.

This is an erudite examination or scrutiny claiming originality of the study According to the author's minute scrutiny there are 4280 Vārttikas in all in the *Mahābhāshya* of which only 3870 belong to Kātyāyana and the rest 410 were of other teachers cited in *Bhāshya* by Patañjali himself.

In chapter 5 a deep study is made of the style of Kātyāyana's Vārttika *vis-a-vis* the *Sūtras* of Pāṇini. Here attention is drawn to some grammatical terms like *bhavantī, paroksha, adyatanī,* etc. which belong to the Aindra system and have been used by Kātyāyana. It has been suggested on grounds that are probable that *Vipratishedha* Vārttikas and the Vārttikas in the style of *Paṭhiśyati hyāchāryaḥ* do not come from Kātyāyana but seem to be those of the *Kroshṭrīyas*.

Chapter 6 considers the authorship of *Ishṭis* and the *Śloka-vārttikas*; the former do not exclusively belong to Patañjali but to some teachers who framed their own conclusions as *Ishṭi*. The authorship of the *Ślokavārttikas* is a deceptive question and it has been shown here that it belonged to several teachers.

I have no doubts on outstanding merits of this work of Dr. Ved Pati Mishra. It is indeed a product of much painstaking study, and of a rare mastery of the Pāṇinian grammar and argumentative intricacies of the *Mahābhāshya*. I am sure the book will be accepted as a welcome contribution to the study of Indian grammar.

V. S. Agrawala

आमुख

संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अद्वितीय भाषाशास्त्री पाणिनि का व्याकरण मूर्धाभिषिक्त है। उनकी अष्टाध्यायी में संस्कृत वाङ्मय के अनेक शब्दों के प्रकृति-प्रत्ययों के निर्धारणार्थ विरचित नियमों का यथासम्भव वैज्ञानिक शैली से उपस्थापन मनुष्यबुद्धि के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। यद्यपि यह सत्य है कि उनके व्याकरण का अधिक अंश पूर्वानुवर्ती आचार्यों के सतत परिश्रम के परिणामस्वरूप निष्पन्न नियमों का संकलन मात्र है, तथापि उनके द्वारा नियमों का सन्नियोजन उनकी कृति को मौलिकता प्रदान करता है। उनका व्याकरण इसी विशेषता के कारण विस्तृत ख्याति को अर्जित कर सका। यही कारण है कि उसके पूर्ववर्ती व्याकरण उसके प्रभाव से असमय में ही तिरोहित हो गये। केवल उन व्याकरणों के अस्तित्व का परिज्ञान संस्कृत वाङ्मय में इतस्ततः उदाहृत कतिपय श्लोकों एवं सूत्रों आदि के द्वारा ही हो पाता है।

आज तक के निर्मित व्याकरणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनमें एक 'ऐन्द्र' एवं दूसरा 'माहेश्वर' है। यद्यपि जनश्रुति के अनुसार पाणिनि का व्याकरण माहेश्वर-सम्प्रदाय से सम्बन्धित है तथापि उसके व्याकरण से प्रभावित होकर ऐन्द्र-सम्प्रदाय के लब्धप्रतिष्ठ वैयाकरण भी इसके अनुशीलन में प्रवृत्त हुए। इनमें कात्यायन मुख्य हैं।

कात्यायन ने वार्त्तिकों के माध्यम से पाणिनि-व्याकरण का समीक्षात्मक व्याख्यान किया है। कात्यायन स्वयं बहुश्रुत आचार्य था। अतः यद्यपि उसके वार्त्तिक पाणिनि-व्याकरण के व्याख्यात्मक हैं तथापि मौलिकता एवं व्याख्यान-प्रकार के कारण उसका एक विशिष्ट स्थान है। उसने व्याख्यान की विशिष्ट प्रक्रिया का समाश्रयण कर अतिसंक्षेपीकरण के कारण ऐन्द्र-सम्प्रदाय के उपेक्षित नियमों का पाणिनि-व्याकरण में समावेश किया है। निश्चित ही इसके विना 'पाणिनीयाष्टक' अधूरा रह जाता।

आचार्य पतंजलि भी पाणिनि-व्याकरण की सरलता, गठनचातुरी एवं वैज्ञानिकता से प्रभावित होकर अनुशीलन की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने

पाणिनि-सूत्रों पर समीक्षात्मक विवरण का निर्माण किया है, जो 'महाभाष्य' के नाम से परिज्ञात है।

भाष्य में व्याख्यान की द्विविध शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रायः वार्त्तिकों के सरलता से व्याख्यानार्थ शब्दों के पृथक्-पृथक् अर्थ करने के लिए "चूर्णिका" शैली का अवलम्बन लिया है। इसे "सम्पुटीकरण" के नाम से भी पुकार सकते हैं। दूसरी शैली का व्याकरण के सिद्धान्तों के ऊहापोह करने के लिए आश्रयण लिया जाता है। इसे "तण्डक" या "उत्कलिका" कह सकते हैं। यह शैली विशाल, ओजस्वी एवं नागावलोकन के समान है।

पतंजलि का विलक्षण पाण्डित्य व्याकरण के अध्ययन में पदे-पदे परिलक्षित होता है।

इस प्रकार यद्यपि ये तीनों आचार्य प्रवक्ता, व्याख्याता एवं समीक्षा-कर्ता के रूप में परिज्ञात हैं तथापि इन सभी आचार्यों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप ही पाणिनि-व्याकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ। एतदर्थ **त्रिमुनि व्याकरणम्** का प्रवाद भी गतार्थ है।

पाणिनि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में प्राचीन साम्प्रदायिक वैयाकरणों तथा अर्वाचीन पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। महाभाष्य के अनुशीलन में भी प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों द्वारा यथेष्ट कार्य किया जा चुका है।

जहाँ तक कात्यायन के 'वार्त्तिकों' का प्रश्न है, व्याकरण का यह महत्त्वपूर्ण भाग बहुत कुछ उपेक्षित ही रहा है। भर्तृहरि, कैयट, नागेश आदि प्राचीन साम्प्रदायिक व्याख्याता केवल शब्दार्थ व्याख्यान मात्र तक ही सीमित रहे। उन्होंने वार्त्तिकों के "बाह्य-पक्ष" (उद्देश्य, स्वरूप, तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा वार्त्तिक-परिज्ञान आदि) पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जहाँ यह सत्य है कि 'आन्तरिक-पक्ष' (शब्दार्थ-संगति) भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, वहाँ यह भी सत्य है कि "बाह्य-पक्ष" "आन्तरिकपक्ष" से कहीं अधिक महत्त्व का है, क्योंकि "आन्तरिक-पक्ष" का निर्माण तो "बाह्यपक्ष" की पृष्ठभूमि पर ही होता है।

कतिपय आधुनिक विद्वानों ने इस विषय पर कुछ कार्य किया जो स्वल्प होता हुआ भी विशिष्ट है। परन्तु उनकी बाह्यपक्ष की विचार-

प्रणाली कुछ क्षेत्रविशेष तक ही सीमित रही। उन्होंने भी वार्त्तिकों के सम्बन्ध में प्राप्तप्रसंग जो कुछ भी विचार किया उसके आधार तो साम्प्रदायिक वैयाकरण ही थे। अतः उनके विचार में भी वस्तुतः मौलिकता नहीं है।

डा० कीलहार्न ने इस प्रसंग को एक नया मोड़ दिया। यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा का प्रारम्भ हो चुका था, कोल्ब्रुक एवं रामकृष्ण भण्डारकर इसके साक्षी हैं, तथापि उस विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना इनका मौलिक कार्य था। प्रथमतः इनके विवेचन का लक्ष्य वार्त्तिकों के "बाह्यपक्ष" पर विचार करना था। इसी आधार पर उन्होंने वार्त्तिकों के स्वरूप, उद्देश्य पाणिनि आदि आचार्यों का पारस्परिक सम्बन्ध एवं भाष्य से वार्त्तिकों का पृथक्करण आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया है। फलतः अपने निश्चित आधारों के अनुसार सम्पूर्ण महाभाष्य का सम्पादन भी किया।

डा० कीलहार्न ने वार्त्तिक-परिभाषा के सम्बन्ध में भी पूर्वानुवर्ती परिभाषा को ही अपने विचार में आधार माना है। उस अवस्था में भले ही शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाय परन्तु उसकी आत्मा तो बनी ही रहती है। इस कारण वार्त्तिकों के "बाह्यपक्ष" के विचार में अधिक परिवर्तन नहीं आ पाया। नवीन विचार तो तभी सम्भव है, जब कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाय। स्वरूप के परिवर्तित होने पर वार्त्तिकों के उद्देश्य आदि में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। डा० कीलहार्न का मुख्य उद्देश्य वार्त्तिकों का (जिनको उन्होंने कात्यायन का माना है तथा जो उनके भाष्य-संस्करण में वार्त्तिक रूप में पठित हैं) भाष्य से पृथक् परिज्ञान कराना ही था।

यद्यपि डा० परांजपे आदि ने कात्यायन के सम्बन्ध में शोध कार्य किया है तथापि उनका उद्देश्य दार्शनिक पृष्ठभूमि पर कात्यायन एवं उनके कतिपय वार्त्तिकों की विवेचना करना मात्र था।

ऐसी अवस्था में यह आवश्यक था कि भाष्यसम्मत वार्त्तिक-परिभाषा का निर्माण किया जाय जिससे वार्त्तिकों का उद्देश्य तथा तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट हो सकें।

यह भी समस्या थी कि क्या आचार्य पाणिनि से पूर्व भी वार्त्तिकों का अस्तित्व था ?

भाष्य में पठित वार्त्तिकों में (जिनको कि कीलहार्न ने अपने संस्करण में कात्यायनीय वार्त्तिक माना है) सभी वचन कात्यायन के नहीं हैं। अतः उन वचनों को कात्यायनीय वार्त्तिकों से पृथक्करण के लिए कुछ सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने की अत्यन्त आवश्यकता थी। कतिपय ऐसे वाक्यों का, जो कि वस्तुतः भाष्य-शब्द ही हैं परन्तु उन्हें वाक्य-वार्त्तिकों के रूप में पढ़ा गया है, परिज्ञान आवश्यक था।

भाष्याध्ययन में वार्त्तिकों के आधार पर विचार करने पर संगति लगाने में कठिनाई उपस्थित होती थी अतः तीन चार स्थानों पर नवीन वार्त्तिकों का निर्माण भी आवश्यक था।

वार्त्तिकों के विचार प्रसंग में "इष्टि" पर भी विचार करना अप्रासङ्गिक न होगा।

'इष्टि' का स्वरूप अत्यधिक विवादास्पद है। इतना ही नहीं "इष्टि" जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य नहीं हुआ है। कतिपय विद्वानों ने प्राप्त-प्रसंग कुछ कर्तव्यपालन मात्र ही किया है। डा० कीलहार्न ने भी इसके विषय में कुछ विचार नहीं किया। ऐसी अवस्था में इष्टि का वास्तविक स्वरूप क्या है? उसके निर्माता कौन हैं? क्या इष्टियां सूत्र एवं वार्त्तिक के अन्तर्गत हैं? काशिका-वृत्ति में इष्टियों का क्या स्वरूप है? इत्यादि प्रश्न अनिर्णीत ही थे।

साथ ही यह भी आवश्यक था कि नवीन दृष्टि से भाष्य के सभी वार्त्तिकों की संगति लगाई जाती। यद्यपि डा० कीलहार्न ने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तीन आह्निकों के लगभग १३५ वार्त्तिकों की संगति लगाई है तथापि इस प्रकार का कार्य सम्पूर्ण भाष्य के वार्त्तिकों पर आवश्यक था। साथ ही यह सत्य है कि भाष्य के किसी भाग के आधार पर कुछ सिद्धान्तों का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए वार्त्तिकों के "बाह्यपक्ष" पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण वार्त्तिकों का अनुशीलन भी अपेक्षित था।

इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय है।

यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है। प्रस्तुत ग्रन्थ में वार्त्तिकों के "बाह्यपक्ष" पर विचार किया गया है। भाष्य के सम्पूर्ण वार्त्तिकों के अनुशीलन के आधार पर वार्त्तिकों के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है।

दूसरे ग्रन्थ "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" में महाभाष्य के सम्पूर्ण वार्त्तिकों का निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर अनुशीलन किया गया है। इसमें वार्त्तिकों के "आभ्यन्तरपक्ष" की विवेचना की गई है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में व्याकरण के स्वरूप पर विचार करते हुए व्याकरण के प्रयोजनों पर विचार किया गया है। व्याकरण का प्रादुर्भाव "प्रतिपदपाठ" के रूप में हुआ था। व्याकरण की स्वस्थ परम्परा का प्रारम्भ इन्द्र से हुआ। "प्रतिपदपाठ" वस्तुतः उपलब्ध धातुपाठ आदि के समान, समानरूपों का संग्रहमात्र था। व्याकरण प्रारम्भिक अवस्था से विकसित होता हुआ पाणिनि तक किस प्रकार आया इस पर अति स्वल्प विवेचन किया गया है। ऐन्द्र-व्याकरण की उत्पत्ति के प्रसंग में 'कातंत्र' एवं 'काशकृत्स्न' व्याकरण का भी ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्ध दिखाया है। 'काशकृत्स्न' व्याकरण पाणिनि का पूर्ववर्ती एवं 'कातंत्र' का उपजीव्य है। ऐन्द्र एवं माहेश्वर संप्रदाय के व्याकरणों में पार्थक्य क्या है, इस पर भी विचार किया गया है। ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरणों में लौकिक, दूसरे शब्दों में लौकिक-वैदिक विभाग रहित, शब्द-सिद्ध्यर्थ निर्मित व्याकरणों का स ावेश होता है। माहेश्वर-सम्प्रदायावलम्बी व्याकरणों में लौकिक-वैदिक शब्द-सिद्ध्यर्थ नियमों का संकलन है। यद्यपि विद्वानों का विचार है कि वार्त्तिक के प्रवचन की शैली पाणिनि से उत्तर-कालिक है, तथापि प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः पाणिनि से पूर्व भी वार्त्तिक-प्रवचन की शैली विद्यमान थी।

द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से वार्त्तिक-परिभाषा के सम्बन्ध में विचार किया गया है। परम्परागत वार्त्तिक-लक्षणों एवं उनको आधार मानकर विद्वानों द्वारा कृत भ्रान्त-धारणाओं की समीक्षा करते हुये 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' में कथित वार्त्तिक-लक्षण को "वार्त्तिक" के विचार में उपयुक्त माना है। यह वार्त्तिक-परिभाषा भाष्यसम्मत है, क्योंकि वार्त्तिकों के सम्बन्ध में भाष्यकार द्वारा यत्र-तत्र प्रयुक्त शब्दों के साथ तुलना करने पर इसका सामंजस्य भी दीखता है। सूत्रों एवं वर्त्तिकों में किस अंश में साम्य है और किस अंश में पार्थक्य, इस विषय पर भी विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय में पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि इन आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों की विचारधारा का पर्याप्त विवेचन करके यह सिद्ध किया गया है कि वस्तुतः न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। सबका लक्ष्य शब्दसिद्धि मात्र है। वह भी संक्षेपीकरण के आधार पर—**येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्** (भाष्य)। उदाहरणों के आधार पर तीनों आचार्यों के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया है।

चतुर्थ अध्याय ग्रन्थ का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कात्यायनीय वार्त्तिकों से भाष्य-वचनों एवं अन्य आचार्यों के वचनों के पृथक्करण के कतिपय आधार निश्चित किये हैं। इनके आधार पर जहाँ बहुत से ऐसे वचन परिज्ञात हुए हैं जिनका निर्माता कात्यायन नहीं है वहाँ ऐसे भी स्थल उपलब्ध हुए हैं जहाँ पर वस्तुतः वार्त्तिक आवश्यक था, परन्तु कीलहार्न आदि संस्करणों में साधारण भाष्य मात्र ही माना है। साथ ही कुछ ऐसे स्थल भी परिज्ञात हुए हैं जहां वस्तुतः वार्त्तिक अपेक्षित था, परन्तु किसी कारणवश भाष्य के संस्करणों में अद्यत्वे सर्वथा अनुपलब्ध है, वहाँ वार्त्तिक का निर्माण भी किया गया है। इस प्रकार के स्थल दो तीन ही हैं। प्रत्याख्यानार्थ प्रयुक्त वचनों में कहीं-कहीं "न वा" इस प्रकार की प्रतीक उपलब्ध होती है। वस्तुतः इस प्रकार के वचनों का निर्माता कात्यायन नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। 'उक्तम्' कह कर भाष्यमें लगभग १०५ वचन उपलब्ध होते हैं। इनको कीलहार्न संस्करण में कात्यायनीय वार्त्तिक माना है। इनमें तीन शैलियां भाष्य के आधार पर सिद्ध की हैं। उनमें प्रथम दो शैलियों का कर्ता भाष्यकार है। तृतीय शैली का कर्ता कात्यायन है। तृतीय शैली वाले वार्त्तिक लगभग ८-९ ही हैं।

पांचवें अध्याय में वार्त्तिककार कात्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में विचार किया है। कात्यायन के वार्त्तिकों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ऐन्द्र-सम्प्रदाय एवं माहेश्वर-सम्प्रदाय के व्याकरणों का सम्मिलन करना था। निश्चित ही इसके विना पाणिनि-व्याकरण अधूरा रह जाता। उनके वार्त्तिकों की शैलीगत विशेषताओं पर भी विचार किया गया है। वह अपने वार्त्तिकों के निर्माण में कौन-कौन से सांकेतिक पदों का किस अवस्था में प्रयोग करता है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में अनुपलब्ध कतिपय संज्ञाओं का, जिन्हें कात्यायन ने अपने वार्त्तिकों में उल्लेख किया है, भी संग्रह किया है। नामोल्लेख युक्त पठित अन्य आचार्यों के वार्त्तिकों का भी तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। विप्रतिषेधवार्त्तिकों में भी दो प्रकार की शैलियां हैं—एक 'क्तान्त', दूसरी 'तृतीयान्त'। तृतीयान्त शैली का निर्माता कात्यायन से अन्य है, यह सिद्ध किया गया है। इसी प्रसंग में भाष्यकार के 'पठिष्यति ह्याचार्यः' वाक्य पर भी विचार किया गया है। सम्भवतः विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के निर्माता 'क्रोष्ट्रीय' आचार्य हैं। काशिका के वार्त्तिकों का एवं भाष्य-वार्त्तिकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। काशिका में जो

वार्त्तिक भाष्य से अतिरिक्त पठित हैं या जिनका पाठभेद है उन्हें संगृहीत किया है।

छठे अध्याय में 'इष्टि' एवं "श्लोकवार्त्तिकों" के सम्बन्ध में विचार किया गया है। यह विषय प्रायः अभी तक विवादास्पद था। सभी विवेचक इष्टियों को भाष्यकारीय मानते थे। वस्तुतः स्थिति यह है कि "इष्टि" शब्द किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा निर्मित वचनों के लिये ही प्रयुक्त नहीं है; अपितु आचार्यों द्वारा निर्मित सामान्य स्वोपज्ञ नियमों को लिये 'इष्टि' शब्द व्यवहृत होता है। इन आचार्यों में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि एवं अज्ञातनामा 'अन्ये वैयाकरणाः' आदि भी सम्मिलित हैं। काशिका में पठित 'इष्ट्युपसंख्यानवती' वाक्य के आधार पर भी कुछ सिद्धान्तों पर विचार किया है। वार्त्तिक विचार-प्रसंग में श्लोकवार्त्तिकों के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। भाष्य में उपलब्ध श्लोकों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक भाष्यकार द्वारा व्याख्यात दूसरे अव्याख्यात एवं तीसरे अंशतः व्याख्यात।

इस प्रकार लेखक के विचार से सम्पूर्ण भाष्य में ४२८० वार्त्तिक हैं। 'उक्तम्' कहकर दो शैलियों में पठित वचनों को सर्वथा छोड़ दिया है। उन्हें साधारण भाष्य ही माना है। इनमें ३८७० वार्त्तिक कात्यायन के हैं। ४१० वचन अन्य आचार्यों के एवं स्वयं भाष्यकार के हैं। इन वचनों को भाष्य में उद्धृत किया है।

इस प्रकार इन छः अध्यायों में वार्त्तिकों के 'बाह्यपक्ष' से सम्बन्धित प्रायः सभी आवश्यक प्रश्नों पर यथासम्भव विचार किया गया है।

किसी सिद्धान्त के सत्यासत्य के परिज्ञान का मुख्य साधन यही है कि वह सिद्धान्त क्रियात्मक रूप में सत्य हो। प्रस्तुत ग्रन्थ में कात्यायन-वार्त्तिकों के भाष्यवचनों तथा अन्य आचार्यों के वचनों से पृथक्करण के लिये कतिपय सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं। उनके प्रयोगात्मक परीक्षण के लिये "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" नामक मेरे ग्रन्थमें सम्पूर्ण वार्त्तिकों का (३८७० कात्यायन-वार्त्तिकों एवं ४१० अन्य आचार्यों द्वारा तथा भाष्यकार द्वारा ग्रथित वचनों) अनुशीलन किया गया है। प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत भाष्य में पठित वार्त्तिकों में से प्रत्येक वार्त्तिक की पारस्परिक क्रम-संगति और अर्थ-संगति का विचार किया गया है। जैसे कोई सुई-डोरा लेकर वस्त्र को सीने के लिये धागा पिरोता है उसी प्रकार वार्त्तिकों को पहिली बार एकसूत्र में पिरो दिया गया है। कात्यायन-वार्त्तिकों की इस प्रकार की समीक्षा पहिले नहीं हुई। कीलहार्न ने अपनी

प्रखर दृष्टि से इस प्रकार का प्रयत्न आरम्भ किया था, किन्तु लगभग ४००० से अधिक वार्त्तिकों के महतो महीयान् इस शास्त्र में वे केवल १३५ वार्त्तिकों में ही इस प्रकार की संगति प्रदर्शित कर सके। सम्पूर्ण भाष्य-वार्त्तिकों के अध्ययन का फल नितान्त नया और श्रेयस्कर हुआ है। प्रत्येक पाठक अब कात्यायन कृत वार्त्तिकों के सुई डोरे से भाष्यार्थ की संगति सरलता से परिगृहीत कर सकता है।

सम्प्रति "व्याकरण-वार्त्तिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन" ग्रंथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। विद्वान् पाठकों द्वारा इसकी उपादेयता सिद्ध होने पर शीघ्र ही द्वितीय ग्रन्थ "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" प्रकाशित किया जाएगा।

आचार्य कात्यायन पाणिनि के समान ही अत्यन्त मेधावी और प्रतिभाशाली थे। देखा जाय तो उन्होंने पाणिनि को अपेक्षा वार्त्तिक-रचना में कम परिश्रम नहीं किया। पाणिनिकृत सूत्रों से कात्यायन के वार्त्तिकों की संख्या लगभग समान है। जैसे **पाणिनीयं महत्सुविहितम्** कहा जाता है, कुछ वैसी ही उक्ति कात्यायन कृत वार्त्तिकों के लिये भी न्याय्य है। कात्यायन अपने ऐन्द्र-व्याकरण के प्रति निष्ठावान् होते हुये भी आचार्य पाणिनि के प्रति अगाध भक्ति रखते थे, जिससे प्रेरित होकर अपने शास्त्र के अन्त में **भगवतः पाणिनेः सिद्धम्** आशीर्वादात्मक वाक्य लिखा है। कात्यायन ने पाणिनि-शास्त्र के प्रति निरन्तर आस्था रखते हुए 'ऐन्द्र' एवं 'माहेश्वर' इन दो व्याकरण-समुद्रों को जैसे एक में मिला दिया हो और फलतः पाणिनि की श्रेष्ठता को खण्डन की मरीचिका से कुण्ठित नहीं होने दिया। कात्यायन के रचनात्मक-विधान से पाणिनीय शास्त्र पुष्पित, फलित व प्रतिमण्डित हो उठा है। जो व्यक्ति श्रद्धावान् मन से कात्यायन के वार्त्तिकों का अध्ययन करेगा उसपर इस प्रकार की छाप पड़े विना न रहेगी। कात्यायन के वार्त्तिकों का अध्ययन एक उदात्त और पुनीत कर्तव्य है इसी भाव से प्रेरित होकर यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ कि पूज्य गुरुचरणों, हितैषियों के प्रति अपना हार्दिक श्रद्धानिवेदन करूँ।

मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ के सूत्रधार परमश्रद्धेय गुरुवर्य स्वर्गीय प्रोफेसर डा० वासुदेव शरण जी अग्रवाल (भूतपूर्व अध्यक्ष—कला एवं वास्तु विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) थे। जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त समय में से मेरे

लिये समय निकालकर मेरे इस कार्य को सरल एवं दीप्तिपूर्ण बना दिया। मेरी सफलता का मूल कारण उनका अमूल्य निर्देशन ही है। मैं उनके प्रति अपनी विनीत श्रद्धा प्रकट करता हूँ और हार्दिक रूप से आभारी हूँ।

मैं परमादरणीय शिक्षक, व्याकरण के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् श्री पं० शंकर देव जी आचार्य के चरणों में नत हूँ। जिनकी कृपा के कारण ही व्याकरण के मौलिक ग्रन्थों के विवेचन में समर्थ हो पाया। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को देकर मेरे प्रति अपने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है।

व्याकरण के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्व० श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एवं श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने समय-समय पर अपने अमूल्य सुझावों एवं अपने पुस्तकालयों में से दुर्लभ पुस्तकों के अध्ययन की यथेच्छ सुविधा प्रदान कर जो स्नेह दर्शाया है, वह अविस्मरणीय है। मैं उनके इस स्नेह के प्रति कृतज्ञ हूँ।

आदरणीय डा० सिद्धेश्वर जी भट्टाचार्य (अध्यक्ष—संस्कृत एवं पालि विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) एवं संस्कृत विभाग के भूतपूर्व रीडर श्री एस० पी० नियोगी का भी विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ग्रन्थ निर्माण-समय में बहुमूल्य सुझाव देकर मेरे इस कार्य को प्रशस्त किया। मेरे परमस्नेही मित्र श्री श्रीप्रकाश जी एम० ए० एवं श्री आचार्य पं० विजयपाल जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे ग्रन्थ लिखते समय उपयोगी सम्मतियां दीं।

श्री प्रशस्य मित्र जी शास्त्री ने प्रूफ-संशोधन में अपना सयय देकर बड़ी तत्परता से सहायता प्रदान की तदर्थ धन्यवादार्ह हैं।

इस पुस्तक का प्रकाशन १९६५ में ही हो जाना चाहिये था। परन्तु आवश्यक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उस समय यह कार्य सम्भव न हो सका। सम्प्रति अकस्मात् इसका अति शीघ्रता में मुद्रण हुआ है। अतः इस ग्रन्थ में शीघ्रता के कारण तथा यान्त्रिक दोष के कारण कतिपय अशुद्धियाँ रह गई हैं। तदर्थ क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हों तो विज्ञ पाठक उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे अग्रिम संस्करण में उनका संशोधन कर दिया जाय।

वाराणसी,
१९७०

विद्वानों का सेवक—
वेदपति मिश्र

संकेत-सूची

१–अ०	अध्याय
२–उद्योत	प्रदीपोद्योत
३–ऋ० पदपाठ	ऋक् पदपाठ
४–का०	कात्यायन
५–का० सं०	काशी संस्करण
६–की० सं०	कीलहार्न संस्करण
७–क्षीरत०	क्षीरतरंगिणी
८–गु० प्र० सं०	गुरु प्रसाद शास्त्री संस्करण
९–चौ० सं०	चौखम्बा संस्करण बनारस
१०–जैनेन्द्र परि० वृत्ति	जैनेन्द्र परिभाषावृत्ति
११–नि० सा० सं०	निर्णय सागर संस्करण
१२–पं०	पंक्ति
१३–परि० सं०	परिभाषा संख्या
१४–पस्पशा०	पस्पशाह्निक
१५–पा०	पाद
१६–पृ०	पृष्ठ
१७–प्रदीप	भाष्यप्रदीप
१८–भा०	भाग
१९–भाष्य	महाभाष्य
२०–मं०	मन्त्र
२१–रा० क० सं०	रामलाल कपूर संस्करण
२२–वा०	वार्त्तिक
२३–व्या० सि० सुधानिधि	व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधि
२४–शि०	शिवसूत्र
२५–सं० व्या० ग० की परम्परा	संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा
२६–सं० व्या० शा० इति०	संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास
२७–सू०	सूत्र
२८–ह० सं०	हस्तलिखित संग्रह

विषयानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

विषय — पृष्ठसंख्या

व्याकरण का उद्भव तथा विकास — १–११

भाष्यकार पतंजलि की व्याकरण-परिभाषा, १. व्याकरण के प्रयोजन, २. व्याकरण की उत्पत्ति, ३. व्याकरण की प्राचीनता, ५. व्याकरणशास्त्र की प्रवचन-शैली, ६. बृहस्पति के 'प्रतिपदपाठ' का स्वरूप, ६. पाणिनि के 'गोतो णित्' सूत्र की संगति, ७. ऐन्द्र-व्याकरण की उत्पत्ति, ८. 'काशकृत्स्न' और 'कातंत्र' व्याकरणों का ऐन्द्र-संप्रदाय से सम्बन्ध, ८. 'काशकृत्स्न' व्याकरण का पाणिनि से पूर्ववर्तित्व, ९. पाणिनि तक उपलब्ध व्याकरणों की तीन श्रेणियाँ, ११.

द्विविध सम्प्रदायों में भेद — ११–१३

माहेश्वर-व्याकरण की उत्पत्ति और उसका स्वरूप, ११. ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों का स्वरूप, १२. पाणिनीय व्याकरण की उत्पत्ति, १३.

प्रवचन-शैली — १३–१५

प्रारम्भ में श्लोकात्मक, १४. 'काशकृत्स्न' के काल से सूत्र-शैली का प्रारम्भ, १४. पाणिनीय व्याकरण में सूत्र-शैली की पूर्णता, १५.

पाणिनीय व्याकरण — १५–१८

पाणिनीय व्याकरण का मुख्य उद्देश्य संक्षेपीकरण है, १६. महाभाष्यकार के पाणिनि के सम्बन्ध में उद्गार, १७. पाणिनि का समय, १७.

वार्त्तिकों का इतिहास — १८–२१

वार्त्तिकों की प्रवचन-शैली का पाणिनि से पूर्ववर्त्तित्व, १८.

उपसंहार — २१

द्वितीय अध्याय

वार्त्तिक-परिभाषा — २२–३३

संस्कृत साहित्य में उपलब्ध वार्त्तिक-लक्षण, २२. 'विष्णुधर्मोत्तर' में कथित वार्त्तिक-लक्षण को छोड़कर अन्य लक्षणों का उद्देश्य बौद्ध दर्शनग्रन्थ

(प्रमाण-वार्त्तिक)का लक्षण करना मात्र है, २३. पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों के वार्त्तिक-लक्षण के सम्बन्ध में विचार, २५. डा० कीलहार्न द्वारा प्रदत्त वार्त्तिक-परिभाषा, २६. वार्त्तिक के सम्बन्ध में कोल्ब्रुक की विचारधारा, २७. वार्त्तिक शब्द की वास्तविक परिभाषा, २७. वृत्ति शब्द का अर्थ, २७. भाष्यकार पतंजलि के मत में वार्त्तिक-परिभाषा, २९. भाष्यकार के वार्त्तिक-लक्षण की विष्णुधर्मोत्तरीय वार्त्तिक-लक्षण से तुलना, ३०. स्वीकृत वार्त्तिक-लक्षण की उदाहरण सहित कात्यायन के वार्त्तिकों से तुलना, ३०. प्राचीन एवं अर्वाचीन वार्त्तिकों में अन्तर, ३२.

"सूत्र" शब्द की परिभाषा ३३–३४

सूत्र और वार्त्तिकों में साम्य तथा अन्तर ३४–३६

वार्त्तिकों का सूत्रत्व, ३४. सूत्र एवं वार्त्तिक में भेदक तत्त्व, ३५. दोनों में साम्य, ३६.

उपसंहार ३७

तृतीय अध्याय

कात्यायन का पाणिनि के साथ सम्बन्ध ३८–४३

पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों की विचारधारा, ३८. प्रो० गोल्डस्टूकर आदि द्वारा कात्यायन के सम्बन्ध में निर्धारित विचारधारा में कारण और उसकी विवेचना, ४०. उदाहरणार्थ भाष्य के कुछ स्थल, ४०.

भाष्यकार पतंजलि एवं उनका कात्यायन तथा पाणिनि के साथ सम्बन्ध ४३–६०

पतंजलि और उनका काल, ४३. पतंजलि के भाष्य की विशेषताएँ, ४६. भाष्य-परिभाषा, ४७. भाष्य-शैली, ४८. भाष्य की व्याख्यान-पद्धति, ४९. भाष्य और वार्त्तिक में अन्तर, ५०. इस सम्बन्ध में डा० कीलहार्न के विचार, ५१. पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों के मतानुसार भाष्यकार का पाणिनि एवं कात्यायन के साथ सम्बन्ध, ५२.

तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में स्वमन्तव्य ६०–६९

स्वमन्तव्य के उपपादन के लिये ३।१।१ के ३४ सूत्रों का संक्षेप, ६२. इन ३४ सूत्रों के आधार पर निर्णय, ६७. तीनों आचार्यों का दृष्टिकोण, ६८.

उपसंहार ६९

चतुर्थ अध्याय

कात्यायनीय वार्त्तिकों के भाष्यवचनों से पृथक्करण के आधार ७०–८५

(१) 'कश्चात्र विशेषः,' 'किं चातः' इन वाक्यों से फलित नियम तथा उसके आधार पर जो वार्त्तिक कात्यायन के नहीं है उनका विवरण, ७०.

(२) 'अत उत्तरं पठति' इस वाक्य से फलित नियम तथा उसके आधार पर जो वार्त्तिक कात्यायन के नहीं हैं उनका विवरण, ७४. इस नियम के आधार पर कीलहार्न-संस्करण में परित्यक्त कतिपय वचनों की कात्यायन-वार्त्तिकत्व सिद्धि, ७५.

(३) सम्पुटीकरण, ७८.

(४) 'प्रसंग', ७८. इस नियम के स्पष्टीकरणार्थ कुछ उदाहरण, ७९. इस नियम के आधार पर अनुपलब्ध कात्यायन-वार्त्तिकों का परिज्ञान, ८२.

(५) भाष्यकार की व्याख्या-शैली, ८४.

"न वा" प्रतीकात्मक वचनों का निर्माता कात्यायन नहीं ८५–१०४

(१) शैली-भेद और उसके चार विभिन्न प्रमाण, ८६.

(२) "अप्रसंग" और उसके विविध उदाहरण, ८८.

(३) 'वचनप्रामाण्य' और इसके लिये 'समर्थः पदविधिः" एवं 'अनेकमन्यपदार्थे" सूत्र पर कहे गये "वचनप्रामाण्य" के उदाहरण, ९५.

(४) भाष्य की वार्त्तिक-व्याख्यान-शैली, ९८.

(५) विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के खण्डनार्थ प्रयुक्त "न वा" प्रतीकात्मक वचन, १०१

(६) वार्त्तिकव्याख्याभेद-खण्डनार्थ "न वा" प्रतीकात्मक वचन, १०१.

(७) भाष्यकार द्वारा समाधानार्थ स्पष्टतः "न वा" प्रतीकाश्रयण, १०२.

"उक्तम्" पदयुक्त वचनों का वार्त्तिकावार्त्तिकत्व-विचार १०४–११२

'उक्तम्' पद युक्त वचनों के वार्त्तिक होने के सम्बन्ध में कीलहार्न का मत और उसकी समीक्षा, १०४. 'उक्तम्' पद द्वारा भाष्यकारीय वाक्यों के उद्धरण के उदाहरण, १०५. वार्त्तिकों के भाष्य-व्याख्यान के उद्धरण के कतिपय उदाहरण, १०७. अनभिधान पक्ष का भाष्यकारीयत्व, १०८. "उक्तम्" पदात्मक वचनों के अवार्त्तिकत्व होने में स्पष्ट भाष्य-प्रामाण्य, १०९. 'उक्तम् वा' को

वार्त्तिक मानने में डा० कीलहार्न की विप्रतिपत्ति, १०९. नि० सा० सं० के सम्पादक का भ्रम, ११०. भाष्यकार की व्याख्याशैली, १११. तीन शैलियाँ और उनमें तृतीय शैली का वार्त्तिकत्व, १११.

उपसंहार ११३

पञ्चम अध्याय

कात्यायन ११४–११९

कात्यायन का महत्त्व, ११४. कात्यायन के नाम, ११५. कात्यायन का स्थान एवं काल, ११६.

कात्यायन का सम्प्रदाय-भेद ११९–१२४

कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्ध तथा उसके पुष्ट्यर्थ कतिपय प्रमाण, ११९.

कात्यायन की वार्त्तिक-निर्माण-शैली १२४–१२८

शैलीगत विशेषतायें, १२४.

पाणिनि-व्याकरण में अनुल्लिखित संज्ञाओं का प्रयोग १२८–१३०

अन्य वार्त्तिककार एवं उनका कात्यायन के साथ तुलनात्मक-अध्ययन १३०–१४४

भरद्वाज, १३१. सौनाग, १३३. सौनाग का कात्यायन से उत्तरवर्त्तित्व, १३३. सौनाग की व्याख्यानशैली एवं उनका कात्यायनीय वार्त्तिकों के साथ रचनात्मक साम्य, १३३. सौनाग वार्त्तिकों की पहिचान, १३५. वाडव (कुणर वाडव), १३५. विप्रतिषेध वार्त्तिककार, १३६. विप्रतिषेधवार्त्तिकों का निर्माता कात्यायन नहीं है; १३६. इसमें प्रमाण, १३७. शैलीभेद, १३७. 'विप्रतिषेधेन' तृतीयान्त पदयुक्तों के कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्वसिद्धि में प्रमाण, १३८. 'विप्रतिषेधेन' पदयुक्त वचनों का कात्यायन से पूर्ववर्तित्व, १३९. विप्रतिषेधवार्त्तिकों के लिए भाष्य में कथित 'पठिष्यति ह्याचार्यः' वाक्य पर विचार और निर्णय, १४०. विप्रतिषेधवार्त्तिकों का निर्माता आचार्य क्रोष्टा, १४४.

काशिका के वार्त्तिकों का महाभाष्य के वार्त्तिकों से तुलनात्मक-परीक्षण १४४–१५४

काशिका की विशेषतायें, १४४. अतिरिक्त वार्त्तिक, १४५. पाठभेद, १४६. इन पाठभेदों तथा अतिरिक्त वार्त्तिकों के आधार पर कुछ निर्णय, १५३.

उपसंहार १५४

षष्ठ अध्याय

इष्टि १५५–१६६

इष्टि के सम्बन्ध में विद्वानों की विचार-धाराएँ, १५५. भाष्य के आधार पर कात्यायन कृत इष्टियों का वर्णन, १५६. इष्टि-लक्षण के सम्बन्ध में नागेश एवं भट्टोजि दीक्षित आदि की मान्यताएँ, १५८. कात्यायन और भाष्यकार के आधार पर इष्टि की परिभाषा, १५८. इष्टि का सूत्र और वार्त्तिकों से पृथक्त्व, १५९. काशिका के "इष्ट्युपसंख्यानवती" शब्द पर विचार, १६२. काशिका के आधार पर कात्यायन के वार्त्तिकों का इष्टित्व, १६३. अन्य आचार्यों के वचनों का भी इष्टि रूप से काशिका में उद्धरण, १६४. इष्टि के सम्बन्ध में सूत और वैयाकरण का सम्वाद, १६५.

श्लोकवार्त्तिक १६६–१७५

श्लोकवार्त्तिक और उनकी तीन श्रेणियां, १६६. व्याख्यात, १६८. अव्याख्यात, १६९. अंशतः व्याख्यात, १७०. श्लोकवार्त्तिकों का निर्माता, १७०. व्याघ्रभूति, १७३. गोनर्दीय, १७३.

उपसंहार १७४–१७५

—:o:—

चत्वारि श्रृङ्गा त्रयो अस्य पादा,
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति,
महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥

(ऋग्वेद ४।५८।३)

चत्वारि श्रृङ्गाणि—चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। त्रयो अस्य पादाः—त्रयः काला भूतभविष्यद्वर्त्तमानाः। द्वे शीर्षे—द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। सप्तहस्तासो अस्य—सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धः—त्रिषु स्थाने बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति। वृषभो वर्षणात्। रोरवीति—शब्दं करोति।

महो देवो मर्त्यां आविवेशेति—महान् देवः शब्दः, मर्त्यां—मरणधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश। महता देवेन नः साम्यं स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्।

—महाभाष्य पस्पशाह्निक

प्रथम अध्याय

व्याकरण का उद्भव तथा विकास

"भाषा' मनुष्य की अनुभूतियों के आदान प्रदान का श्रेष्ठतम माध्यम है।

"भाषा" मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं"[1]।

अभिव्यक्ति की एषणा भाषा की उत्पत्ति का कारण है। विचारों के आदान प्रदान के प्रारम्भिक साधनों से क्रमशः परिवर्त्तित एवं परिवर्धित होती हुई भाषा उन्नत एवं विकसित अवस्था को प्राप्त होती है। उसका विकसित रूप उसके पूर्व अविकसित रूप से श्रेष्ठ एवं सरल होता है। अतः उस रूप को चिरस्थायी एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता भाषाशास्त्रियों को प्रतीत होने लगती है। उस अवस्था में वे एक ऐसे मार्ग की खोज करने लगते हैं जो भाषा के उस रूप को नियन्त्रित रख सके तथा उसके साहित्य की अभिवृद्धि में भी सहायक हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिस मार्ग का अवलम्बन किया जाता है उसे हम व्याकरण कह सकते हैं। व्याकरण पद का शाब्दिक अर्थ 'शब्द सिद्धि का साधन' है—**व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन तद् व्याकरणम्।**

भाष्यकार पतंजलि की व्याकरण परिभाषा

व्याकरण के लक्षण को दिखाते हुए भाष्यकार पतंजलि ने लिखा है—

"लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्। लक्ष्यं च लक्षणं चैतत् समुदितं व्याकरणं भवति। किं पुनर्लक्ष्यं लक्षणं च। शब्दो लक्ष्यः सूत्रं लक्षणम्[2]।"

अर्थात् लक्ष्यलक्षणात्मक समुदाय व्याकरण है। यहां लक्षण शब्द से भाष्यकार ने "सूत्र" का ग्रहण किया है। इसका मुख्य कारण यह है

---

१. डा० मंगलदेव शास्त्री–तुलनात्मक भाषा–शास्त्र अथवा भाषा विज्ञान (१९५६) पृ० २१।

२. की० सं० भा० १, पृ० १२ पं० १५-१७।

कि इस विचार का मुख्य ध्येय पाणिनि व्याकरण का 'लक्षण" करना है। वास्तविकता यह है कि शब्दसिद्धि का साधन चाहे प्रतिपदपाठ हो, श्लोक हों या सूत्र हों, सभी के लिये व्याकरण शब्द प्रयुक्त होता आया है।

व्याकरण के प्रयोजन

संस्कृत भाषा में शिष्ट शब्द परिज्ञानार्थ एवं अपभ्रंशों के निराकरण के लिए व्याकरण का प्रारम्भ हुआ है [1]। पतंजलि ने गावी गोणी आदि शब्दों को गो शब्द का अपभ्रंश माना है[2]। दूसरे शब्दों में इनको अपशब्द कहा है। व्याकरण का अपर नाम शब्दानुशासन है। अतः व्याकरण का ध्येय इष्टान्वाख्यान एवं अनिष्ट-निवृत्ति है।

व्याकरणशास्त्र के प्रयोजनों के सम्बन्ध में विचार करते हुए पतंजलि ने लिखा है—

"रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्"।

रक्षा— भाषा एवं तद्गत साहित्य की सुरक्षा।

ऊह— शाब्दिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर नवीन कल्पना।

आगम— किसी भाषा के सम्यग्ज्ञान के लिये जहां अन्य विविध प्रक्रियाओं का अवलम्बन किया जा सकता है वहां व्याकरण एक अपरिहार्य एवं मुख्य अवलम्बन है।

लघु— भाषाज्ञान का सरलतम उपाय व्याकरण होता है।

असन्देह—भाषा में अशुद्धि-परिज्ञान के लिये एवं सन्देह रहित प्रयोग के लिये व्याकरण की महती आवश्यकता है।

यद्यपि ये प्रयोजन संस्कृत व्याकरणाध्ययन के हैं तथापि ये ही प्रयोजन संसार की किसी भी भाषा के व्याकरणाध्ययन के हो

---

१. पतंजलि-"भूवादिपाठः प्रातिपदिकाणपयत्यादिनिवृत्त्यर्थः (वा०)। भाष्य—प्रतिपादिकनिवृत्यर्थं आणपयत्यादिनिवृत्त्यर्थश्च। के पुनराणपयत्यादयः। आणपयति वट्टति, वड्ढतीति (की० सं० भाग १ पृ० २५९ पं० ५-७)।
तुलना कीजिये—"साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।' (वाक्यपदीय १।१४३।)

२. की० सं० भा० १, पृ० ६५, पं० १८-२२।

सकते हैं। भर्तृहरि ने व्याकरण को भाषा के स्वरूप-ज्ञान के लिये उपाय माना है[1]।

व्यवहारातीत भाषा व्याकरण के विना नहीं जानी जा सकती, इसीलिये व्याकरण को 'शक्तिग्रह' माना गया है[2]।

व्याकरण एवं शब्दानुशासन का पर्यायवाचित्व

व्याकरण एवं शब्दानुशासन दोनों ही व्युत्पत्तिसाम्य के कारण पर्याय माने जा सकते हैं[3]।

व्याकरण की उत्पत्ति

व्याकरण की उत्पत्ति से पूर्व भाषा की उत्पत्ति अपेक्षित है, तदुत्तरकाल में भाषा की आन्तरिक एवं बाह्य सुव्यवस्था के लिये व्याकरण की उत्पत्ति होती है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब हुई इस विषय पर विद्वानों में काफी मतभेद है। इतना निश्चित है कि आज के समय की तथाकथित समृद्ध भाषाओं से प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में संस्कृत की स्थिति थी। भाषा की उत्पत्ति के काफी समय बाद, उपलब्ध वैदिक पदपाठों की रचना से पूर्व, व्याकरण शास्त्र पूर्णता को प्राप्त हो चुका था[4]। ऋक् पदपाठ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस काल तक प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना पूर्ण रूप से हो चुकी थी[5]। गोपथ ब्राह्मण में प्रकृति प्रत्यय आदि का स्पष्ट नामोल्लेख मिलता है :—**ओंकारं पृच्छामः को धातुः किं प्रातिपदिकम्**[6]।

मैत्रायणी संहिता (१।७।३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (७।७) में भी विभक्तियों का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकीय रामायण से भी यह ज्ञात होता है कि उस

---

१. भर्तृहरि-वाक्यपदीय २।२४०।

२. "शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च" आदि, न्यायसिद्धान्त मुक्तावली।

३. डा० कपिलदेव–सं० व्या० ग० की परम्परा–पृ० १। (व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्। अनुशिष्यन्ते शब्दा अनेनेति शब्दानुशासनम्)।

४. श्री युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इतिहास द्वितीय सं० भाग १, पृ० ५५।

५. ऋक् पदपाठ-वाजिनीऽवती १।३।१० संऽजग्मानः ऋक् पदपाठ १।६।७ पतिऽलोकम्–ऋक् पदपाठ १०।८५।४३।

६. गोपथ ब्राह्मण पृ० १।३४।

समय व्याकरण (प्रकृति-प्रत्यय-विभागात्मक) शास्त्र का सुचारु रूप से प्रचलन था[1]। महाभाष्यकार ने भी अतिप्राचीन काल में संस्कारोपरान्त व्याकरणाध्ययन की स्थिति की ओर संकेत करते हुए अपने समकालीन छात्रों की मनः-स्थिति का विश्लेषण किया है[2]। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि व्याकरण शास्त्र की सुव्यवस्थित पठन-पाठन प्रणाली अति प्राचीन है। भारतीय परम्परा के अनुसार सर्व विद्या के आदि मूल वेद हैं[3]। अतः आवश्यक है कि व्याकरण जैसे वैज्ञानिक शास्त्र का मूल वेद में हो। इस बात की पुष्टि के लिये कुछ स्थल द्रष्टव्य[4] हैं—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। ऋ० वे० १।१६४।५०
स्तोतृभिर्मह्ते मघम्। ऋ० वे० १।११।३।
केतपूः केतं नः पुनातु। यजुः० ११।७।
तीर्थैस्तरन्ति। अथर्व० १८।४।८
पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा। साम० उ० ५।२।८।५।

इन मंत्रांशों में यज्ञादि शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी हैं। आधुनिक व्याकरणों एवं निरुक्त आदि द्वारा प्रदर्शित व्युत्पत्तियों से इनकी तुलना करने पर अत्यधिक सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। अतः यह कहने में कोई सन्देह नहीं कि मूलतः वेद से ही व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति हुई। यास्क के मतानुसार वेद के आधार पर साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने व्याकरण आदि वेदाङ्गों का आविष्कार, विस्तार, एवं पल्लवन किया है—

"साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादिषुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च[5]।"

---

१. हनुमान् के विद्वत्ता-प्रसंग में—
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहुव्याहरतानेन न किंचिदपभाषितम्॥
रामायण कि० काण्ड ३।२९

२. पतंजलि–महाभाष्य की० सं० पृ० ५ भा० १ पं० ६–९।

३. सर्वज्ञानमयो हि सः। मनु० २।७।

४. श्री युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इति० पृ० ५४ भा० १।

५. यास्क–निरुक्त १।२०।

व्याकरण की प्राचीनता

निरुक्तिसहित व्याकरण पद की मूल धातु का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है[1]। व्याकरण शब्द भी अति प्राचीन है[2]। इसका शास्त्र अर्थ में उल्लेख मुण्डकोपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। अतः जब से वेदांगों की स्थिति है तभी से 'व्याकरण' शब्द का अस्तित्व भी है।

प्राचीनकाल में व्याकरण शास्त्र का नाम अनुशास्त्र, अनुतंत्र या अनुशासन रहा होगा[3]। प्रतिपदपाठ के काल में इसका नाम "शब्दपारायण" था। महाभाष्यकार ने "**शब्दपारायणं प्रोवाच**" कहा है[4]। भर्तृहरि ने इसकी व्याख्या करते हुए शब्दपारायण को ग्रन्थ विशेष का बोधक माना है—**शब्दपारायणं रूढिशब्दोऽयं कस्यचिद् ग्रन्थस्य**[5] कैयट ने शब्दपारायण को शास्त्र विशेष में योगरूढ माना है—**शब्दपारायणशब्दो योगरूढः शास्त्रविशेषस्य**[6]।

प्रकृति-प्रत्यय आदि विभाग द्वारा शब्दोपदेश-प्रक्रिया की परिकल्पना सर्वप्रथम इन्द्र ने की। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है[7] :—

वाग्वै पराच्याकृतावदत् तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्।

इसकी टीका करते हुए सायण ने लिखा है[8] :—

तामखण्डां वाचं मध्ये विच्छिद्य प्रकृति-प्रत्यय-विभागं सर्वत्राकरोत्।

इस प्रकार इन सभी प्रमाणों के आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मूल वेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक वाङ्मय सम्प्रति उपलब्ध है उसमें व्याकरण शास्त्र का उल्लेख मिलता है। अतः

---

१. दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः। यजुर्वेद–प्र० १९म० ७७।
२. श्री युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इति० द्वि० सं० पृ० ५७ भाग १।
३. युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या०शा० इति पृ० ५९ भाग १।
४. पतंजलि-महाभाष्य-की०सं० भाग १, पृ० ५ पं० २६।
५. भर्तृहरि-भाष्यदीपिका—पृ० २१।
६. कैयट-प्रदीप, गु० प्र० सं० पृ० ४२ नवाह्निक।
७. तैत्तिरीय संहिता, ६।४।७।
८. सायण-ऋग्भाष्य, उपोद्घात पूना० सं० भाग १, पृ० २६।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान काल में उपलब्ध समस्त आर्ष वाङ्मय की रचना से पूर्व व्याकरण शास्त्र पूर्णतया सुव्यवस्थित बन चुका था, और वह पठनपाठन में व्यवहृत होने लगा था[1]।

व्याकरण शास्त्र की प्रवचन शैली

व्याकरण में दो सम्प्रदाय काफी विख्यात हैं—एक ऐन्द्र सम्प्रदाय और दूसरा माहेश्वर। इनमें ऐन्द्र सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाला आजकल कातंत्र व्याकरण है। माहेश्वरसम्प्रदाय से सम्बन्धित पाणिनिव्याकरण है।

बृहस्पति से जो कि सुरगुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इन्द्र ने शब्दशास्त्र का अध्ययन किया था[2]। अध्ययन की वह प्रक्रिया अति कठिन एवं दुरूह थी। न्यायमञ्जरी में उद्धृत औशनस वचन से भी यही सिद्ध होता है।[3]

बृहस्पति के प्रतिपद पाठ का स्वरूप

बृहस्पति के प्रतिपदपाठ का स्वरूप क्या था, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। अनुमानतः वह समान रूप वाले शब्दों का संग्रह रहा होगा। सम्भवतः उसके शब्दपारायण का स्वरूप सम्प्रति उपलभ्यमान धातुपाठ या गणपाठ आदि के समान था। पाणिनीय धातुपाठ में रूपसादृश्य के आधार पर विभिन्न धातुओं को संगृहीत किया गया है। यही स्थिति गणपाठ में है। काशकृत्स्न-धातुपाठ में भी प्रत्येक गण में सर्वप्रथम परस्मैपदी धातुएं पठित हैं उसके पश्चात् आत्मनेपदी और अन्त में उभयपदी। उसी प्रकार सम्भवतः बृहस्पति ने भी अपने शब्दपारायण में धातुओं एवं नामों का प्रवचन रूपसाम्य के आधार पर किया होगा। उसके प्रतिपद पाठ में भी रूपसादृश्यबोधनार्थ सम्भवतः कुछ संज्ञा शब्दों का व्यवहार होता था। जैसे :—

---

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इति, भा० १, पृ० ५८।

२. एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। (की ०सं० भा० १, पृ० ५ पं० २५-२६)।

३. "प्रतिपदमशक्यत्वाच्च...मरणान्तोव्याधिर्व्याकरणमिति औशनसा इति।
न्यायमंजरी-काशीसंस्करण— पृ० ४१८

पाणिनीय तंत्र में महती संज्ञाए, प्रायः अन्वर्थ हैं। 'नदी' संज्ञा महती संज्ञा होने पर भी निरर्थक है। वास्तविकता यह है कि प्राचीन काल में दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त शब्द-समूह का द्योतक "नदी" शब्द था, जिसका व्यवहार तंत्रान्तर में होता था। उसी का संग्रह पाणिनि ने अपने प्रोक्त ग्रन्थ में किया है[1]। पाणिनि की नदी संज्ञा के समान कातंत्र व्याकरण में जो कि ऐन्द्र सम्प्रदाय का माना जाता है,[2] 'अग्नि" एवं "श्रद्धा" ये दो संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं[3]। ये संज्ञाएँ भी निरर्थक हैं। परन्तु वहां ह्रस्व इकारान्त शब्द समूह का द्योतक 'अग्नि" शब्द है एवं दीर्घ आकारान्त शब्दों का द्योतक "श्रद्धा" शब्द है। इन संज्ञाओं के समान ही पाणिनीय 'नदी' संज्ञा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्भवतः प्रतिपदपाठ का स्वरूप इस प्रकार रहा होगा :—

अग्नि-ह्रस्व इकारान्त शब्द-समूह। **नदी**-दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त शब्द-समूह। **श्रद्धा**-आकारान्त शब्द-समूह।

पाणिनि के 'गोतो णित्' सूत्र की संगति

इसी के आधार पर पाणिनि के व्याकरण में पठित **गोतो णित्**[4] सूत्रस्थ 'गोतः' पद की युक्तियुक्तता भी सिद्ध हो जाती है। इस सूत्र में तसिल् प्रयुक्त है। कुछ व्याख्याता तपरत्व मानते हैं वह उचित नहीं, क्योंकि तपरत्व वर्ण के निर्देश में प्रयुक्त होता है, नाम के निर्देश में नहीं। कैयट ने इसी लिये कहा है—**वर्णनिर्देश हि तपरत्वं प्रसिद्धम्**[5]। यही नहीं 'द्यो' का भी ग्रहण करना पड़ेगा[6]। अन्य दोष भी आवेंगे। ये सभी दोष तभी हैं जबकि हम "गो" शब्द-निर्देश मानते हैं। यदि उपरिलिखित 'अग्नि' आदि शब्दों के समान ओकारान्तों की संज्ञा 'गो' मान लें तब कोई दोष नहीं है।

---

१. यूस्त्र्याख्यौ नदी। पा० १।४।३।
२. श्री युधिष्ठिर मीमांसक सं० व्या० शा० इति, पृ० ७९ भाग १।
३. कातंत्र--२।१।८-१०। इदुदग्निः। आश्रद्धा॥
४. पाणिनि--७।१।९०।
५. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ६।१।९३ पृ० ६३६।
६. कात्यायन वार्तिक—"गोग्रहणे द्योरुपसंख्यानम्" की० सं भा० ३, पृ० ७३ पं० २१।

उस अवस्था में **ओतो णित्** का जो अर्थ है वही **गोतो णित्** का भी होगा। कैयट ने **गोत** इतनी सम्पूर्ण-संज्ञा मानी है :-- **गोतो णिदिति सूत्रं पठितव्यं, गोत इत्योकारान्तोपलक्षणार्थं वा व्याख्येयम्**[1]।

स्पष्ट है कि या तो **ओतो णित्** पढ़िये या "गोत" शब्द को ओकारान्त का उपलक्षण (संज्ञा) मानिये। वस्तुतः "गोतः" इतनी पूरी संज्ञा न होकर केवल "गो" संज्ञा मानना ही ठीक है। नवाह्निक में कैयट ने और अधिक स्पष्ट किया है[2]—**एकस्मिन्नुदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते**। इसी के भाव को स्पष्ट करते हुए अन्नम्भट्ट ने लिखा है :—**एकस्मिन्निति यथा गोतो सूत्रस्थ गौरित्युदाहरणे उक्ते ओकारान्ताः सर्वे ज्ञाताः भवन्ति**[3]।

अर्थात् गो शब्द से सभी ओकारान्तों का ग्रहण होता है। यह भी हमारे उपरिकथित कथन में प्रमाण है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि ओकारान्तों की संज्ञा "गो" है, उस अवस्था में "गो" और "द्यो" को छोड़कर अन्य ओकारान्तों में सूत्र की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? इसके लिये नागेश ने अनभिधान माना है[4]। अर्थात् प्रयोगाभाव के कारण अन्यों में प्रवृत्ति नहीं होती।

ऐन्द्र व्याकरण की उत्पत्ति

बृहस्पति के प्रतिपद पाठ की दुरूहता को समझकर ही इन्द्र ने प्रकृति प्रत्यय आदि का विभाग किया।

काशकृत्स्न और कातंत्र का ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्ध

ऐन्द्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत काशकृत्स्न व्याकरण एवं कातंत्र आदि व्याकरण हैं[5]। कातंत्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का माना जाता है।

(क) कातंत्र काशकृत्स्न-व्याकरण का संक्षेप है। काशकृत्स्न-धातुपाठ की कन्नड़ टीका अभी उपलब्ध हुई है। उसके लगभग १४० सूत्र भी उपलब्ध

---

१. कैयट-प्रदीप–गु० प्र० सं० ६।१।९३ पृ० ६३६।
२. कैयट–प्रदीप–नवाह्निक–गु० प्र० सं०, पृ० ५७।
३. अन्नम्भट्ट–प्रदीपोद्योतन, पृ० ५९।
४. नागेश–उद्योत, "एतद्द्वयभिन्नानामोकारान्तानां त्वनभिधानमाहुः।" (गु० प्र० सं० ६।१।६६ पृ० ६३६।)
५. श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इति० भा० १, पृ० ६२।

हुए हैं। काशकृत्स्न के धातुपाठ और कातंत्र की पारस्परिक तुलना से ज्ञात होता है कि जहाँ चन्द्रादि धातुपाठ पाणिनि आदि के धातुपाठ का अनुसरण करते हैं वहाँ कातंत्र, काशकृत्स्न-धातुपाठ का अनुसरण करता है[1]।

(ख) काशकृत्स्न धातुपाठ का दूसरा नाम "शब्दकलाप" भी है। वह किसी बड़े तंत्र (शास्त्र) से कलाओं को पीता है, एतदर्थ उसका नाम "शब्द-कलाप" है। इसके अनुसार यह व्याकरण किसी प्राचीन व्याकरण का संक्षेप है।

(ग) कातंत्र व्याकरण का दूसरा नाम "कलापक" है। कलाप शब्द से ह्रस्व अर्थ में "क" प्रत्यय होकर "कलापक" शब्द सिद्ध हुआ है। "कलाप" व्याकरण, काशकृत्स्न के महातंत्र का ही संक्षेप है[2]।

(घ) दोनों तंत्रों के सूत्रों, अनुबन्धों एवं संज्ञाओं में साम्य है।

(ङ) विशेषतः दोनों धातुपाठों में पठित वे धातुएँ, जिनको कि पाणिनि ने छान्दस माना है, और स्वरार्थ सन्नियोजित अनुबन्ध इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि कातंत्र काशकृत्स्न व्याकरण का संक्षेप है।

इस प्रकार काशकृत्स्न व्याकरण भी ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्धित है।

काशकृत्स्न का पाणिनि से पूर्ववर्तित्व

काशकृत्स्न व्याकरण निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है—

(क) पाणिनि ने "काशकृत्स्न" शब्द अरीहणादि गण में पढ़ा है[3]।

(ख) महाभाष्य में पाणिनीयम्, आपिशलम्, काशकृत्स्नम् ये उदाहरण दिये हैं[4]। इनमें आपिशलि पाणिनि से निश्चय ही पूर्ववर्ती है। उसका नाम पीछे पढ़ा गया है। तदनन्तर पठित काशकृत्स्न सम्भवतः आपिशलि से भी पूर्ववर्ती है। उस अवस्था में पाणिनि से तो पूर्वत्व स्वतः सिद्ध है।

---

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक सं० व्या० शा० इति० भा० २, पृ० ३०।
२. गायकवाड संस्कृत सीरीज में प्रकाशित बालिद्वीपीय ग्रन्थसंग्रह के अन्तर्गत "कारकसंग्रह" के अन्तिम श्लोक (कातन्त्रं च महातन्त्रं च दृष्ट्वा तेन उवाच) में कातन्त्र का उपजीव्य काशकृत्स्न माना है।
३. पाणिनि (४।२।८०)।
४. महाभाष्य–पस्पशाह्निक का अन्त। की सं० भा० १ पृ० १२ पं० ६।

(ग) काशकृत्स्न धातुपाठ में पाणिनि के धातुपाठ से लगभग ४५० धातुएँ अधिक हैं। भारतीय सिद्धान्त है कि प्राचीन ग्रन्थों का परिमाण अधिक था उनका उत्तरोत्तर क्रमशः संक्षेपीकरण होता गया।

(घ) कुछ ऐसी भी धातुएँ हैं, जिनके पाणिनि-धातुपाठ में एकविध रूप हैं परन्तु काशकृत्स्न धातुपाठ में उनके द्विविधरूप उपलब्ध होते हैं—

काशकृत्स्न—	पाणिनि—
१—ईड ईल स्तुतौ (पृ० १७०)	ईड स्तुतौ।
२—बृह बृहि वृद्धौ (पृ० ६८)	बृहि वृद्धौ।

३—पृथु व्याप्तौ धातु काशकृत्स्न के धातुपाठ में है (पृ० १५२)।

अतः "पृथु, पृथिवी" आदि शब्दों के लिये 'प्रथ" को सम्प्रसारण करने की आवश्यकता नहीं।

(ङ) काशकृत्स्न ने बहुत सी धातुएँ उभयपदी पढ़ी हैं। पाणिनि ने उन्हें परस्मैपदी या आत्मनेपदी ही माना है। जैसे—

१—वद परस्मैपदी है। काशकृत्स्न ने उभयपदी माना है।

२—वस निवासे, टुओश्वि गतिवृद्धयोः दोनों धातुएँ उभयपदी मानी हैं।

(च) कशकृत्स्न ने कुछ धातुएँ सामान्य रूप में पढ़ी हैं, जिन्हें पाणिनि ने छान्दस माना है[1]। इससे पता लगता है कि काशकृत्स्न के समय में उन धातुओं का प्रयोग सामान्य लौकिक भाषा में होता था। कालक्रम से उनका लौकिक भाषा में लोप हो जाने के कारण केवल वेद में ही उपलभ्यमान होने से पाणिनि ने उन्हें छान्दस रूप से पढ़ा।

स्पष्ट है कि काशकृत्स्न के काल में इन सभी के द्विविध रूपों का तथा उभयपदी का प्रयोग होता था। पाणिनि के समय तक केवल एकविध रूप एवं परस्मैपदी ही अवशिष्ट रह गई। अतः पाणिनि से काशकृत्स्न प्राचीन तथा कातन्त्र का उपजीव्य है।

पाणिनि से पूर्व लगभग २६ आचार्य हुए जिनमें से १६ आचार्य पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित हैं। पाणिनि ने १० का नाम निर्देश पूर्वक उल्लेख किया है। १० प्रातिशाख्य तथा ७ अन्य वैदिक व्याकरण उपलब्ध हैं। इन

---

१. विशेष द्रष्टव्य—श्री युधिष्ठिर मीमांसक का सं० व्या० शा० इति० भाग—२, पृ० २६–२८।

ग्रन्थों में भी लगभग ५९ आचार्यों के नाम मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिला कर पाणिनि तक लगभग ८५ व्याकरण प्रवक्ता हुए। इन सभी के व्याकरणों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

छान्दस मात्र	प्रातिशाख्यादि।
लौकिक मात्र	काशकृत्स्न आदि।
लौकिक-वैदिक	अपिशल, पाणिनि आदि।

पाणिनि से अर्वाचीन १५ और व्याकरण हैं[1]।

द्विविध सम्प्रदायों में भेद

व्याकरण परम्परा में दो सम्प्रदाय काफी विख्यात हैं। एक ऐन्द्र और दूसरा माहेश्वर। ऐन्द्र सम्प्रदाय के अन्तर्गत व्याकरण ग्रन्थों में लौकिक वैदिक भेद नहीं है। सामान्यतः सभी शब्दों के लिये प्रकृति प्रत्यय नियम का विधान है। माहेश्वर सम्प्रदाय के अन्तर्गत सम्भवतः लौकिक वैदिक उभयविध प्रक्रिया-बोधक व्याकरण-ग्रन्थों का समावेश होता है।

माहेश्वर व्याकरण की उत्पत्ति और उसका स्वरूप

महाभारत के शान्तिपर्व के 'शिवसहस्रनाम' में शिव को षडङ्ग का प्रवर्तक कहा है[2]। षडङ्गों में व्याकरण प्रधान है[3]। अतः निश्चय ही शिव ने भी व्याकरण का प्रवचन किया होगा। इसके द्वारा हमारे उपरिलिखित इस कथन की पुष्टि होती है कि माहेश्वर सम्प्रदायान्तर्गत व्याकरण लौकिक वैदिक विभागात्मक हैं, क्योंकि शिव ने वेद के षडङ्गों का निर्माण किया। षडङ्ग वेद के शब्दार्थ बोध के साधन हैं, उस अवस्था में स्वतः सिद्ध है कि शिव ने अवश्य ही अपने व्याकरण में वैदिक शब्दों के परिज्ञानार्थ कोई प्रक्रिया निर्मित की होगी। आधुनिक पाणिनि शिक्षा के अन्त में पठित श्लोक के आधार पर

---

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक, सं० व्या० शा० इति० भाग० १, पृ० ६६–७२।

२. "वेदात् षडङ्गानुद्धृत्य," २८।९२।

३. "प्रधानं च षडङ्गेषु व्याकरणम्"। महाभाष्य, की० सं० पृ० १, भा० १ पं० १९।

पाणिनि का व्याकरण माहेश्वर व्याकरण के आधार पर रचा गया बताया गया है[1]। पाणिनि का व्याकरण निश्चित ही लौकिक वैदिक उभयविध शब्दों की सिद्धि के लिए है, अतः उसका उपजीव्य माहेश्वर भी उभयविध शब्द सिद्धयर्थ होना चाहिये।

ऐन्द्र सम्प्रदाय के व्याकरणों का स्वरूप

बृहस्पति से इन्द्र ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। उसने प्रतिपद पाठ की शैली से अध्ययन किया था। प्रतिपद पाठ व्याकरणाध्ययन की अविकसित शैली थी। अतः प्रारम्भ में ही लौकिक एवं वैदिक शब्दों का पृथक्करण असम्भव है। प्रतिपद पाठ में केवल शब्द-बोध ही मुख्य था। लौकिक एवं वैदिक विभाग उस काल में नहीं था। विभागात्मक प्रक्रिया अवान्तर कालीन है। यह तो उस समय की स्थिति है जब कि प्रकृति प्रत्यय के विभाग की परिकल्पना हो चुकी थी; तदनन्तर वेदार्थ के बोध के लिए षडङ्गों की आवश्यकता प्रतीत हुई। इससे स्पष्ट है कि ऐन्द्र व्याकरण सम्भवतः लौकिकमात्र या यों कह सकते हैं कि लौकिक वैदिक विभाग रहित होगा। यही कारण है कि ऐन्द्र व्याकरण-सम्प्रदायान्तर्गत कातंत्र व्याकरण विशुद्ध लौकिक शब्दों का व्याकरण है[2]। उसका उपजीव्य काशकृत्स्न भी निश्चित ही लौकिक शब्द बोधनार्थ होगा।

कातंत्र व्याकरण का सूत्र है--**भिस ऐस् वा** (२।१।१२) अर्थात् अकारान्तों से "भिस्" को "ऐस्" विकल्प करके हो, अर्थात् "देवेभिः और देवैः" ये दोनों रूप बनें। सम्भवतः इसका मूल काशकृत्स्न व्याकरण में रहा होगा[3]। यह उस समय की रचना है, जबकि "देवेभिः" और "देवैः" दोनों ही रूप लोक में व्यवहृत होते थे। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि लौकिक-वैदिक भाषा में भेद नहीं था। जब परिवर्तन हुआ तो लोक में केवल 'देवैः' शब्द ही प्रयुक्त होने लगा, 'देवेभिः' नहीं, तभी **अतो भिस् ऐस्**

---

१. पाणिनि शिक्षा--येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्। कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्लोक ५७

२. कातंत्रवृत्तिः परिशिष्ट, पृ० ९, शर्ववर्मणस्तु वचनात् भाषायामप्यवसीयते। न ह्ययं (कातंत्रकारः) छान्दसान् शब्दान् व्युत्पादयति।

३. श्री युधिष्ठिर मीमांसक—काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र, पृ० ९।

(७।१।१० पा०) और वेद के लिए **बहुलं छन्दसि** (७।१।११ पा०) सूत्र बनाने पड़े।

पाणिनि-व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय का है। उस अवस्था में महेश्वर के व्याकरण में भी इस प्रकार की भेदक प्रक्रिया का निश्चित ही अवलम्बन किया गया होगा। इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं। पाणिनि-व्याकरण का साम्य आपिशलि व्याकरण से अत्यधिक है। वह भी लौकिक-वैदिक उभयविध शब्द सिद्धयर्थ है, अतः वह भी माहेश्वर सम्प्रदाय का होगा।

पाणिनि व्याकरण की उत्पत्ति

पाणिनि से पूर्ववर्ती ऐन्द्र और माहेश्वर सम्प्रदाय के लगभग ८५ आचार्यों ने विशेषकर २६ आचार्यों ने,[1] व्याकरण शास्त्र की नवीन नवीन शैलियों का प्रवर्तन किया। इनकी सभी रचनाएं लुप्त हैं और उनके व्यक्तित्व का परिचय रचयिता की अपेक्षा स्पष्ट-वक्ता, प्रवक्ता के रूप में अधिक उपलब्ध होता है। यत्र तत्र वाङ्मय में उपलब्ध कुछ वाक्यों तथा सूत्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चय ही पाणिनि से पूर्व व्याकरण अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका था और उन सब आचार्यों की आलोचनाओं, शैलियों का गम्भीर अध्ययन कर पाणिनि, अष्टाध्यायी जैसी महती कृति का निर्माण कर सके। जो लोग यह कहते हैं[2] कि पाणिनि व्याकरण से पूर्व सर्वतोमुख एवं सर्वावयव-सम्पन्न किसी व्याकरण की स्थिति नहीं थी उनके समाधान के लिये सम्भवतः काशकृत्स्न के उपलब्ध १०० सूत्र[3] एव धातुपाठ, इन्द्र के उपलब्ध सूत्र, अन्य आपिशलि, चारायणादि आचार्यों के सूत्र, जो कि पाणिनि से निश्चित पौर्वकालिक हैं, प्रमाणार्थ पर्याप्त होंगे।

प्रवचन शैली

प्राचीन काल में व्याकरण के प्रवचन का प्रारम्भ प्रतिपद पाठ से हुआ, यह हम पूर्व बता चुके हैं। सूत्रों से पूर्व हमें श्लोकों का अस्तित्व मिलता

---

१. श्री युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० इति० पृ० ६३ से ७२ तक।

२. सत्यव्रत सामश्रमी-निरुक्तालोचन (१९०७) पृ० १०७-१०८। भगवत्पतंजलिविरचितायाः पाणिनिव्याकरण...पाठादेवावगम्यते नैतत् पूर्वमेवं सर्वतोमुखं सर्वावयवसम्पन्नस्थितम्" इत्यादि।

३. श्री युधिष्ठिर मीमांसक-काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र। तथा सं० व्या० शा० इति० भाग १.

है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिपदपाठ के अनन्तर प्रवचन-शैली श्लोकात्मक थी।

भागुरि आचार्य के, जो कि पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं[1], श्लोक जगदीश तर्कालंकार ने उद्धृत किये हैं[2]। इसी प्रकार "भाष्यव्याख्याप्रपंच" में एवं "पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति" में एक वचन उद्धृत है, वह भी श्लोकात्मक हैं।[3]।

इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भागुरि का व्याकरण श्लोकात्मक था, न कि गद्यमय। चारायणाचार्य का एक सूत्र "लौगाक्षिगृह्य-सूत्र' के व्याख्याता देवपाल ने उद्धृत किया है[4]—

तथा च चारायणिसूत्रम् "पुरुकृते च्छ्छ्योः" इति पुरुशब्दः कृतशब्दश्च लुप्यते यथासंख्यं छे छ्रे परतः। पुरुच्छदनं पुच्छम्, कृतस्य छ्रदनं विनाशनं कृच्छ्रम् इति।

इसमें उद्धृत सूत्र श्लोकांश ही प्रतीत होता है। प्रतिपदपाठ के अनन्तर श्लोकात्मक प्रवचन शैली का प्रारम्भ हुआ या यूं कहें कि सर्वप्रथम प्रकृति प्रत्यय-विभागात्मक व्याकरण का प्रारम्भ पद्यात्मक शैली में हुआ यही कारण है कि प्राचीन वाङ्मय बहुत कुछ छन्दोबद्ध है।

तदनन्तर काशकृत्स्न के काल से कुछ सूत्र शैली का भी प्रारम्भ हो गया, अर्थात् गद्य-पद्य-मय शैली का प्रारम्भ हुआ। उस काल तक श्लोक शैली भी चल रही थी, क्योंकि अभी काशकृत्स्न के जो १४० सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें से कतिपय तो स्पष्ट रूप से श्लोक अथवा श्लोकांश हैं[5]। जैसे—

---

१. युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० इति०, भाग १, पृ० ९७।

२. श्री जगदीश तर्कालंकार—"शब्दशक्तिप्रकाशिका" का० सं० पृ० ४४४—४४७।

३. भाष्य व्याख्याप्रपंच, पृ० १२९। पुरुषोत्तम देव-परिभाषावृत्ति राजशाहि संस्करण।

४. लौगाक्षि गृह्यसूत्र ५।१।

५. श्री युधिष्ठिर मीमांसक— "साहित्य" (पटना) वर्ष १०, अंक २ जुलाई १९५९) "काशकृत्स्न व्याकरण के उपलब्ध सूत्र" लेख में सूत्र सं० १११, २४४, १३८।

१—गृहाः पुंसि च भूम्न्येव ।
२—अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भावकर्मणि यङ्स्मृतः ।
३—भूते भव्ये वर्तमाने भावे कर्तरि कर्मणि ।
प्रयोजके गुणे योग्ये धातुभ्यः स्यु र्क्विबादयः ॥

साथ ही सूत्र तो हैं ही। इसी प्रकार मूल कातन्त्र व्याकरण का पर्याप्त भाग छन्दोबद्ध है। इसलिए उसका उपजीव्य काशकृत्स्न छन्दोमय एवं सूत्रात्मक अवश्य होना चाहिए। आपिशलि के, जो कि काशकृत्स्न का समकालीन है एवं पाणिनि के पूर्ववर्ती है, लगभग ११ सूत्र प्राप्त हुए है—**विभक्त्यन्तं पदम्**[1] इत्यादि। कुछ श्लोक भी उपलब्ध हुए हैं[2]। इनसे पता लगता है कि आपिशलि की प्रक्रिया गद्य-पद्यमय थी। हमारा विचार है कि जैसे-जैसे समय बीतता गया प्रवचन शैली में श्लोकों के स्थान पर सूत्र शैली का विस्तार होता गया और सम्भवतः पाणिनि तक आते आते श्लोक शैली लुप्त हो गई। सूत्र शैली का पूर्ण साम्राज्य हो गया। यही वह समय है जिसे हम संस्कृत वाङ्मय में सूत्रों का पूर्ण साम्राज्ययुग भी कह सकते हैं। पाणिनि के ग्रन्थ में भी जो कुछ पद्यांश मिलते हैं, उनके आधार पर उन पद्यांशों की स्थिति वस्तुतः पाणिनि से प्राचीन ही सिद्ध होती है। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में उन सूत्रों को संगृहीत किया है। यद्यपि पाणिनि ने सम्पूर्ण प्राचीन वाङ्मय का उपयोग किया तथापि उनका प्रधान उपजीव्य आपिशल व्याकरण ही है।

पाणिनीय व्याकरण

इस प्रकार संस्कृत व्याकरण की अपनी अलग-अलग विधाएँ एवं चिन्तन के स्वतन्त्र ध्येय थे। ऋषियों ने सतत परिश्रम करके इस चिन्तन की नवीन विधियाँ प्रकाशित कीं। गार्ग्य, आपिशल आदि भाषा-शास्त्रियों द्वारा पुष्पित और पल्लवित होकर यह थाती पाणिनि के हाथों में आई। पाणिनि ने उसको

---

१. कलापचन्द्र सन्धि (२०)।
२. अनन्तदेव के भाषिक सूत्र यजुः प्रातिशाख्य का० सं० पृ० ४६६।, कविराज-कातन्त्र टीका २।३।३३।, दुर्गाचार्य—कातन्त्रवृत्ति पृ० ४७९। जगदीश तर्कालंकार—शब्दशक्तिप्रकाशिका—का० सं० पृ० ३७५। उज्ज्वलदत्त—उणादिवृत्तिः पृ० ११।

अपने नवीन साँचे में ढालकर और विस्तृत किया। पाणिनि से पूर्व सूत्रपाठ, धातुपाठ और गणपाठ का निर्माण हो चुका था, इसके लिये सूत्र, धातुपाठ एवं गण उपलब्ध है, काशकृत्स्न के भी सूत्र एवं धातुपाठ प्राप्त हुए हैं। उसके सूत्र **क्षिप्रादीनां नो णः** (सूत्र १११) के आधारपर गण पाठ का भी अस्तित्व सिद्ध होता है। पाणिनि की परम्परा को कात्यायन, पतंजलि आदि ने वार्त्तिक, वृत्ति, भाष्यादि द्वारा अधिक विस्तृत किया है।

भारतीय वाङ्मय में यह प्रायः सभी जगह देखा जाता है कि जो जितना प्राचीन है वह उतना ही विस्तृत है। अर्वाचीन साहित्य में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। उसी संक्षेपीकरण के कारण सूत्र-शैली का जन्म हुआ जिसकी पूर्णता पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुई। संक्षेपीकरण के कारण ही पाणिनि ने कालादि संज्ञाओं का समावेश अपने तन्त्र में नहीं किया[१] और एक उदाहरण के लिए सूत्र का निर्माण नहीं किया[२]। राजशेखर ने पाणिनीयों को तद्धितमूढ कहा है[३] अर्थात् पाणिनि ने अपना तद्धित-प्रकरण अपेक्षाकृत संक्षिप्त किया है। पाणिनि के समय में विपुल ग्रन्थराशि विद्यमान थी[४]। पाणिनि की सर्वांगीण एवं प्रामाणिक कृति 'अष्टाध्यायी' अनेक पीढ़ियों की क्रमिक एवं सामूहिक चेष्टा का परिणाम है। अनेक विधानों के प्रामाणिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि, अन्त में एक पूर्ण वस्तु तय्यार कर सके[५]।

पाणिनि-व्याकरण अपने बृहद् नियमों के कारण इतनी व्यापक ख्याति को अर्जित कर सका। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगामी सहस्रों वर्षों तक उसके नियम, निर्देश और निष्पत्तियां अन्तिम प्रमाण के रूप में स्वीकार

---

१. वामन–काशिका २।४।२९। दण्डनाथ वृत्तिः ३।३।१२६। वामनीय लिंगानुशासन, बम्बई संस्करण पृ० ७—"पाणिन्युपज्ञमकालकं व्याकरणम्।

२. पतंजलि–महाभाष्य, "नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति" की० सं० भा० ३, पृ० २७४ पं० १३।

३. राजशेखर–काव्यमीमांसा, अध्याय ६ "तद्धितशास्त्रे प्रायोवादः यदुत तद्धितमूढाः पाणिनीयाः"।

४. श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल –पाणिनिकालीन भारतवर्ष। पृ० २७६–३४८।

५ जयचन्द्र विद्यालंकार–भारतीय इतिहास की रूप रेखा पृ० ४२५।

की जाती रहेंगी। इसी प्रसिद्धि के कारण कहा जाने लगा कि "भारतीय व्याकरण में ही संसार में सर्वप्रथम शाब्दिक विवेचन हुआ और प्रकृति प्रत्यय का अन्तर पहिचाना गया। प्रत्ययों का कार्य-निर्धारण निश्चित किया गया। सर्वाङ्गीण अति शुद्ध व्याकरण पद्धति का निर्माण हुआ। इन सभी बातों की तुलना किसी भी देश के व्याकरण से नहीं की जा सकती है"।[1]

इस प्रकार पाणिनि सम्पूर्ण वाङ्मय में अबाध गति से विहार करने वाला था। वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त वह लौकिक व्यवहार, मुद्राशास्त्र, इतिहास आदि का अद्वितीय विद्वान् था। उसका शब्दानुशासन, जहां शब्दों की सिद्धि के लिये अत्यन्त उपयोगी है वहां प्राचीन भूगोल इतिहास आदि के लिये भी प्रकाश स्तम्भ है[2]। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन अर्वाचीन को मिलाने वाला पाणिनीय-व्याकरण सेतु रूप है।

पाणिनि के सम्बन्ध में महाभाष्यकार के उद्गार इस प्रकार हैं—

प्रमाणभूत आचार्यः दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्। किं पुनरियता सूत्रेण[3]।

स्पष्ट है कि पाणिनि ने एकाग्रचित्त होकर बहुत प्रयत्नपूर्वक सूत्रों का निर्माण किया अर्थात् प्रकरणविशेष में स्थापन किया। उसमें एक वर्ण भी निरर्थक नहीं हो सकता। **पाणिनीयं महत्सुविहितम्**[4] अत्यधिक भावाभिभूत होकर लिखा गया है—

"सामर्थ्ययोगान्न हि किंचिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्"[5]।

अर्थात् सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्धरूपी सामर्थ्य से इस शास्त्र में कुछ भी अनर्थक नहीं है :

पाणिनि का समय

श्री युधिष्ठिर मीमांसक कृत "संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" व्याकरण इतिहास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, उन्होंने पाणिनि और उनके

1—Prof. Macdonell "India's Past". page--163.

२. द्रष्टव्य—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल–पाणिनिकालीन भारतवर्ष।

३. पतंजलि-महाभाष्य–की० सं०–भाग १—पृ० ३९–पं० १०-१२।

४. पतंजलि-महाभाष्य–की०सं०–भाग २–पृ० २८५–पं० १२।

५. पतंजलि-महाभाष्य-की० सं०–भाग ३–पृ० ५४-पं० ४।

प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के विषय में गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को महत्ता देते हुए युक्तिप्रमाणपूर्वक पाणिनि का सम्भावित काल २९०० वर्ष विक्रम पूर्व माना है[1]।

इसी प्रकार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मौलिक प्रबन्ध "पाणिनि-कालीन भारतवर्ष" अपने विषय का बेजोड़ ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सभी संस्कृत अध्येताओं के लिये अतीव उपयोगी है। डा० साहब का दृष्टिकोण नितान्त मौलिक और पुष्ट प्रमाणों पर आधृत है। उन्होंने समाज की तात्कालिक कला एवं संस्कृति का अष्टाध्यायी के माध्यम से विवेचन कर के अष्टाध्यायी का जो मन्थन प्रस्तुत किया है वह अपने रूप में केवल एक ही है, उसमें उन्होंने विविध प्रमाणों के आधार पर पाणिनि का काल पांचवीं शताब्दी ई० पूर्व के मध्य में रखा है[2]।

वार्त्तिकों का इतिहास

पाणिनि से पूर्व प्राचीन व्याकरणों पर वार्त्तिक-प्रवचन-शैली विद्यमान थी या नहीं, यह निश्चय पूर्वक तभी कहा जा सकता है जब कि किसी एक पक्ष के लिये साधक बाधक प्रमाण हों। हां, यदि भाष्य में उद्धृत भारद्वाजीय वार्त्तिकों[3] का सम्बन्ध पाणिनि द्वारा स्मृत भारद्वाजीय व्याकरण से हो तो यह कहा जा सकता है कि सूत्र पाठ पर वार्त्तिक-प्रवचन की शैली प्राचीन काल से चली आ रही थी।

वार्त्तिक-प्रवचन-शैली का पाणिनि से पूर्ववर्त्तित्व

प्रायः अब तक पाश्चात्त्य एवं पौरस्त्य विद्वानों का यही विचार रहा है कि पाणिनि से पूर्व वार्त्तिकों के द्वारा प्रवचन का अस्तित्व नहीं था, पर अभी कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि से पूर्व भी वार्त्तिक-प्रवचन-शैली थी।

महाभाष्य में कतिपय ऐसे संकेत उपलब्ध होते हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि वार्त्तिक-शैली पाणिनि से प्राचीन है।

---

१. द्रष्टव्य श्री युधिष्ठिर मीमांसक कृत—सं० व्या० शा० का इति० भाग १, पृ० १७४-१९८।

2. See Dr. V. S. Agrawal, "India as known to Panini." P. 475.

३. महाभाष्य १।१।२०, ५।६॥ १।२।२२॥ १।३।६७॥ ३।१।३८, ४७, ८९॥ ४।१।७९॥ ६।४।४७, १५५॥

पाणिनि के सूत्र "**न कोपधायाः**" (पा० ६।३।३७) का व्याख्यान करते हुए पतंजलि ने इस सूत्र के प्रतिषेध के देश का विस्तार कितना है ? इसपर विचार किया—

किमिदमेवमाद्यनुक्रमणमाद्यस्य योगस्य विषय आहोस्वित् पुंवद्भावमात्रस्य[1] ।

अर्थात् यह पाणिनि का सूत्र **आद्यस्य** = पाणिनिपठित सूत्रत्रय[2] का प्रतिषेध करता है या **पुंवद्भावमात्रस्य** = औपसंख्यानिक[3] (वार्त्तिक) एवं पाणिनि पठित सूत्रत्रय का, अर्थात् जिस किसी से भी प्राप्त पुंवद्भाव का प्रतिषेध करता है । उभय पक्षों में दोष देकर सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि ६।३।३७ तो पुंवद्भावमात्र का प्रतिषेध करता है, और आगे का प्रतिषेध प्रकरण तीन सूत्रों ६।३।३४-३६ से प्राप्त पुंवद्भाव का ही प्रतिषेध करता[4] है । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो **विलेपिकाया धर्म्यं** यहाँ ६।३।३५ के वार्त्तिक, **भस्याढे०**[5] से पुंवद्भाव हो जाना चाहिए, पर यह इष्ट नहीं है, अतः ६।३।३७ औपसंख्यानिक पुंवद्भाव का भी प्रतिषेध करता है ।।

इससे स्पष्ट है कि ६।३।३५ में कहे **भस्याढे तद्धिते, ठक्छसोश्च** ये वार्त्तिक निश्चित ही **न कोपधायाः**—सूत्र-निर्माण से पूर्व थे, और इन वार्त्तिकों को ध्यान में रखकर ही प्रतिषेध-विधान सूत्र में किया गया है ।

भाष्य में श्लोकवार्त्तिक उपलब्ध होते हैं । उनमें से कुछ तो निश्चय ही प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये हैं जैसे—

---

१. पतंजलि—महाभाष्य—की० सं०—भाग ३—पृ० १५६—पं० ८ ।

२. कैयट— ६।३।३७ गु० प्र० सं०—पृ० ७९९ । आद्यस्येति । पाणिनि पठितसूत्रत्रयस्येत्यर्थः (६।३।३४ से ३६ तक) ।

३. कैयट प्रदीप—६।३।३७—गु० प्र० सं०—पृ० ७९९ 'पुंवद्भावमात्रस्येति । औपसंख्यानिकस्यापीति यावत्' । यहीं पर नागेश-उद्योत, "औपसंख्यानिकस्यापीति । तस्यापि यथाकथंचित् सूत्रेण संग्रहादिति भावः । अनेन वार्त्तिकानामपि, सूत्रानुमतत्वं दर्शयति ।"

४. पतंजलि महाभाष्य—की० सं०—भाग ३ पृ० १५६ पं० १३-१४ । "एवं तर्हि न कोपधाया इत्येष योगः पुंवद्भावमात्रस्योत्तरमेवाद्यनुक्रमणमाद्यस्य योगस्य विषये"

५. महाभाष्य-वार्त्तिक, ६।३।३५ पृ० १५५ वार्त्तिक ९, पं० १९ ।

इष्णुच इकारादित्वमुदात्तत्वात् कृतं भुवः ।
नञस्तु स्वरसिध्यर्थमिकारादित्वमिष्णुचः[1] ॥
डावतावर्थवैशिष्ट्यान्निर्देशः पृथगुच्यते ।
मात्राद्यप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतोः[2] ॥

इन कारिकाओं में "इष्णुच्" और "डावतु" प्रत्ययों के विषय में विचार किया है। पर भाष्य में जिस सूत्र पर ये श्लोक पठित हैं वहाँ "खिष्णुच् एवं "वतुप्" प्रत्यय हैं। संगति मिलने के कारण भाष्यकार ने इनको यहां उद्धृत कर दिया है। वस्तुतः ये श्लोक उस व्याकरण पर होंगे जिसमें "इष्णुच्" और "डावतु" प्रत्यय-विधान किये गये होंगे।

कैयट ने डावतु को "पूर्वाचार्यप्रक्रियापेक्ष" माना है :—

डावताविति। पूर्वाचार्यप्रक्रियापेक्षो निर्देशः। इह तु वतुपं विधायासर्वनाम्न इत्यात्वं विहितं, पूर्वाचार्यास्तु डावतुं विदधिरे[3]।

स्पष्ट है कि जिन पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार के प्रत्ययों का विधान किया होगा, ये श्लोक भी उन व्याकरणों पर ही लिखे गये होंगे।

इसी प्रकार ४।३।६० में भी कुछ कारिकाएं दी हैं[4]। उनको नागेश आदि टीकाकारों ने पाणिनि-सूत्रों पर जानकर उनकी पूर्वापर संगति लगाने का प्रयत्न किया, परन्तु क्लिष्ट कल्पना करने पर भी उनमें पुनरुक्ति आदि दोषों का पूर्ण परिहार नहीं हो पाता है। वस्तुतः ये कारिकायें किसी प्राचीन व्याकरण की हैं। इनको पूरा का पूरा भाष्यकार ने उद्धृत किया है।

भाष्यकार ने **सर्वसादे द्विगोश्च लः**[5] इस श्लोक-वार्त्तिकांश के उदाहरणों में **सवार्त्तिकः, ससंग्रहः**[6] ये उदाहरण दिये हैं। कैयट ने इसका व्याख्यान करते हुए लिखा है —

---

१. पतंजलि-महाभाष्य की०सं०—भाग २, पृ० १०६ सू० ३।२।५७।
२. ,, ,, ,, —,, ,, पृ० ३७८ ,, ५।२।३९।
३. कैयट-प्रदीप ५।२।३९, गु० प्र० सं०, पृ० ३७४।
४. पतंजलि-भाष्य की० सं० भाग २, पृ० ३१०।
५. पतंजलि-महाभाष्य-की० सं० भाग २, पृ० २८४, पं० ११ सूत्र ४।२।५९।
६. पतंजलि महाभाष्य की० सं० भाग २, पृ० २८४ पं० ११ सूत्र ४।२।५९ ॥

सवार्त्तिक इति। वृत्तौ साधु वार्त्तिकम्, कथादिभ्यष्ठगिति ठक्। वार्त्तिकान्तमधीते इत्यन्तवचने सहस्याव्ययीभाव[1]। इस **सवार्त्तिकः** उदाहरण की **साग्न्यधीते** से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जैसे वैदिक सम्प्रदाय में शतपथ ब्राह्मण के ६० अध्यायों तक, जिनमें अग्निचयन का प्रकरण समाप्त हो जाता है, अध्ययन की विशिष्ट परिभाषा 'अग्नि' थी और उसके लिये **साग्न्यधीते** या **षष्टिपथमधीते षष्टिपथिकः**[2] आदि विशिष्ट प्रयोगों का व्यवहार होता था, उसी प्रकार व्याकरण-सम्प्रदाय में **सवार्त्तिकः** आदि निर्देश से जाना जाता है कि वार्त्तिकग्रन्थान्त अध्ययन की एक विशिष्ट परिपाटी थी।

यही नहीं इसी सूत्र (पा० ४।२।५९) पर भाष्यकार ने **वार्त्तिकसूत्रिकः** आदि उदाहरण दिये हैं। **तदधीते तद्वेद** का अधिकार आ रहा है, अतः वार्त्तिक सूत्रान्त जो अध्ययन करे उसे **वार्त्तिकसूत्रिकः** कहेंगे। इससे यह भी परिणाम निकलता है कि सूत्र रूप में वार्त्तिकों की स्थिति भी प्राचीन है। वार्त्तिकान्त व्याकरणपाठ की एक प्रक्रिया थी। वार्त्तिक शब्द के मूल, 'वृत्ति' शब्द का उल्लेख पाणिनीयाष्टक में ग्रन्थवाची के रूप में है, इससे भी स्पष्ट है कि वार्त्तिक की स्थिति पाणिनि से पूर्व थी।

उपसंहार

इस अध्याय में व्याकरण के उद्भव तथा विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। ८५ आचार्यों द्वारा पुष्पित एवं पल्लवित होकर यह थाती पाणिनि तक कैसे आयी इसको दिखाते हुए पाणिनि के सम्बन्ध में संक्षेप से विचार किया गया है। ऐन्द्र एवं माहेश्वर सम्प्रदाय में भेद दिखाया गया है। ऐन्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरणों में लौकिक वैदिक विभागात्मक शैली नहीं है। माहेश्वर सम्प्रदाय के व्याकरणों में उभयविध प्रक्रियाबोधक शैली है। अतः ऐन्द्र सम्प्रदाय प्राचीन है। वार्त्तिकों के इतिहास के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। वार्त्तिकों का अस्तित्व भाष्य-प्रमाणों के आधार पर पाणिनि से प्राचीन सिद्ध किया गया है।

---

१. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं० ४।२।५९॥

२. षष्ठे षिकन् पथो बहुलम्। वा० का० ४।२।५९॥

द्वितीय अध्याय

वार्त्तिक–परिभाषा

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि वार्त्तिकों की स्थिति प्राचीन है, उस स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वार्त्तिक किसे कहते हैं ? अतः हम सर्वप्रथम अन्यों द्वारा अभिमत वार्त्तिक के लक्षणों पर विचार कर के उसकी वास्तविक परिभाषा पर विचार करेंगे ।

वार्त्तिक के लक्षण के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में निम्नलिखित उक्तियां मिलती है—

१—पराशर उपपुराण में—[1]

उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते ।
तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा मनीषिणः ॥

अर्थात् (उक्त) कथित, (अनुक्त) अकथित, (दुरुक्त) अशुद्ध, इनके ऊपर विचार करने वाले ग्रन्थ को वार्त्तिक कहते हैं ।

इसके समान ही—

२—उक्तानुक्तदुरुक्तादि चिन्ता यत्र प्रवर्तते ।
तद्वार्त्तिकमिति प्राहुः वार्त्तिकज्ञा विपश्चितः[2] ।

हेमचन्द्र ने—

३—उक्तानुक्तदुरुक्तानां व्यक्तिकारी तु वार्त्तिकम्[3] ।

राजशेखर ने—

४—उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्त्तिकम्[4] ।

---

१. पराशर उपपुराण अ० ७।

२. सम्बन्ध–वार्त्तिक—पृ० ७, विश्वेश्वर सूरि—सिद्धान्तसुधानिधि भाग १। पृ० ३। का० सं० ।

३. हेमचन्द्र–हेमशब्दानुशासनम् ।

४. राजशेखर–काव्यमीमांसा—पृ० ११ (पटना सं०)

नागेश—

५—उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं हि वार्त्तिकत्वम्[1]।

नागेश—

६—सूत्रेऽनुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं वार्त्तिकत्वम्[2]।

शेषनारायण—

७—तत्र च वार्त्तिके वररुचिरुक्तानुक्तदुरुक्ताद्यचिन्तयत्। यदुक्तम्—
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते।
तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा विपश्चितः॥
तदपि पतंजलिराक्षेपसमाधानपूर्वकमिष्ट्यादिभिश्च परिचस्कार[3]।

हरदत्त—

८- यद्विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम्।
वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेना दृष्टं च भाष्यकृत्[4]।

सूत्रकारेणानुक्तं वार्त्तिककार आह। तदुक्तं च दूषयति एवं भाष्यकारो वार्त्तिककारेण[5]।

विष्णुधर्मोत्तर में—

९—प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च।
कृतव्युदासोऽकृतशासनं च सवार्तिको धर्मगुणोऽष्टकश्च॥

इन उपरलिखित वार्त्तिक-लक्षणों में (९) को छोड़कर प्रायः सब समान हैं। नागेश ने (६) में उक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हरदत ने दुरुक्त-चिन्ता को स्थान नहीं दिया है।

इस सम्बन्ध में प्रथमतः बता देना उचित होगा कि इन लक्षणों में किसी प्राचीन व्याकरण के आचार्य की उक्ति नहीं है। हाँ, चिन्ता शब्द बौद्धदर्शनों में प्रयुक्त होता है। सम्भवतः उन बौद्ध ग्रन्थों में कथित "वार्त्तिक" (प्रमाण वार्त्तिक) ग्रन्थ के लक्षण करने की दृष्टि से इस परिभाषा का निर्माण किया गया हो और वही लक्षण अन्यत्र भी अकस्मात् स्थान पा गया हो। इसमें

---

१. नागेश–उद्योत—७।३।५९, गु० प्र० सं०, पृ० २१२।
२. नागेश–उद्योत—१।१।१, गु० प्र० सं०, पृ० १६५।
३. शेषनारायण–सूक्ति रत्नाकर का हस्तलेख—पृ० २।
४. पदमंजरी–भाग १, का० सं०, पृ० ७।
५. हरदत्त–पदमंजरी—भाग १, का० सं० १।१।५, पृ० ५१।

प्रमाण यह है कि पराशर उपपुराण में उपलब्ध वार्तिक के लक्षण में, जैसा कि १—में दिखाया है, "ग्रन्थ" पद पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि वह वार्तिक-लक्षण किसी वार्तिक ग्रन्थ का लक्षण करने के लिये बना होगा। वह वार्तिक ग्रन्थ उसके समकालीन प्रमाणवार्तिक ही है। फिर भी इतना निश्चित है कि यह लक्षण ७ वीं शताब्दी तक प्रचलित हो चुका था। और ९ वीं, एवं १० वीं शताब्दी में इसका व्यापक प्रचलन हो गया था, और व्याकरण के वार्तिकों का भी यही लक्षण बनने लगा, जैसा कि राजशेखर, हेमचन्द्र, हरदत्त आदि की परिभाषाओं से ज्ञात होता है। व्याकरण के 'वार्तिक'[1] की परिभाषा करते हुए उन्होंने ग्रन्थ शब्द को अपने लक्षण में से निकाल दिया जिसके कारण यही लक्षण व्याकरण के "वार्तिक" का भी लक्षण बन गया। सम्भवतः यह तथाकथित वार्तिक-लक्षण 'प्रमाण-वार्तिक" के बाद का है। यही कारण है कि वार्तिक शब्द का वास्तविक, अभिधा द्वारा बोधित, अर्थ इन लक्षणों से नहीं निकलता। वस्तुतः इन लक्षणों का सम्बन्ध प्राधान्येन भाष्य ग्रन्थों पर लिखे गये वार्तिक ग्रन्थों के लिए ही उपयुक्त है।

अर्वाचीन पाश्चात्त्य और पौरस्त्य विद्वानों ने वार्तिकों के सम्बन्ध में विचार आरम्भ किया। उनके सम्मुख भी यही लक्षण था। अतः इस लक्षण के आधार पर विविध भ्रान्त धारणाएँ वार्तिकों और वार्तिककारों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुईं जिनका होना स्वाभाविक था।

पाश्चात्त्य विद्वानों में प्रो० गोल्डस्टूकर ने बड़ी लगन और परिश्रम से महाभाष्य की छानबीन की, पर उनके समक्ष भी वही "उक्तानुक्त०" वाला वार्तिक-लक्षण था। अतएव उन्होंने भी वार्तिक-परिभाषा के लिये वही दृष्टिकोण अपनाया जो कि संस्कृत व्याकरण के टीकाकारों ने अपनाया था। उन्होंने भी वार्तिक-परिभाषा के रूप में नागोजि भट्ट की **अनुक्तदुरुक्त-चिन्ताकरत्वं वार्तिकत्वं** को ही स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप प्रो० गोल्डस्टूकर ने कात्यायन को पाणिनि का विरोधी एवं अनावश्यक दोषदर्शक के रूप में स्वीकार किया और वार्तिकों को अस्पष्ट या गूढ़ सूत्रों के स्पष्टीकरणार्थ माना[2]।

---

१. विष्णुधर्मोत्तर–३।६॥

2. Prof. Theodor Goldstucker "Panini : His place in the Sanskrit Literature". (Allahabad 1914) P. 91-92. "The characteristic feature of a Vartika" says Nago-

प्रो० वेबर व डा० बरनेल भी इसी के अनुयायी हैं[1]।

प्रो० मैक्समूलर ने कात्यायन को "पाणिनि का सम्पादक" कहा है[2]।

---

jibhatta, (Nagojibhatta on Kaiyyata to the first Varttika 'of the Calc. ed. of I. 1, 1 ed. Ballantyne, P. 213.') "Is criticism in regard to that which is omitted or imperfectly expressed in a Sutra." A Varttika of Katyayana is, therefore, not a commentary which explains, but an animadversion which completes. In proposing to himself to write Varttikas on Panini, Katyayana did not mean to justify and to defend the rules of Panini, but to find fault with them; and whoever has gone through his work must avow that he has done so to his heart's content. He will even have to admit that Katyayana has frequently failed in justice to Panini, by twisting the words of the Sutras into a sense which they need not have, or by upbraiding Panini with failings he was not guilty of. On this score he is not unfrequently rebuked by Patanjali, who on such occasions severely rates him for his ungenerous treatment of Panini, and, as we have seen in an instance above (P. 37), proves to him that he himself is wanting in proficiency, not Panini. Katyayana, in short, does not leave the impression of an admirer or friend of Panini, but that of an antagonist, often, too, of an unfair antagonist. In consequence, his remarks are attached to those Sutras alone which are open to the censure of abstruseness or ambiguity, and the contents of which were liable to being completed or modified; he is silent on those which do not admit of criticism or rebuke."

1. Prof. Weber. "INDISCHE STUDIEN" Vol XIII P. 298, 321, 399 and 502.

   Dr. Burnell. "The Aindra School of Sanskrit Grammarians" LONDON, 1875. P. 91-92.

2. Prof. Max Muller's "Ancient Sanskrit Literature"-P. 356 and 243.

प्रो० मेकडानल ने वार्त्तिकों को पाणिनि के १२४५ सूत्रों पर कात्यायन द्वारा निर्मित संक्षिप्त विवरण कहा है[1]।

प्रो० एस० सी० चक्रवर्ती[2] एवं श्री रजनीकान्त[3] गुप्त ने भी मूलतः इसी तथाकथित वार्तिक-लक्षण को मानकर ऐसे परिणाम निकाले हैं जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करने पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जर्मन देश वासी डा० कीलहार्न महाभाष्य का गम्भीर अध्ययन कर, नागोजि भट्ट की वार्त्तिक-परिभाषा के आधार पर बनी गोल्डस्टूकर आदि की भ्रान्त धारणाओं का अच्छे प्रकार से खण्डन कर इस परिणाम पर पहुँचे[4] :—

मेरे विचार में यह वार्त्तिक शब्द की वास्तविक परिभाषा है जिसको नागोजि भट्ट ने **सूत्रेऽनुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं वार्त्तिकत्वं** के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात् वार्त्तिक वह है जहाँ सूत्र में कोई कमी हो जो स्पष्ट की हो, या सूत्र में व्यर्थ हो, दोषयुक्त हो, आक्षेपार्ह हो। यह वार्त्तिक चिन्ता वहीं होती है, जहां या तो पाणिनि सूत्र का औचित्य सिद्ध करना हो या उसमें दोष निकालना हो।

इस प्रकार डा० कीलहार्न ने भी वार्त्तिक की नागोजिभट्ट वाली परिभाषा स्वीकार कर ली है; दूसरे शब्दों में गोल्डस्टूकर आदि की विचारधारा का ही अंशतः समर्थन किया है।

उपरिलिखित डा० कीलहार्न की वार्त्तिक-परिभाषा की यदि प्रो० गोल्ड-स्टूकर के शब्दों से तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि दोनों में बहुत साम्य है।

"परिणामतः उसके वार्तिक उन्हीं सूत्रों पर हैं जिन पर गूढता या अस्पष्टता का दोष लगाया जा सकता है। अथवा जिनके विन्यास में पूर्णता या सुधार अपेक्षित है[5]"।

---

1. Prof. Macdonell. HISTORY OF SANSKRIT LITERATURE. P. 431 (1953).
2. Prof. S. C. Chakravartee: INTRODUCTION OF NYAS Vol I. P. 6.
3. श्री रजनीकान्त गुप्त-पाणिनि-१९२८ (कलकत्ता) पृष्ठ ९८
4. Kielhorn. "Katyayana and Patanjali" P. 47-48.
5. Prof. Theodor Goldstucker. "Panini. His Place in the Sanskrit Literature." P. 92.

इस सन्दर्भ की तुलना कीजिये, कितना अधिक स्पष्ट साम्य है ! परन्तु कीलहार्न ने जहाँ गोल्डस्टूकर का अन्य उद्धरण दिया है वहां इस अंश को छोड़ ही दिया। वह क्यों ? सम्भवतः उनकी भी विचारधारा इससे आगे नहीं जा पाई। इतना ही नहीं, डा० कीलहार्न से पूर्व पाश्चात्य मनीषी प्रो० कोलब्रुक ने सर्वप्रथम कात्यायन के वार्त्तिकों के सम्बन्ध में विचार किया। उनकी धारणा निम्न थी—

"पाणिनीय व्याकरण जैसी महती कृति अनिवार्यतः अनेक त्रुटियों से युक्त होगी उसकी अपूर्णता की परिशुद्धि का काम कात्यायन ने किया..... उनकी टिप्पणियां जिन्हें वार्त्तिक कहते हैं, पाणिनि के उन सूत्रों को नियंत्रित करती हैं जो अधिक अस्पष्ट हैं, उनकी सीमा का विस्तार करती हैं जो अत्यन्त सीमित हैं और अनेक अपवादों का उल्लेख करती हैं जिन पर पाणिनि का ध्यान नहीं गया[1]"।

प्रो० कोलब्रुक ने प्रचलित वार्त्तिक परिभाषा की जो सुन्दर से सुन्दर व्याख्या हो सकती थी की, जो कि अधिक उपयुक्त एवं विचारसंगत है, परन्तु डा० कीलहार्न ने इसका भी उल्लेख अपने निबन्ध में नहीं किया। स्पष्ट है कि वार्त्तिक परिभाषा में वे इससे अधिक नहीं कह पाये है। परन्तु हां, उनका दृष्टिकोण नई दिशा एवं नवीन मार्ग प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण है।

वार्त्तिक शब्द की वास्तविक परिभाषा

'वार्त्तिक' के लक्षण के लिये हमें उसके मूल शब्द पर विचार करना होगा। वार्त्तिक शब्द वृत्ति शब्द से बना है।

वृत्ति क्या है ? ज्ञातव्य है कि वृत्ति शब्द के अनेक अर्थ हैं। भाष्यकार के अनुसार वृत्ति का अर्थ शास्त्रप्रवृत्ति है[2]। उन्हीं के शब्दों में—

का पुनर्वृत्तिः ? शास्त्रप्रवृत्तिः।

कात्यायन ने भी यही अर्थ वृत्ति शब्द का लिया है—**तत्रानुवृत्तिनिर्देशे सवर्णाग्रहणमनणत्वात्**[3]। इस पर कैयट ने कहा है—**वृत्तिः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तिस्तदनुगतो निर्देशोऽनुवृत्तिनिर्देशः**[4]।

---

1. Prof. Colebrooke's "Miscelleneous Essays." Vol. 2., P. 6.
२. भाष्य–की सं०, भाग १, पृ० १३, प० ५।
३. भाष्य वा०–की०सं० भाग १, पृ० १६–पं० १९।
४. कैयट-प्रदीप गु० प्र० सं०, पृ० ७७ नवाह्निक।

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि वृत्ति शब्द का अभिधा द्वारा गम्य अर्थ व्याकरण-शास्त्र-प्रवृत्ति है।

सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः[1], **सूत्रार्थसकलसारविवरणं वृत्तिः**[2], इत्यादि स्थलों पर 'ग्रन्थ' के लिये 'वृत्ति' शब्द प्रयुक्त हुआ है। शास्त्र-प्रवृत्ति की वास्तविक प्रतीति केवल सूत्रों से नहीं होती, अतः सूत्र के लघु व्याख्यान को भी वृत्ति नाम से पुकारते हैं।

कैयट ने "वार्त्तिक" शब्द की व्युत्पत्ति **वृत्तौ साधु वार्त्तिकम्**[3] की है अर्थात् वृत्तौ = शास्त्रप्रवृत्ति के लिये साधु = जो उपयुक्त हो उसे वार्त्तिक कहेंगे। इस दृष्टि से संक्षेप में वार्त्तिक, सूत्रों के व्याख्यान-ग्रन्थ हैं और लक्षणा से वृत्ति के भी विशिष्ट व्याख्यान हैं।

वृत्तेर्व्याख्यानं वार्त्तिकम्। व्याख्यान शब्द का अर्थ भाष्यकार के शब्दों में—

न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं—वृद्धिः आत् एच् इति। किं तर्हि? उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति[4]।

वृद्धि आत् ऐच् इस प्रकार के पद विभाग कर देने मात्र को ही व्याख्या नहीं कहते अपितु उदाहरण, प्रत्युदाहरण एवं वाक्याध्याहार इस सारे समुदाय का नाम व्याख्यान है।

वाक्याध्याहार को नागेश ने स्पष्ट किया कि अन्य सूत्रों में पठित वाक्यों को पूर्ण करने वाले पदों का स्वरितत्व के आधार पर अनुवर्तन वाक्याध्याहार है अथवा इसके द्वारा वार्त्तिककृत् व्याख्यान को भी सूत्र-तात्पर्य विषयक माना है।[5]

---

१. हरदत्त-पदमंजरी–पृ० १ का० सं०।
२. राजशेखर काव्यमीमांसा, पृ० ११।
३. कैयट–प्रदीप ४।२।६० गु०प्र०सं–पृ० १९३।
४. भाष्य–की०सं०–भाग १, पृ० ११, पं० २२–२३।
५. नागेश—प्रदीपोद्योत–चौ० सं० पृ० ६० नवाह्निक।
वाक्यघटकपदानाम् सूत्रान्तरे श्रुतानां स्वरितत्वप्रतिज्ञयाध्याहार-कल्पनमित्यर्थः। यद्वा वाक्याध्याहार इत्यनेन वार्त्तिककृद्व्याख्यानानां सूत्रतात्पर्यविषयता वाक्यैकदेशन्यायेन सूचिता।

स्पष्ट ही भाष्यकार ने व्याख्यान का अर्थ करते हुए कुछ अंशों में, दूसरे शब्दों में वार्त्तिक का अर्थ बताया है। भाष्यकार ने अनेक स्थलों पर "आख्यान' शब्द के साथ "वि" आदि उपसर्गों का योग करके अर्थों में परिवर्तन प्रदर्शित किया है। परन्तु ध्यान रहे सर्वत्र व्याख्यान का मूलार्थ अनुस्यूत ही है।

व्याख्यान, अन्वाख्यान, प्रत्याख्यान तीनों में उपसर्गभेद से अर्थभेद है।

"अन्वाख्यान" शब्द का पतंजलि ने कई स्थानों पर प्रयोग किया है।

१—कि पुनरिदं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते। आहोस्विद् विवृतोपदेशश्चोद्यते[1]।

२—नैतदन्वाख्येयमधिकारा अनुवर्तन्त इति[2]।

"अन्वाख्यान" अर्थात् पाणिनि-सूत्रों के साथ एकरूपता, उसके अनुरूप व्याख्या करना।

यहाँ जो प्रथम उद्धरण दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि वार्त्तिककार सूत्र का अन्वाख्यान तथा नवीन विधान (अकृत-शासन) दोनों ही कर सकते हैं।

"प्रत्याख्यान" शब्द को भी भाष्यकार ने कई स्थानों पर प्रयुक्त किया है—

१—इह हि किंचिदक्रियमाणं चोद्यते किंचिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते[3]।

२—यद्येष प्रत्याख्यानसमयः इदमपि तत्र प्रत्याख्यायते[4]।

यहाँ भी प्रथम उद्धरण में वार्त्तिककार के हार्द या दूसरे शब्दों में वार्त्तिक के स्वरूप को बताया गया है कि वार्त्तिक अक्रियमाण का विधान एवं क्रियमाण का प्रत्याख्यान करते हैं।

इस प्रकार संक्षेप में भाष्यकार के मत से वार्त्तिक की परिभाषा यों कर सकते हैं—

व्याख्यान, अन्वाख्यान, अक्रियमाण-विधान एवं क्रियमाण-प्रत्याख्यानात्मक वचन वार्त्तिक हैं।

---

१. भाष्य—की० सं० भाग १, पृ० ११।
२. भाष्य—७।४।२४॥ पृ० ३४९ पं० ५।
३. भाष्य—३।१।१२ भा० २, पृ० २२, पं० ११।
४. भाष्य—की० सं०, भाग १ पृ० २२

वार्त्तिक की परिभाषा के प्रसङ्ग में—विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३।६) में कहा है—

प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च ।
कृतव्युदासोऽकृतशासनं च स वार्त्तिको धर्मगुणोऽष्टकश्च ॥

१—प्रयोजन, २—संशय, ३—निर्णय, ४—व्याख्याविशेष, ५—गुरु, ६—लाघव, ७—कृतव्युदास, ८—अकृतशासन ये आठ वार्त्तिक के धर्म हैं।

इन आठों की तुलना यदि भाष्यकार के पूर्व उपपादित वार्त्तिक-लक्षण से की जाय तो अत्यधिक समानता दीखती है।

भाष्यकार—	**विष्णुधर्मोत्तरकार—**
१—अन्वाख्यान	(प्रयोजन, संशय, निर्णय)
२—व्याख्यान (केवल वाक्याध्याहार)	(व्याख्याविशेष, गुरु, लाघव)
३—प्रत्याख्यान	(कृतव्युदास)
४—अक्रियमाणचोदन	(अकृतशासन)

इस प्रकार पूर्ण समानता दोनों में है। अतः हमारे विचार में विष्णु-धर्मोत्तर पुराण का वार्त्तिक-लक्षण सर्वात्मना व्याकरणवार्त्तिक-लक्षण के लिये उपयुक्त है, और सम्भवतः इसका निर्माण भी व्याकरण-वार्त्तिकों को ध्यान में रखकर किया गया होगा।

अब हम वार्त्तिक-लक्षण के कथित ८ धर्मों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

(१) प्रयोजन— (अन्वाख्यान)

ङ्याप्प्रातिपदिकात्[1]—४।१।१।

१—ङ्याप्प्रातिपदिकग्रहणमंगभपदसंज्ञार्थम्।

इसमें सूत्र में पठित "ङ्याप्प्रातिपदिक" ग्रहण के प्रयोजन दिये हैं।

(२–३) संशय, निर्णय (अन्वाख्यान)

आमंत्रितं पूर्वमविद्यमानवत्[2] ८।१।७२।

१—पूर्वं प्रति विद्यमानत्वादुत्तरत्रानन्तर्याप्रसिद्धिः।

२—सिद्धं तु पूर्वपदस्येतिवचनात्।

---

१. भाष्य—४।१।१।, भाग २, पृ० १८९, पं० ११ वा०।

२. भाष्य—८।१।७२, भाग ३, पृ० ३८२ वा०।

(१) में संशय है कि सूत्र में पूर्व शब्द सम्बन्धि शब्द है अतः पर के प्रति आमंत्रित अविद्यमानवत् होने से पूर्व के प्रति तो विद्यमान ही है अतः व्यवधान होने से "इमं मे गंगे यमुने" में "गंगे" शब्द का "यमुने" शब्द के प्रति अविद्यमानत्व होने पर भी "मे" शब्द के प्रति विद्यमानता होने से "मे" शब्द को निमित्त मानकर "यमुने" में निघात नहीं होगा।

(२) में निर्णय दिया है।

(४) व्याख्याविशेष (व्याख्यान-वाक्याध्याहार)—

तस्यभावस्त्वतलौ[1] ५।१।११९॥

१—तस्य भाव इत्यभिप्रायादिष्वतिप्रसंगः।

२—सिद्धं तु यस्य गुणस्य भावात् द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वतलौ।

३—यदा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावस्तदभिधाने।

(१) में अभिप्रायो देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने इत्यादि में "तस्य-भावः०" के द्वारा त्व तल् की अतिप्रसक्ति है।

(२-३) में १. के समाधानार्थ व्याख्या-भेद दिखाकर समाधान दिया है। इसके बहुत से भेद हैं, वस्तुतः इसी भेद में सिद्धं तु कहकर दिये गये न्यासान्तर भी संगृहीत हो जाते हैं, साथ ही सूत्रार्थ के स्पष्टीकरणार्थ दिये वार्त्तिकों का भी समावेश हो जाता है।

आङ् उद्गमने १।३।४०[2]

१—ज्योतिषामुद्गमने

इसके द्वारा सूत्रार्थ का स्पष्टीकरण किया गया है।

(५-६) गुरु लाघव (व्याख्यान)—

हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम् ।६।३ ९।

१—अकोऽत इति तत्सन्ध्यक्षरार्थम्।

इसमें हलदन्तात् के स्थान में अकोऽत इस प्रकार परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार सूत्र में परिवर्तन पर लाघव से कार्य चलाया है।

---

१. भाष्य–५।१।११९–भाग २, पृ० ३६६ से ३६७ वा०।

२. भाष्य–१।३।४०–भाग ९, पृ० २८२ वा०।

परिवर्धनों में प्रायः सब जगह गौरव हो जाता है। यदि गुरु-लाघव शब्द का अर्थ वही माना जाय जो श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने माना है तो बहुत उदाहरण उपलब्ध हो जावेंगे[1]।

(७) कृतव्युदास (क्रियमाण-प्रत्याख्यान)—
गर्हायां लडपिजात्वोः ३।३।१४२॥

१—गर्हायां लड्विधानानर्थक्यं क्रियासमाप्तिविवक्षितत्वात्।

(१) में सूत्र में लट् ग्रहण का खण्डन किया गया है।

(८) अकृतशासन (अक्रियमाण चोदन)—
समो गम्यृच्छिभ्याम् १।३।२९॥

१—समो गमादिषु विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्।

२—अर्तिश्रुदृशिभ्यश्च।

३—उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वावचनम्।

(१-३) पूरक वार्त्तिक हैं। नवीन विधान किया गया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण की उक्त वार्त्तिक परिभाषा का आश्रय लेकर भाष्य का कोई वार्त्तिक ऐसा नहीं जो इन कसौटियों पर कस न जावे। अतः वास्तविकरूपेण यह परिभाषा ठीक है और सर्वात्मना भाष्य-सम्मत है।

अब यह शङ्का उठनी स्वाभाविक है कि जहां सूत्र हैं वहां तो इस लक्षण की व्याप्ति हो सकती है परन्तु जहाँ सूत्र हैं ही नहीं (पस्पशाह्निक में) वहां लक्षण अव्याप्तिदोष ग्रस्त होगा। इसका परिहार यह है—**उपोद्घातः प्रथमतः०** आदि षट्भेद व्याख्यान के दिये हैं, इस कारण सूत्रों की व्याख्या का अंश "उपोद्घात" भी है। इस प्रकार उपोद्घात के अन्तर्गत होने से अव्याप्ति दोष निराकृत हो जायेगा।

प्राचीन अर्वाचीन वार्त्तिकों में अन्तर

जितने भी प्राचीन वार्त्तिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं वे सीधे सूत्रपाठ की मूलग्रन्थकार-प्रोक्त वृत्ति पर आश्रित हैं। अर्थात् सूत्र और सूत्र-वृत्ति से

---

१. श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने सं० व्या० शा० इति० में (पृ० १२०) गुरु-लाघव शब्द का अर्थ बताते हुए कहा है—गौरव-लोक में प्रयोग, लाघव-लोक में अप्रयोग।

जितना विशेष जाना जाता है उसके अतिरिक्त विषय तथा अस्पष्ट विषय के स्पष्टीकरणार्थ वे रचे गये थे। वृत्ति—शास्त्रप्रवृत्ति, अर्थात् वृत्ति का व्याख्यान या उसका सहायक जो हो वह वार्त्तिक है। इसी दृष्टि से सूत्रों के लिये वृत्तिसूत्र[1] का व्यवहार किया गया है। वृत्ति सम्बन्धी होने के कारण वे वार्त्तिक कहलाये, क्योंकि उनकी रचना वृत्तियों के आधार पर हुई थी। इसी प्रकार भाष्य के आधारभूत होने के कारण वार्त्तिक भाष्यसूत्र[2] के नाम से व्यवहृत हुए, अर्थात् प्राचीन परम्परा के अनुसार सूत्र, वृत्ति और भाष्य इस प्रकार क्रमशः ग्रन्थ रचने का प्रकार था।

आधुनिक काल के जितने भी ग्रन्थ वार्त्तिक नाम से उपलब्ध हैं वे सभी छन्दोबद्ध या गद्यमय हैं, सूत्र शैली में नहीं। उदाहरणार्थ तंत्रवार्त्तिक, श्लोकवार्त्तिक, न्यायवार्त्तिक, प्रमाणवार्त्तिक, बृहदारण्यकवार्त्तिक, पुरुषकारवार्त्तिक और निरुक्तवार्त्तिक आदि, यह सभी तत्तद्विषयक सूत्रों या वृत्तियों पर नहीं, अपितु भाष्यों पर आधृत हैं। इसलिये इन वार्त्तिकों में वार्त्तिक शब्द का मूल अर्थ असंगत है। एतदर्थ इनमें वार्त्तिक शब्द का प्रयोग लाक्षणिक ही मानना चाहिये। हमारे विचार में उपरिलिखित वार्त्तिक ग्रन्थों के लक्षण के लिये ही "उक्तानुक्त०" इत्यादि लक्षण की रचना हुई थी।

"सूत्र" शब्द की परिभाषा

"सूत्र" के लिये साहित्य में निम्न उक्ति प्रचलित है—

"अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखं।
अस्तोममनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः[3] ॥

अर्थात् जिन छोटे छोटे वाक्यों द्वारा विस्तृत अर्थों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें सूत्र नाम से पुकारते हैं।

उसके दो भेद हैं—सामान्य और विशेष। भाष्यकार के शब्दों में—**किंचित् सामान्यं कश्चित् विशेषः।** इस प्रकार सामान्यविशेषयुक्त सूत्र होता है। यही परिभाषा सभी को मान्य है।

---

१. पतंजलि-महाभाष्य की० सं० २।१।१ भा० १, पृ० ३७१ पं० २८॥ भाष्य की० सं० २।२।२४। भा० १, पृ० ४२४ पं० २१।
२. भर्तृहरि-भाष्य दीपिका, पृ० ४८, २८१, २८२ ह० सं०।
३. राजशेखर-काव्यमीमांसा पृ० १।

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च ।
सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः ॥

सूत्र एवं वार्त्तिक में अन्तर तथा साम्य

जैसा कि "सूत्र" शब्द का लक्षण ऊपर दिया गया है, उसके आधार पर वार्त्तिकों को भी सूत्र नाम से पुकार सकते हैं। भाष्यकार ने स्वयं वार्त्तिकों को सूत्र नाम से व्यवहृत किया है[1]। ऐसी अवस्था में सूत्र और वार्त्तिक में अन्तर क्या है ?

इन दोनों के भेदक तत्त्व सर्वप्रथम शाब्दिक ही हैं। सूत्र, शास्त्रप्रवृत्ति (वृत्ति) का साधन है। पर—**नहि सूत्रत एव शब्दाः प्रतिपद्यन्ते। किं तर्हि। व्याख्यानतश्च**—इस भाष्य-वचन से स्पष्ट है कि शब्द-प्रतिपत्ति के लिये केवल सूत्रों से ही कार्य नहीं चलता, अपितु व्याख्यान भी अपेक्षित है। सूत्रों के 'व्याख्यान' वार्त्तिक हैं, यह हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। व्याख्येय = सूत्र, और व्याख्यान = वार्त्तिक हुए, क्योंकि वृत्ति से ही वार्त्तिक शब्द निष्पन्न हुआ है। सूत्रों के लिये "वृत्तिसूत्र[2]"

---

१. द्र० पस्पशाह्निक—न चेदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति।

२. पाणिनीय सूत्र के लिये महाभाष्य में दो स्थानों पर वृत्तिसूत्र शब्द उपलब्ध होता है। (२।१।१ भाग १ पृ० ३६१) "वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यात्"। दूसरा (२।२।२७ भा० १ पृ० ४२४ पं० २१) "केचित्तावदाहुर्यद्वृत्तिसूत्र इति"। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी अपनी "इत्सिंग की भारतयात्रा" (पृ० २६८) पर "वृत्तिसूत्र" शब्द का प्रयोग किया है। जयन्तभट्ट कृत न्याय-मंजरी में उद्धृत एक श्लोक में वृत्तिसूत्र का उल्लेख मिलता है।

वृत्तिसूत्रं तिलमाषाः कपची कौद्रवोदनं।
अजडाय प्रदातव्यं जडीकृतमुत्तमम् ॥ पृ० ४१८।

पूज्यपाद ने "सर्वार्थसिद्धिः" (४।२२) की स्वोपज्ञवृत्ति में लिखा है—विशेषणं विशेष्येण इति वृत्तिः, यहाँ 'विशेषणं विशेष्येण' यह जैनेन्द्र-व्याकरण (१।३।५२) का सूत्र है। अतः वृत्तिसूत्र का अर्थ व्याकरण सूत्र होगा।

और वार्त्तिक के लिये "व्याख्यानसूत्र[1]" या "भाष्यसूत्र[2]" शब्द प्रयुक्त होता है।

वार्त्तिकों एवं सूत्रों के भेद को स्पष्ट करते हुए श्री भर्तृहरि ने भाष्यदीपिका में कहा है—

भाष्यसूत्रे गुरुलाघवस्यानाश्रितत्वात्[3]।

यहां वृत्तिसूत्रों और भाष्यसूत्रों में भेद दिखाया कि इन वार्त्तिकों में गुरुलाघव का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। वे ही पुनः एक स्थान पर लिखते हैं—

न च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्रयत्नः क्रियते तथाह—नहीदानीमाचार्याः सूत्राणि कृत्वा निवर्तयन्ति इति[4]।

स्पष्ट ही यहां वृत्तिसूत्रों से भेद दिखाया गया है। जिस प्रकार सूत्रों में मात्रा वर्ण तक की लाघव गौरव की चर्चा की गई है, वैसी भाष्यसूत्रों (वार्त्तिकों) में नहीं की गई है। यही कारण है कि **नहीदानीमाचार्याः** कहकर दुरुक्ति (पुनरावृत्ति) दोष को दोष रूप से नहीं माना।

---

१. "वृत्तेर्व्याख्यानं वार्त्तिकं" अर्थात् वृत्ति के व्याख्यान को वार्त्तिक कहते हैं। व्याख्यानसूत्र का प्रयोग कैयट ने वार्त्तिकों के लिये किया है (व्याख्यानसूत्रेषु लाघवानादरात्, कैयट ८।२।६) इसी पर नागेश ने लिखा है—व्याख्यानसूत्रेष्विति। वार्त्तिकेष्वित्यर्थः।

२. जिन सूत्रों पर भाष्यग्रन्थ लिखे जायें अथवा जो भाष्यग्रन्थों के मूलभूत वाक्य, सूत्र हों वे 'भाष्यसूत्र' हैं। भर्तृहरि ने भाष्यदीपिका में दो स्थानों पर (पृ० ४८ एवं २८१, २८२) 'भाष्यसूत्र' शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में (पृ०३७६ तृतीय संस्करण) "अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः इति भाष्यसूत्रम्" कहा है। हर्षवर्धन की लिंगानुशासन की टीका में वार्त्तिक का अर्थ 'भाष्यसूत्र' किया गया है (वार्त्तिकं भाष्यसूत्राणि, कारिका ४४)। (उद्धरण सं० व्या०शा० इति० से उद्धृत)।

३-४. भर्तृहरि-भाष्यदीपिका-पृ० ४८ एवं २८१-२८१।

कैयट ने भी कहा है—

व्याख्यानसूत्रेषु लाघवानादरात्[1] ।

अर्थात् व्याख्यान सूत्रों में लाघव का आश्रयण नहीं लिया जाता। इससे भी उपरिलिखित बात की पुष्टि हो रही है।

जहाँ उपरिलिखित कारणों से दोनों में पार्थक्य है, वहां दोनों में समानता भी है। ऊपर भर्तृहरि का उद्धरण दिया गया है। **लक्षणप्रपंचयोस्तु मूलसूत्रेष्याश्रयणात् इहापि लक्षणप्रपंचाभ्यां प्रवृत्तिः ।**

अर्थात् लक्षण और प्रपंच वार्त्तिकों और मूलसूत्रों दोनों में समान हैं। इन लक्षण और प्रपंच को हम, दूसरे शब्दों में, सामान्य और विशेष नाम भी दे सकते हैं जैसे—

कर्मण्यण् (३।२।१) सामान्य है उसका प्रपंच **आतोऽनुपसर्गे कः** (३।२।३) आदि हैं। इस सामान्य और विशेष की शैली का आश्रयण क्यों किया ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने कहा[2] है—

किंचित् सामान्यविशेषलक्षणं प्रवर्त्यम्। येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्। किं पुनस्तत्। उत्सर्गापवादौ। कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित् अपवादः ।

इससे स्पष्ट है कि विधियों के सारल्य से ज्ञान के लिये लक्षण और प्रपंच या सामान्य तथा विशेष अत्यावश्यक हैं। जिससे अल्पयत्न से ही अधिकाधिक ज्ञान हो।

कैयट ने भी भर्तृहरि के अनुरूप कहा है—

लक्षणप्रपंचाभ्यां सूत्रवत् वार्त्तिकानामुपपत्त्या[3] ।

इससे भी प्रकट होता है कि सूत्रों के समान ही वार्त्तिकों में भी लक्षण और प्रपंच हैं। अतः यह सूत्रों और वार्त्तिकों के साम्य का बोधक है।

इस प्रकार जहां सूत्रों से वार्त्तिकों को इसलिये पृथक् किया जाता है कि वार्त्तिकों में लाघव गौरव का ध्यान नहीं दिया जाता वहां साम्य भी है। लक्षण और प्रपंच सूत्रों और वार्त्तिकों दोनों में समान हैं।

---

१. कैयट-प्रदीप-८।२।६। पृ० ९४ गु० प्र० सं०

२. भाष्य-पस्पशा० भाग १, पृ० ६, पं० ३-६ तक।

३. कैयट—गु० प्र० सं०—पृ० ७०।

उपसंहार

वार्त्तिकपरिभाषा के सम्बन्ध में अन्यों की मान्य वार्त्तिक-परिभाषा देकर उस पर विचार कर उनका खण्डन किया गया है। भाष्य के मतानुसार तुलनात्मक दृष्टिकोण से विष्णुधर्मोत्तर पुराण के वार्त्तिकलक्षण को ही स्वीकार किया गया है। वस्तुतः यह परिभाषा सर्वात्मना व्याकरण के वार्त्तिकों के लिये उपयुक्त है और पूर्णतः भाष्यसम्मत है।

सूत्र का लक्षण देते हुए सूत्रों और वार्त्तिकों में भेदक तत्त्व क्या है और किन अंशों में साम्य है ? इस पर भी यथासम्भव प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय

कात्यायन एवं पतञ्जलि

उनका अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ सम्बन्ध

प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने "उक्तानुक्त०" वाला वार्त्तिकलक्षण माना है, उससे उनकी हार्दिक अभिलाषा क्या थी ? यह तो पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाती, पर अर्वाचीन पौरस्त्य एवं पाश्चात्त्य विद्वानों ने नये सिरे से इनके सम्बन्ध में विचार करना आरम्भ किया। उस समय, जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, उनके सामने भी 'उक्तानुक्त०' वाला ही वार्त्तिकलक्षण था, जिसके आधार पर उन्होंने कात्यायन और पाणिनि के सम्बन्धों पर विचार किया। इनमें प्रो० गोल्डस्टूकर, प्रो० वेबर, डा० बरनेल आदि मुख्य हैं।

कात्यायन का पाणिनि के साथ सम्बन्ध

प्रो० गोल्डस्टूकर के विचार से कात्यायन के वार्त्तिक पूरक दोष-दर्शक हैं। उनका उद्देश्य सूत्रों में दोष ढूंढ़ना था।

कात्यायन पाणिनि का प्रशंसक या मित्र नहीं, अपितु वह उनका प्रतिपक्षी है, इतना ही नहीं वह बहुधा अनावश्यक दोष दर्शन कर बैठता है[1]।

प्रो० वेबर भी प्रो० गोल्डस्टूकर के मतानुयायी हैं। उनके अनुसार, कात्यायन, पाणिनि के सूत्रों पर आक्रमण और युद्ध करने वाले के रूप में दीखता है[2]।

डा० बरनेल के मतानुसार भी वार्त्तिक का उद्देश्य पाणिनि सूत्रों पर आक्रमण करना एवं पाणिनि सूत्रों में दोष दिखाना है[3]।

---

1. Prof. Theodor Goldstucker—Panini: His Place in the Sanskrit Literature. 1914, p. 91.
2. Prof. Weber—Indische Studien. Vol. XIII. p. 298.
3. Dr. A. C. Burnell—The Aindra School of Sanskrit Grammarians.

श्री रजनीकान्त गुप्त के मतानुसार—

"कात्यायन, पाणिनि का प्रतिद्वन्द्वी है।.....कात्यायन के वार्त्तिक वस्तुतः विद्वेषबुद्धि परिचालित हैं[1]।

श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेद भी इसी का अनुसरण करते हुए लिखते हैं[2]—

वार्त्तिककारः सूत्रकृतः पाणिनेर्न्यूनताप्रदर्शनमेवाभिलक्ष्य वार्त्तिकरूप-व्याख्याकरणे प्रवृत्तः।... ...अतएव कथासरित्सागरे पाणिनिकात्यायनयो-र्विद्वेषपूर्वकं परस्परशास्त्रार्थकिंवदन्त्यपि प्रवृत्ता, यद्यपि वासुदेवशरण—प्रभृतयः वार्त्तिककारस्य न्यूनताप्रदर्शनबुद्ध्या विद्वेषबुद्ध्या वा प्रवृत्तिरिति श्रुत्वा विमनायन्ते अनुकूलबुद्ध्यैव व्याख्यातरूपाण्येव वार्त्तिकानि तेन विरचिता-नीति ते मन्यन्ते परं किं कुर्मो यदा भाष्यकार एव तथा ध्वनयति तदाभ्युपगन्त-व्यमेवेदं भवति।

वस्तुतः सभी ने मूलतः नागोजि भट्ट की वार्त्तिक-परिभाषा का अनुसरण किया, फिर भी उसका अर्थ उनको स्पष्ट न हो पाया, तभी इन धारणाओं का अवलम्बन किया है।

जर्मन देशवासी डा० कीलहार्न ने महाभाष्य का गम्भीर अध्ययन किया और उपरिलिखित प्रो० गोल्डस्टूकर आदि की धारणाओं का विवेचन कर वे इस परिणाम पर पहुँचे—

"विना पक्षपात या तरफदारी के पाणिनि व्याकरण के सम्बन्ध में उठने वाले आक्षेपों का विवेचन करना, जहाँ एक तरफ अनावश्यक आलोचनाओं के विरोध में रक्षा करता हुआ पाणिनि की सत्यासत्य परीक्षा करता है वहाँ वह दूसरी तरफ सूत्रों की कमी को पूरा करता है। अनावश्यकों को पृथक् करता है और यह भी जोड़ देता है कि यह पाणिनि का सूत्र उपेक्षा करने योग्य है। वह ऐसा वहीं करता है जहाँ रक्षा एवं औचित्य असम्भावित होते हैं[3]।"

"कात्यायन को पाणिनि के कठोर आलोचक के रूप में न देखकर मैं उन्हें पाणिनि का एक न्यायसंगत प्रशंसक कहना अधिक उपयुक्त समझूँगा[4]।"

---

१. श्री रजनीकान्त गुप्त—पाणिनि, कलकत्ता १९२८, पृ० ९८।

२. श्री गिरिधर शर्मा—पाणिनि परिचय–का० सं० १९५४, पृ०३१।

3. Dr. F. Kielhorn., Katyayen and Patanjali, p. 48.

4. Dr. F. Kielhorn., Katyayan and Patanjali, p. 47.

यद्यपि डा० कीलहार्न ने भी कुछ अंशों में प्रो० गोल्डस्टूकर आदि की विचारधारा का अनुसरण कर लिया है तथापि जहाँ प्रो० गोल्डस्टूकर आदि स्पष्ट शब्दों में प्रतिपक्षी के रूप में कात्यायन को मानते हैं, वहाँ डा० कीलहार्न ने कात्यायन को पाणिनि का "सत्यासत्य परीक्षा करने वाला" आदि कहा है। डा० कीलहार्न के "न्यायसंगत" में भी बहुत से वे विचार आ जाते हैं जिनके आधार पर प्रो० गोल्डस्टूकर आदि ने कात्यायन को कठोर आलोचक के रूप में माना है।

प्रो० कोलब्रुक की टिप्पणी जिसे हम पीछे दे चुके हैं, वस्तुतः बहुत महत्त्वपूर्ण है और सूक्ष्म विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि डा० कीलहार्न, कात्यायन के विचार में उनसे आगे नहीं जा सके हैं।

प्रो० भण्डारकर के विचार कुछ अधिक स्पष्ट हैं—

"कात्यायन सूत्रों की व्याख्या और समर्थन करता है, कभी प्रश्नोत्तर के रूप में और कभी इस प्रक्रिया का आश्रयण लिये विना ही। वह सूत्रों में संशोधन करता है और इस प्रकार उसकी आलोचना करता हुआ समझा जाता है। अथवा उसमें दोष दर्शन करता है। वह सूत्रों की पूर्ति करता है[1]"।

प्रो० गोल्डस्टूकर जैसे विद्वान् ने, जिसने बड़ी लगन एवं धैर्य से संस्कृत व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया एवं महाभाष्यादि के सम्बन्ध में उत्तम विवेचना प्रस्तुत की, वार्त्तिकों के सम्बन्ध में इतना कठोर निर्णय क्यों अपनाया? हमारे विचार से भाष्यकार, कैयट एवं नागेशादि को उक्तियाँ अवश्यमेव उनकी सहायक रहीं होगी। भाष्यकार अनेक स्थलों पर कात्यायन का उपहास, प्रतिरोध, आदि करते दीखते हैं। जैसे—

१—आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते[2]।

इस कथन से वार्त्तिककार का अहंकार प्रदर्शित होता है।

२—पाणिनीये लक्षणे दोषोद्भावनमेतत्[3]।

३—इदानीं भाष्यकारो वार्त्तिकदूषणमाह[4]।

---

1. Prof. Bhandarkar—Indian Intiquary Vo. 1. 5. 1876. p. 345.
२. भाष्य—की० सं० भाग १ पृ० १५ पं० १९।
३. कैयट—प्रदीप ४।३।१५५ गु० प्र० सं० पृ० २५२।
४. कैयट—प्रदीप ३।४।६७, गु० प्र० सं०, पृ० ३५६।

४—एतेन सूत्रव्याख्यानाय प्रवृत्तस्य अनुक्तदुरुक्तचिन्ता इत्यपास्तम्[1] ।

इत्यादि बहुत से स्थल पदे पदे दृष्टिगोचर होते हैं, जिनसे इस प्रकार की विचारधारा का बनना स्वाभाविक है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भाष्यकार की शैली है—वे जितने कड़े शब्दों में पूर्वपक्ष की स्थापना करते हैं, उतने ही कड़े शब्दों में उत्तर-पक्ष का समर्थन भी करते हैं। ऐसा करते हुए, यह पूर्व पक्ष कात्यायन का है या स्वयं उनका, इसमें कोई विभिन्नता नहीं रहती। उदाहरणार्थ—**आहोपुरुषिकामात्रं** वाला वचन ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें कात्यायन का अहंकारित्व परिलक्षित होता है। ठीक है, परन्तु ७।२।६६ पर भी ऐसा ही स्थल है—

आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह विध्यर्थमिति। वयं तु ब्रूमो नियमार्थमिति[2] ।

यहां कात्यायन का नियमार्थ पक्ष है और भाष्यकार ने विध्यर्थ रखा है। अब विचार करें तो प्रतीत होता है कि "आहोपुरुषिकामात्रं" स्वयं अपने लिये प्रयुक्त करते हैं। ऐसी अवस्था में इसमें सन्देह नहीं कि भाष्यकार का दृष्टिकोण व्यक्तिविशेष पर न होकर विषय-प्रतिपादन पर रहता है। भाष्यकार जहां अनेक स्थानों पर वार्त्तिकों की अनावश्यकता दिखाते हैं, वहां उनका आश्रयण भी लेते हैं। **वचनप्रामाण्यात्** द्वारा समर्थन भी करते हैं। **तस्मात् सुष्ठूच्यते** आदि के द्वारा मान्यता को स्वीकार करते हैं।

कात्यायन के सामने एक लक्ष्य है, भाषा के आधार पर शब्दसिद्धि। उसके लिये वे नवीन वचन बनाकर या सूत्रों में परिवर्तन या परिवर्धन करके कार्य चलाते हैं, साथ ही संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते, जिसके आधार पर सूत्रों के विना बनाये ही कार्य सिद्धि दिखाते हैं। बहुत से स्थानों पर वे अपने पूरकों का स्वयं अन्य समाधान देते हैं। कात्यायन प्रयोजन देते हैं, भाष्यकार उसकी अन्यथासिद्धि करते हैं। जैसे—

(क) प्रायः वार्त्तिककार वचनान्तर द्वारा सिद्धि दिखाता है—

शदेः शितः १।३।६०॥

१—शदे शितः परस्मैपदाश्रयत्वादात्मनेपदाभावः।

२—सिद्धं तु लडादीनामात्मनेपदवचनात्।

---

१. नागेश—उद्योत—१।१।१, गु० प्र० सं० पृ० १५६।

२. भाष्य की० सं० ७।२।६६ भाग ३, पृ० ३००, पं० १५-१६॥

इन दो वार्त्तिकों में (१) में केवल **शदेः शितः** इतना ही सूत्र मानने पर आक्षेप किया है। (२) में उसका समाधान **शदेर्लडादीनामात्मनेपदं** इस प्रकार का वचन बनाकर दिया है। भाष्यकार वचन बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने "शितः" यह पंचमी नहीं मानी, सम्बन्धषष्ठी मानी है या "शितः" को शिद्विषयक मान लिया है।

यहां भाष्यकार और वार्त्तिककार दोनों के समक्ष एक समस्या है, "**शीयते**" यहां आत्मनेपद कैसे हो ? वार्त्तिककार उसका समाधान थोड़ा सा वचन परिवर्तन करके देता है परन्तु भाष्यकार—**सिध्यति। सूत्रं तर्हि भिद्यते**[1] कहकर यथान्यास में भी **शीयते** बन सकता है, यह दिखाता है। क्या ऊपर के उद्धरण से यह परिणाम निकलता है कि वार्त्तिककार विद्वेषबुद्धि से प्रेरित होकर प्रश्न उठा रहा है ?

(ख) बहुत से स्थानों पर कात्यायन स्वयं अपने पूरक का समाधान देता है। जैसे—

प्रशंसायां रूपप् ५।३।६६[2]॥

१—प्रकृतेर्लिङ्गवचनाभावात्तिङ्प्रकृतेरभाववचनम्।

२—सिद्धं तु क्रियाप्रधानत्वात्।

३—वृषलादिभ्य उपसंख्यानम्।

४—सिद्धं तु प्रकृत्यर्थवैस्पष्ट्यवचनात्।

यहां (१) में **पचतिरूपम्** में अभाव का विधान किया है। (२) में समाधान दिया। (३) में पूरक वचन बनाया है। (४) में उसका समाधान दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

यहां **पचतिरूपम्** एवं **वृषलरूपम्** इन शब्दों की सिद्धि को ध्यान में रखकर वार्त्तिक बनाये गये हैं। १. व ३. में वचन बनाने का सुझाव दिया, परन्तु यदि उनकी सिद्धि २. व ४. से हो जाती है तो स्वयं ही समाधान दे दिया है। यदि निश्चित ही कात्यायन प्रतिपक्षी होता तो वह १ व ३. वार्त्तिक ही देता, २ तथा ४ नहीं, भले ही इसका समाधान भाष्यकार करते।

(ग) कात्यायन, पाणिनि-सूत्रों के प्रयोजनों को देता है—

तौ सद् ३।२।१२६॥

---

१. भाष्य—की० सं० भाग १, पृ० २८५, पं० १५-१६॥

२. भाष्य—५।३।६६ भाग २, पृ० ४१८-१९॥

१—तौ सदिति वचनमसंसर्गार्थम्।

(१) में तौ सद् सूत्र के निर्माण का प्रयोजन दिया है।

(घ) बहुत से स्थलों पर कात्यायन सूत्रप्रयोजन देता है, परन्तु भाष्यकार उसका खण्डन कर देते हैं।

ऊदुपधाया गोहः ॥६।४।८९॥

१—गोहिग्रहणं विषयार्थम्।

२—अयादेशप्रतिषेधार्थं च।

३—ह्रस्वादेशे ह्ययादेशप्रसंग उत्वस्यासिद्धत्वात्।

(१-२) में "गोह" ग्रहण का प्रयोजन दिया है। (३) में उसके ग्रहण न करने पर दोष दिया है। इस प्रकार वार्त्तिककार सूत्र का समर्थन कर रहे हैं जब कि भाष्यकार १-३ का खण्डन कर देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन का दृष्टिकोण केवल शब्द-सिद्धि है। कात्यायन ऐन्द्र-सम्प्रदाय का है और काशकृत्स्न-व्याकरण से प्रभावित है। अतः उसने सम्भवतः काशकृत्स्न-व्याकरण के आधार पर पाणिनि-व्याकरण का व्याख्यान किया है। पाणिनि द्वारा अतिसंक्षेपीकरण के कारण जो नियम स्थान न पा सके थे, कात्यायन ने उनको पूरक वचनों के रूप में रखा है। हमारे विचार में पूरक वार्त्तिकों का निर्माण सम्भवतः विशेष कर काशकृत्स्न-व्याकरण से प्रभावित होकर किया होगा और परिवर्तनों एवं परिवर्धनों को भी काशकृत्स्न-व्याकरणगत सूत्रों के आधार पर माना होगा।

कात्यायन के स्थान, काल, सम्प्रदाय-भेद एवं शैली आदि के सम्बन्ध में विशेष विचार अगले अध्यायों में किया है।

भाष्यकार और उनका कात्यायन एवं पाणिनि के साथ सम्बन्ध

पतञ्जलि एवं उनका कालः—

वार्त्तिकों के निर्माण के अनन्तर अपने से पूर्वज ब्रह्मा से लेकर कात्यायन पर्यन्त वैयाकरणों के, विशेष कर कात्यायन एवं पाणिनि के, व्याकरण

सम्बन्धी नियमों की न्यायिक जांच तथा विवेचना करके व्याकरण के मान्य सिद्धान्तों के निर्णय करने की आवश्यकता संस्कृत क्षेत्र में हुई, एतदर्थ महामुनि पतंजलि से अपने समय में उपलब्ध पाणिनीय एवं अन्य व्याकरणों की महती ग्रन्थराशि का आलोडन करके, पाणिनि-सूत्र-व्याख्यान-मिष, उन समस्त ग्रन्थों का सार संग्रह कर दिया है।

पाणिनि और पतंजलि के मध्य में अनेक वैयाकरण हुए। कात्यायन को छोड़कर सभी कर्तव्यनिवृत्ति सी करके चलते बने। पाणिनि की महान् विरासत को यदि किसी ने आगे बढ़ाने का सफल कार्य किया तो वह है पतंजलि।

उस महान् विचारक ने आगे की पीढ़ियों के लिए अपनी व्याकरण क्षेत्र में असामान्य प्रतिभा की छाप छोड़ दी। वह अद्वितीय व्याख्याता है, पर साथ ही उसके मौलिक खोजपूर्ण विचार उसे उस श्रेणी से उठाकर स्वतंत्र विचारकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं।

पतंजलि ने महाभाष्य में पाणिनि के सूत्रों तथा उन पर रचे गये वार्त्तिकों की साधक बाधक व्याख्या की है। जहां वह कात्यायन की या अपने से पूर्व वर्त्तमान अन्य व्याकरण सिद्धान्तों की अपनी विचार प्रणाली से कटु एवं न्यायिक जांच करते हैं, वहां पाणिनि की भी आलोचना को नहीं भूलते। इस प्रकार की निर्भीकता एवं अवशंवद आचरण उनके पाण्डित्य का ही अलंकरण है। जहाँ पाणिनि के व्यक्तित्व एवं विचारों ने पतंजलि को ऊँचा उठाया, वहाँ यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि पतंजलि ने पाणिनि को ऊँचा उठाया।

उस स्वतंत्र विचारक एवं बहुश्रुत विद्वान् को प्राचीन ग्रन्थकार, व्याख्याकार एवं कोश-कारों ने अहिपति,[१] फणिभृत्,[२] शेषराज,[३] शेषाहि,[४]

---

१. चक्रपाणि-चरकटीका—पातंजलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः।
मनोवाक्कायदोषाणां हर्त्रेऽहिपतये नमः ॥१।१॥

२. भोजराज-भोजवृत्ति का प्रारम्भ,—वाक्चेतोवपुषां मलः फणिभृतामत्रैव येनोद्धृतः।

३. अमरचन्द्र सूरि-हेमबृहद्वृत्त्यवचूर्णिका,—यदाह शेषराजः—नहि गोधाः सर्पन्तीति सर्पणादहिर्भवति।

४. वल्लभदेव-शिशुपालवध-टीका,—पदं—शेषाहिविरचितं भाष्यम् २।११२॥

चूर्णिकार,[1] पदकार,[2] नागनाथ,[3] फणी[4] भोगीन्द्र,[5] गोनर्दीय[6] एवं गोणिकापुत्र[7] आदि नामों से स्मरण किया है।

बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न पतंजलि व्याकरण के विषय में अबाधगति था। साथ ही सांख्य, योग, न्याय, रसायन, कोष, काव्य, आदि पर भी उसका पूर्ण अधिकार था। उसके सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व का परिचय उन ग्रन्थों के देखने से मिलता है।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने भारतीय परम्परा एवं प्राचीन विचार-धाराओं का अनुसरण करते हुए पतंजलि के भाष्य का काल २००० वि० पूर्व माना है।[8] भले ही आजकल इस मत पर विद्वान् ध्यान न दें, परन्तु श्री मीमांसक जी

---

१. भर्तृहरि-भाष्यदीपिका, युधिष्ठिर मीमांसक का हस्तलेख पृ० १७९, १९९, २१६। सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका टीका,—कदाचित् गुणो गुणिविशेषको भवति। कदाचित् गुणिना गुणो विशेष्यते इति चूर्णिकारस्य प्रयोगः पृ० ७। स्कन्द स्वामी निरुक्त टीका ३।१६। तुलना करो—महाभाष्य १।१।५७। इत्सिंग ने अपनी "भारत यात्रा में" भाष्य को "चूर्णि" कहा है, पृ० २७२।

२. स्कन्द स्वामी की निरुक्त टीका १।३। उव्वट-ऋक्प्रातिशाख्य १३।१९ की टीका।

३. कैयट-प्रदीपविवरण,—तत्र जात इत्यत्र तु सूत्रे लक्षणत्वमाश्रित्यैषां सिद्धिमभिधास्यति नागनाथः ॥४।२।९२॥

४. कौण्डभट्ट-वैयाकरणसार-कारिका-"फणिभाषितभाष्याब्धेः" का० १ पृ० ७॥

५. रामचन्द्र दीक्षित "भोगीन्द्र तेषां भुवि वार्त्तिकानाम्" ।१।६३॥

६. यादव वैजयन्ती कोषः—'गोनर्दीयः पतंजलिः' पृ० ९६ श्लोक १५७। राजशेखर-काव्यमीमांसा, यस्तु प्रयुङ्क्ते तत्प्रमाणमेवेति गोनर्दीयः पृ०२६। कैयट-प्रदीप,—भाष्यकारस्त्वाह १।१।२० गु० प्र०सं०३०२ नागेश-प्रदीपोद्योत,—गोनर्दीयपदं व्याचष्टे भाष्यकार इति पृ० ३०२।

७. नागेश-प्रतिपोद्योत,—गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः १।४।५१ गु० प्र० सं० पृ० ३९७॥

८. युधिष्ठिर मीमांसक-सं० व्या०शा० इतिहास भा० १, पृ० ३१८-३२८॥

ने जो प्रमाण दिये हैं वे विचारकों के लिये नवीन दृष्टिकोण अपनाने में पर्याप्त सहायक होते हैं। आजकल पतंजलि का प्रमुखतया मान्य समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० के मध्य हैं।

पतञ्जलि के महाभाष्य की विशेषतायें

महाभाष्य पाणिनि-व्याकरण का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। क्या नवीन क्या प्राचीन समस्त वैयाकरण महाभाष्य के सम्मुख नतमस्तक हैं। महाभाष्य के सूक्ष्म पर्यालोचन से विदित होता है कि यह ग्रन्थ न केवल व्याकरण शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है अपितु समस्त विधाओं का आकर ग्रन्थ है।

इसीलिये भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में लिखा है—

कृतेऽथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना।
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने[1] ॥

पतंजलि ने न केवल कत्यायन के वार्त्तिकों को ही अपने व्याख्यान में स्थान दिया, अपितु कत्यायनातिरिक्त वार्त्तिककारों के वार्त्तिकों को भी वही स्थान दिया है जो कात्यायन के वार्त्तिकों को। उनके व्याख्यानों को भी उसी दृष्टि से जांचा है जिस दृष्टि से पाणिनि एवं कात्यायन को परखा है। भाष्यकार ने उन वार्त्तिकों के उद्धरण देते समय कहीं-कहीं कुछ वार्त्तिककारों के नाम भी दिये हैं। परन्तु प्रायः ऐसे बहुत से वचन हैं जिनके निर्माता का नाम भाष्यकार ने नहीं दिया और उनकी कड़ी जांच आरम्भ कर दी।

भारतीय परम्परा में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति के कारण नवीन परिवर्तनों को भाषा में स्थायी अंग बनाने के लिये सूत्रों एवं वार्त्तिकों में संशोधन अपेक्षित थे। पतंजलि से पूर्व, पाणिनि के बाद, अनेक वार्त्तिककारों ने संशोधनात्मक वार्त्तिकों की रचना की। भाष्यकार का दृष्टिकोण इन सभी आचार्यों के द्वारा कथित संशोधनों की तात्कालिक भाषा के आधार पर जांच पड़ताल करना था। कही कारण है, बहुत से शब्दों की सिद्धि के लिये निर्मित वार्त्तिकों का केवल इस लिये ही खण्डन कर दिया कि उनका प्रयोग तात्कालिक भाषा में समाप्त था।[2] कुछ के लिये वास्तविक लोक की भाषा का आश्रयण लेकर वार्त्तिक द्वारा प्रदत्त दोष को ही शुद्ध शब्द के रूप

---

१. भर्तृहरि-वाक्यपदीय, २।४८६॥

२. पतंजलि-महाभाष्य—अनभिधानात्।

में स्वीकार किया और उनके द्वारा दिये समाधानों का लोकाश्रय से खण्डन कर दिया।[1]

इस प्रकार महाभाष्य न तो समस्त पाणिनि-सूत्रों पर रचा गया है और न केवल कात्यायन के वार्त्तिकों पर। यह विभिन्न आचार्यों द्वारा रचे गये व्याकरण सम्बन्धी नियमों का समीक्षात्मक महाग्रन्थ है।

यही कारण है कि व्याकरण-सम्प्रदाय में बहुत से भाष्य निर्मित हुए पर कोई भी ग्रन्थ महाभाष्य के नाम से नहीं पुकारा गया। एकमात्र पतंजलि का ही भाष्य, महाभाष्य के नाम से व्यवहृत हुआ है। इसकी महत्ता इसी में है कि यह ज्ञान में महान् है, यह शक्ति में महान् है, एवं ज्योति में महान् है।

कथा सरित्सागर में कहा है—

महान्तश्च महान्येव कृच्छ्राण्युत्तीर्य धैर्यतः।
महतोऽर्थान् समासाद्य महच्छब्दमवाप्नुयात्[2] ॥

भाष्य की परिभाषा

सूत्रस्थं पदमादाय वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः।
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः[3] ॥

तथा—

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः।
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः[4] ॥

स्पष्ट है कि सूत्रों पदों या अर्थ की, सूत्रानुसारी वाक्यों द्वारा व्याख्या या वर्णन और अपने पदों का भी व्याख्यान जहां हो, वह "भाष्य" नाम से व्यवहृत होता है।

काव्यमीमांसा में, भाष्य का लक्षण करते हुए लिखा है—

आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम्[5]।

---

१. पतंजलि-महाभाष्य—इष्टमेवैतत् संगृहीतम् ८।१।५५ भा० ३, पृ० ३७८ ॥ ८।२।२५ भा० ३ पृ० ४०३ प० १७ ॥
२. सोमदेव-कथासरित्सागर, अध्याय ३८।
३. क्षितीशचन्द्र-मंजूषा ४।९ पृ० २८७ से उद्धृत।
४. दाधिमथ-छायाटीका, नवाह्निक नि०सा०सं० पृ० २ से उद्धृत।
५. राज शेखर-काव्यमीमांसा, पृ० ११ पटना प्रकाशन।

अर्थात् भाष्य उसे कहते हैं जहां आक्षेप एवं समाधानादि द्वारा व्याख्यान किया गया हो। इसी बात को हरदत्त ने कहा है—

आक्षेपसमाधानपरो ग्रन्थो भाष्यम्[1]।

महाभाष्य प्रथमतः पाणिनि-सूत्रों पर भाष्य है इसके लिए उसने वार्तिकों का आश्रय लिया है वह पाणिनि-सूत्रों की आलोचना करता है। इस आलोचना के लिये उसने कात्यायन की आलोचना-प्रक्रिया पूर्णरूपेण स्वीकार की है और वह इसका अच्छे प्रकार से व्यवहार करता है। जहां कात्यायन ने पाणिनि के विवेचनीय सूत्रों को छोड़ दिया, वहां पतंजलि ने उन पर भी विचार किया है। कुछ स्थानों पर वह कात्यायन के दिये खण्डन-प्रकारों को स्वीकार न कर अपनी स्वयं की युक्तियां प्रस्तुत करता है। कहीं कहीं वह कात्यायन के वार्त्तिकों द्वारा किये गये आक्षेपों का भी समाधान करता है। कुक्ष स्थानों पर वह कात्यायन द्वारा स्वीकृत पाणिनि-सूत्रों पर उनके वार्त्तिकों का खण्डन कर, सूत्रों की अनावश्यकता सिद्ध करता है। इस प्रकार हम देखते हैं, वह साधारण अर्थों में भाष्य नहीं अपितु पाणिनि-सूत्र-व्याख्यानमिष एक स्वतंत्र विचार करने वाला ग्रन्थ है।

पतञ्जलि ने अपने स्वतंत्र वार्त्तिक भी पाणिनि-सूत्रो पर बनाये और उनका व्याख्यान भी किया, जिन्हें हम "भाष्येष्टि' नाम से पुकारेंगे। **स्वपदानि च वर्ण्यन्ते**० भाष्य-परिभाषा इस दृष्टि से उपयुक्त ही है। कुछ स्थानों पर उसने कात्यायन के वार्त्तिकों की आलोचना के खण्डन के लिये भी वचनों का निर्माण किया और उसी प्रकार उनका व्याख्यान भी किया है। इसके साथ साथ कात्यायन के समर्थक वार्त्तिकों का निर्माण भी किया है। इस प्रकार यह भाष्य व्याकरण के विभिन्न विचारों, नियमों एवं विधाओं का एकमात्र संग्रह ग्रन्थ हैं।

भाष्य-शैली

पतंजलि ने वार्त्तिकों एवं पाणिनि-सूत्रों की समीक्षा में उनकी उपादेयता एवं अनुपादेयता पर विचार करते हुए जो ग्रन्थराज रचा वह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में पतंजलि ने व्याकरण जैसे दुरूह एवं शुष्क विषय को जिस सरल, सरस रूप में हृदयंगम कराया है वह देखते ही बनता है। इसके समान प्रश्नोत्तरात्मक रोचक संवादशैली, सरलभाषा, विशाल

---

१. हरदत्त-पदमंजरी का० सं० पृ० १।

दृष्टिकोण एवं उदात्त विषय-प्रतिपादनपद्धति अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिलती। इसकी रचना पद्धति का आश्रयण लेकर संस्कृत साहित्य में बहुतों ने इसके अनुकरण का प्रयास किया है जैसे कि शंकराचार्य ने उपनिषद् भाष्य में, शबर ने मीमांसा भाष्य में, मेधातिथि ने चरक संहिता टीका में, कुल्लूक ने मनुस्मृति टीका में, सायण ने अथर्ववेद भाष्य में और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य में ; परन्तु कहीं किन्हीं की भाषा प्रांजल नहीं तो किसी की सरस और सरल नहीं, किन्हीं की विषय-प्रतिपादन में उत्कृष्ट नहीं। इस प्रकार भाषा की सरसता, सरलता, प्रांजलता, स्वाभाविकता और विषय-प्रतिपादन-शैली की उत्कृष्टता आदि की दृष्टि से यह ग्रन्थ समस्त संस्कृत वाङ्मय में आदर्शभूत है।

देश की तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, एवं साहित्यिक स्थिति पर भी मनोरंजक सूचनाएं मिलती हैं।

पतंजलि की व्याख्यान-पद्धति उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि किसी दृष्टि से पाणिनीय सूत्र में कुछ न्यूनता दृष्टिगोचर होती है तो पतंजलि नवीन पूरक वचन बनाने से पहिले यह अच्छे प्रकार देख लेते हैं कि वस्तुतः इसके लिये वचन बनाना आवश्यक है या नहीं, नहीं तो प्रायः उन कमियों को सूत्रों से ही ज्ञापक देकर, योगविभाग करके, लोक आश्रयण लेकर, या इसी प्रकार के अन्य समाधानों का आश्रय लेकर कार्य चलाते हैं। यथासम्भव वार्त्तिक का बोझ सूत्र पर न पड़े यही दृष्टिकोण उनका रहता है। उनकी अन्यथासिद्धि वाली शैली को आगे के वैयाकरणों ने खूब विस्तृत एवं पल्लवित किया है।

उदाहरण के लिये भाष्यकार की सरसता के कुछ स्थल लीजिये—

अस्त्यप्रयुक्तः सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ताः! तद्यथा। ऊष तेर चक्र पेचेति। किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः। प्रयोगाद्धि भवान्शब्दानां साधुत्व-मध्यवस्यति य इदानीमप्रयुक्ता नामी साधवः स्युः॥ इदं विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्ता इति। यदि सन्ति नाप्रयुक्ता अथाऽप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम्। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाह सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति। कश्चेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति न ब्रूमोऽस्मा-

भिरप्रयुक्ता इति। किं तर्हि। लोकेऽप्रयुक्ता इति। ननु च भवानप्यभ्यन्तरो लोके। अभ्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः[1] ॥

यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत। कश्चेदानीं भवतो मत्सरो यदि सर्वो लोकोऽभ्युदयेन युज्येत। न खलु कश्चिन्मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति। फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यं न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः[2] ॥

आहोपुरुषिकामात्रं तु भवानाह संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेश-श्चोद्यत इति। वयं तु ब्रूमो विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति[3] ॥

न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारैर्नाम लक्षणमनुवर्त्यम्[4]।

इस प्रकार के स्थल पदे पदे हैं, जिनको साधारण संस्कृत जानने वाला भी बहुत सुगमता से हृदयङ्गम कर सकता है। यही कारण है कि भाष्याध्ययन में जो आनन्द आता है वह किसी सरस काव्य के अध्ययन से कम नहीं होता।

भाष्य और वार्त्तिक में अन्तर

पतंजलि के महाभाष्य ग्रन्थ में वार्त्तिकों का भी अस्तित्व है, जिसे हम प्राचीन व्याकरण के विद्वानों के द्वारा जानते आये हैं। पर कठिनता यह है कि पृथक् वार्त्तिकपाठ के रूप में कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है। जो कुछ भी वार्त्तिक माने जाते हैं, सब भाष्य में ही हैं। ऐसी अवस्था में वस्तुतः भाष्यांश कितना है और वार्त्तिकांश कितना, इस बात का परिज्ञान अतीव कठिन है। भारत के कई पुस्तकालयों में वार्त्तिकपाठ नाम से कुछ हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनके अन्त में (कात्यायन विरचितम्) इस प्रकार का पाठ है। परन्तु यह ग्रन्थ कोई पृथक् वार्त्तिकपाठ हो, ऐसा नहीं है, यह तो भाष्य में से एकत्रित किया हुआ संग्रह ग्रन्थ है। इतना ही नहीं इनका संग्रह भी बड़ा निकम्मा, अशुद्धियों से परिपूर्ण एवं नवीन है। महाभाष्य के

---

१. पतंजलि-महाभाष्य, की० सं०, भाग १, पृ० ८-९।
२. ,, ,, ,, ,, ,, ,, पृ० १०, पं० ९-१०।
३. ,, ,, ,, ,, ,, ,, पृ० १५, पं० १८-१९।
४. ,, ,, ,, ,, ,, ३ ॥

व्याख्याताओं ने अथवा पाणिनि के उत्तरवर्ती अन्य वृत्तिकारों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला कि इस प्रकार का अंश वार्त्तिक है। हां, केवल किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर वार्त्तिक या वार्त्तिककार आदि शब्दों द्वारा कुछ संकेत अवश्य मिलता है, पर केवल उतना ही वार्त्तिक-परिज्ञान में साधक नहीं। अतः वार्त्तिकों के भाष्य से पृथक्करण की कोई ऐसी कसौटी होनी चाहिए जिससे हम जान सकें कि वह वार्त्तिक है और यह भाष्य। इस सम्बन्ध में विद्वान् डा० कीलहार्न ने अथक परिश्रम करके भाष्य की शैली, भाषादि के आधार पर वार्त्तिकों एवं भाष्य के पृथक्करण के कुछ सिद्धान्त निश्चित किये और उन्हें आधार मानकर ही भाष्य का सम्पादन किया है। प्रो० गोल्डस्टूकर एवं प्रो० वेबर आदि ने भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया। डा० कीलहार्न ने वार्त्तिक एवं भाष्य के पृथक्करण के सम्बन्ध में बहुत सी युक्तियां एवं प्रमाण भी दिये जिससे वार्त्तिकों एवं भाष्य में अन्तर ज्ञात हो सके। उनकी विचार प्रणाली मौलिक एवं उपादेय है। भले ही हम उनके सभी विचारों से सहमत नहीं, जैसा कि यथासमय इस पर विचार करेंगे, परन्तु इतना निश्चित है कि उन्होंने जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं, उनसे बहुत अंशों में यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्य एवं वार्त्तिक में भेद क्या है? वार्त्तिकांश कितना है और व्याख्यानांश कितना? हम उन सभी युक्तियों और प्रमाणों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

प्रथम पाद के विचार के अधार पर डा० कीलहार्न जिस परिणाम पर पहुँचे उन्हीं के शब्दों में[1]—

"एक ही निर्माता अपने बनाये ग्रन्थ में एक ही विषय में दो प्रकार की व्याख्या-शैलियों का अनुसरण नही कर सकता इस लिये भाष्य में दो पृथक् भेद हैं जिन्हें भाष्य में रखा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि पतंजलि ने जहां वाक्यांश और व्याख्यान दोनों दिये हैं वहां एक उसका नहीं है।.....'वाक्यांशों की भाषा एवं शैली पृथक् पृथक् है इसलिये भाष्य एवं वाक्यांशों के निर्माता पृथक् हैं"। अन्त में कहा है—"पतंजलि की उद्धरण देने की प्रक्रिया जिससे वाक्यांश उद्धृत किये गये हैं—वह यह स्पष्ट कर रही है कि इन वाक्यांशों का निर्माता पतंजलि से अन्य है।.....

"इन्ही व्याख्येय वाक्यांशों को वार्त्तिक नाम से कहा गया है।"

---

1. See: Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali". P. 25-27

इस सिद्धान्त के आधार पर विवेचन करते हुए कुछ ऐसे स्थल हैं जहां निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वहाँ व्याख्येयवाक्यांश (वार्त्तिक) हैं या पतंजलि का स्वयं का अपना टिप्पण। इस सम्बन्ध में डा० साहब अपना अनुभव लिखते हैं—

कात्यायन की शैली, भाषा तथा प्रक्रिया का जितना अच्छा अनुभव हो जावेगा तब वे स्थल जो कि कठिन एवं सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं, सरल तथा सन्देह रहित हो जायेंगें[1]।

भाष्यकार का पाणिनि एवं कात्यायन के साथ सम्बन्ध

विचारणीय यह है कि पतंजलि का वार्त्तिककार कात्यायन से एवं सूत्रकार पाणिनि से किस प्रकार का सम्बन्ध है ?

शब्दकल्पद्रुमकार ने लिखा हैं—

परं पतंजलिः सूत्रपाठस्य वार्त्तिकस्य च महाभाष्यं विधाय सर्वतः प्रमादपरिशून्योऽयं अष्टाध्यायी ग्रन्थ इति प्रदर्शयन् कात्यायनीयतीव्रदृष्ट्या ररक्षैनं समादरणीयं ग्रन्थमुत्तमम्।

अर्थात् भाष्यकार ने सूत्रों और वार्त्तिकों का भाष्य किया है, जिसके द्वारा पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रन्थ प्रमादादि दोषरहित है, यह सिद्ध करते हुए समादरणीय उस ग्रन्थ को कात्यायन के भयंकर आक्षेपों से बचाया है।

हरदत्त ने भी कहा है—

सूत्रकारेणानुक्तं वार्त्तिककार आह तदुक्तं च दूषयति, एवं भाष्यकारो वार्त्तिककारेण[2]। स्पष्ट है कि भाष्यकार ने पाणिनि-सूत्रों की रक्षा के हेतु कात्यायन के भयंकर आक्षेपों का खण्डन किया है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि कात्यायन पाणिनि का शत्रु और पतंजलि, पाणिनि का मित्र तथा कात्यायन का विरोधी है।

पाश्चात्य विद्वानों में प्रो० गोल्डस्टूकर ने इस विषय को लेकर विचार किया और वे भी इस के समान ही अपना मत निर्धारित कर सके। गोल्डस्टूकर ने अपने "पाणिनि" ग्रन्थ में भाष्यकार का कात्यायन और पाणिनि के साथ सम्बन्ध क्या है ? इस पर पर्याप्त विचार किया है, संक्षेप में उनके

---

1. See : Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" p. 27.
२. हरदत्त—पदमंजरी का० सं० पृ० ५१।

विचारों को हम यों कह सकते हैं[1]—

१—पतंजलि का उद्देश्य, पाणिनि की आलोचना करना एवं कात्यायन पर आक्षेप करना है।

२—भाष्य, कात्यायन से मतभेद-प्रदर्शनार्थ रचा गया है।

३—यह सामान्य अर्थ में टीका न होकर (कात्यायन के वार्त्तिकों की टीका न होकर) आलोचनात्मक विवरण है।

---

1. Prof. Theodor Goldstucker, "Panini: His Place in the Sanskrit Literature" (Allahabad, 1914) P. 92-93

"The position of Patanjali is analogous, though not identical. For from being a commentator on Panini, he also could more properly be called an author of Varttikas. But as he has two predecessors to deal with, instead of one,—and two predecessors, too, one of whom is an adversary of the other—his Great Commentary undergoes, of necessity, the influence of the double task he has to performs now of criticising Panini and then of animadverting upon Katyayana. Therefore, in order to show where he coincided with, or where he differed from the criticism of Katyayana, he had to write a comment on the Varttikas of his latter grammarian; and thus the Mahabhashya became not only a commentary in the ordinary sense of the word, but also, as the case might be, a critical discussion, on the Varttikas of Katyayana; while its Ishtis, on the other hand, are original Varttikas on such Sutras of Panini as called for his own remarks.

I have already mentioned that Patanjali often refutes the strictures of Katyayana and takes the part of Panini; I may now add that, in my opinion, and as a few instances hereafter will show, he sometimes overdoes his defence of Panini, and becomes unjust to Katyayana. It is easy, however, to understand the cause of this tendency in Patanjali. The spirit of

४—उसने 'इष्टि' नामक स्वतंत्र वार्त्तिक पाणिनि-सूत्रों पर बनाये हैं ।
५—वह प्रायः पाणिनि का औचित्य सिद्ध करने के लिये कात्यायन के नियमों का खण्डन करता है ।

---

independent thought, combined with the great acumen and consummate scholarship which pervade the work of this admirable grammarian to whom, as far as my knowledge goes, only one author of the later literature bears a comparison, I mean the Mimansa philosopher, Kumarila—could not allow him to become a mere paraphraser of another's works. An author like Patanjali can only comment on the condition that, in doing so, he developes his own mind, be it as adherent or as antagonist. And since Katyayana had left but little chance for a successor to discover many more blemishes in the Grammar of Panini than he had pointed out, an active and critical mind like that of Patanjali would find more scope and more satisfaction in contending with Katyayana than in completing Panini; and thus, I hold, we may explain his proneness to weaken even those censures of Katyayana which we should see reason to approve, did we not discover in favour of Panini arguments which will appear hereafter, but which were foreign to Patanjali.....His object being, like that of Katyayana, merely a critical one, Patanjali comments upon the Varttikas of Katyayana, because such a comment of his implies, of necessity, criticisms, either on Panini or on Katyayana: and, in consequence, no Varttika could be left unnoticed by him. Again, independently of Katyayana, he writes his own Varttikes to Sutras not sufficiently or not at all animadverted upon by the latter grammarian, because they, too, are criticisms, viz., on Panini. and like Katyayana, therefore, he passes over altogether all those Sutras which are unexceptionable to his mind."

६—ऐसा करते हुए कभी-कभी वह अन्याय भी कर जाता है।

७—वह स्वतन्त्र विचार की भावना वाला केवल अन्वयार्थ निर्माता मात्र होना स्वीकार नहीं कर सकता था।

८—पतंजलि ने बुद्धि-विलास के लिए भाष्य बनाया है, वहाँ आलोचना चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में इसका ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि कात्यायन ने ऐसे अवसर नहीं छोड़े जहां उसके अतिरिक्त अन्य, उसके पश्चात् कार्य करने वाला पाणिनि-व्याकरण में दोषान्वेषण कर सके।

९—पतंजलि के आलोचक मस्तिष्क ने कात्यायन के विरोध करने में अधिक संतोष का अनुभव किया है।

१०—उसने कात्यायन के आक्षेपों का बलात् खण्डन भी किया है।

११—कात्यायन के वार्त्तिकों पर भाष्य किया है।

१२—उसने कात्यायन के सभी वार्त्तिकों पर विचार किया है।

१३—स्वतन्त्र, पाणिनि-सूत्रों के आलोचनार्थ वार्त्तिकों का निर्माण भी किया है।

१४—कात्यायन के समान अनाक्षेपार्ह सूत्रों को पतंजलि छोड़ देता है।

डा० बरनेल ने महाभाष्य को पाणिनि के ऊपर आक्षेपों और उन आक्षेपों के पतंजलि द्वारा दिये समाधानात्मक मतों का संग्रह ग्रन्थ माना[1] है।

एस० सी० चक्रवर्ती[2] एवं श्री रजनीकान्त[3] गुप्त ने भी पतंजलि के भाष्य को कात्यायन के प्रबल आक्रमण से रक्षार्थ माना है।

---

1. Dr. A.C. Burnell, "The Aindra Scool of Sanskrit Grammarians" (LONDON 1875) P. 92.

   "It thus appears to me that the Mahabhashya, as it stands, is rather a skilful compilation of the views of Panini's critics and of their refutation by Patanjali."

2. Prof. S.C. Chakrawartee, "Introduction of Nyas" Vol. I. P. 7.

   "He defends Panini in it from the ill-conceived and often erroneous attacks by Katyayana preferred in his Varttikas."

३. श्री रजनीकान्त गुप्त—"पाणिनि" (बंगला सं०) पृ० ९२ (कलकत्ता १९२८) "पक्षान्तर में पतंजलि का भाष्य निर्मित हुआ।

प्रो० गोल्डस्टूकर आदि के दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में डा० कीलहार्न ने अपने निबन्ध में अच्छी विवेचना की और वे जिस परिणाम पर पहुँचे, संक्षेप में वे ये हैं[1]—

१—पतंजलि, कात्यायन के आक्षेपों एवं परिवर्धनों का निराकरण करता है।

२—पतंजलि का भाष्य पाणिनि-सूत्रों के औचित्यसिद्धयर्थ बना, यह कथन ठीक नहीं है।

३—महाभाष्य प्रथमतः कात्यायन के वार्त्तिकों की टीका है, साथ ही वह उसका अनुयायी और अनुकरणकर्ता है।

४—पतंजलि की आलोचना-प्रक्रिया कात्यायन के समान है।

अनेक स्थलों पर पाणिनि के सूत्रों की रक्षा कात्यायन के प्रबल आक्रमण से पतंजलि ने की। वस्तुतः वार्त्तिककृत आक्रमण से रक्षा के लिये महाभाष्य एक सुदृढ दुर्ग का कार्य करता है। कात्यायन और पतंजलि आपस में गुरु शिष्य भाव रखते हैं। पतंजलि ने कभी-कभी कात्यायन मत विरोधी होकर भी पाणिनि के मत का पोषण नहीं किया"।

1. Dr. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" P. 50-52.

"We turn to Patanjali. That Patanjali has refuted some of the objections, that he has rejected some of the additional rules of Katyayana, no student of the Mahabhashya would think of denying. But it is altogether contrary to fact to say that all the varttikas have been refuted by Patanjali, or to maintain that the Mahabhashya has been composed for the justification of Panini. In proof of this assertion it would suffice to refer the reader to the analysis of part of the Mahabhashya which I have given above, and in which I have shewn that more than half of the 135 Varttikas pointed out have been unreservedly adopted by Patanjali; but I will try to corroborate it by additional evidence.....

५—पाणिनि के उन सूत्रों पर, जिनका कि कात्यायन ने व्याख्यान नहीं किया, सम्भावित आक्षेपों का खण्डन करता है और कहीं-कहीं आक्षेपों का समर्थन कर पाणिनि-सूत्रों को शुद्ध करता है।

६—कहीं कात्यायन द्वारा दिये पाणिनि-सूत्र के आक्षेपों के समाधान का अपने हेतुओं से समर्थन भी करता है।

The Mahabhashya is in the first instance of commentary on Katyayana's Varttikas. This must be evident from all I have had occassion to state in the first part of this too is the view entertained by the native grammarians. Punyaraja informs us that Patanjali cemposed his work वार्त्तिकव्याख्यानपुरःसरम् and Jinendrabuddhi, when commenting on the word भाष्ये in the introductory verse of the Kasika-vritti, tells us distinctlctly भाष्यं कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां पतञ्जलिप्रणीतम्।

But Patanjali did not rest satisfied with being a mere commentator. Having started as commentator, he became a follower and imitator of the man whose work he was explaining. He unreservedly adopted Katyayana's method of discussing the sutras of Panini, and like most imitators carried that method to extremes. Finding that Katyayana had left unnoticed certain Sutras of Panini which were or which might appear to be liable to objection, he draw those rules within the range of his discussion, and either refuted the objections to which they seemed to be open, or showed that Panini was really in the wrong and that his rules ought to be corrected. On finding that Katyayana had failed to notice objections to rules which had been discussed by him, he thought it necessary to do what had been left undone by his master. On the other hand, not approving of the way in wich certain objections had been met by Katyayana, or finding that the objections refuted by the latter admitted of different refutations,

७—कात्यायन के आक्षेपों का समाधान देता है।

८—कात्यायन के मान्य परिवर्तनों और परिवर्धनों का भी खण्डन कर उसकी त्रुटि निकाल कर आक्षेप का समर्थन करता है।

९—कात्यायन के आक्षेप के समाधान का खण्डन कर उसकी त्रुटि निकाल कर आक्षेप का समर्थन करता है।

१०—बहुत से स्थानों पर पतंजलि द्वारा की गई पाणिनि की आलोचना बड़ी विध्वंसकारिणी है।

११—पाणिनि पर वार्त्तिककार की अपेक्षा पतंजलि ने अधिक आघात किया है।

---

he either substituted his own refutations for those of Katyayana, or strengthened the views held by that scholar by additional arguments of his own. Again believing himself to be in the possession of arguments by which to refute objections to Panini's rules which had been stated by Katyayana, but which the latter had been unable to refute, or by which to prove the uselessness of corrections or additional rules which Katyayana had thought fit to adopt, he employed those arguments to refute those objections, corrections, and additional rules, and in doing so he refuted the Varttikas of Katyayana. On the other hand, there are not wanting instances in which he proved his superior skill by showing that Katyayana had done wrong in defending Panini, and by supporting the very objection which Katyayana had laboured to refute. If by adopting such a course of procedure Patanjali has defended Panini from some of the objections brought against him by Katyayana, it is on the other hand equally true that in many cases his criticism is much more thoroughgoing and destructive than Katyayana's, and that Panini has suffered more at his hands than at those of the Varttikakara.

जहाँ गोल्डस्टूकर के मत में कात्यायन पाणिनि के प्रशंसक या मित्र के रूप में नहीं प्रतीत होते अपितु विरोधी–प्राय: बेढ़ङ्गे विरोधी–के रूप में जान पड़ते हैं[1], वहाँ कीलहार्न, कात्यायन को पाणिनि के एक कठोर आलोचक के रूप में न देखकर उन्हें पाणिनि का न्यायसंगत प्रशंसक एवं अनुयायी कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं[2]। उसी प्रकार पतंजलि के सम्बन्ध में जहां प्रो० गोल्डस्टूकर के विचार से पतंजलि ने प्राय: कात्यायन के नियमों का खण्डन कर पाणिनि सूत्रों का औचित्य सिद्ध किया है[3], वहां डा० कीलहार्न के मत से पतंजलि की आलोचना (पाणिनि सूत्रों पर) अधिक गहन और विध्वंसकारिणी है और यह भी सत्य है कि पाणिनि पर वार्त्तिककार की अपेक्षा भाष्यकार ने अधिक आघात किया है[4]।

इस प्रकार प्रो० गोल्डस्टूकर के मत से कात्यायन, पाणिनि का शत्रु और पतंजलि, पाणिनि का मित्र एवं कात्यायन का विरोधी है।

डा० कीलहार्न के मत में कत्यायन, पाणिनि का प्रशंसक (मित्र) और पतंजलि पाणिनि का विध्वंसकारी आलोचक एवं प्रतिपक्षी है।

---

1. Prof. Goldustucker—Panini-P. 91.
   "Katyayana, in short, does not leave the impression of an admirer or friend of Panini, but that of an antagonist,—often too, of an unfair antagonist."
2. Dr. F. Kielhorn—"Katyayana and Patanjaii" P. 47.
   "So far from calling Katyayana an unfāir antagonist of Panini, I would rather claim for him the title of a follower and judicious admirer of Panini."
3. Prof. Goldstucker, Panini, P. 92.
   "Patanjali often refutes the strictures of Katyayana and takes the part of Panini".
4. F. Kielhorn, "Katyayana and Patanjali" P. 52.
   "It is on the other hand equally true that in many cases his critism is much more thorough-going and destructive than Katyayana's and that Panini has suffered more at his hands than at those of the Varttikakars."

स्पष्ट है कि कात्यायन और पाणिनि के सम्बन्ध में एवं पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि के सम्बन्ध में कीलहार्न ने प्रो० गोल्डस्टूकर से इस अंश में विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है इस विचार धारा के मूल में चाहे जो भाव निहित हो, फिर भी हमारे विचार में डा० कीलहार्न का दृष्टिकोण भी पूर्ण पक्षपातरहित नहीं कहा जा सकता है, वैसे इनके विचार बहुत अधिक उदार हैं।

तीनों आचार्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में स्वमन्तव्य

हमारे विचार से न कोई किसी का प्रशंसक या मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। कात्यायन एवं पतंजलि के सम्मुख एकमात्र उद्देश्य था, शब्द-सिद्धि। वह भी भाष्यकार के शब्दों में—

येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्[1]।

अर्थात् लघु उपाय से अधिकाधिक शब्दों का ज्ञान हो सके। यद्यपि ये शब्द अन्य स्थान पर पठित हैं तथापि इनमें निहित भावना भाष्यकार की हार्दिक अभिलाषा का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात् यथासम्भव कम शब्दों द्वारा अधिक ज्ञान, दूसरे शब्दों में संक्षेपीकरण। कात्यायन का दृष्टिकोण भी यही था, परन्तु साथ ही यह नहीं भूलना चाहिये कि व्याकरण भाषा-ज्ञान का साधन है। इसीलिये जहाँ पाणिनि ने अपने अति संक्षेपीकरण की दिशा में कुछ नियमों को छोड़ दिया, वहाँ कात्यायन ने, यथासम्भव (अपने विचार से) कम से कम नियमों को बनाया, जो कि पूरक वार्त्तिक हैं। यह भी हम पूर्व कह चुके हैं कि वार्त्तिक, सूत्रों के व्याख्यान हैं। अतः व्याख्यान होने के कारण आवश्यक है कि वह उदाहरण (प्रयोजन) भी दे, प्रत्युदाहरण या सूत्रपर आक्षेप भी करे, उसका समाधान भी करे और यदि वस्तुतः त्रुटि हो तो उसे भी सामने रख दे, इसी दृष्टिकोण से वार्त्तिकों का निर्माण हुआ। इस प्रकार कात्यायन केवल पाणिनि-सूत्रों का व्याख्याता मात्र है, न वह पाणिनि का शत्रु है न मित्र। वह ऐन्द्रसम्प्रदाय से सम्बन्धित है, साथ ही; काशकृत्स्न व्याकरण से प्रभावित। इसी कारण उस सम्प्रदाय के आवश्यक नियमों का माहेश्वर-सम्प्रदाय के पाणिनीय-व्याकरण में प्रवेश करना ही कात्यायन का मुख्य ध्येय था।

---

१. भाष्य-की० सं० भाग १, पृ० ६ पंक्ति ३-४ ॥

पतंजलि का दृष्टिकोण भी संक्षेपीकरण ही था। उसके सामने पाणिनि आदि के सूत्र एवं कात्यायनादि के वार्त्तिक थे। एतदर्थ उसने पाणिनि-सूत्रों एवं वार्त्तिकों को अपने संक्षेपीकरण के दृष्टिकोण के आधार पर परखा। यथासम्भव अन्य उपायों (योगविभाग, ज्ञापक, परिभाषा, आदि) का अवलम्बन लेकर, उसने विद्यार्थी के मस्तिष्क पर अधिक स्मरण करने के बोझ को हलका किया। शब्दों की सिद्धि के लिये विना नियम बनाये ही कार्य चलाया, चाहे वह नियम वार्त्तिककार का हो या सूत्रकार का। पर उसके साथ तात्कालिक भाषा को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है, भाषा में कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग होने लगा था तथा कुछ शब्दसिद्ध्यर्थ नियम कात्यायन या पाणिनि दोनों की दृष्टि में भूल से या संक्षेपीकरण के कारण स्थान न पा सके थे, उनका तात्कालिक भाषा के आधार पर, नियम-निर्माण करना आवश्यक जानकर, भाष्यकार ने नवीन नियमों को भी बनाया। साथ ही अपनी व्याख्यान परिभाषा के आधार पर, जिसका अवलम्बन कात्यायन ने सूत्र-व्याख्यान में किया था, वार्त्तिकों एवं सूत्रों दोनों का व्याख्यान किया। पाणिनि के नियमों का भी संक्षेप किया, साथ ही कात्यायन के नियमों का भी संक्षेप किया। कुछ स्थानों पर जहां कात्यायन ने पाणिनि के संक्षेपीकरणार्थ नियमों को अनावश्यक माना था, उनकी भी युक्तियुक्तता को परखा और आवश्यक दृष्टिकोण अपनाया। बहुत स्थलों पर कात्यायन के संक्षेपीकरण की पुष्टि की। किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर असंभावित संक्षेपीकरण की अयथार्थता भी दिखाई है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अष्टाध्यायी का पठन पाठन चल रहा था, वार्त्तिक तो व्याख्यान ग्रन्थ है। अतः वार्त्तिकों की अपेक्षा अष्टाध्यायी-सूत्र अधिक उपयुक्त हैं, और उनके स्मरण में विशेष काठिन्य नहीं। अतः उन वार्त्तिककृत परिवर्तनों या परिवर्धनों की अपेक्षा, सूत्रों का स्मरण सुगमता से शास्त्र-प्रवृत्ति में सहायक होगा, इस विचार से सूत्रकृत न्यास को उचित माना है। किन्हीं स्थानों पर कात्यायन के परिवर्तनों और परिवर्धनों को स्वीकार भी कर लिया है। कुछ स्थानों पर स्वयं परिवर्तनों और परिवर्धनों का सुझाव दिया है। कुछ स्थानों पर व्याख्यान-प्रसंग में पाणिनि-सूत्रों पर शंकाओं का, जिसका कि कात्यायन समाधान न दे पाये थे, उत्तर दिया है।

इस प्रकार सभी में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति बनी रही। जैसे पाणिनि ने अन्य बृहद्व्याकरणों का संक्षेपीकरण किया और नवीन नियम भी बनाये, उसी प्रकार कात्यायन ने पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान, संक्षेपीकरण एवं नवीन

नियमों का निर्माण किया। पतंजलि ने भी इसी को अपनाया। पर यह नहीं भूलना चाहिये कि सभी भाषाशास्त्रियों ने भाषा का आश्रयण लिया और उसी के आधार पर व्याख्यान, परिवर्तन और परिवर्धन भी किये। इस प्रकार कोई किसी का प्रशंसक या मित्र नहीं और न कोई किसी का विरोधी है।

स्वमन्तव्य के उपपादन के लिये ३।१।१ के ३४ सूत्रों का संक्षेप

अपने उपर्युक्त कथन को हम उदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम तीन आह्निकों (३।१।१ से ३।१।४०) को लिया जाता है—

१—में (८) वार्त्तिक हैं[1]। इनमें सूत्र-व्याख्यान-प्रसंग में १-५ में सूत्र की अतिप्रसक्ति दिखाई और उसका समाधान दिया है। ६-८ में प्रत्ययाभाव-रूप शंका उठाई और उसका समाधान दिया है। भाष्यकार भी सहमत हैं, परन्तु ७. में पंचमीनिर्देश का जो सुझाव दिया था, भाष्यकार उससे सहमत नहीं हैं। भाष्यकार ने अन्यथा सिद्धि दिखाई है।

२—में व्याख्या प्रसंग में (१०) वार्त्तिक दिये हैं, इनमें "पर" ग्रहण के आनर्थक्य की शंका उठाकर "पर" ग्रहण के प्रयोजन दिये हैं और अवान्तर शंकाओं के समाधान दिये हैं। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं। भाष्यकार ने कुछ प्रयोजनों का खण्डन कर दिया है।

३-४—में (७) वार्त्तिक कात्यायन के, (९) वचन भाष्यकार के और (३) विप्रतिषेध वार्त्तिककार के हैं। भाष्यकार ने सर्वप्रथम व्याख्या-प्रसंग में सूत्र-निर्माण का प्रयोजन दिया है। कात्यायन ने यहाँ ३-१ में इन सूत्रों के पाठ का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार इनसे सहमत नहीं हैं। विप्रतिषेध वार्तिककार ने तीन वचन दिये, विप्रतिषेध के प्रकार दिखाने के लिये। भाष्यकार इनसे सहमत नहीं।

५—में (१) वार्त्तिक है। धातुओं में अनुबन्धकरण का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

---

१. सभी जगह वार्त्तिक-संख्या वार्त्तिक-निर्णय के आधार पर निर्धारित वार्त्तिक के, जो कि कात्यायन के हैं जिनको कि हमने "सम्पूर्ण भाष्यवार्त्तिकानुशीलन" में दिया है, अनुसार है।

६—में (१) वार्त्तिक है और (१) भाष्यवचन है। १—में शंका उठाई, भाष्यकार ने उसका समाधान दे दिया। समाधानान्तरों में सूत्र में परिवर्तन करने का सुझाव दिया, परन्तु यथान्यास पक्षाश्रयण कर शंका का समाधानान्तर सूत्र द्वारा ही दे दिया है।

७—में (१४) वार्त्तिक हैं एवं (१) भाष्य वचन है। १-५. में व्याख्यान के प्रसंग में धातु ग्रहण के सम्बन्ध में विचार किया गया है। वार्त्तिककार के मत में अनुपसर्ग कर्ममान कर "धातु" ग्रहण की अनावश्यकता दिखाई। परन्तु भाष्यकार ने सोपसर्ग कर्म मानकर "धातु" ग्रहण को सार्थक माना। ६-८. में कर्म ग्रहण के सम्बन्ध में विचार किया है। वार्त्तिककार ने कर्म ग्रहण को सार्थक माना है, परन्तु भाष्यकार ने ८ की संगति ऊपर कहे अपने मतानुसार "धातु" ग्रहण की मानी। इस प्रकार "कर्म" ग्रहण निरर्थक है। ९. में ग्रहण की निरर्थकता दिखाई। १०-११. में लघुन्यासकारों का सुझाव दिया है। १२. पूरक वार्त्तिक है। १३-१४. में १२ का समाधान दिया। १२ की कोई आवश्यकता नहीं। १२ के खण्डन के लिये वचन दिया। भाष्यकार ने सूत्र से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया, जैसे—'इष्' धातु कौन सी ली जाय? "ग्रामं गन्तुमिच्छति" यहां कौन किसका कर्म है? एवं सन्नन्त से सन् होता है या नही?

८—में (१) वार्त्तिक है, (१) वचन भाष्यकार का है। भाष्यकार ने सूत्र में पठित पदों पर विचार किया है। सूत्र से सम्बद्ध अन्य प्रश्नों पर भी विचार किया है।

कात्यायन ने सूत्र की अतिप्रसक्ति दिखाई और उसको रोकने के लिये वचन बनाने का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने अन्यों का मत भी दिया है। भाष्यकार कात्यायन से सहमत हैं।

९—में (१) वार्तिक है। इसमें प्रत्यय के चित्करण पर विचार कर उसकी अनावश्यकता दिखाई है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

१०—में (१) वार्त्तिक है। वह पूरक है। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

११—में (३) वार्त्तिक हैं। भाष्यकार ने (२) पाठभेद दिये हैं। १. सूत्र के व्याख्यान प्रसंग में पूरक वार्त्तिक बनाया २. में १ का शब्दसिद्ध्यर्थ अपवाद बनाया है। ३. में नवीन प्रत्यय विधान किया है। भाष्यकार भी सहमत हैं।

१२—में (६) वार्त्तिक हैं। १. में नवीन पद पढ़ने का सुझाव दिया है २-४. में "च्वि" प्रतिषेध किया है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं। **किंचिदक्रियमाणं चोद्यते, किञ्चिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते** कहकर यथान्यास पक्ष का ही आश्रयण लेते हैं और दोषों की अन्यथासिद्धि दिखाते हैं। सोपसर्ग प्रकृति में उपसर्ग प्रकृत्यर्थविशेषण है या प्रत्ययार्थ विशेषण ? ५-६. में दोनों पक्षों में दोष मात्र दिये हैं। भाष्यकार ने प्रत्ययार्थ पक्ष में दोषों का समाधान दे दिया है।

१३—में (२) वार्त्तिक हैं। भाष्यकार ने क, ष, ग्रहण पर विचार किया है।

१४—में (१) वार्त्तिक है। भाष्यकार ने (१) पाठभेद भी दिया है। भाष्यकार ने "कष्टाय" निपातन का प्रकार दिखाया है। १ में पूरक वचन बनाया है। भाष्यकार ने इसका पाठ भेद भी दिया, परन्तु वे १ से सहमत नहीं हैं।

१५—में (२) वार्त्तिक हैं। "रोमन्थ" का प्रकार बताया और परस्मैपद का विधान किया है। भाष्यकार १ से सहमत नहीं हैं। २ मान्य है।

१६—में (१) वार्त्तिक है। वह पूरक है। भाष्यकार इससे सहमत हैं।

१७—में (३) वार्त्तिक पूरक हैं।

१८—में कोई वार्त्तिक नहीं हैं। भाष्यकार ने "कर्तृवेदना" के सम्बन्ध में विचार किया है।

१९—में (३) वार्त्तिक हैं। १. में व्याख्यानांगभूत शंका उठाई और २. में समाधान दिया है। ३. में **नमसः पूजायां** आदि निर्देश का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने ज्ञापक द्वारा क्यजादि क्रियावाचि माने हैं। इस प्रकार अन्यथासिद्धि दिखाई है। "करण" की अनुवृत्ति लाकर भी समाधान दिया है।

२१—में (१) वार्त्तिक सूत्र-व्याख्यानार्थ दिया है। हलिकलि को अन्त्य निपातन मान कर हलकल सूत्र में माने। भाष्यकार भी इससे सहमत हैं।

२२—में (५) वार्त्तिक हैं, (१) सौनागों का वार्त्तिक है। श्लोक भी दिया है। (१) विप्रतिषेध वार्त्तिककार का है। भाष्यकार ने समभिहार क्या है ? इस पर विचार किया है। १-२. में धातु और "एकाज्झलादि" ग्रहण की

अनावश्यकता दिखाई है। २. पूरक है। भाष्यकार ने वचन देकर पूरकों की वृद्धि की और ३. के लिये श्लोक देकर समाधान किया, विप्रतिषेध भी दिखाया है। भाष्यकार ने इसका समाधान दिया है। ५–६. में नित्यग्रहण (३।१।१३–२४) की अनावश्यकता दिखाई है।

२५—में (१) वार्त्तिक है। (१) सौनागों का। १. में व्याख्यान की दृष्टि से सत्याप में निपातन का प्रकार दिखाया है। सौनागों ने इसका और भी विस्तार किया है।

२६—में (११) वार्त्तिक है। (४) वचन भाष्यकार के हैं। १. में व्याख्या-प्रसंग में प्रत्ययार्थ पक्ष की स्थापना की। भाष्यकार ने दोनों पक्ष पर विचार किया है, प्रत्ययार्थ पक्ष में दोषों का समाधान दिया है। प्रकृत्यर्थ पक्ष भी मान लिया, क्योंकि दोषपरिहार सरल है। २. में "हेतु" शब्द से निमित्त का बोध कराया है। ३–४ में "कृषति" "पचति" यहाँ णिच् क्यों नहीं होता? इसका प्रकार दिखाया है। ५–११. पूरक वार्त्तिक हैं। भाष्यकार इनसे सहमत नहीं है।

२७—में (४) वार्त्तिक हैं। भाष्यकार से सूत्र में 'पक्' में ककार क्यों किया? इस पर विचार किया और इसकी अनावश्यकता दिखाई है। १–४. में सूत्रों में 'वा' ग्रहण करने के विषय पर विचार किया तथा न करने पर दोष दिखाए हैं। भाष्यकार ने कण्ड्वादि को धातु एवं प्रत्यय दोनों मानकर अनावश्यकता दिखाई है।

३०—में (२) वार्त्तिक हैं। णिङ् में दो अनुबन्ध हैं, एक ण् दूसरा ङ्, एक से वृद्धि प्राप्त है दूसरे से प्रतिषेध। (१) में णित् के सावकाश होने से वृद्धि प्रतिषेध की प्राप्ति दिखाई। (२) १. का सहायक है, अतः वृद्धिप्रतिषेध प्राप्त है, यह शंका उठाकर छोड़ दी। भाष्यकार ने अन्य विचार कर (१) का समाधान दिया है।

३१—में (२) वार्त्तिक हैं। (२) भाष्यकार के वचन हैं। यहाँ व्याख्या-प्रसंग में दो पक्ष उठ सकते हैं, प्रथम—उत्पत्ति और द्वितीय—निवृत्ति। १. में दोनों पक्षों में दोष दिया है। २. में सूत्र में परिवर्तन करके समाधान दिया है। विप्रतिषेध का प्राप्ति दोष दिया है। भाष्यकार ने इसका समाधान दिया है। पर इस समाधान से आयादियों के द्वारा स्यादियों का बाधन प्राप्त होने लगेगा। अतः सूत्र में परिवर्धन करके समाधान दिया है। भाष्यकार को यह

सम्मत नहीं, अतः परिवर्धन की भी अन्यथासिद्धि दिखाई है। पर सप्तमी न मानकर विषयसप्तमी मानी है। १. में कहे दोष का समाधान दिया है।

३२—में (१) वार्त्तिक है। 'अन्त' ग्रहण का प्रयोजन दिया है। भाष्यकार भी इससे सहमत है। यहाँ भाष्यकार ने इस पूरे सूत्र के सम्बन्ध में विचार कर इसकी अनावश्यकता दिखाई है।

३३—में कोई वार्त्तिक नहीं है। भाष्यकार ने ही प्रश्न उठाया कि विकरणों में कौन अपवाद है और कौन उत्सर्ग ? इस सम्बन्ध में आये गुण-दोषों पर दृष्टिपात कर दोषो का समाधान दिया है।

३४—में (७) वार्त्तिक हैं। १. में सिव् को उत्सर्ग, और छन्द में विधान किया है, २. में सनादियों को धात्वधिकार में पढ़ने का सुझाव दिया है। ३. में समाधान दिया है। (४) ३. का सहायक है। ५–६. में 'य्' ग्रहण की अनावश्यकता दिखाई है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं। उन्होंने पकार का प्रयोजन उदात्तनिवृत्तिस्वर न हो, यह दिया है। ७. में णित् बहुल करके किया है।

३५—(१) वार्त्तिक है और (१) भाष्यकार का पूरक वार्त्तिक है। (१) पूरक वार्त्तिक है। भाष्यकार ने इसकी अन्यथासिद्धि करने का प्रयास किया, परन्तु उसमें दोष आये, तब 'कास्यनेकाच' इस प्रकार का सूत्र में परिवर्धन करने का सुझाव दिया है। प्रयोजन भी दिया है।

३६—में (५) वार्त्तिक हैं। १. में "इयेष" आदि में आम् की अतिप्रसक्ति दिखाई। २. में उसका अन्यथासिद्ध्यभाव दिखाया है। साथ ही 'गुरुमद्' वचन का प्रयोजन है। ३. मे समाधान दिया, दूसरे के कारण दोष प्राप्त है इसका समाधान ४. में दिया। ज्ञापक द्वारा भाष्यकार ने उसका खण्डन कर १ का भी सन्निपात परिभाषा का आश्रयण कर समाधान निया है। ५. में पूरक वार्त्तिक है। भाष्यकार ने श्लोक दिया और समाधान भी दिया है।

३८—में (१) कात्यायन का वार्त्तिक है और (१) भारद्वाजीयों का भी वार्त्तिक दिया है। १—में विदांचकार यहां गुण न हो इसका उपाय बताया है। भाष्यकार ने अन्यथासिद्धि दिखाई है। भारद्वाजीयों का भी वचन दिया है। उसमें गुण को रोकने के लिये दो उपाय दिये हैं। एक तो कात्यायन के समान है, दूसरा निपातन है।

३९—में कोई वार्त्तिक नहीं है। भाष्यकार ने सूत्र में श्लुवदतिदेश का प्रयोजन दिखाया है।

४०—में (६) वार्त्तिक एवं (३) भाष्यवचन हैं। १-६ तक सूत्र-निर्माण (कृञ् के अनुप्रयोग विधान) के प्रयोजन दिये हैं। भाष्यकार ने तीन वचन १. के खण्डनार्थ दिये हैं। यही कारण है कि (२) के "वा" का तर्हि के अर्थ में व्याख्यान किया है। भाष्यकार ने (२) प्रयोजन का भी खण्डन कर किया है। इस प्रकार भाष्यकार के मत से दो प्रयोजन हैं (५-६), परन्तु कात्यायन सभी को मानते हैं।

इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के आरम्भ के ३ आह्निकों, (अर्थात् ३४ सूत्रों) का संक्षेप प्रस्तुत किया है। यहाँ (१४०) वचन उपलब्ध हैं। उनमें (१०९) कात्यायन के हैं (२२) भाष्यकार के हैं (२) भारद्वाजीयों के, (३) सौनागों के एवं (४) विप्रतिषेधवार्त्तिककार के है। (३) पाठ-भेद भी हैं। उनको मिलाकर संख्या (१४३) है। इन सभी वचनों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई किसी का खण्डन नहीं कर रहा है। व्याख्यान ही मुख्य ध्येय है, साथ ही संक्षेपीकरण भी। कात्यायन के (१०९) वार्त्तिकों में (५७) तो पाणिनि-सूत्र के व्याख्यानार्थ हैं। व्याख्यान में प्रयोजन, शंका, समाधान एवं व्याख्याविशेष भी सम्मिलित हैं। (१४) पाणिनि-सूत्र के संक्षेपीकरणार्थ हैं। (२७) पूरक वार्त्तिक हैं। (६) पूरक वार्त्तिक अन्यथासिद्ध्यर्थ हैं। (५) वे हैं, जिनमें शंका उठाकर समाधान विना दिये ही छोड़ देना है।

पतंजलि ने संक्षेपीकरण की दिशा में कात्यायन द्वारा मान्य पूरकों में से १५ की अनावश्यकता दिखाई है। कात्यायन द्वारा त्यक्त सभी शंकाओं का समाधान दिया है। साथ ही अपने (२२) वचनों में कुछ से कात्यायन द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण सूत्र प्रयोजनों का, या कुछ प्रयोजनों की अयथार्थता दिखाई है। कुछ से शंका समाधान एवं विप्रतिषेधवार्त्तिककार के वचनों की अनावश्यकता दिखाई है। (३) पूरक वार्त्तिकों का नवीन रूप से सुझाव दिया है। उनमें (२) की अन्यथासिद्धि दिखाई है। (१) पूरक मान्य माना है। कात्यायन द्वारा कृत संक्षेपों में (२) को अयुक्त माना है। एक जगह **किंचिदक्रियमाणं चोद्यते किञ्चिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते** कहकर पाणिनि-सूत्र को अधिक ठीक माना है, पूरक का खण्डन भी किया है और ऐसे संक्षेप को मान्यता नहीं दी है। (२) भारद्वाजीय वार्त्तिकों का भी व्याख्याप्रसंग में समाश्रयण किया है। उनमें (१) कात्यायन के समान है। दूसरे में पूरक का समाधान दिया है।

भाष्यकार केवल वार्त्तिकों का व्याख्याता नहीं, अपितु वह प्रथम पाणिनि-सूत्रों का व्याख्याता है; साथ ही उस सूत्र से सम्बन्धित कात्यायन के व्याख्यान (वार्त्तिकों) का भी व्याख्यान करता है। इन्हीं (३४) सूत्रों में (३) सूत्रों पर वार्त्तिक नहीं हैं वहां पर भी विचार किया है। (५) सूत्रों के सूत्रांशों पर प्रयोजन आदि दिया है, जिनका वार्त्तिक से कोई सम्पर्क नहीं। (५) सूत्रों में संभावित नवीन प्रश्नों पर विचार किया है जिनका वार्त्तिकों में कोई उल्लेख नहीं है और न उनके साथ दूर का भी कोई सम्बन्ध है।

भाष्य में १७०० सूत्रों का व्याख्यान है जिनमें लगभग १२६० सूत्रों पर वार्त्तिक उपलब्ध होते हैं और लगभग ४४० सूत्रों पर केवल भाष्य ही है, वार्त्तिक नहीं है। सूत्रों की इतनी बड़ी संख्या विना वार्त्तिक की है, जिन पर भाष्य है। यह भी हमारे उपर्युक्त कथन में सहायक है।

इस प्रकार संक्षेप में तीनों भाषाशास्त्रियों के दृष्टिकोणों को इस प्रकार रखा जा सकता है—

पाणिनि—१—बृहद् व्याकरणों के नियमों का संक्षेपीकरण कर अष्टाध्यायी का रूप दिया है।

२—विशेष कर माहेश्वर संप्रदाय के व्याकरणों का आश्रयण किया है।

३—कुछ नियमों को छोड़ दिया है।

४—भाषा के आधार पर कुछ नवीन नियम बनाये हैं।

५—प्राचीन आचार्यों के मतों का उद्धरण भी दिया है।

कात्यायन—१—पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान (भाष्य की व्याख्यान-परिभाषा के अनुसार) किया है।

२—संक्षेपीकरण किया है।

३—ऐन्द्र सम्प्रदाय के व्याकरणों के कुछ नियमों को, जो स्थान न पा सके थे, पूरक वार्त्तिकों के रूप में दिया है और तात्कालिक भाषा के आधार पर नवीन नियमों को भी बनाया है।

४—पाणिनि-सूत्रों पर शंकायें, जिनका समाधान नहीं बना, व्याख्या-प्रसंग में उपस्थित की हैं।

५—प्राचीन आचार्यों के मतों का भी उल्लेख किया है।

६—शंका समाधान में, परिवर्तनों और परिवर्धनों में विशेषकर ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों का प्रभाव रहा है।

७—कात्यायन ने ऐन्द्र और माहेश्वर दोनों सम्प्रदायों के समन्वय में बहुत बड़ा कार्य किया है।

पतंजलि—१—पाणिनि-सूत्रों और कात्यायन के वार्त्तिकों का व्याख्यान किया है।

२—संक्षेपीकरण की दिशा में यथासम्भव कात्यायन के पूरक नियमों की अन्यथासिद्धि दिखाई है।

३—असमाहित शंकाओं का समाधान दिया है।

४—पाणिनि-सूत्रों या सूत्रांशों का संक्षेपीकरण किया है।

५—भाषा के आधार पर कुछ प्राचीन नियमों की अनावश्यकता सिद्ध की एवं नवीन नियमों का निर्माण किया है।

६—कात्यायन के द्वारा पाणिनि के संक्षेपीकृत सूत्रों का भी, आवश्यकता को ध्यान में रखकर, समर्थन किया है। पर ऐसा बहुत कम स्थानों पर है।

७—कात्यायन के व्याख्या-प्रसंग में किये गये संशय-निर्णय की अन्य समाधानों द्वारा भी पुष्टि की है।

८—अयुक्त समाधान की अयथार्थता भी दिखाई है।

९—व्याख्या-प्रसंग में पाणिनि-सूत्रों पर संशय तथा उनका समाधान दिया है।

१०—भाषा के आधार पर पाणिनि-सूत्रों एवं वार्त्तिकों में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का सुझाव दिया है।

११—व्याख्या-प्रसङ्ग से अन्य आचार्यों के वचनों को भी उद्धृत किया है।

उपसंहार

इस प्रकार उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का विरोधी। सभी का एक मात्र दृष्टिकोण शब्दसिद्धि है, वह भी यथासम्भव सारल्य से। इसी दृष्टिकोण को लेकर तीनों आचार्यों ने कार्य किया है। कात्यायन का एक अन्य उद्देश्य भी था, ऐन्द्र-सम्प्रदाय एवं माहेश्वर-सम्प्रदाय का समन्वय इसमें वह बहुत सीमा तक सफल भी हुआ है।

भाष्यकार ने उन सभी नियमों का तात्कालिक भाषा के आधार पर, परीक्षण किया। अनावश्यकों को छोड़ दिया और आवश्यकों की पूर्ति कर दी।

चतुर्थ अध्याय

वार्त्तिक निर्णय प्रकार

कात्यायनीय वार्त्तिकों के भाष्यवचनों से पृथक्करण के आधार

डा० कीलहार्न ने उन सभी वार्त्तिकों को, जिनको कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रन्थ में उद्धृत किया है[1], कात्यायन का माना है। परन्तु हमारे विचार में उनका यह विचार भाष्य के गंभीर विवेचन करने पर पूर्ण सत्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भाष्य में उपलब्ध वार्त्तिकों में बहुत से भाष्यकार के एवं कुछ अन्य आचार्यों के भी वचन हैं। हम यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार के वचन कात्यायन के हैं और भाष्य-वचनों के परिज्ञानार्थ क्या उपाय हैं ? भाष्य-संस्करणों में कीलहार्न-संस्करण को ही आदर्श मानकर यहाँ विवेचन किया गया है।

१—कश्चात्र विशेषः, किं चातः

भाष्य में दो प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं। जहाँ कोई शंका पाणिनि-सूत्रों पर करनी होती है, वहाँ शंका करके कहीं पर **किं चातः** और कहीं **कश्चात्र विशेषः** ये दो वाक्य मिलते हैं। भाष्यकार ने इन दो वाक्यों को देकर एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, सम्भवतः इसकी तरफ अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया था। भाष्यकार ने इन दो शैलियों के आधार पर भाष्य-वचन एवं वार्त्तिकों के पहिचानने के लिए उपयुक्त प्रमाण उपस्थित कर दिये हैं। अर्थात् यदि शंका की स्थापना के अनन्तर **किं चातः** वाक्य का प्रयोग हो तो उसके बाद का विचार स्वयं भाष्यकार का होगा और शंका की स्थापना के अनन्तर **कश्चात्र विशेषः** वाक्य आये तो उसके अव्यवहितोत्तर वार्त्तिक अवश्यमेव होना चाहिये। उदाहरणार्थ—

---

1. See, Dr. F. Kielhorn's "Katyayana and Patanjali" P. 26.

१—कृन्मेजन्तः ॥१।१।३९॥

कथमिदं विज्ञायते। कृद्यो मान्त इति आहोस्वित्कृदन्तं यन्मान्तमिति। किं चातः। यदि विज्ञायते कृद्यो मान्त इति कारयांचकार हारयांचकार इत्यत्र न प्राप्नोति। अथ विज्ञायते कृदन्तं यन्मान्तमिति प्रतामौ प्रतामः अत्रापि प्राप्नोति[1]।

२—ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम् ॥१।१।११॥

कथं पुनरिदं विज्ञायते। ईदादयो यद्द्विवचनमिति आहोस्विदीदादयन्तं यद्द्विवचनमिति। कश्चात्र विशेषः। ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्या इति चेदन्त्यस्य विधिः[2] (वार्तिक)।

३—स्तेनाद्यन्नलोपश्च ॥५।१।१२५॥

किमिदं नलोपे वर्णग्रहणमाहोस्वित् संघातग्रहणम्। किं चातः। यदि वर्णग्रहणम् स्तेयम् नलोपे कृते यादेशः प्राप्नोति। अथ संघातग्रहणमन्त्यलोपः कस्मान्न भवति[3]।

४—यस्य हलः ॥ ६।४।४९॥

किमिदं यलोपे वर्णग्रहणमाहोस्वित्संघातग्रहणम्। कश्चात्र विशेषः। यलोपे वर्णग्रहणं चेद्धात्वन्तस्य प्रतिषेधः (वार्तिक[4])।

इन उपरिलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है कि कृन्मेजन्तः १।१।३९ और ईदूदेद्० १।१।११, स्तेनाद्यन्नलोपश्च ५।१।१२५॥ और यस्य हलः ६।४।४९ दोनों की शंकाओं में साम्य है। यही नहीं, शंका के लिये प्रयुक्त अक्षरों तक का साम्य है, फिर भी उस शंका को लेकर एक स्थान (कृन्मेजन्तः) पर भाष्यकार का ही अपना विचार मिलता है, जब कि दूसरे (ईदूदेद्०) में उस विचार-प्रसंग में वार्त्तिक उपलब्ध होता है। अक्षरों की पूर्ण समानता होने पर भी ५।१।१२५ में भाष्यकार ही शंका पर विचार कर उसका समाधान देते हैं, जबकि ६।४।४९ में वार्त्तिककार शंका के सम्बन्ध में विचार करते हैं। स्पष्ट है कि यहां भाष्यकार ने अपने एवं कात्यायन के वार्त्तिकों में भेदबोधनार्थ किं चातः और कश्चात्र विशेषः वाक्यों का प्रयोग किया है।

---

१. भाष्य–भा० १, पृ० ९६, पं० १९-२१।
२. भाष्य–भाग १, पृ० ६७, पं० ३-५।
३. भाष्य–भा० २, पृ० ३७१, पं० ४-६।
४. भाष्य–भा० ३, पृ० २०१, पं० ६-८।

या यूं कहें कि भाष्यकार की शैली है कि वहां **कश्चात्र विशेषः** वाक्य का प्रयोग करेंगे उसके अव्यवहितोत्तर वार्त्तिक अवश्य ही देंगें अथवा उसके बाद वार्तिक अवश्य होना चाहिये। इसमें प्रमाण यह भी है कि भाष्यकार ने १।४।६२ पर लिखा है—**इदं विचारयिष्यति ते प्राग्धातुवचनं प्रयोगनियमार्थं वा स्यात् संज्ञानियमार्थं वेति**[1]। इस सन्दर्भ में **विचारयिष्यति** पद किसी अन्य की तरफ संकेत कर रहा है। इस प्रकार का विचार १।४।८० पर किया है वहां लिखा है कि **किमिदं प्राग्धातुवचनं प्रयोगनियमार्थम्। एते प्रागेव धातोः प्रयोक्तव्याः। आहोस्वित् संज्ञानियमार्थम्।** .... **कश्चात्र विशेषः** कहकर पुनः वार्तिक दिया है[2]। इससे भी स्पष्ट होता है कि भाष्यकार कात्यायन के विचारणीय स्थलों में **कश्चात्र विशेषः** वाक्य का प्रयोग करते हैं। **कश्चात्र विशेषः** वाक्य भाष्य में लगभग ७० स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां तक हमारा ज्ञान है, कोई भी ऐसा स्थल भाष्य में नहीं है जहां **कश्चात्र विशेषः** कहकर वार्त्तिक न दिया गया हो।

किं चातः वाक्य का प्रयोग करने के बाद भाष्यकार विचारणीय विषय में अपना समाधान देते हैं। अर्थात् यदि **किं चातः** कहकर उस विचारप्रसंग में कोई वचन मध्य में आ जाता है तो वह भाष्यकार का ही होगा। यह वाक्य भाष्य में लगभग ८५ स्थानों पर उपलब्ध होता है। इस नियम के आधार पर, लगभग ६ स्थल ऐसे उपलब्ध होते हैं जहां **किं चातः** कहकर आगे का विचार "वार्त्तिक" (वचन) रूप में मिलता है वस्तुतः ऐसे वाक्य कात्यायन के न मानकर भाष्यकार के ही मानने चाहियें। यद्यपि इन सभी स्थलों पर अन्य युक्तियां भी इनको भाष्यकारीय सिद्ध करने के लिये मिल जाती हैं, तथापि यह नियम इन्हें भाष्यवचन सिद्ध करने में सहायक होगा। उदाहरणार्थ कुछ स्थल निम्न हैं—

(क) **विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु ॥३।४।२४॥**

किमियं प्राप्ते विभाषा आहोस्विदप्राप्ते। कथं च प्राप्ते कथं वाऽप्राप्ते। आभीक्ष्ण्य इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र वाऽप्राप्ते। किं चातः यदि प्राप्ते आभीक्ष्ण्येऽनिष्टा विभाषा प्राप्नोत्यन्यत्र चेष्टा न सिध्यति। अथाऽप्राप्ते—

---

१. भाष्य–भा० १, पृ० ३४४, पं० १-२ (अनुकरणं चानितिपरम् १।४।६२)

२, भाष्य–भा० १, पृ० ३४५, पं० ९-१३ (ते प्राग्धातोः १।४।८०)

अग्रादिष्वसमासविधेः प्रतिषेधः[1]।

कीलहार्न ने इसको कात्यायनीय वार्त्तिक माना है; परन्तु उपर्युक्त नियम के आधार पर इसे वार्त्तिक नहीं मानना चाहिये, क्योंकि यहाँ **किं चातः** वाक्य पठित है। यदि इसे कात्यायन का माने तो जिस प्रकार अप्राप्त पक्ष में वचन दिया है उसी प्रकार प्राप्त पक्ष में भी वार्त्तिककार का कोई वचन होना चाहिये; परन्तु है नहीं, केवल भाष्यकार का अपना ही व्याख्यान है। अतः जिस प्रकार प्राप्त पक्ष में भाष्यकार ने दोष दिया है, उसी प्रकार अप्राप्त पक्ष में भी भाष्यकार का स्वयं का ही विचार होना चाहिये।

(ख) तृज्वत् क्रोष्टुः ॥७।१।९५॥ स्त्रियां च ॥७।१।९६॥

यहाँ पर भी **किं चातः** कहकर श्लोकवार्त्तिक दिया है[2]। वह भी कात्यायन का नहीं है। वह भाष्यकार का स्वयं का वचन हो सकता है या किसी अन्य आचार्य का उद्धरण हो सकता है।

(ग) प्रकृत्यैकाज् ॥६।४।१६३॥[3]

इस सूत्र में—**प्रकृत्यैकाजिति किमिष्ठेमेयस्वाहोस्विदविशेषेण। किं चातः** कहकर अविशेष पक्ष में दोष एवं समाधान भाष्यकार ने अपने शब्दों में दिया है। यहाँ की० सं० में दो वचन उपलब्ध होते हैं—१—**प्रकृत्यैकाजिष्ठेमेयस्सु चेदेकाच उच्चारणसामर्थ्यादवचनात् प्रकृतिभावः। २—विन्मतोस्तु लुगर्थम्।** (नि० सा० सं० में यह नहीं है)। हमारे विचार में उपर्युक्त नियम के अनुसार ये वचन कात्यायन के नहीं होने चाहियें। ये स्वयं भाष्यकार के हैं, क्योंकि शंका के बाद **किं चातः** वाक्य पठित है। साथ ही हमारे इस कथन में एक अन्य प्रमाण भी है कि यदि इन वचनों को कात्यायन का मान भी लें तो, कात्यायन की ऐसी शैली है कि शंका में दोनों की स्थापना अवश्य करते हैं, चाहे वह शंका दुष्ट हो या निर्दुष्ट। यहाँ अविशेष पक्ष में दोष और समाधान तो भाष्यकार के शब्दों में मिलता है और **इष्ठेमेयस्सु** पक्ष में १, २, वचन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट ही ये वचन कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः इनका निर्माता भाष्यकार हो।

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० १७३, पं० १७–२१।

२. भाष्य—भाग ३, पृ० २७३।

३. भाष्य—भाग ३, पृ० २३१–२३२।

इस प्रकार कुछ अन्य स्थल भी हैं जिन्हें भाष्यवचन ही मानना चाहिए।

२—अत उत्तरं पठति

भाष्य में यह वाक्य लगभग ७४ स्थानों पर उपलब्ध होता है। इस वाक्य-प्रयोग की भी भाष्यकार की एक शैली है। जहाँ भाष्यकार किसी सूत्र या सूत्रांश के सम्बन्ध में सन्देह उठाते हैं, और जब उसका समाधान या उसकी निरर्थकता सिद्ध कर चुकते हैं, उसके बाद **अत उत्तरं पठति** वाक्य प्रयुक्त कर के उसके अव्यवहितोत्तर वार्त्तिक अवश्य देते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि **अत उत्तरं पठति** वाक्य के पूर्व उस प्रसंग के मध्य में कोई वार्त्तिक नहीं होता है, केवल भाष्यकार का अपना विचार ही होता है। उदाहरणार्थ—

(क) कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥

किमर्थं पुनरिदमुच्यते। अनुप्रयोगो यथा स्यात्। नैतदस्ति प्रयोजनम्। आमन्तमव्यक्तपदार्थकं तेनापरिसमाप्तोऽर्थ इति कृत्वा अनुप्रयोगो भविष्यति। अत उत्तरं पठति—कृञोऽनुप्रयोगवचनमस्तिभूप्रतिषेधार्थम्[1] (वार्त्तिक)।

(ख) वदव्रजहलन्तस्याचः ॥७।२।३॥

हल्ग्रहणं किमर्थम्। समुच्चयो यथा स्यात्। वदिव्रज्योश्च हलन्तस्याच इति। नैतदस्ति प्रयोजनम्। अज्ग्रहणादेवात्र समुच्चयो भविष्यति। ..... अत उत्तरं पठति हल्ग्रहणमिति प्रतिषेधार्थम्[2]।

भाष्य में ४ स्थल इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं जहाँ **अत उत्तरं पठति** इससे पूर्व वचन मिलते हैं। वहाँ पर वे वचन भाष्यकार के ही मानने चाहिये। उदाहरणार्थ—

(क) इकोऽचि विभक्तौ (७।१।७३) में भाष्यकार ने **अज्ग्रहणं किमर्थम्। इकोऽचि व्यंजने मा भूत्**० इत्यादि कारिका दी है। उसी पर विचार करके पुनः **अत उत्तरं पठति** वाक्य दिया है। उसके बाद—

इकोऽचि विभक्तावज्ग्रहणं नुम्नुटोर्विप्रतिषेधार्थम्[3]।

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० ४७, पं० ३–६।

२. भाष्य—भाग ३, पृ० २७९, पं० ५–१५।

३. भाष्य—भाग ३, पृ० २६५।

यह प्रयोजनवार्त्तिक दिया है। इससे पूर्वपठित कारिका उक्त नियमानुसार सम्भवतः भाष्यकार की ही है, कात्यायन की नहीं।

(ख) **निन्दहिंसक्लिश०** (३।२।१५६)[1] **किमर्थं निन्दादिभ्यो वुञ् विधीयते, न ण्वुलैव सिद्धम्** इत्यादि कहकर **वुञामनेकाचः** यह वचन दिया है और पुनः कुछ विचार कर **अत उत्तरं पठति** दिया है। उसके अव्यवहितोत्तर—**निन्दादिभ्यो वुञ्वचनमन्येभ्यो ण्वुलः प्रतिषेधार्थम्** इत्यादि वार्त्तिक दिये हैं। इस स्थान पर भी **वुञामनेकाचः** यह वचन भाष्यकार का ही प्रतीत होता है, कात्यायन का नहीं।

इसी प्रकार ३।३।३।। और ३।२।८४ में भी जानना चाहिये।

अभी हम कह चुके हैं कि **अत उत्तरं पठति** इसके अव्यवहितोत्तर, कात्यायनीय वार्त्तिक आता है। कीलहार्न ने अपने भाष्य-संस्करण में जहाँ सब स्थानों पर इस नियम का पालन किया है वहाँ **सुट्कात्पूर्वः**(६।१।१३५)[2] पर भूल कर दी है। **अत उत्तरं पठति** इस वाक्य के अनन्तर कोई वार्त्तिक नहीं माना है, साधारण भाष्य के रूप में ही पढ़ा है। नि० सा० सं० में भी इसे वार्त्तिक रूप में नहीं पढ़ा है उसके संपादक ने एक टिप्पणी भी दी है[3]। यह वस्तुतः की० सं० का अन्धानुकरणमात्र है। जबकि भाष्यकार की स्पष्ट शैली है कि **अत उत्तरं पठति** कहकर वार्त्तिक अवश्य ही देते हैं, उस अवस्था में यहाँ अपवाद क्यों ? यदि यहाँ वार्त्तिक नहीं है तो **अत उत्तरं पठति** इसका सम्बन्ध किससे है ?

सुट् कात्पूर्वः (६।१।१३५) पर **अत उत्तरं पठति** इसके अव्यवहितोत्तर वार्त्तिक अवश्य होना चाहिये—अपने इस कथन की पुष्टि के लिये हम सूत्रस्थ वार्त्तिकों को संगति-प्रदर्शनार्थ प्रस्तुत करते हैं।

सुट्कात्पूर्वः ।।६।१।१३५।।

१—सुटि कात्पूर्वग्रहणमकारादौ कात्पूर्वार्थम्।

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० १३६ पं० ५—१५।

२. भाष्य भाग ३, पृ० ९२।

३. नि० सा० सं०—भाग ५, पृ० १३२—सुटिकादिति। एतद्वार्त्तिकमिति कैश्चिद्व्याख्यातम्। नैतद्वार्त्तिकमिति भाष्यवार्त्तिकशैलीतो ज्ञायते, यद्यैतद् वार्त्तिकं स्यात्तदोत्तरवार्त्तिके पुनरस्यांशस्यानुवादो विफलः स्यात्, अतो नैतद् वार्त्तिकमिति प्रतीयते।

२—सुटि कात्पूर्ववचनमकारादौ कात्पूर्वार्थमिति चेदन्तरेणापि तत्सिद्धम्।

३—द्विर्वचनात् सुट् विप्रतिषेधेनेति चेत् द्विर्भूते शब्दान्तरभावात् पुनः प्रसंगः।

४—द्विर्भूते शब्दान्तरभावात् पुनः प्रसंग इति चेद् द्विर्वचनम्।

५—तथा चानवस्था।

६—अड्व्यवाय उपसंख्यानम्।

७—अभ्यासव्यवाये च।

८—अविप्रतिषेधो वा बहिरंगलक्षणत्वात् सुटः।

यहाँ प्रश्न यह है कि सूत्र में "कात्पूर्व" ग्रहण क्यों किया ? १–५ तक इसी प्रश्न पर विचार किया गया है।

(१) में कात्पूर्व का प्रयोजन दिया है। (२) में १. में कहे प्रयोजन का खण्डन किया है। (३) में २. से स्वीकृत खण्डन-प्रकार में दोष दिया है। (४) में २. के समर्थन के लिये ३. में दोष दिया है। (५) में ४. के कारण अनवस्था दोष दिखाया है। इस प्रकार १. में कहे प्रयोजन का समर्थन किया है। भाष्यकार ने अनवस्था दोष का समाधान दिया है। (६-७) पूरक वार्त्तिक हैं। जब देशविशेष के बोधनार्थ कात्पूर्व ग्रहण माना है उस समय अन्तरंग से अट् और अभ्यास के हो जाने से सुट् की प्राप्ति ही नहीं होगी एतदर्थ ये पूरक हैं। इस अवस्था में **अडभ्यासव्यवायेऽपि** यह सूत्र नहीं है। (८) में, २. में १. के खण्डन के लिये जो युक्ति दी थी उसी का आश्रयण लेकर ६-७. पूरकों का भी खण्डन किया है। अतएव २. में कहे विप्रतिषेध का असंभवत्व दिखाया है। इस प्रकार २. का खण्डन कर १. का समर्थन और ६-७. का भी समर्थन किया है।

यहाँ के वार्त्तिकों के आधार पर यह भी निश्चय होता है कि कात्यायन के मत में स्थानेद्विर्वचन पक्ष ही मान्य है। उस अवस्था में १. वार्त्तिक की आवश्यकता है। कात्यायन के १. प्रयोजन वार्त्तिक के सम्बन्ध में कैयट ने लिखा है—

सुटि कात्पूर्ववचनमिति। अडभ्यासयोरन्तरंगत्वं मन्यते। अतो द्विर्वचनात्सुडिति अन्तरंगबहिरंगभावमनपेक्ष्य विप्रतिषेध उच्यते[1]।

---

१. कैयट, नि० सा० सं०—भाग ५, पृ० १३३

अर्थात् अडभ्यास को अन्तरंग मान कर १. प्रयोजन दिया है और २. खण्डन अन्तरंग-बहिरंग-भाव को न मानकर किया है। इसी अडभ्यास के अन्तरंगत्व को स्पष्ट करने के लिये ८. वां वार्त्तिक बनाया है। "सुट्" बहिरंग है। "द्विर्वचन" अन्तरंग है, क्योंकि अट् लावस्था में ही होता है, जैसा कि बहुत स्थानों पर वार्त्तिककार ने सिद्ध किया है[1]।

भाष्यकार ने कात्पूर्व ग्रहण का यही प्रयोजन मानकर ६, ७. का खण्डन किया है, परन्तु **क्रियमाणे चापि कात्पूर्वग्रहणेऽत्र न सिध्यति** इसके द्वारा कात्पूर्वग्रहण करने पर भी दोष दिखाया है। दोष की स्थापना के सम्बन्ध में—**"पाक्षिक एष दोषः सुड्विधौ द्वैतं भवति। अविशेषेण वा विहितस्य सुटः कात्पूर्वग्रहणं देशप्रक्लृप्त्यर्थं वा स्यात् विशेषेण वा विधिः। द्विर्वचनविधौ द्वैतं भवति। स्थानेद्विर्वचनं स्यात् द्विः-प्रयोगो वा द्विर्वचनम्। तद्यदा द्विःप्रयोगो द्विर्वचनं अविशेषेण विहितस्य च सुटः कात्पूर्वग्रहणं देशप्रक्लृप्त्यर्थं तदैष दोषः। यदा हि स्थाने द्विर्वचनम् तदा यद्यविशेषेण विहितस्य सुटः कात्पूर्वग्रहणं देशप्रक्लृप्त्यर्थ-मथापि विशेषविधिर्न तदा दोषः[2]।**

इससे स्पष्ट है कि "क्रियमाणे" वाला दोष "द्विःप्रयोग" पक्ष में संभव है। "स्थानेद्विर्वचन" पक्ष में "कात्पूर्व" का प्रयोजन १. ही ठीक है। नागेश के शब्दों में—**एवं स्थाने द्विर्वचने कात्पूर्वग्रहणसार्थक्यमुक्तम्। तेन हि द्विःप्रयोगे तद्व्यर्थमेवेति सूचितम्**[3]। भाष्यकार सुट् को अन्तरंग और द्विःप्रयोग द्विर्वचन पक्ष मानते हैं। यह यहां के भाष्य से स्पष्ट है। ऐसी अवस्था में १. वार्त्तिक अत्यन्त आवश्यक है। कात्यायन ने **पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण** इस पक्ष को मानकर ही 'कात्पूर्व' ग्रहण का प्रयोजन दिया है। परन्तु भाष्यकार ने **पूर्वं धातु-रुपसर्गेण युज्यते** इस पक्ष को मानकर और **द्विःप्रयोग द्विर्वचन** मानकर "कात्पूर्व" ग्रहण की अनावश्यकता दिखाई है। अतः कात्यायन के मत के प्रदर्शन के लिये १. वार्त्तिक आवश्यक है। संभवतः कीलहार्न ने कात्यायन का भी द्विःप्रयोग पक्ष मान लिया हो और उसी के आधार पर १ को वार्त्तिक न माना हो। जो कुछ भी हो, यहाँ वार्त्तिक आवश्यक है।

---

१. भाष्य–भाग ३, पृ० १८८, ६।४। २२ सू० तथा ६।४।७४ सू०, पृ० १०८।

२. भाष्य–भाग ३, पृ० ९३, पं० ५-९।

३. नागेश, भाष्यप्रदीपोद्योत-नि० सा सं० पृ० १३७।

नि०सा० सं० की टिप्पणी कोई महत्त्व नही रखती। स्वयं इसी सूत्र में ३. वार्त्तिक तथा उसकी पुनरुक्तिस्वरूप ४. को भी वार्त्तिक माना है। वैसे उनके कथन के आधार पर ३. वार्त्तिक नहीं मानना चाहिये।

३—सम्पुटीकरण

वार्त्तिकों के परिज्ञान के लिए व्याख्याप्रसंग में भाष्यकार द्वारा कृत "सम्पुटीकरण" भी बहुत सहायक है। सम्पुटीकरण का तात्पर्य है—प्रतीक देकर उसकी व्याख्या करना। नागेश ने ४।१।७८ में कहा है—**एते श्लोकाः भाष्यकृत एव न वार्त्तिककृतः सम्पुटीकरणाभावात्**। यदि यह सम्पुटीकरण, प्रतीक देकर व्याख्या करने, की बात परम्परा से सत्य हो तो यह भी वार्त्तिकों के परिज्ञान में बहुत सहायक हो सकती है। परन्तु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि "सम्पुटीकरण" वार्त्तिकमात्र के परिज्ञान के लिये अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार सामान्यतः कात्यायन के वार्त्तिकों को भी इसके द्वारा पहिचाना जा सकता है।

४--प्रसंग

कात्यायन-वार्त्तिकों और भाष्यवचनों के परिज्ञानार्थ एक मुख्य साधन, प्रसंग है। प्रत्येक लेखक अपने प्रतिपाद्य विषय में एकसूत्रता का विशेष ध्यान रखता है। यदि मध्य में किसी वाक्यसमूह के द्वारा एकसूत्रता का भंग होता है, तो वह वाक्य या वाक्य-समूह उस लेखक की कृति नहीं है। सामान्यतः कात्यायन के जितने वार्त्तिक है उनमें प्रत्येक प्रकरण में तो एकसूत्रता बनी ही रहनी चाहिये। यदि कोई वचन उस एकसूत्रता को भंग करने का प्रयास कर रहा हो तो वह निश्चित ही अन्य का है। यदि उसका सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से लगे, कात्यायन के वार्त्तिकों से नहीं, तो उस अवस्था में क्या हम उन वचनों को भी कात्यायन का कहने का साहस करेंगे ? व्याख्या-प्रसंग में **स्वपदानि च वर्ण्यन्ते०** वाली भाष्य-परिभाषा के अनुसार, निश्चित ही वे वचन भाष्यकार के स्वयं के बनाये हुए होने चाहियें। इसी के अनुसार भाष्य में कुछ वचन, जिनका सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से लगता है, कात्यायन के वचनों से नहीं, पृथक् हो जाते हैं। साथ ही वे भी पृथक् हो जाते हैं जिनका न कात्यायन के वार्त्तिकों से सम्बन्ध है और न भाष्यकार के व्याख्यान से। इस उपर्युक्त नियम के आधार पर जहाँ कुछ उन वचनों का बोध हो जाता है, जो कात्यायनीय वार्त्तिकों के

नाम से परिज्ञात हैं, परन्तु वस्तुतः कात्यायन की कृति नहीं हैं वहाँ कुछ उन नवीन वचनों का भी परिज्ञान हो जाता है जो किसी कारण से लुप्त हो गये हैं।

नियम के स्पष्टीकरणार्थ कुछ उदाहरणः—

(क) सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु॥ ७।२।१॥

सम्प्रति इस सूत्र में ५ वचन उपलब्ध होते हैं।

१—सिचिवृद्धावोकारप्रतिषेधः।

क—ओकाराद् वृद्धिर्विप्रतिषेधेनेति चेदोत्त्वाभावः।

ख—पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्।

ग—यथा प्रसारणादिषु द्विर्वचनम्।

घ—सौढामित्रौ बहिरंगलक्षणत्वात् सिद्धम्।

यहां (१) में 'सहिवहोरोदवर्णस्य' (६।३।११२) की अतिप्रसक्ति को रोकने के लिये वचन बनाने का सुझाव दिया है।

भाष्यकार इस वार्त्तिक के बनाने के पक्ष में नहीं है। वृद्धि का विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाया है। (क) में विप्रतिषेध से बलीयस्त्व मानने में दोष दिया है। भाष्यकार ने क. का समाधान स्वयं दिया और "अथवा" कहकर (ख) में समाधानान्तर दिया है। (ग) में ख. का समर्थन किया है। भाष्यकार ने ख. समाधान मानने पर **सौढामित्रिः** यहां दोष दिया है। (घ) में दोष का समाधान दिया है।

यहां क-घ. वचन कात्यायन के नहीं प्रतीत होते, क्योंकि १. की खण्डन शैली अन्य स्थानों में पठित भाष्य के अनुरूप ही है—**स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः। न वक्तव्यः** इत्यादि। क. में भाष्यकार के द्वारा प्रदत्त १. के खण्डन के विरुद्ध आक्षेप किया है और १. का समर्थन किया है। ख. में "वा" शब्द पठित है। उसका भाष्य में "अथवा" व्याख्यान किया है। इससे स्पष्ट है कि इससे पूर्व भी कोई समाधान है, तभी यह समाधानान्तर है। परन्तु क. में कहे दोष का समाधान वचन रूप में नहीं मिलता। हाँ, भाष्यकार का **नैष दोषः उक्तं तत्र वर्णग्रहणस्य प्रयोजनं वृद्धावपि कृतायामोत्त्वं यथा स्यात्**[1]। यह समाधान अवश्य उपलब्ध है। यहां "उक्तं" कहकर ६।३।११२ के समाधान की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। ध्यान रहे उस सूत्र पर भी

---

१. भाष्य ७।२।१, भाग ३, पृ० २७८, पं० ८।

कोई वार्त्तिक नहीं है। यह समाधान स्वयं भाष्यकार का है[1]। ऐसी अवस्था में ख. को यदि कात्यायन का मानें तब "वा" की संगति नहीं लगती है। यह तो असम्भव है कि कात्यायन भाष्यकार के समाधान को ध्यान में रखकर पुनः समाधानान्तर देने के लिये "वा" पद पढ़ते। अतः पुनः आदि वचन निश्चय ही कात्यायन का न होकर भाष्यकार का है। ग. का सम्बन्ध स्पष्टरूपेण ख. से है। ग. में, ख. में कथित समाधानान्तर का उदाहरण दिया है। घ. भी ख. से सम्बद्ध है। ख. ग. मानने पर "सौढामित्रिः" आदि में जो दोष भाष्यकार ने दिया, उसका समाधान दिया है। इस प्रकार ये क-घ. वचन निश्चितरूपेण कात्यायन के प्रतीत नहीं होते। सम्भवतः भाष्यकार के हैं, ऐसा हमारा विचार है।

(ख) कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः[2] ३।१।८७॥

यहां पर भी कुछ वचन कात्यायनीय वार्त्तिक के रूप में पठित हैं परन्तु वस्तुतः वे भाष्यकार के हैं।

१—कर्मवदकर्मकस्य कर्ता।
२—कर्मदृष्टश्चेत् समानधातौ।
३—कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च।
क—आत्मनेपदविधिप्रतिषेधः।
४—कर्मकर्त्तरि कर्तृत्वं स्वातंत्र्यस्य विवक्षितत्वात्।
५—तत्र लान्तस्य कर्मवदनुदेशः।
६—इतरथा हि कृत्यक्तखलर्थेषु प्रतिषेधः।
७—सिद्धं तु प्राकृतकर्मत्वात्।
८—आत्मसंयोगे कर्मकर्तुः कर्मदर्शनात्।
ख—पदलोपश्च। इत्यादि।

(१ से ३) में सूत्रार्थ करने के लिए उस सूत्र के देश को नियमित किया है—अकर्मक का कर्ता कर्मवत् हो, समान धातु में ही हो और क्रिया तथा भाव कर्मस्थ ही हों जिसके कारण अतिप्रसक्ति न हो। भाष्यकार ने १-३ वार्त्तिकों की अनावश्यकता सिद्ध की है। कार्यों को अन्यथा सिद्ध किया है।

---

१. भाष्य भाग ३, पृ० १७५ पं० १६-१७ (सहिवहोरोदवर्णस्य ६।३।११२)॥

२. भाष्य, भाग २, पृ० ६६-६८॥

अब प्रश्न यह है कि अतिदेश करने पर स्वाश्रय समाप्त होता है या नहीं ? भाष्यकार ने इसी पर विचार किया है।

(४) में सूत्र प्रयोजन दिया है। (५) से (९) में कहा है कि लान्तवाच्य कर्ता लान्तकार्य करने में ही कर्मवत् हो। ५. में इसी कार्य के लिए सूत्र में "ल" ग्रहण करने का सुझाव दिया है। ६. में इस प्रकार न करने पर दोष दिखाया है। भाष्यकार ने **लिङ्याशिष्यङ्** सूत्र में द्विलकार निर्देश मानकर समाधान दिया है। ७. में स्वाभाविक कर्म मानकर सूत्र की व्यर्थता सिद्ध की है। ८. ७ से सम्बन्धित है। इससे प्राकृत कर्म की स्थापना की और आत्मैकत्व सिद्ध किया है। भाष्यकार ने इस बात का खण्डन किया कि एक आत्मा है, वही कर्मत्व और कर्तृत्व से विवक्षित होता है।

(ख) में पदलोप भी दिया है। भाष्यकार ने आत्मा दो माने हैं, एक कर्ता है और एक कर्म।

इस प्रकार भाष्यकार ने सूत्र की सार्थकता सिद्ध की है, जब कि कात्यायन सूत्र की निरर्थकता सिद्ध करते हैं।

यहां ३ के बाद क[1] सभी संस्करणों में उपलब्ध होता है, परन्तु यह कात्यायन का नहीं है; यह स्वयं भाष्यकार का है। इसमें निम्न प्रमाण हैं—

इस वचन का सम्बन्ध न ३. से है और न ४. से। वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं होता जब तक कि उससे सम्बन्धित भाष्य न देखा जाय।

यतः कर्माश्रय पक्ष में **चङशप्विधयो न सिध्यन्ति** यह दोष भाष्यकार के शब्दों में ही है, अतः कर्त्राश्रय पक्ष में जो दोष क. वचन के रूप में उपलब्ध वह भी भाष्यकार का ही होना चाहिये।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भाष्यकार की यह शैली है कि जहाँ वे वार्त्तिक द्वारा किसी प्रश्न पर विचार करते हैं, वहाँ "कश्चात्र विशेषः" वाक्य का प्रयोग करते हैं। जहाँ भाष्यकार अपने शब्दों में ही उस प्रश्न पर विचार करते हैं वहां "किं चातः" वाक्य का प्रयोग करते हैं। यहां "किं चातः" का प्रयोग है, अतः क. वचन भाष्यकार का है।

इसी प्रकार ८. के बाद **पदलोपश्च**[2] यह वचन उपलब्ध होता है। यह भी वस्तुतः भाष्यकार का है, क्योंकि वार्त्तिककार ने सूत्र की अनावश्यकता

---

१. भाष्य–भाग २, पृ० ६७।

२. भाष्य–भाग २, पृ० ६८।

आत्मैकत्व, कर्मभिन्न आत्मा होने पर भी कर्मत्व-प्रतीति, मानकर सिद्ध की है। इसलिये प्राकृत कर्म का निम्न दृष्टान्त दिया है—

हन्त्यात्मानम्। हन्यत आत्मा।

भाष्यकार दो आत्मा पृथक् पृथक् मानते हैं। अन्तरात्मा और शरीरात्मा। उसी के आधार पर कर्मातिदेश की सार्थकता सिद्ध की है। **पदलोपश्च** वचन सूत्र की सार्थकता में या आत्मद्वैविध्य में सहायक है। अतः वह भाष्यकार का ही हो सकता है न कि वार्त्तिककार का। इसमें "च' पठित है, वह समुच्चयार्थक है। यदि इसका सम्बन्ध ८. से मानें तो संगति नहीं लगती। "च" का सन्बन्ध भाष्यकार के प्रत्याख्यान-शब्दों से ही है। अतः वह भाष्यकार का ही है, इसमें सन्देह नहीं।

इसी प्रकार बहुत से स्थल हैं जो विस्तारभय से नहीं दिये जा सकते।

नियम के आधार पर अनुपलब्ध वार्त्तिकों का परिज्ञान

इस प्रकार जहां एकसूत्रता या प्रसंग-नियम का आश्रय लेकर, उपलब्ध वचनों के निर्माता का परिज्ञान होता है, वहाँ कात्यायन के अनुपलब्ध वचनों के परिज्ञान में भी यह बहुत सहायक है। उदाहरणार्थः—

(क)–विधिनिमंत्रणामंत्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु[1] लिङ् ॥३।३।१६७॥

१—निमंत्रणादीनामर्थे चेदामंत्रयै निमंत्रयै भवन्तमिति प्रत्ययानुपपत्तिः प्रकृत्यभिहितत्वात्।

२—द्विवचनबहुवचनाप्रसिद्धिश्चैकार्थत्वात्।

३—(निमंत्रणादिषु इति चेद् देवदत्तो भवन्तमामंत्रयत इति लङाद्यनुत्पत्तिर्लिङा बाधितत्वात्)।

४—सिद्धं तु द्वितीयाकाङ्क्षस्य प्रकृतेः प्रत्ययार्थे प्रत्ययविधानात्।

प्रश्न यह है कि लिङ् विधान विध्यादि अर्थ में हो, या विध्यादि विषय की प्रतीति में हो ? दूसरे शब्दों में वाचकत्व पक्ष है या द्योतकत्व पक्ष ?

(१) में प्रथम पक्ष में लिङ् का अप्राप्तिरूप दोष दिखाया है। (२) में प्रथम पक्ष में द्विवचन और बहुवचन की अप्राप्ति दिखाई है। (३) में द्योतकता पक्ष में दोष दिया है। (४) में द्योतकत्व पक्ष में उत्पन्न दोष का समाधान दिया है। भाष्यकार ने वाचकत्व पक्ष में भी प्रथम दोष का समाधान तो ४.

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० १६५-१६७।

से दे दिया है, द्वितीय दोष का समाधान श्लोक "सुपां कर्मादयो०" से दे दिया है।

कात्यायन को द्योतकता पक्ष ही इष्ट है। यहां भाष्य के किसी भी संस्करण में ३. वार्त्तिक उपलब्ध नहीं होता है। हमारे विचार से यहां ३. वार्त्तिक होना आवश्यक है। इसमें निम्न कारण हैं—

भाष्यकार की शैली बता रही है कि कभी ३. वार्त्तिक था, परन्तु अद्यत्वे लुप्त है। १, २ में वाचकत्व पक्ष में दोष दिये हैं। उसके बाद भाष्य में उसके सम्बन्ध में कुछ न कहकर—**अस्तु तर्हि निमंत्रणादिषु गम्यमानेष्विति। इहापि तर्हि प्राप्नोति देवदत्तो भवन्तमामंत्रयते देवदत्तो भवन्तं निमंत्रयत इति**[1]। इस द्योतकत्व पक्ष में उत्पन्न दोष के समाधानार्थ—४. वार्त्तिक दिया है। यदि कात्यायन के वार्त्तिकों में १, २. और ४. इतने ही वार्त्तिक माने जावें, तब ४. वार्त्तिक वाचकत्व पक्ष में आये दोषों के समाधानार्थ होगा, न कि द्योतकता पक्ष में आये दोषों के समाधानार्थ, परन्तु ऐसा नहीं है। ४. वार्त्तिक द्योतकता पक्ष के समाधानार्थ है। नागेश ने भी इसे द्योतकता पक्ष के दोष के समाधानार्थ माना है

द्योतकतापक्षीयं दूषणमुद्धर्तुमाह—सिद्धन्त्विति[2]।

यहां ४. वार्त्तिक का पाठ अनवधानतावश भी नहीं माना जा सकता। यह बात इसी सूत्र के अग्रिम भाष्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है। वहाँ लिखा है—

अस्तु तर्हि निमंत्रणादीनामर्थे इति। ननु चोक्तं निमंत्रणादीनामर्थे चेदामन्त्रयै निमन्त्रयै भवन्तमिति प्रत्ययानुपपत्तिः प्रकृत्यभिहितत्वादिति नैष दोषः। योऽसौ द्वितीय आकाङ्क्ष्यते स एव मम प्रत्ययार्थो भविष्यति[3]।

इससे स्पष्ट है कि जब कात्यायन ने द्योतकता पक्ष निर्दुष्ट कर दिया तब भाष्यकार ने वाचकत्व पक्ष में भी आये दोषों का समाधान किया है और उस प्रथम दोष के समाधान के लिये ४. का ही आश्रयण किया है। २. का

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० १६६, पं० १-२।

२. नागेश—उद्योत ३।३।१६७ गु० प्र० सं० पृ० ३२९, यहीं पर कैयट भी द्रष्टव्य है।

३. भाष्य—भाग २, पृ० १६६ पं० ११-१४।

समाधान श्लोक द्वारा दिया है। यदि कात्यायन को वाचकत्व पक्ष अभीष्ट हो, और ४. वार्त्तिक १. के समाधानार्थ माना जाय, तब यह सारा भाष्य असंगत हो जायेगा। अतः ४. वार्त्तिक द्योतक पक्ष के समर्थनार्थ है। कात्यायन १. व २. दोष को मानते ही हैं। भाष्यकार ने दोनों पक्षों में समाधान दिया है।

हमने जो, ३. वार्त्तिक दिया है वह प्रसंग की दृष्टि से अवश्य ही होना चाहिये; नहीं तो संगति नहीं लगेगी।

(ख) – कौसल्यकार्मार्याभ्यां च ॥४।१।१५५॥

इस सूत्र पर मात्र **फिन् प्रकरणे दुगुकोसलकर्मारच्छागवृषाणां युट् च** यह पूरक वार्त्तिक ही मिलता है। हमारे विचार से यहां तीन वार्त्तिक और होने चाहियें।

१—युटि प्रत्ययादेशानुपपत्तिरनादित्वात्।

२—पूर्वान्ते गुणवचनम्।

३ –सिद्धं त्वादिष्टस्य युड्वचनात्।

इनमें से ३. तो पूर्णरूपेण भाष्य-पुस्तकों में वार्त्तिक एवं उसका विवरण दोनों ही उपलब्ध है[1]। परन्तु १, २. का भाष्य ही उपलब्ध है वार्त्तिक नहीं। हमने ३. के आधार पर ही १. २. की कल्पना की है, क्योंकि "सिद्धं तु" कहकर वार्त्तिक वचन ही हो सकता है। अतः ३. को सभी ने जो भाष्य माना है वह अयुक्त है। इसी प्रकार की शैली ४।१।५८, ४।२।९१, ४।३।२३, ४।३।१५ आदि में भी है।

५--भाष्यकार की व्याख्या-शैली

भाष्यकार की व्याख्या-शैली भी कभी कभी भाष्य वचनों के परिज्ञान में अत्यधिक सहायक होती है। उदाहरणार्थ—

कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि[2] (३।१।४०) सूत्र पर तीन वचन उपलब्ध होते हैं।

---

१. भाष्य—भा० २, पृ० २६३, पं० १३-१४।

२. यहाँ के सभी भाष्य-उद्धरणों के लिये भाष्य भाग २, पृ० ४७-४८ देखें।

१—इष्टः सर्वानुप्रयोगः।

२—सर्वानुप्रयोग इति चेदशिष्यमर्थाऽभावात्।

३—अर्थाऽभावाच्चान्यस्य।

ये वचन कात्यायन के नहीं प्रतीत होते, क्योंकि इसी सूत्र में सूत्र-प्रयोजन के लिए कात्यायन ने वार्त्तिक दिये हैं—**अर्थासमाप्तेर्वानुप्रयोगो न स्यात्। विपर्यासनिवृत्त्यर्थं वा।** भाष्यकार ने इन वार्त्तिकों में पठित 'वा' का व्याख्यान 'तर्हि'' के अर्थ में किया है। जिन प्रयोजनों को वार्त्तिककार मानते थे, उनका खण्डन भाष्यकार ने कर दिया, तभी ''वा'' का व्याख्यान ''तर्हि'' के अर्थ में युक्त है।

इसी प्रकार ३. के बाद **लिट् परार्थं वा** में पठित ''वा'' का व्याख्यान ''तर्हि'' के अर्थ में किया है **लिट्परार्थं तह्यनुप्रयोगवचनं क्रियते।** इससे स्पष्ट है कि वार्त्तिककार के मत में **कृञोनुप्रयोगवचनमस्तिभूप्रतिषेधार्थम्। आत्मनेपदविध्यर्थं च** ये दोनों प्रयोजन हैं और तभी आगे ''वा'' पढ़ा है। परन्तु भाष्यकार ने उनका खण्डन कर ''वा'' का व्याख्यान ''तर्हि'' के अर्थ में किया है। इतना ही नहीं **आत्मनेपदविध्यर्थं च** इस प्रयोजन का खण्डन भाष्यकार ने अपने शब्दों में ही किया है **उच्यमानेऽप्येतस्मिन्नवश्यमात्मनेपदार्थो यत्नः कर्तव्यः** और अस्तिभूप्रतिषेधरूप प्रयोजन के खण्डन के लिए वचन दिए हैं। ३. वचन तो सीधे भाष्यकार द्वारा उठाई शंका का समाधान कर रहा है। इन सभी कारणों से १. से ३. वचन भाष्यकार के हैं कात्यायन के नहीं, यह स्पष्ट है।

'न वा' प्रतीकात्मक वचनों का कर्त्ता कात्यायन नहीं है

कात्यायनातिरिक्त कर्तृत्व सिद्धि के लिये प्रमाण

भाष्य में अनेक प्रत्याख्यान-वचन उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ में ''न वा'' यह प्रतीक प्रारम्भ में लगी है। आजतक के सभी विचारकों की यही मान्यता रही है कि ''न वा'' प्रतीकात्मक वचन भी कात्यायन के ही हैं; परन्तु हमारे विचार से ये कात्यायन के नहीं है। इस सम्बन्ध में हम अपने पक्ष की पुष्टि के लिये कुछ प्रमाण संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—

(१) शैली-भेद और उसके चार विभिन्न प्रमाण

(क)—भाष्य में प्रत्याख्यान के लिये बहुत प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं। प्रत्याख्यान स्थलों पर प्रायः "सिद्धम्" पद से युक्त शैली दृष्टिगोचर होती है; कहीं-कहीं आनर्थक्य, अनर्थक और अनिर्देश आदि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। "सिद्धम्" पद कभी आरम्भ में आता है, और कभी अन्त में—

आरम्भ में—**सिद्धं तु क्वाङ्स्वतिदुर्गतिवचनात्**[1]।
अन्त में—**आत्मनेपदानां चेति वचनात् सिद्धम्**[2]।

बहुत से स्थलों पर "न वा" प्रतीकात्मक वचन भी उपलब्ध होते हैं। हमारे विचार से यह वचन कात्यायन के नहीं हैं। यदि "न वा" वाले वचन कात्यायन के होते, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तब कात्यायन ने अपने शास्त्र में दो प्रकार की शैलियों की आश्रयण क्यों किया? कहीं "सिद्धं तु" या "सिद्धम्" और कहीं पर "न वा"। यदि मात्र "सिद्धं तु" ही रख देते, तब भी कार्य चल सकता था। उदाहरणार्थ—

न वाऽस्त्रीपूर्वपदविवक्षितत्वात्[3]।
न वाऽभ्यासविकारेष्वपवादस्योत्सर्गाबाधकत्वात्[4]।

इनको इस प्रकार भी पढ़ सकते थे—

सिद्धं त्वस्त्रीपूर्वपदविवक्षितत्वात्।
सिद्ध त्वभ्यासविकारेष्वपवादस्योत्सर्गाबाधकत्वात्।

परन्तु इस प्रकार नहीं पढ़ा है। यदि यह कहें कि "सिद्धं तु" वार्त्तिकों में परिवर्तन या परिवर्धन होता है और "न वा" प्रतीकात्मक वचनों में ऐसा नहीं होता, प्रत्याख्यानमात्र ही होता है; यह भी उचित नहीं, क्योंकि "सिद्धं तु" कहकर भी बहुत से वार्त्तिकों में समाधान मात्र ही है। उदाहरणार्थ—

सिद्धं तु प्रकृतार्थविशेषणत्वात्[5]।
सिद्धं त्वाशंसायां भूतवद्वचनात्[6]।

---

१. भाष्य—२।२।१८, भाग १, पृ० ४१६, वा०।
२. भाष्य—२।४।८५, भाग १, पृ० ४९९, वा०।
३. भाष्य—६।३।४२, भाग ३, पृ० १५७, पं० १८।
४. भाष्य—७।४।८५, भाग ३, पृ० ३५७, पं० १।
५. भाष्य–७।१।२३, भाग ३, पृ० २५९, वा०।
६. भाष्य–५।३।६७, भाग २, पृ० ४२०, वा०।

तथा "न वा" प्रतीकात्मक वचनों में भी परिवर्तनों और परिवर्धनों का सुझाव मिलता है।

न वा समासान्ताधिकारे स्त्रीग्रहणात् [1]।

न वा झलो लोपात् [2]।

एक ही व्यक्ति अपने व्याख्यान-प्रसंग में एक कार्य के लिये द्विविध शैलियों का आश्रयण नहीं कर सकता है। "सिद्धं तु" समाधान में कुछ सौम्यता और उदारता प्रकट होती है। परन्तु "न वा" प्रतीकात्मक वाक्यों में वैसा नहीं है। कोई भी आचार्य स्वयं अपने वचन या आक्षेप का समाधान (अन्यथा-सिद्धि) "सिद्धं तु" या "सिद्धं" कहकर दे सकता है, पर "न वा" कहकर नहीं।

(ख) जहां तक हमें ज्ञात है, "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वार्त्तिकों में, "आनर्थक्य" "अनर्थक" आदि शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है, परन्तु "न वा" प्रतीकात्मक प्रत्याख्यान वचनों में इस प्रकार की आवृत्ति दृष्टिगोचर होती है—

न वा छन्दस्यनादेशस्यापि दीर्घत्वदर्शनादतिङ्ग्रहणानर्थकम् [3]।

न वा क्वचिच्चित्करणादुपदेशिवद्वचनानर्थक्यम् [4]।

(ग) "लौकिकवैदिकेषु" शब्द लगभग ६ स्थानों पर आया है। परन्तु "न वा" प्रतीकात्मक वचनों में इसका प्रयोग नहीं है। केवल "लौकिक" शब्द का भी प्रयोग नहीं है। उसमें केवल "लोके" शब्द का व्यवहार होता है।

(घ) यह प्रश्न उठता है कि "सिद्धं तु" प्रतीक वाले वचन कात्यायन के क्यों माने जायें, ऐसा ही क्यों न मान ले कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के हैं और "सिद्धं तु" किसी अन्य के हैं? ऐसा मानना युक्त नहीं, क्योंकि भाष्यकार ने "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वचनों को स्पष्टतः वार्त्तिक माना है।

समर्थः पदविधिः (२।१।१) में **लुप्ताख्यातेषु च** वचन के व्याख्या-प्रसंग में कहा है—**न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यादिति। किं तर्हि।**

---

१. भाष्य–४।१।२५, भाग २, पृ० २१२ पं० १।

२. भाष्य–८।२।२३, भाग ३, पृ० ४०१, पं० ५।

३. भाष्य–६।४।१६, भाग ३, पृ० १८४, पं० १८।

४. भाष्य–७।१।२, भाग ३, पृ० २४१, पं० १।

वार्त्तिकवचनप्रामाण्यादिति सिद्धं तु क्वाङ्स्वतिदुर्गतिवचनात् प्रादयः क्तार्थ इति [1]। यहाँ भाष्यकार ने स्पष्टरूपेण "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वार्त्तिकों को जो २।२।१८ पर वार्त्तिक रूप में पढ़े हैं—प्रामाण्य रूप में माना है। बहुत से स्थानों पर आचार्य पद से भी "सिद्धं तु" प्रतीकात्मक वार्त्तिकों का उल्लेख किया है, परन्तु इसके विपरीत, जहां तक हमारा ज्ञान है, "न वा" प्रतीकात्मक वचनों को वार्त्तिक या उनके निर्माता को आचार्य पद से व्यवहृत नहीं किया है। भाष्यकार ने वार्त्तिकों का निर्माता स्पष्टरूपेण कात्यायन को माना है[2]।

२—अप्रसंग

जिस प्रकार हम प्रसंग या एकसूत्रता नियम के आधार पर भाष्य से कात्यायन के वार्त्तिकों को पृथक् कर सकते हैं, उसी प्रकार "न वा" प्रतीकात्मक वचनों को कात्यायन निर्मित वार्त्तिकों से पृथक् कर सकते हैं। "न वा" प्रतीकात्मक वचनों में बहुत स्थलों पर उन वचनों का अपने से पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती वचनों से कोई संबन्ध नहीं मिलता। कहीं पुनरावृत्ति भी दीखती है। यदि उस अंश को पृथक् भी कर दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं होती, अपितु सारल्य ही अधिक हो जाता है। कहीं भाष्यकार के शब्दों से सम्बन्ध मिलता है, वार्त्तिक से नहीं।

अप्रसंग के विविध उदाहरणः—

(क)—युवोरनाकौ ॥७।१।१॥

१—युवोरनाकाविति चेद्धातुप्रतिषेधः।
२—भुज्यादीनां च।
३—अनुनासिकपरत्वात्सिद्धम्।
४—तत्र ङीब्नुमोः प्रतिषेधः।
५—धात्वन्तस्य च।
क—षिट्टित्करणं तु ज्ञापकमुगित्कार्याभावस्य।
ख—न वा षित्करणं ङीषविधानार्थम्।
ग—टित्करणमनुपसर्जनार्थम्।

---

१. भाष्य–२।१।१॥ भाग १, पृ० ३७१, पं० १८-१९।

२. भाष्य–(लट् स्मे ३।२।११८) न स्म पुराद्यतन इति ब्रुवता कात्याययनेनेह। स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविशेषेण भवति किं वार्तिककारः प्रतिषेधेन करोति।

६—विप्रतिषेधाट्टापो बलीयस्त्वम् ।
७—धात्वन्तस्य चार्थवद्ग्रहणात् ।
८—नुम्विधौ झल्ग्रहणम् ।
घ—लिङ्गविशिष्टप्रतिषेधार्थम् ।
ङ—न वा विभक्तौ लिंगविशिष्टग्रहणात् ।
च—प्रयोजनं शुनः स्वरे ।
छ—यूनः सम्प्रसारणे ।
ज—उगिदचां नुम्विधौ ।
झ—अनुडुहश्चाम्विधौ ।
ञ—पथिमथोरात्वे ।
ट—पुंसोऽसुङ्विधौ ।
ठ—सख्युणित्वानङौ ।
ड—भवद्भगवद्मघवतामोद्भावे ।
ढ—सिद्धं तु युवोरनुनासिकत्वात् ।

(१-२) में सूत्र की अतिव्याप्ति को रोकने के लिये प्रतिषेध करने का सुझाव दिया है । (३) में १. २. का समाधान दिया है । (४) में ३. समाधान मानने पर ङीप् और नुम्प्रतिषेधरूप दोष दिखाये हैं । (५) में वचन बनाने के मिष दोषान्तर दिया है । (क) में ज्ञापक द्वारा उगित् कार्याभाव दिखाया है । (ख-ग) में क. का खण्डन कर दिया है । (६) में ४. में कहे (ङीप्) की अतिप्रसक्ति को रोकने के लिये, टाप् का विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाकर समाधान दिया है । (७) में ५. का समाधान दिया है । (८) में ४. में कहे "नुम्" की अतिव्याप्ति के समाधानार्थ उपाय बताया है । अर्थात् "उगिदचां०" सूत्र में "झल्" परिवर्धन करने का सुझाव दिया है । (घ) में "झल्ग्रहण" का प्रयोजन दिया है । (ङ से ड) में भाष्यकार ने घ. प्रयोजन का खण्डन किया है और परिभाषा के प्रयोजन दिये हैं । (ढ) में ८. में कहे परिवर्धन का समाधान दिया है ।

अर्थात् "यु, वु" अनुनासिक यण् लिये गये हैं अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी । उकार तो निरनुनासिक ही है अतः उगित् कार्य नहीं होगा । प्रत्ययों में उकार उच्चारणार्थ है । अतः सूत्र में अनुनासिकयण्विशिष्ट यु वु को आदेश होता है । ल्युडादिप्रत्ययों में उकार निरनुनासिक है, अतः उगित् कार्य नहीं होता है । "भुज्यु" आदि निरनुनासिक हैं, अतः वहाँ आदेश नहीं होता है ।

यहां क-ग. कात्यायन के प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ६ वार्त्तिक स्पष्ट ही वार्त्तिककार का माना है—**सिध्यत्येवं यस्त्विदं वार्त्तिककारः पठति विप्रतिषेधात्तु टापो बलीयस्त्वमित्येतदसंगृहीतं भवति**[1] इससे स्पष्ट है कि ६. कात्यायन का है। ७, ६. से सम्बन्धित है, अत एव उसमें समुच्चयार्थक "च" दिया है। यहां पाठ की शैली ऐसी है कि ६. का सीधा सम्बन्ध ५. से है। (क-ग) द्वारा प्रदत्त ज्ञापक और ज्ञापक-खण्डन की शैली भाष्यकारीय वचनों के समान है। वे जिस प्रकार **नैतदस्ति ज्ञापकम्। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्** आदि देते हैं वैसे ही यहाँ पर भी व्याख्यान किया है। क. में "सम्पुटीकरण" भाष्य भी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं यदि क. ग. को हटा दें तब भी आक्षेप और समाधान संगत रहते हैं, कोई कमी नहीं आती। (६) में "तु" शब्द भी यही ध्वनित कर रहा है कि ४. में कहे दोष में ङीप् से तो विप्रतिषेध से टाप् हो जायेगा। अतः स्पष्ट है कि ये सभी वार्त्तिक कात्यायन के नहीं हैं।

घ-ङ. वचन कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि जो ९. वार्त्तिक दिया है, उसका सम्बन्ध किससे जुड़ेगा ? ८. में "झल्" ग्रहण का सुझाव रखा है। ९. में उसी का समाधान दिया है।

९. का घ-ङ. से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ९. का सम्बन्ध घ-ङ. से मानें तब तो ९. वार्त्तिक में कहा समाधान "न वा" वाले ङ. का होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है।

भाष्यकार ने इन सभी प्रयोजनों का वर्णन कर पुनः **एतस्यां च सत्यां नार्थो झल्ग्रहणेन**[2] कहकर परिभाषा के आधार पर "झल्" ग्रहण का खण्डन कर दिया और उसके अव्यवहितोत्तर—**तदेतदनन्यार्थं झल्ग्रहणं कर्तव्यं नुम्प्रतिषेधो वा वक्तव्यः**[3] यह कहा है। अर्थात् या तो झल् ग्रहण किया जाय या नुम् का प्रतिषेध करो। जब वार्त्तिककार ने "न वा" कह कर झल् ग्रहण का खण्डन कर दिया, तब "झल्" ग्रहण किया जाय या नुम्-प्रतिषेध, इस प्रकार कहने में क्या तुक ? यह तो तभी सम्भव है जब कि घ.-ङ. वचन भाष्यकार के माने जाँय वार्त्तिककार ने तो ८. से झल्-

---

१. भाष्य–भाग ३ – पृ० २३८ – पं० ९।
२. भाष्य–भाग ३ – पृ० २३९ – पं० २३–२४ ॥
३. भाष्य–भाग ३ – पृ० २४० – पं० १ ॥

ग्रहण करने का सुझाव दिया है। तब–"झल्" ग्रहण किया जाय या "नुम्-प्रतिषेध" इसकी संगति लग जाती है और तभी ९. में कहा समाधान संगत हो जाता है।

लिंगविशिष्टप्रतिषेधार्थम् को भी कात्यायन का नहीं माना जा सकता, क्योंकि ८. वार्तिक की व्याख्यान-शैली का भेद इस बात का स्पष्टतः द्योतक है कि यह वार्त्तिक नहीं है। यदि थोड़ी देर के लिए इसे वार्तिककार कात्यायन का मान लिया जाय तब इसका व्याख्यान इस प्रकार होगा—

नुम्विधौ झल्ग्रहणं कर्त्तव्यम्। झलन्तस्योगित इष्यते। उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोर्झल इति। किं प्रयोजनम्। लिङ्गविशिष्टप्रतिषेधार्थम्। इत्यादि। यहाँ तो **झल इति** कहकर **तच्चावश्यं वक्तव्यम्** कहा और **लिंगविशिष्टप्रतिषेधार्थम्** यह प्रयोजन दिया है, जो स्पष्ट शैलीभेद का द्योतक है। इस प्रकार यह वचन भाष्यकार का है और "न वा" वाला भी कुछ अंशों में इसी से सम्बद्ध है।

कैयट को ८, घ-ङ. और ९. की संगति लगाने में अड़चन पड़ी तभी उसने ९. को भाष्यकार का माना है—

सिद्धन्त्विति। भाष्यकारीयमिदं वार्तिकमित्याहुः[1]।

निश्चय ही "इत्याहुः" कहकर जिस किसी का भी मत कैयट ने उद्धृत किया हो, किन्तु उसके विचार में ९. की उपरिलिखित वचनों से संगति न लगने के कारण अड़चन पड़ी होगी, तभी उसने ९. को भाष्यकारीय समाधान–वचन मानकर, समाधान किया होगा।

वास्तविकता यह है कि ९. वार्त्तिककार का है, क्योंकि ३।३।१०७ में भाष्यकार ने कहा है—

युवोरनाकौ इति। एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। वक्ष्यत्येतत् सिद्धं तु युवोरनुनासिकवचनात्[2]। इसी प्रकार—**गाङ् लिटि** (२।४।४९) सूत्र पर **युवोरनाकौ** प्रयोजन दिया है। भाष्यकार ने उसका व्याख्यान किया—**नन्दनः कारकः नन्दना कारिकेति। उगिल्लक्षणो ङीब्नुमौ न भवतः।** इस प्रयोजन की अनावश्यकता को सिद्ध करने के लिए ७।१।१ का ८वां वार्त्तिक उद्धृत किया है—

---

१. कैयट–प्रदीप, गु० प्र० सं० ७।१।१॥ पृ० १०

२. भाष्य–भाग २, पृ० १५४, पं० ६-७॥

युवोरनाकाविति । वक्ष्यत्येतत् सिद्धं तु युवोरनुनासिकत्वात्[1] ।

यहां "वक्ष्यत्येतत्" कहकर इसी ९. की तरफ संकेत है। अर्थात्—वार्तिककारः वक्ष्यति। ऐसी दशा में ७-८-९. वार्त्तिककार के मानने पर ९. का सम्बन्ध ८. से है और बीच के घ-ङ वचन भाष्यकार के हैं।

(ख)—दाधाघ्वदाप् ॥१।१।१९॥

१—घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम् ।

भारद्वाजीय—घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्विकृतार्थम् ।

२—समानशब्दप्रतिषेधः ।

३—समानशब्दाप्रतिषेधोऽर्थवद्ग्रहणात् ।

४—अनुपसर्गाद्वा ।

क—न वा ह्यर्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते ।

५—दीङः प्रतिषेधः स्वाघ्वोरित्वे । इत्यादि ।

(१) में सूत्र में "प्रकृति" ग्रहण करने का सुझाव दिया है और उसका प्रयोजन भी दिया है। भारद्वाजीयों का भी वचन दिया है। भाष्यकार ने प्रकृति ग्रहण का खण्डन कर दिया है। (२) में समान शब्दों की संज्ञा प्राप्त है, अतः अनिष्टापत्ति-निवारणार्थ वचन बनाने का सुझाव दिया है। (३-४) में २. का समाधान दिया है। भाष्यकार ने ३. ४. के ऊपर शंका उठाई और क. में उसका समाधान दिया है। (५) में "दीङ्" के प्रतिषेध का सुझाव दिया है। भाष्यकार इससे सहमत नहीं हैं।

यहां क. वचन कात्यायन का नही है, क्योंकि इसमें जिसका समाधान किया गया है वह शंका तो भाष्यकार की ही है न कि वार्त्तिककार की। शंका का अंशमात्र भी वार्त्तिक में नहीं है। भाष्यकार ने शंका इस प्रकार दी है—

यद्येवमिहापि तर्हि न प्राप्नोति। प्रणिदापयति प्रणिधापयति। अत्रापि नैतौ दाधावर्थवन्तौ नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः[2] ।

इसी शंका का समाधान क. में दिया है। यदि क. को कात्यायन का मानें तब तो ३. ४. और उसके बाद क. है, ऐसी अवस्था में "न वा" वाला क. वचन ३. ४. का खण्डन करने वाला होगा। किन्तु क. के द्वारा तो यहाँ ३. ४.

---

१. भाष्य–भाग १, पृ० ४८६, पं० ११-१३ तथा २०-२१॥

२. भाष्य–भाग १, पृ० ७५, पं० ३-४ ॥

का समर्थन ही किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि यह वचन सम्भवतः भाष्यकार का है कात्यायन का नहीं है।

(ग)–लोपो व्योर्वलि ॥६।१।६६॥

१—व्योर्लोपे क्वावुपसंख्यानम्।

२—वलोपाऽप्रसिद्धिरूठ्भाववचनात्।

३—अतिप्रसंगो व्रश्चादिषु।

४—उपदेशसामर्थ्यात्सिद्धमिति चेत्सम्प्रसारणहलादिशेषेषु सामर्थ्यम्।

क–न वा बहिरंगलक्षणत्वात्।

५—अनारम्भो वा।

६—आस्रे माणं जीरदानुरिति वर्णलोपात्।

७—यथा संस्फानो गयस्फानः।

(१) में सूत्र में परिवर्धन करने का सुझाव दिया है। भाष्यकार ने १. का खण्डन कर दिया है। (२) में सूत्र की अप्रसक्ति दिखाई है। (३) में अतिप्रसक्ति दिखाई है। (४) में ३. के अन्यथासमाधान का खण्डन कर ३. दोष की पुष्टि की है। (क) में ४. में कहे "उपदेश" वचन के प्रयोजन का खण्डन किया है। (वृषणः) आदि में—सम्प्रसारण हलादिशेषादि किये विना ही अन्तरंग से लोप प्राप्त है, वह उपदेशसामर्थ्य से नहीं होगा। इस प्रकार ३. अतिप्रसक्ति के समाधानार्थ उपदेशसामर्थ्य को हेतु माना है। (५) में वलोपानारम्भ पक्ष की स्थापना की है। (६-७) में २. में कही गयी अप्रसक्ति का समाधान, छान्दस वर्णलोप मानकर दिया है।

यहां क. कात्यायन का नहीं लगता, क्योंकि वलोप के आरम्भ पक्ष में २. में अप्रसक्ति एवं ३. में अतिप्रसक्ति दोष दिखाये हैं। ४. में "उपदेश" वचन का अन्यथाप्रयोजन दिखाकर ३. में कहे दोष की पुष्टि की है। क. में ४. में कहे प्रयोजन का खण्डन कर उपदेश से ही अतिप्रसक्ति का समाधान दिया है। जब वार्त्तिककार उपदेशसामर्थ्य का अन्य प्रयोजन दे चुके, क्या उस समय यह ध्यान नहीं था कि अन्तरंग होने से, उपदेश-सामर्थ्य से अतिप्रसक्ति का निवारण हो ही जायेगा? फिर ४. का बनाना यह द्योतन करता है कि वार्त्तिककार उपदेशसामर्थ्य को अन्यार्थ मानते हैं। उस अवस्था में अति-

प्रसक्ति है ही। भाष्यकार उपदेशसामर्थ्य को मानते हैं। इसीलिए क. दिया जिससे अतिप्रसक्ति का खण्डन हो गया।

वार्त्तिककार स्पष्टरूपेण २. ३. दोषों से मुक्ति पाने के लिये "अनारम्भो वा" कहकर सूत्र से कृत वलोप की अनावश्यकता दिखाते हैं। जब अनारम्भ पक्ष है, अतिप्रसक्ति स्वयमेव नहीं है। (आस्रेमाणम्) आदि के लिए छान्दस-वर्णलोप दिखाकर समाधान दिया है।

यदि ये आरम्भ पक्षपाती होते और क. इनका होता तो जिस प्रकार क. द्वारा ३. का समाधान दिया है, उसी प्रकार "ऊठ्" को रोकने के लिये भी कोई समाधान देते। स्पष्ट है कि वार्त्तिककार को अनारम्भ पक्ष ही इष्ट है। आरम्भवादी होने पर ६. ७ वार्त्तिकों की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

कैयट ने "अनारम्भो वा" का व्याख्यान करते हुए कहा है—

अनारम्भोवेति वा ग्रहणात् समाधानं वाऽस्रेमाणमित्यत्राश्रयणीयम्, छान्दसत्वदूण्न भवतीत्युक्तं भवति[1]।

नागेश ने इसे स्पष्ट किया है—**वाग्रहणादिति। एवं चाऽरम्भवादिना आस्रेमाणमित्यत्र छान्दसत्वाश्रयणावश्यकत्वेऽनारम्भ एव न्याय्यः[2]।** अर्थात् आरम्भ पक्ष में भी (आस्रेमाणं) की सिद्धि के लिए छान्दस वर्ण-लोप आवश्यक है। पर जब क. द्वारा अन्तरंग लोप है उस समय वह "ऊठ्" को बाध लेगा पुनः आरम्भवादी के मत में भी दोष नहीं; फिर नागेश के इस कथन की क्या संगति? कैयट और नागेश की संगति तो तभी है जब कि इनके विचार में भी क. वार्त्तिककार का वचन नहीं है। केवल भाष्यकार द्वारा प्रदत्त ४ का खण्डन मात्र है। उस समय २. दोष तो है ही, जैसा कि वार्त्तिककार का मत है। तभी अनारम्भ पक्ष मान्य हो सकता है।

संक्षेप में तीन उदाहरण दिये हैं। प्रायः सभी स्थानों में जहां "न वा" प्रतीक पठित है वहाँ इसी नियम का आश्रयण लेकर कात्यायनातिरिक्त कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। अन्य उदाहरण विस्तारभय से नहीं दिये जा रहे हैं।

---

१. कैयट-प्रदीप, ६।१।६६ गु०प्र० सं० पृ० ५९०-५९१ ॥

२. नागेश—वही।

३—वचन-प्रामाण्य

(क)—समर्थः पदविधिः ॥२।१।१॥

यहाँ तीन वचन उपलब्ध होते हैं[1]।

१—न वा वचनप्रामाण्यात्।

२—लुप्ताख्यातेषु च।

३—तदर्थगतेर्वा।

ये वस्तुतः कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि २. के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहा—**किं वचनप्रामाण्यम्। कुगतिप्रादयः (२।२।१८) इति। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्। किम्। सुराजा अतिराजेति। न ब्रूमो वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यादिति। किं तर्हि। वार्त्तिकवचनप्रामाण्यादिति सिद्धं तु क्वाङ्स्वतिट्गतिवचनात् प्रादयः क्तार्थ इति[2]।**

यहाँ स्पष्टरूपेण वचनप्रामाण्य से वार्त्तिककार का वचन, प्रामाण्य रूप में माना है। क्या वार्त्तिककार स्वयं अपने वचन को प्रामाण्य-कोटि में उपस्थित कर सकता है?

यह बात कैयट एवं नागेश को भी खटकी। कैयट ने वचनप्रामाण्य के आधार पर वार्त्तिककार के वचनों का भी स्मृतिशास्त्रवत् प्रामाण्य माना है—

किं तर्हीति। वार्त्तिककारस्यापि स्मृतिशास्त्रत्वात् प्रामाण्यमित्यर्थः[3]।

स्पष्ट है कि वार्त्तिककार के वचन को किसी अन्य ने स्मृतिरूप मानकर प्रमाण कोटि में रखा है। नागेश ने इसे और स्पष्ट कर दिया है—

स्मृतिशास्त्रत्वादिति। अन्य शास्त्रीयवार्त्तिकवन्नास्मदीयं वार्त्तिकं व्याख्यानमेवेति भावः। न च वचनेत्यस्यापि वार्त्तिकत्वात् वार्त्तिककृता स्वीयवचसः कथं प्रमाणत्वेनाश्रयणमिति भाष्ये वार्त्तिकत्वाद्यनुपपन्नमिति वाच्यम्। अन्यो यं वार्त्तिककारो वार्त्तिककारान्तरीयैतद्वचनं प्रमाणान्तरेणाश्रयतीत्यदोषात्[4]।

---

१. भाष्य २।१।१॥ भाग १, पृ० ३७१॥

२. भाष्य २।२।१॥ भाग १, पृ० ३७१ पं० १६-१९॥

३. कैयट—प्रदीप नि० सा० सं० पृ० ३४५, २।१।१॥

४. नागेश—प्रदीपोद्योत—नि० सा० सं० २।१।१॥ पृ० ३४५॥

इस सन्दर्भ में नागेश ने इस वचन के निर्माता और 'सिद्धं तु' (२।२।१८) वाले वार्त्तिक के निर्माता को पृथक्-पृथक् माना है। अतः इतना तो स्पष्ट है कि "लुप्ताख्यातेषु" च वचन अन्य का है। तब यह भी प्रश्न उठ सकता है कि क्यों न केवल २. को अन्य का मान लें १. और ३. को नहीं ? परन्तु इस शंका का कोई कारण नहीं है, क्योंकि २. में 'च' दिया है अतः वह स्पष्टरूपेण १. से सम्बन्ध बता रहा है। इतना ही नहीं कैयट के शब्दों में—

लुप्ताख्यातेषु चेति वचनप्रामाण्यादित्यस्योपजीवनार्थमिदं वार्त्तिकम्। भाष्यकारस्तु प्रपंचार्थमुपसंख्यानं प्रतिविधानं च वाक्यभेदेनाचष्टे[1]।

अर्थात् वस्तुतः दोनों एक ही हैं। परन्तु भाष्यकार उसे पृथक् कर १. "न वा वचन-प्रामाण्यात्" खण्डनार्थ और २. "लुप्ताख्यातेषु च" को उपसंख्यानार्थ मानते हैं। इसी बात को नागेश ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्त्तिक पाठ में १. २. एकवाक्य रूप में पठित हैं, उनमें से आधा खण्डनार्थ और आधा उपसंख्यानार्थ है—

वार्त्तिक-पाठे एकस्यैव वाक्यस्य दर्शनेन[2]।

इन सभी प्रमाणों में से स्पष्ट हैं कि २. का सम्बन्ध १. से है। ३. में 'वा' शब्द दिया है। उसका भी सम्बन्ध २. से हैं। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि वे वचन निश्चित ही किसी अन्य के हैं।

इसी प्रकार एक उदाहरण और लीजिये—

(ख)—अनेकमन्यपदार्थे ॥२।२।२४॥

१—न वाऽनभिधानादसमानाधिकरणे संज्ञाऽभावः।

२—अर्थनियमे मत्वर्थग्रहणम्।

३—तथा चोत्तरस्य वचनार्थः।

ये तीन[3] वचन उपलब्ध होते हैं। (१) में अनभिधान पक्षाश्रयण कर परिगणन का खण्डन किया है। (२) में कहा है कि अनभिधान का आश्रयण लेकर परिगणन का खण्डन हो जाने पर भी मन्दबुद्धि के लिये यदि परिगणन आवश्यक हो तो अर्थ ग्रहण के साथ मत्वर्थ ग्रहण भी करना

---

१. कैयट—प्रदीप नि० सा० सं० २।१।१॥ पृ० ३४४॥

२. नागेश—प्रदीपोद्योत— ,, ३४४॥

३. भाष्य २।२।२४। भाग० १, पृ० ४२४।

पड़ेगा। (३) में कहा है कि इससे उत्तर वार्त्तिक **कर्मवचनेनाप्रथमायाः**[1] की संगति भी लग जाती है। अर्थात् यदि मत्वर्थ में बहुव्रीहि है तब तो उत्तर वार्त्तिक ठीक है, नहीं तो वह व्यर्थ है। ३. के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहा है—

केचित्तावदाहुर्यद्वृत्तिसूत्र इति। संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येय इति। अपर आह यद्वार्त्तिके इति[2]।

क्या वार्त्तिककार स्वयं अपने वचन की संगति लगाने के लिये इस प्रकार का वचन बनायेंगे कि "इस प्रकार उत्तर वार्त्तिक भी संगत हो जायेगा"। स्पष्ट है कि जो यह कह रहा है कि "उत्तरवचनार्थ उपपन्न हो जावेगा", वह पृथक् है और "कर्मवचनेनाप्रथमायाः" इस उत्तरवार्त्तिक का बनाने वाला अन्य है।

कैयट के अनुसार स्वयं वार्त्तिककार अपने वचन को ज्ञापक के रूप में कैसे रख सकता है? अतः "उत्तर" पद का वृत्तिसूत्र वाला व्याख्यान ही उपयुक्त है—

व्याख्यानान्तरमाह—अपर इति। कर्मवचनेनाप्रथमाया इति। प्रथमार्थं वर्जयित्वा सर्वत्रान्यपदार्थे कर्मवाचिना समासो भवतीत्यर्थः। इदञ्च (कर्मवचने०) वार्त्तिकमेवमुपपद्यते, यदि मत्वर्थे बहुव्रीहिर्भवति। अन्यथैतद् वक्तव्यं स्यात्। आद्यमेव (केचित् वृत्तिसूत्रे) तु युक्तं व्याख्यानम्। नहि वार्त्तिककारः स्ववचनमेव ज्ञापकत्वेनोपन्यस्यति[3]।

परन्तु नागेश को कैयट की उपर्युक्त मान्यता मान्य नहीं है। एतदर्थ उसने "तथा चोक्तं०" को अन्य की कृति माना है। उसने अपने प्रमाण के लिये २।१।१ में कहे 'लुप्ताख्यातेषु च" के व्याख्यानार्थ कथित भाष्यकार का "वार्त्तिकवचनप्रामाण्य" दिया है और एतदर्थ 'अपर आह' कहकर कहा "यद् वार्त्तिके" वाला ही व्याख्यान उपयुक्त माना है—

"आद्यमेवत्वि" त्यादि "रुपन्यस्यती" त्यन्तः कैयटग्रन्थस्तु चिन्त्यः। अस्यान्यवार्त्तिककारीयत्वात् लुप्ताख्यातेषु च वचनप्रमाण्यादिति समर्थसूत्रस्थवार्त्तिकस्य वार्त्तिकवचनप्रामाण्यादिति भाष्ये व्याख्यानाच्च[4]।

---

१. भाष्य २।२।२४, भाग १, पृ० ४२४ वा०।

२. भाष्य ,, ,, ,, ,, पं० २१-२३॥

३. कैयट-प्रदीप—२।२।२४ नि० सा० सं० पृ० ४५२॥

४. नागेश-प्रदीपोद्योत २।२।२४ नि० सा० सं० ४५२॥

अतः ये तीनों वचन कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः भाष्यकार के हों। **कर्मवचनेनाप्रथमायाः** वार्त्तिक मत्वर्थ का आश्रयण लेकर बनाया गया है, इसीलिये २।२।२५॥ में **मत्वर्थे वा पूर्वस्य विधानात्** के द्वारा यह सूत्र मत्वर्थ में विहित है। अतः यह वचन भी संगत हो जावेगा।

४ भाष्यकारीय वार्त्तिक-व्याख्यान-शैली

"न वा" प्रतीकात्मक वचनों को कात्यायन-वार्त्तिकों से पृथक् करणार्थ भाष्यकार की वार्त्तिक-व्याख्यान, शैली भी अत्यधिक सहायक होती है। उदाहरणार्थ—

आद्युदात्तश्च[1] ॥३।१।३॥ अनुदात्तौ सुप्पितौ ॥३।१।४॥

१—आद्युदात्तस्य प्रत्ययसंज्ञासंन्नियोगे प्रयोजनं यस्य संज्ञाकरणं तस्याद्युदात्तार्थम्।

२—असन्नियोगे हि यस्मात् स तदादेराद्युदात्तत्वं तदन्तस्य चानुदात्तत्वम्।

क—न वा प्रकृतेराद्युदात्तवचनं ज्ञापकं तदादेरग्रहणस्य।

ख—प्रकृतिस्वरस्य च विधानसामर्थ्यात् प्रत्ययस्वराभावः।

३—आगमानुदात्तार्थं वा।

ग—न वागमस्यानुदात्तवचनात्।

घ—अवचने हि सीयुडादेराद्युदात्तत्वम्।

४—आद्युदात्तस्य वा लोपार्थम्।

ङ—न वा बहिरंगलक्षणत्वात्।

च—अवचने हि ञ्नित्कित्स्वतिप्रसंगः।

प्रश्न यह है कि इन सूत्रों को प्रत्ययप्रकरण में क्यों पढ़ा? छठे अध्याय में जहां अन्य स्वर-विधान किया है वहीं इन्हें भी पढ देते। दुबारा ग्रहण का गौरव भी नहीं होता।

(१) में यहाँ पाठ का प्रयोजन दिया है। (२) में यहां पढने पर दोष दिखाया है। (क-ख) में भाष्यकार ने १. २. का खण्डन किया है। (३) में प्रयोजनान्तर दिया है। (ग-घ) में ३. की भी अन्यथासिद्धि दिखाई है (४) में प्रयोजनान्तर दिया है। (ङ-च) में भाष्यकार ने ४. प्रयोजन की अन्यथासिद्धि दिखाई है और अन्त में कहा—**तस्मादेषा परिभाषाश्रयितव्या एतस्यां च सत्यां शक्यं प्रत्ययसंज्ञासन्नियोगेनाद्युदात्तत्वमवक्तुम्।**

---

१. भाष्य-भाग २, पृ० ६-९।

यहां २. के बाद क. ख.. ३. के बाद ग. घ. और ४. के बाद ङ. च. ये वचन उपलब्ध होते हैं, वे कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः स्वयं भाष्यकार के हों।

वार्त्तिककार ने ३. और ४. में समुच्चयार्थ, अर्थात् प्रयोजनान्तर देने के लिये विकल्पार्थक "वा" शब्द प्रयुक्त किया है। परन्तु भाष्यकार ने उन सभी "वा" का "तर्हि" के अर्थ में व्याख्यान किया है[1]। "तर्हि" द्वारा यह प्रतीत होता है कि पूर्वप्रयोजन नहीं, तो यह सही। इससे स्पष्ट है कि खण्डनार्थ वचन भाष्यकार के अपने हैं। कैयट ने कहा है—वा शब्दस्तर्ह्यर्थे[2]।

नागेश ने भी कहा है—**पूर्वप्रयोजनानां ज्ञापकेन खण्डनादाह—तर्ह्यर्थे**[3]। प्रत्येक "वा" का इस प्रकार पूर्वप्रयोजनों का खण्डन कर "तर्हि" के अर्थ में व्याख्यान किया है। अतः ये सभी वचन भाष्य-शैली के आधार पर स्वयं भाष्यकार के हैं।

ऐसी शैली अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होती है। जहाँ भाष्यकार स्वयं अपने शब्दों में (अर्थात् जहां वचन रूप में नहीं) ही वार्त्तिक प्रयोजन का खण्डन कर देते हैं। वहां विकल्पार्थक "वा" शब्द का या समुच्चयार्थक "च" शब्द का "तर्हि" के अर्थ में व्याख्यान करते हैं। जैसे—

'परश्च' (३।१।२) के "पर" ग्रहण का प्रयोजन देते हुए, कात्यायन ने—**अत्यन्तापरदृष्टानां वा परभूतलोपार्थम्**[4]—यह प्रयोजन दिया है। इसका भी—**एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयत्यत्यन्तापरदृष्टाः परभूता लुप्यन्त इति यदयं तेषु कादीननुबन्धानासजति**[5]—इस प्रकार ज्ञापक द्वारा खण्डन कर दिया है। तब **प्रयोगनियमार्थं वा** इस वार्त्तिक में पठित "वा" शब्द का व्याख्यान "तर्हि" के अर्थ में किया है—**प्रयोगनियमार्थं तर्हि परग्रहणं कर्त्तव्यम्**[6]।

---

१. भाष्य, भाग २, पृ० ७ पं० १४ तथा पृ० ८ पं० २५।
२. कैयट-प्रदीप, ३।१।३-४॥ गु० प्र० सं पृ० २१।
३. नागेश–प्रदीपोद्योत ३।१।३–४॥ गु० प्र० स० पृ० २१।
४. भाष्य–भाग २, पृ० ४ वा०।
५ भाष्य भाग २, पृ० ४ वा०।
६. भाष्य ३।१।२ भाग २, पृ० ४ पं० २०॥

यहाँ कैयट ने कहा है—**प्रयोगनियमार्थं वेति। पूर्वप्रयोजनं स्थितमिति वार्त्तिककारेण विकल्पार्थो वाशब्दः पठितः। भाष्यकारेण तु लिंगेन पूर्वप्रयोजनस्य निराकरणात्तर्ह्यर्थे व्याख्यातः**[1]।

स्पष्ट है कि भाष्यकार ने वार्त्तिककार के विकल्पार्थक "वा" का व्याख्यान पूर्वप्रयोजन के खण्डन कर देने से "तर्हि" के अर्थ में किया है। इसी प्रकार—

कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥

इस सूत्र में "अनुप्रयोग" करण का प्रयोजन देते हुए दो वार्त्तिक दिये हैं।

१—अर्थाऽसमाप्तेर्वा[2] ॥

२—विपर्यासनिवृत्त्यर्थं वा

इनसे पूर्व **लिट्परार्थं वा** प्रयोजन दिया था पर भाष्यकार ने इसका खण्डन कर दिया। तब १. वार्त्तिक का व्याख्यान इस प्रकार किया है—

अर्थासमाप्तेस्तह्यनुप्रयोगो न स्यात्—इसमें 'वा' शब्द का व्याख्यान पूर्व प्रयोजन का खण्डन हो जाने से 'तर्हि' के अर्थ में किया है। पुनः १. का भी—**एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। इदानीमेव ह्युक्तमामन्तमव्यक्तपदार्थकं तेनापरिसमाप्तोऽर्थ इति कृत्वानुप्रयोगो भविष्यति**[3] कहकर खण्डन कर दिया है। इसीलिए २. में कथित 'वा' का व्याख्यान 'तर्हि' के अर्थ में किया है—

विपर्यासनिवृत्त्यर्थं तर्हि कृञोऽनुप्रयोगवचनं क्रियते। ईहाञ्चक्रे। चक्र ईहामिति मा भूत्[4] इसके द्वारा देशनियमार्थ प्रयोजन दिया है। यहाँ पर नागेश ने कहा है—

वार्त्तिके वाशब्दो विकल्पार्थकोऽपि पूर्वत्र प्रयोजनानां खण्डितत्वात्तर्ह्यर्थे व्याख्यातः[5]।

स्पष्ट है कि वार्त्तिककार तो पूर्वप्रयोजन को भी मानते थे। भाष्यकार ने पूर्वप्रयोजनों का खण्डन कर देने से 'तर्हि' के अर्थ में 'वा' का व्याख्यान किया है।

---

१. कैयट—प्रदीप गु० प्र० स० ३।१।२, प० १५–१६।
२. भाष्य, भाग २, पृ० ४८ वा०।
३. भाष्य, भाग २, पृ० ४८ पं० १६–१७।
४. भाष्य, भाग २, पृ० ४८ पं० १९।
५. नागेश—उद्योत गु० प्र० सं०, पृ० १२१–१२२।

इसी प्रकार ३।१।३-४ में भी पूर्व प्रयोजनों के खण्डन कर देने से भाष्यकार ने "वा" का व्याख्यान "तर्हि" के अर्थ में किया है। अतः निश्चय ही 'न वा' प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं है, सम्भवतः भाष्यकार के हैं।

४।१।१। में 'च' का 'तर्हि' के अर्थ में व्याख्यान किया है[1]।

५—विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के खण्डनार्थ

भाष्य में बहुत स्थलों पर 'न वा' प्रतीकात्मक वचन विप्रतिषेधवार्त्तिकों के खण्डनार्थ प्रयुक्त हैं। जैसे—

१—चित्स्वराद्धारिस्वरः।

२—कृत्स्वराच्च।

क—न वाहरणप्रतिषेधो ज्ञापकः कृत्स्वराबाधकत्वस्य।

इत्यादि में 'न वा' प्रतीकात्मक वचन विप्रतिषेधवार्त्तिकों के खण्डनार्थ दिये हैं। विप्रतिषेधवार्त्तिक कात्यायन के नहीं हैं, यह हम अगले अध्याय में सिद्ध करेंगे। उनका निर्माता अन्य ही है। अतः जब विप्रतिषेधवार्त्तिकों का निर्माता अन्य है तो उनके खण्डनार्थ प्रयुक्त वचन भी अन्य के होंगे कात्यायन के नहीं। अतः निश्चित ही 'न वा' प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं।

६—वार्त्तिकव्याख्या-भेद-खण्डनार्थ 'न वा' प्रतीकात्मक वचन

यह निश्चितप्राय है कि 'अपर आह' कहकर भाष्यकार द्वारा दिये गये पाठभेद या व्याख्याभेद कात्यायन के नहीं हैं, उन्हीं भेदों का आश्रयण लेकर यदि कोई खण्डन करने लगे, उस अवस्था में खण्डनात्मक वचन निश्चित ही मूलकर्ता कात्यायन के नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ—

अन्तः ॥६।२।१४३॥

१—अन्तोदात्तत्वं समासस्येति चेत् कप्युपसंख्यानम्।

२—उत्तरपदान्तोदात्तत्वे नञ्सुभ्यां समासान्तोदात्तत्वम्।

अपर आह—उत्तरपदान्तोदात्तत्वे नञ्सुभ्यां समासान्तोदात्तत्वम्।

क—न वा कपि पूर्ववचनं ज्ञापकमुत्तरपदानन्त्योदात्तत्वस्य।

३—प्रकरणात् समासान्तोदात्तत्वम्।

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० १९०, पं० ११ तथा कैयट गु० प्र० सं० ४।१।१। पृ० ७—वार्त्तिककारस्य समुच्चयार्थश्चशब्दः। भाष्यकारेण तु पूर्वप्रयोजनस्य दूषितत्वात्तर्ह्यर्थे चशब्दो व्याख्यातः।

प्रश्न यह है कि सूत्र में केवल 'अन्तः' कहा गया है, उस अवस्था में समास को अन्तोदात्त माना जाय या उत्तरपद को ? क्योंकि दोनों की अनुवृत्ति आ रही है।

(१) में समास को अन्तोदात्त मानने पर दोष दिया है। (२) में उत्तरपद को अन्तोदात्त मानने पर दोष दिया है। अपर आह— कहकर भाष्यकार ने व्याख्याभेद दिया है। (क) में अपर आह कहकर दिये दोष का समाधान दिया है। (३) में २. दोष का समाधान दिया है। भाष्यकार ने १. में कहे दोष का भी समाधान दिया है।

यहाँ उपलब्ध क. वचन हमारे विचार से कात्यायन का नहीं, क्योंकि यहाँ 'अपर आह' कहकर २. का व्याख्याभेद दिखाया है। 'अपर आह' कहने का स्पष्ट अर्थ है कि वह कात्यायन का नहीं है, किसी अन्य का है। यतः वह अन्य का है और 'न वा' प्रतीकात्मक क. वचन स्पष्टरूपेण 'अपर आह' वाले दोष का समाधान दे रहा है[1], अतः स्पष्ट है कि वह कात्यायन का नहीं है। २. के समाधानार्थ ३. वार्त्तिक दिया है, उसका क. से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ, भाष्यकार ने जब क. का व्याख्यान कर दिया तदनन्तर ३. के साथ संगति मिलाने के लिये अवतरणिका दी और पुनः ३. वार्त्तिक दिया है।

अतः स्पष्ट है कि जो वचन कात्यायन के वार्त्तिकों की अवान्तरकालीन व्याख्याओं का समाधान करे वह निश्चय ही कात्यायन का नहीं हो सकता है।

७—भाष्यकार द्वारा समाधानार्थ स्पष्टतः "न वा" प्रतीकाश्रयण

युवोरनाकौ–७।१।१ (गु० प्र० सं०) में **न वा परं निमित्तं संज्ञा च प्रत्ययलक्षणेन**[2] को वार्त्तिक माना है। परन्तु यह उचित नहीं है। यदि यह वार्त्तिक होता तो इससे पूर्व कोई अन्य दोषप्रदर्शक वार्त्तिक भी होना चाहिये, जिसके खण्डनार्थ यह "न वा" कहा गया हो। हाँ, भाष्यकार ने अवश्य दोष दिया है—

---

१. नि० सा० सं० में व्याख्याभेद के समाधानार्थ क. वचन माना है— अपरमतप्राप्तदोषवारकवार्तिकम् पृ० २०७।

२. भाष्य ७।१।१॥ गु० प्र० सं०, पृ० ३।

यत्र तर्हि समासाद्विभक्तिर्नास्ति नन्दनदधि कारकदधि[1]। इस दोष का समाधान इसमें दिया है। यदि "न वा" प्रतीकात्मक वचन को वार्त्तिक मानें तब **युवोरनाकौ** सूत्र में पठित धातुप्रतिषेध का विधानरूप आक्षेप व्यर्थ हो जावेगा, क्योंकि प्रथम जब विचार कर ही लिया कि यु, वु प्रत्यय लिये गये हैं, पुनः सारा विचार क्यों? कैयट ने एतदर्थ स्पष्ट कह दिया है—

भाष्यकारेण पूर्वं स्वतंत्रेणोक्तमिदानीं वार्त्तिकमवतारितमित्यदोषः[2]

अतः स्पष्ट है कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन वार्त्तिक नहीं है, भाष्य-व्याख्यान है। ऐसी अवस्था में दूसरी बात परिज्ञात हो रही है, वह यह कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं, क्योंकि **न वा परं निमित्तं** में भी "न वा" है, जब कि यह निश्चित ही भाष्यकार का है। कीलहार्न ने **न चापरं निमित्तं** माना है, परन्तु ठीक नहीं, क्योंकि कैयट, नागेशादि सभी ने **न वा परं निमित्तं** ही माना है और प्रतीकों में उसी का आश्रयण किया है। अतः यह "न वा" कहकर समाधानशैली सम्भवतः भाष्यकार की ही है।

कुछ स्थानों पर भाष्य में **तस्मात् सुष्ठूच्यते** कहकर पुनः "न वा" प्रतीकात्मक वचन मिलते हैं जिससे यह सन्देह होता है कि सम्भवतः ये भाष्यकार के न हों, जैसे—

१—'आशंसायां भूतवच्च (३।३।१२२) में **तस्मात् सुष्ठूच्यते न वा संभावनावयवत्वादाशंसायाः**[3]।

२—बहुव्रीहेरूधसो ङीष् (४।१।२५)–**तस्मात् सुष्ठूच्यते न वा समासान्ताधिकारे स्त्रीग्रहणादितरथा हि कब्विधि-प्रसंगः**[4]।

परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहां स्पष्टतः भाष्य व्याख्यान को ही **तस्मात् सुष्ठूच्यते** कहकर उद्धृत किया है। जैसे—

---

१. भाष्य–भाग ३, पृ० २३६ पं० १०–११।
२. कैयट–प्रदीप–७।१।१। गु० प्र० सं० पृ० ४।
३. भाष्य–भाग २, पृ० १५९, पं० १३-१४।
४. भाष्य–भाग २, पृ० २१२, पं० १२।

अन्येभ्योऽपि दृश्यते (३।२।१७८)-पर-तस्मात् सुष्ठूच्यते। दीर्घ-वचनसामर्थ्यात् सम्प्रसारणं न भविष्यति[1]।

यह निश्चय ही भाष्यकार का है। भाष्य में कहा है—**अपर आह। वचिप्रच्छ्योरसंप्रसारणं चेति वक्तव्यम्। तत्तर्हि वक्तव्यम्। न वक्तव्यम्। दीर्घवचनसामर्थ्यात् सम्प्रसारणं न भविष्यति[2]।**

अतः उपरिलिखित उदाहरण से स्पष्ट है कि भाष्यकार विशुद्ध अपने वाक्य को भी "सुष्ठूच्यते" कहकर उद्धृत कर देते हैं। उसी प्रकार "न वा' प्रतीकात्मक वचनों को भी "सुष्ठूच्यते" कहकर उद्धृत किया है।

हमारे विचार से इन उपर्युक्त सभी प्रमाणों के आधार पर यह निश्चय हो जाता है कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं। सम्भवतः भाष्यकार के ही प्रत्याख्यानार्थ प्रयुक्त वचन हैं। यद्यपि इनमें से कुछ अन्य आचार्यों के भी हो सकते हैं, तथापि हमने इनको भाष्यवचन के रूप में ही माना है।

'उक्तम्' पदयुक्त वचनों का वार्तिकाऽवार्त्तिकत्व विचार

डा० कीलहार्न के मतानुसार—पतंजलि ने कात्यायन के सम्पूर्ण वार्त्तिकों पर भाष्य लिखा है, इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि, यह निश्चित है कि जहाँ कात्यायन "उक्तं" या "उक्तं वा" शब्दों से अपने अन्य वार्त्तिकों का उद्धरण देता है वे प्रायः सभी वार्त्तिक महाभाष्य में उपलब्ध हो जाते हैं[3]।

इस कथन से स्पष्ट है कि डा० कीलहार्न 'उक्तं वा' को तथा 'उक्तं' पदयुक्त वाक्यों को कात्यायनीय वार्त्तिक मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने

---

१. भाष्य—भाग २—पृ० १३६, पं० १३।

२. भाष्य—भाग २—पृ० १३६, पं० ८-९।

3. Dr. F. KIELHORN. Katyayana and Patanjali P. 46,—"A very strong argument in favour of the assumption that Patanjali has recorded and commented on all the varttikas of Katyayana, is furnished by the fact that whenever Katyayana in such words as उक्तं or उक्तं वा refers to another of his Varttikas, the Varttika so instanced or referred to is invariably to be found in the Mahabhashya."

स्वसम्पादित भाष्य—संस्करण में सभी स्थानों पर 'उक्तं' पदात्मक वाक्यों को वार्त्तिक रूप में पढ़ा है।

हमारे विचार इसके अनुरूप नहीं हैं। महाभाष्य के पर्य्यालोचन से ऐसे बहुत से स्थल उपलब्ध होते हैं, जहां 'उक्तं' पद द्वारा उद्धृत वाक्य निश्चित ही भाष्यकार का होता है, वार्त्तिककार का नहीं। बहुत स्थानों पर इन उद्धरणों में भाष्यकार द्वारा कृत वार्त्तिक-व्याख्यान ही उपलब्ध होता है। अन्य भी कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें यह कहने को विवश कर देते हैं कि कुछ 'उक्तं' पदात्मक वचनों को, जैसा कि आगे बताया जायेगा, छोड़कर सभी भाष्यकार के हैं, कात्यायन के वार्त्तिक नहीं।

१—'उक्तं' द्वारा भाष्यकारीय वाक्यों के उद्धरण के उदाहरण

(क) **'देवात्तल्'** (५।४।२७) में 'उक्तं वा' वाक्य दिया है। यहाँ 'उक्तं वा' से उद्धृत वाक्य यह है—**किमुक्तम्। स्वार्थिका अतिवर्तन्तेऽपि लिंग-वचनानि।** यह वाक्य **विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु** (५।३।६८) एवं **णचः स्त्रियामञ्** (५।४।१४) इन दो स्थानों पर उपलब्ध होता है। वहाँ मात्र भाष्य ही है। ५।४।१४ में तो कोई वार्त्तिक ही नहीं है। पूरे सूत्र में भाष्य ही है। ५।२।६८ पर वार्त्तिक हैं, परन्तु उनका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वयं भाष्यकार ने 'तु' ग्रहण के प्रयोजन का, जो कि कात्यायन ने दिया था—**तुग्रहणं नित्यपूर्वार्थम्**[1], खण्डन कर पुन कहा—

इदं तर्हि प्रयोजनम्। प्रागुत्पत्तेर्यल्लिंगं वचनं च तदुत्पन्नेऽपि प्रत्यये यथा स्यात्। बहुगुडो द्राक्षा। बहुतैलं प्रसन्ना। बहुपयो यवागुरिति। इसी के खण्डन के लिये—**एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। स्वार्थिको ह्ययं स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते। एवं तर्हि सिद्धे सति यत्तुग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः स्वार्थिका अतिवर्तन्तेऽपि लिंगवचनानीति**[2]।

इसी प्रकार यह ज्ञापक दोनों स्थानों पर स्वयं भाष्यकार का है। कात्यायन का वार्त्तिकांश भी नहीं है। यही वचन **कुटिशमीशुण्डाभ्यो रः** (५।३।८८) सूत्र पर भी 'उक्तं वा' द्वारा उद्धृत किया गया है। वहाँ पर भी यही जानना चाहिये।

---

१. भाष्य—भाग २, पृ० ४२१ वा०

२. भाष्य भाग—२, पृ० ४२१-४२२।

(ख) घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६।४।६६) इस सूत्र में **धीवरी पीवरीति चोक्तम्** यह वचन वार्त्तिक रूप में पठित है, यहाँ भाष्य में **किमुक्तम्। नैतदीत्त्वम्। किं तर्हि। ध्याप्योरेतत् सम्प्रसारणमिति**[1]। यह वाक्य **अज्झनगमां सनि** (६।४।४२) सूत्र से उद्धृत किया है। वहाँ इस प्रकार का कोई वार्त्तिक नहीं है। हाँ, भाष्यकार का कथन अवश्य उपलब्ध होता है—

नैतदीत्त्वम्। किं तर्हि। ध्याप्योः सम्प्रसारणमेतत्[2]। यह निश्चित ही भाष्यकार ने अपने व्याख्यान-प्रसंग में कहा है।

(ग) **वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः** (८।२।८२) सूत्र पर 'उक्तं वा' कहा है, वहां भाष्य में कहा है—

किमुक्तम्। ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति यत्र ब्रूयादच इत्येतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यमिति[3]।

यह वचन **अचश्च** (१।२।२८) सूत्र से लिया गया है। यह भाष्यकार का है। इसका वार्त्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ पर **एवमपि भिद्यते सुवाग्ब्राह्मणकुलमित्यत्रापि प्राप्नोति** कहकर **एवं तर्हि ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति यत्र ब्रूयादच इत्येतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम्**[4] कहा है। यह व्याख्यान-प्रसंग में समाधानार्थ कथित है। अतः निश्चय ही यह भाष्यकार का है।

(घ) **द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचन०** (८।१।१५) इस सूत्र में 'उक्तं वा' कहा है। वहाँ का भाष्य है—**किमुक्तम्। लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति**[5]। यह वचन ५।३।६६ से उद्धृत किया है। वहाँ कहा है—

एवमपि नपुंसकत्वं वक्तव्यम्। न वक्तव्यम्। लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्य[6]।

---

१. भाष्य–भाग ३, पृ० २०८ पं० ३–४।
२. भाष्य—भाग ३, पृ० १९७ पं० २२।
३. भाष्य—भाग ३, पृ० ४१६ पं० ४–५।
४. भाष्य—भाग १, पृ० २०५ पं० २१–२३।
५. भाष्य—भाग ३, पृ० ३७१ पं० ६–७।
६. भाष्य—भाग २, पृ० ४१८ पं० २४–२५।

यह स्वयं भाष्यकार का है। इसका वार्त्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) **ष्णान्ता षट्** (१।१।२४) में "उक्तं वा" कहा है। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा है—**किमुक्तम्। इह तावच्छतानि सहस्राणीति संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति**[1]।

यह **कृन्मेजन्तः** (१।१।२९) सूत्र से उद्धृत किया है। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा है—**इमानि तर्हि प्रयोजनानि। शतानि सहस्राणि। नुमि कृते ष्णान्ता षट् इति षट् संज्ञा प्राप्नोति। संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो भवति**[2]।

इस प्रकार यह निश्चित ही भाष्यकार का है और इसके भाव को ही १।१।२४ में रख दिया है।

(च) **जात्याख्यायामे०** (१।२।५८) पर कहा है—**तत्रैकवचनादेश उक्तम्। किमुक्तम्। व्रीहिभ्य आगत इत्यत्र घेर्ङिति इति गुणः प्राप्नोतीति**[3]।

यह वाक्य **स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ** (११।५४) से लिया है[4]।

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि 'उक्त' पदयुक्त वाक्य स्वयं भाष्यकार के है, वार्त्तिककार कात्यायन के नहीं। इस प्रकार बहुत से स्थल हैं जहां 'उक्तं' पदात्मक वाक्यों द्वारा भाष्यकथन की तरफ संकेत किया गया है। यहां "स्थालीपुलाकन्याय" से केवल ६ ही उदाहरण दिये हैं।

२—वार्त्तिकों के भाष्य-व्याख्यान का उद्धरण

बहुत से स्थलों पर 'उक्त' पदात्मक वाक्यों के व्याख्यान में वार्त्तिक की भाष्यव्याख्या उद्धृत की है। उदाहरणार्थ—

(क) **अनिगन्तोऽञ्चतावप्रत्यये** (६।२।५२) इस सूत्र पर "उक्तं वा" दिया है, वहां भाष्य में कहा है—**किमुक्तम्। समासे शाकलं न भवति इति**[5]। यह उद्धरण **इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च** (६।१।२७) सूत्र से

---

१. भाष्य—भाग १, पृ० ८३, पं० १७–१९।
२. भाष्य—भाग १, पृ० ९८, पं० २०–२१।
३. भाष्य—१।२।५८, भाग १।
४. भाष्य—भाग १, पृ० १३८, पं० २१-२२।
५. भाष्य—भाग ३, पृ० १२९, पं० १०-११।

लिया गया है। वहाँ **सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः** वार्त्तिक दिया है। इसी के भाष्य में कहा है—**नित्यग्रहणेन नार्थः। सित्समासयोः शाकलं न भवतीत्येव**[1]। इसे ही "सित्" को छोड़कर उद्धृत किया है। यह भाष्यकार का ही है।

(ख) **रोः सुपि** ८।२।६९ सूत्र पर **लुकि चोक्तम्** वचन दिया है। वहां भाष्यकार ने कहा है—**किमुक्तम् अह्नो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्**[2] यह उद्धरण **न लुमतांगस्य** (१।१।६८) से उद्धृत किया है। वहां **अह्नो रविधौ** वार्त्तिक है और उसका भाष्य-व्याख्यान है—**अह्नो रविधाने लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्**[3]। स्पष्ट ही यह भाष्यकार की वार्त्तिक-व्याख्या उद्धृत है, न कि वार्त्तिक।

(ग) **इको गुणवृद्धी** (१।१।३) पर **अटि चोक्तम्** दिया है। वहाँ भाष्य में कहा है—**किमुक्तम्। अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्यं भवतीति**[4]।

यह उद्धरण **ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे** सूत्र से लिया गया है। वहाँ वार्त्तिक **अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य वा** है। भाष्यकार ने व्याख्या में **अथवाऽनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्यं भवतीत्येषा परिभाषा कर्तव्या**[5] दिया है। इस प्रकार १।१।३ के उद्धरण में भाष्यकार की व्याख्या ही उद्धृत है।

३—अनभिधान पक्ष भाष्यकारीय है

बहुत से स्थलों पर विशेष कर ४-५ अध्याय में "उक्तं वा" द्वारा "अनभिधानात्" का उद्धरण दिया है। हमारे विचार में वस्तुतः अनभिधान पक्ष भाष्यकार का ही है। अतः उस अनभिधान को कहने वाले "उक्तं वा" या 'उक्तं' पदयुक्त वाक्य भी भाष्यकार के ही होंगे।

---

१. भाष्य—भाग ३, पृ० ८९, पं० २२-२३।
२. भाष्य—भाग ३, पृ० ४१२, पं० ८-९।
३. भाष्य—भाग १, पृ० १०६, पं० ६-७।
४. भाष्य—भाग १, पृ० ४८, पं० ३-४।
५. भाष्य—भाग ३, पृ० २१, पं० १-२।

४—"उक्तं" पदात्मक वचनों के अवार्तिकत्व में स्पष्ट भाष्य-प्रामाण्य

हलादि शेषः (७।४।६१) सूत्र पर "उक्तं वा" कहकर भाष्यकार ने—**किमुक्तम्। प्रतिविधास्यते हलादिशेष इति। अयमिदानीम्प्रतिविधान-कालः इदं प्रतिविधीयते,** इत्यादि भाष्य दिया[1] है।

अर्थात् जो यह कहा था कि **हलादि शेषः** सूत्र में समाधान देंगे, वह यह समाधान का समय आ गया है। जहाँ यह कथन है, वह **अजादेर्द्वितीयस्य** (६।१।२) का भाष्य है—**ननु चोक्तं सति तस्मिन् प्रतिषेध इति चेद्धलादि-शेषे दोषः। प्रतिविधास्यते हलादि शेषे**[2]। अर्थात् **हलादि शेषः** (७।४।६१) सूत्र पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे और उसी को **हलादि शेषः** सूत्र पर "उक्तं वा" द्वारा उद्धृत किया है। वह निश्चय ही भाष्यकार का है, क्योंकि यदि प्रतिविधान के लिये (७।४।६१) में वार्त्तिककार ने कुछ कहा होता तब तो कुछ संगति लग सकती थी। परन्तु यहां प्रतिविधानप्रकार पूर्णतः स्वयं भाष्यकार का है। इतना ही नहीं **हलादि शेषः** के वार्त्तिक—**तस्मादनादिलोपः** और **उक्तं वा** की आपस में भी कोई संगति नहीं लगती। अतः स्पष्ट है कि "उक्तं" पदात्मक वाक्य स्वयं भाष्यकार के हैं।

'उक्तं वा' को वार्त्तिक मानने में डा० कीलहार्न की विप्रतिपत्ति

डा० कीलहार्न ने प्रायः सभी स्थानों में "उक्तं" पदयुक्त वाक्यों को वार्त्तिक रूप में उद्धृत किया है। परन्तु **अनिगन्तोऽञ्चतावप्रत्यये** (६।२।५२) सूत्र पर एक "उक्तं वा" को वार्त्तिक रूप में माना है और उसके आगे "समासे शाकलं न भवतीति"—कहा है। इसके बाद वाले "उक्तं वा" को सामान्य भाष्य के रूप में ही पढ़ा है[3]। इसका कारण क्या है? इस प्रकार का उदाहरण कीलहार्न संस्करण में हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हुआ है। अन्य भाष्यसंस्करणों में यह दोष पदे-पदे हैं। कहीं तो वे "उक्तं वा" को वार्त्तिक मानते हैं और कहीं नहीं।

---

१. भाष्य—भाग ३, पृ० ३५३, पं० १३-१४।

२. भाष्य—भाग ३, पृ० ८, पं० ६-७।

३. भाष्य—भाग ३, पृ० १२९ पं १५।

नि० सा० सं० के सम्पादक का भ्रम

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि नि० सा० सं० के सम्पादक निश्चित रूप से भाष्यकारीय **उक्तं वा** को वार्त्तिक बनाने के विचार से वार्त्तिकों की संगति लगाने में अनवधानता कर बैठते हैं। उदाहरणार्थ —

ङ्याप्प्रातिपदिकात (४।१।१) में सम्पादक ने नि० सा० सं० में "उक्तं वा" को वार्त्तिक माना है। इससे पूर्व **तदन्तस्य च प्रत्ययार्थेनायोगात् तद्धितानुपपत्तिः** यह वार्त्तिक दिया है। इस वार्त्तिक को "ङ्याप्" ग्रहण में दोष-दर्शक-भाष्य न मानकर, "दोषपरिहार वार्त्तिक" माना है। हम जानना चाहेंगे कि यह किस दोष का परिहार कर रहा है ?

यहीं पर नागेश के द्वारा कहे **भाष्ये दोषान्तरमाह— तदन्तस्येति**[1] इसकी क्या संगति होगी और क्या भाष्यकार का **नैष दोषः** आदि कहकर समाधान[2] दोष-स्थापनार्थ होगा ? यही नहीं नागेश ने कहा कि—**अन्त्यदोष उद्धृते आद्यदोषोऽस्त्येवेत्याह—ननु चोक्तम्**[3]। इससे भी स्पष्टतः "तदन्तस्य" वार्त्तिक को अन्त्य-दोष कहा है और "नैष दोषः" या "उक्तं वा" द्वारा उसका समाधान बोध कराया है। पर इसको न समझकर केवल "उक्तं वा" को वार्त्तिकवचन बनाने के विचार से इस नागेश के वाक्य की क्या विचित्र संगति लगाई है—

अन्त्यदोषे—तदन्तस्य प्रत्ययार्थेनायोगात् तद्धितानुपपत्तिरिति दोषवारणेऽप्याद्यो दोषः—तत्र समासान्तेषु दोष इति दोष इत्यर्थः[4]।

स्पष्ट है कि सम्पादक "उक्तं वा" को वार्त्तिक बनाना चाहते हैं, परन्तु उसमें "वा" लगा है। अतः इसके पूर्व अन्य कोई वार्त्तिककार का समाधान हो तभी "वा" संगत हो सकता है। एतदर्थ "तदन्तस्य०" को समाधान बनाया और "उक्तं वा" समाधानान्तर। इस प्रकार "उक्तं वा" को वार्त्तिक रूप में पढ़ दिया। परन्तु वे यह भूल गये कि यहां "वा", "नैष दोषः" आदि समाधान को ध्यान में रखकर दिया है। तभी "उक्तं वा" द्वारा समाधानान्तर उचित है।

---

१. नागेश—प्रदीपोद्योत—नि० सा० सं० पृ० १५ खण्ड ४।
२. भाष्य—भाग २, पृ० १९५, पं० ११-१४।
३. नागेश—उद्योत—नि० सा० सं० पृ० १५, खण्ड ४।
४. भाष्य—टिप्पणी—नि० सा० सं० पृ० १५, खण्ड ४।

५--भाष्य-शैली—तीन शैलियां तथा तृतीय शैली का वार्त्तिकत्व

इन "उक्तं" पदात्मक वाक्यों में तीन प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं—

१—उक्तं वा।

२—अटि चोक्तम्। उक्तं पूर्वेण।

३—यङ्विधौ धातुग्रहणे उक्तम्।

इन शैलियों में प्रथम शैली में मात्र उद्धरण का स्मरण कराया जाता है। जैसे—**उक्तं वा**। दूसरी, जहाँ उस स्थान का भी निर्देश करा दिया जाता है, जहाँ या जिस विषय में उद्धरण दिया हो। जैसे—**अटि चोक्तम्। उक्तं पूर्वेण**। तृतीय, जहाँ मूलतः उद्धरण ०ठित है और जहाँ उद्धरण की आवश्यकता है, उन दोनों स्थानों का बोध कराया जाता है। जैसे—**यङ्विधौ धातु-ग्रहण उक्तम्।**

इन शैलियों में वार्त्तिक-परिज्ञानार्थ भाष्यकार की व्याख्यान-शैली भी अत्यधिक उपयोगी है।

(१-२) शैलियों के वार्त्तिकत्व के खण्डन में हम कुछ प्रमाण दे चुके हैं। वार्त्तिक-परिज्ञान के लिए हम बता चुके हैं कि **अत उत्तरं पठति** कहकर पठित वचन वार्त्तिककार के हैं। भाष्यकार ने तीसरी शैली के वचनों के पूर्व "अत उत्तरं पठति" यह अवतरणिका दी है और उसके बाद तृतीय शैली वाले वचन उद्धृत किये हैं।

उदाहरणार्थ—

(क) धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् ॥३।१।२२॥

अथ धातुग्रहणं किमर्थम्। इह मा भूत् प्राटति भृशमिति। अत उत्तरं पठति—यङ् विधौ धातुग्रहणे उक्तम्[1] ॥

(ख) सनाद्यन्ता धातव ॥३।१।३२॥

अन्त ग्रहणं किमर्थम्। न सनादयो धातवः इत्येवोच्येत। केनेदानीं तदन्तानां भविष्यति। तदन्तविधिना। अत उत्तरं पठति—सनादिष्वन्त-ग्रहण उक्तम्[2]।

---

१. भाष्य-भाग २, पृ० २८, पं० १९-२१।

२. भाष्य भाग—२, पृ० ४१, पं० २१-२३।

(ग) अचि विभाषा ८।२।२१॥

णावुपसंख्यानं कर्तव्यम् । इहापि यथा स्यात् । निगार्यते ।.....
अत उत्तरं पठति—गिरेर्लत्वे णावुक्तम्[1] ॥

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम और द्वितीय शैली वाले वाक्यों में कहीं भी "अत उत्तरं पठति" यह अवतरणिका नहीं दी है; केवल तृतीय शैली वाले वार्त्तिकों में ही "अत उत्तरं पठति" अवतरणिका है।

साथ ही प्रथम, द्वितीय शैली के वाक्यों के व्याख्यान में भाष्यकार ने स्वयं अपना भाष्य या वार्त्तिक का भाष्य-व्याख्यान भी प्रायः उद्धृत किया है। परन्तु तृतीय शैली वाले "उक्तम्" पदात्मक वार्त्तिकों में केवल वार्त्तिक ही उद्धृत किया है। इसका अपवाद हमें उपलब्ध नहीं हुआ।

अतः स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने ही "अत उत्तरं पठति" इस अवतरणिका-मिष, "उक्तम्" प्रतीकात्मक वचनों में कौन से कात्यायन के वार्त्तिक हैं? इनकी पहिचान बतायी है। दूसरे अर्थों में "उक्तं वा" तथा "अटि चोक्तम्" का अवार्त्तिकत्व सिद्ध कर दिया है।

तृतीय शैली के वार्त्तिक लगभग ८-९ ही हैं। उनमें से कुछ में "अत उत्तरं पठति" यह अवतरणिका दी है और कुछ यों ही पठित हैं, जैसे—

अतिशायने तमबिष्ठनौ ॥५।३।५५ ॥

१—अतिशायने बहुव्रीहावुक्तम् ।

शेवलसुपरविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात् ॥५।३।८४॥

१—षडिके जष्त्व उक्तम् ।

इत्यादि वार्त्तिकों का समावेश भी इसी शैली में हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय शैली को छोड़ कर शेष द्विविध शैली वाले "उक्तम्" पदयुक्त वाक्य स्वयं भाष्यकार के हैं, कात्यायन के नहीं।

---

१. भाष्य-भाग—३, पृ० ३९९, पं० २१-२४ तथा पृ० ४००, पं० १।

उपसंहार

इस प्रकार इस अध्याय में संक्षेप से वार्त्तिक-निर्णय पर विचार किया गया है। कात्यायनीय वार्त्तिकों के परिज्ञान के कुछ साधन दिये गये हैं, जिनके आधार पर महाभाष्य में पठित सभी वचनों के निर्माता का परिज्ञान प्रायः हो जाता है, अर्थात् कौन से कात्यायन के वार्त्तिक हैं और कौन से भाष्य-वचन हैं। साथ ही जो "न वा" प्रतीकात्मक वचन अब तक कात्यायन के वार्त्तिक के रूप में माने जाते रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भी विचार कर उनका कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। 'उक्तं' पदात्मक वचनों में कौन से कात्यायन के वार्त्तिक हैं और कौन से भाष्य-वचन इस पर भी विचार कर कुछ को छोड़कर अन्य सभी को भाष्यवचन सिद्ध किया गया है।

पञ्चम अध्याय

वार्त्तिककार कात्यायन और उनकी वार्त्तिक-रचना-पद्धति तथा अन्य वार्त्तिककार

कात्यायन

कात्यायन का महत्त्व

यद्यपि पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण पर पर्याप्त कार्य हो चुका था तथापि पाणिनि के उपरान्त इस शास्त्र पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया। पाणिनि से पूर्व ऐन्द्र एवं माहेश्वर सम्प्रदाय से सम्बन्धित व्याकरण पृथक् पृथक् ही दीखते हैं। पाणिनि के प्रोक्त ग्रन्थ की यही विशेषता है कि क्या ऐन्द्र-सम्प्रदाय, क्या माहेश्वर-सम्प्रदाय, उभयानुवर्ती आचार्यों ने इसे विस्तृत एवं पल्लवित किया। पाणिनि ने अपनी समकालीन भाषा के आधार पर एवं प्राचीन व्याकरण-नियमों को लेकर जो भाषाज्ञान के लिये सर्वोत्तम संग्रह बनाया, उसमें भी बहुत से परिवर्तन भाषा के आधार पर आवश्यक थे। कुछ ऐसे नियम भी थे जा अतिसंक्षेपीकरण के कारण पाणिनि के संग्रह में स्थान न पा सके थे, परन्तु भाषा की दृष्टि से वे अत्यन्त उपादेय थे, उन नियमों का व्याकरण में प्रवेश कराने के लिये वार्त्तिक-कार ने पाणिनिव्याकरण के व्याख्यानमिष वार्त्तिकों की रचना की।

यद्यपि वार्त्तिकों की स्थिति पाणिनि से प्राचीन है, जैसा कि पूर्व हम सिद्ध कर चुके हैं, तथापि पाणिनि-व्याकरण पर अद्यत्वे उपलभ्यमान वार्त्तिकों में सर्वाधिक वार्त्तिकों के निर्माता या पाणिनि के मुख्य व्याख्याता कात्यायन हैं। उनका यह वार्त्तिकपाठ व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है। इसके विना पाणिनिव्याकरण निश्चय ही अधूरा रह जाता है। वैसे कोई पृथक् वार्त्तिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है परन्तु महाभाष्य में पठित वार्त्तिकों के आधार पर हम जान पाते हैं कि ये वार्त्तिक कात्यायन के हैं।

कात्यायन के नाम

नागेश[1], हरदत्त[2], सायण[3], भर्तृहरि[4], कुमारिल[5], जिनेन्द्र बुद्धि[6], क्षीरस्वामी[7], हेलाराज[8], हेमचन्द्र[9] ने वार्त्तिककार को वाक्यकार नाम से सम्बोधित किया है। हेमहंसगणि[10] और गुणरत्नसूरि[11] ने वार्तिककार द्वारा निर्मित धातुओं को वाक्यकारीय नाम से पुकारा है।

सांख्यसप्तति की युक्तिदीपिका में पदकार नाम से वार्त्तिककार को स्मृत किया गया है[12]। पतंजलि ने महाभाष्य में वार्त्तिककारका नाम कात्यायन

---

१. नागेश–उद्योत, वाक्यकारो वार्त्तिकमारभते, ६।१।१३५॥

२. हरदत्त–पदमंजरी, भाग १, का० सं० पृ० ७।
यद् विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्।
वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत्॥

३. सायण–धातुवृत्ति:, पृ० ४०२ का० सं०—चुलुम्पादयो वाक्यकारीया:।

४. भर्तृहरि–भाष्यदीपका पृ० १६०, एषा भाष्यकारस्य कल्पना न वाक्यकारस्य।

५. कुमारिल भट्ट–तंत्रवार्त्तिक, १।३।८—पृ० २८७ पूना० सं०, धर्माय नियमं चाह वाक्यकार: प्रयोजनम्।

६. जिनेन्द्र बुद्धि–काशिकाविवरण पंजिका ॥६।२।११॥

७. क्षीरस्वामी–क्षीरत०, पृ० ३२२(रा० क० सं०)—सौत्राश्चुलुम्पादयश्च वाक्यकारीया धातव:।

८. हेलाराज–वाक्यपदीय टीका, काण्ड ३, पृ० २, १२, २७।

९. हेमचन्द्र–हेमधातुपारायण के अन्त में—सौत्राश्चुलुम्पादयश्च वाक्यकारीया उदाहार्या:।

१०. हेमहंसगणि–न्यायसंग्रह पृ० १२२, १३०—एवं लौकिकवाक्यकरणीयानाम्।

११. गुणरत्न सूरि–क्रियारत्नसमुच्चय पृ० २८४—चुलुम्पादयो वाक्यकरणीया:।

१२. सांख्यसप्तति, युक्ति दीपिका– पृ० ७—पदकारश्चाह जातिवाचकत्वादिति।

माना है[१]। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि महाभाष्य के मुख्य वार्त्तिक-निर्माता कात्यायन हैं।

भाष्य में कात्यायन के वार्त्तिकों की मुख्यता है, परन्तु उसने अपने व्याख्या-प्रसंग में अन्य वार्त्तिककारों के वचनों को भी स्थान दिया है।

कात्यायन के लिये कात्य[२], कात्यायन[३], पुनर्वसु[४], मेधाजित्[५], वररुचि[६] आदि शब्दों का प्रयोग होता है। पर इन सब में कात्यायन तथा वररुचि ये दो नाम अधिक प्रसिद्ध हैं।

कात्यायन का स्थान एवं काल

कात्यायन के निवास स्थान के सम्बन्ध में, कथासरित्सागर से यह ज्ञात होता है कि वह कौशाम्बी[७] का निवासी था। उसने 'वर्ष' नामक विद्वान् से विद्याध्ययन किया था, और उसने अपनी कथा काणभूति को स्वयं विन्ध्य के जंगलों में सुनाई थी[८]।

---

१. पतंजलि–महाभाष्य, ३।२।११८—न स्म पुराद्यतन इति ब्रुवता कात्यायनेनेह, स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविशेषेण भवति किं वार्त्तिककारः करोति, न स्म पुराद्यतन इति।

२. पतंजलि–महाभाष्य, ३।२।३—प्रोवाच भगवान् कात्यस्तेनासिद्धिर्यणस्तु ते।

३. देखो—टिप्पणी १।

४. भाषावृत्तिः ४।३।३४—पुनर्वसुर्वररुचिः।

५. समुद्रगुप्त–कृणचरित्र—
यः स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि।
काव्येन रुचिरेणासौ ख्यातो वररुचिः कविः॥
न केवलं व्याकरणं पुपोष दाक्षिसुतस्येरितवार्त्तिकैर्यः।

६. पुरुषोत्तमदेव–त्रिकाण्ड कोष—मेधाजित् कात्यायनश्च सः।

७. कौशाम्बी—एक प्राचीन ग्राम है। यह यमुना के किनारे, बाईं ओर इलाहाबाद से लगभग ३० मील पश्चिम की ओर है। 'दे' की (जोग्रफिकल डिक्शनरी)।

८. कौशाम्ब्यां सोमदत्ताख्या नाम्नाऽग्निशिख इत्यपि।
द्विजोऽभूत्तस्य भार्या च वसुदत्ताऽभिधाऽभवत्॥
तस्य तस्माद् द्विजवरादेष जातोऽस्मि शापतः॥ (११।३०–३१।)

कात्यायन को भाष्यकार ने आचार्य पद से सम्बोधित किया है[1]। पतंजलि को कैयट ने आचार्यदेशीय कहा है[2]। पतंजलि का स्थान, गोनर्दीय पद के कारण गोनर्द (गोण्डा) माना जाता है। अतः इस आधार पर वार्त्तिककार का स्थान मध्यदेश सिद्ध होता है। मध्यदेश के लिये वार्त्तिक का भी निर्माण किया गया है। ४।२।१३२ में—**गहादिषु पृथिवीमध्यस्य मध्यभावः।** इसी कारण से गोल्डस्टूकर ने अपने "पाणिनि" निबन्ध में भाष्यकार को पूर्वदेशवासी माना है[3]। परन्तु पतंजलि ने अपने भाष्य में कात्यायन को दाक्षिणात्य माना है[4]। उन्होंने लिखा है—

यथा लौकिक वैदिकेषु.....प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः।

इसी आधार पर आर० जी० भण्डारकर ने कात्यायन का स्थान दक्षिण-देश सिद्ध किया है[5]। पी० एस० सुब्रह्मण्यम् ने भी इसी के आधार पर दक्षिणापथ (डेकन) लिया और कात्यायन को वहीं का निवासी सिद्ध किया है[6]।

हमारे विचार में कात्यायन का स्थान दक्षिणापथ ही उपयुक्त है। गोनर्दीय पद से विभिन्न मान्यताएँ कात्यायन के सम्बन्ध में बनाई गई हैं, वे

अस्ति पाटलिपुत्रकं पुरं नन्दस्य भूपतेः।
तत्रास्ति चैको वर्षाख्यो विप्रस्तस्मादवाप्स्यथः॥ ११।४५-४६॥
कृत्वास्मानग्रतोऽन्येद्युरुपविष्टः शुचौ भुवि।
वर्षोपाध्यायमोंकारमकरोद्दिव्यया गिरा॥
तदनन्तरमेवास्य वेदाः साङ्गा उपस्थिताः। (११।७८-७९)
इत्याख्याय कथां मध्ये विन्ध्यान्तः कारणभूतये।
पुनर्वररुचिस्तस्मै प्रकृतार्थमवर्णयत्। (४-१)॥

१. पतंजलि महाभाष्य, ३।३।१३७—तदाचार्यः सुहृद्भूत्वाऽन्वाचष्टे, आदि।

२. कैयट—प्रदीप—आचार्यदेशीय आह एवं तर्हि। गु० प्र० सं० ५।३।३९ पृ० ३७४।

3. Goldstucker—"Panini: His place in the Sanskrit literature". p. 182. (First Edi.).

४. पतंजलि—महाभाष्य, पस्पशा० भाग १, पृ० ८, पृ० ८।

5. Indian Antiquary. vol. XI. p. 240.

6. P. S. Subrahmanyam—"Lectures on the Patanjal Mahabhasyam". pt. I p. 40.

उचित नहीं, क्योंकि गोनर्दीय पद पतंजलि के लिये नहीं है, इसे हम आगे सिद्ध करेंगे। कैयट राजशेखर आदि ने इसे पतंजलि का पर्याय माना है।

प्राचीन वाङ्मय में अनेक कात्यायनों का उल्लेख मिलता है। एक कौशिक, दूसरा अंगिरस, तीसरा भार्गव और चौथा द्यामुष्यायण है। चरक १।१० एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र, समयाचरिक प्रकरण ५।५ में भी कात्यायन का उल्लेख है।

वार्त्तिककार कात्यायन पाणिनि से उत्तरवर्त्ती होगा, शब्दकल्पद्रुमकार ने लिखा है—

कात्यायनपाणिन्योः शब्दशास्त्रपाठेन पाणिनिः कात्यायनात् पूर्वतन इत्यनायासेनैव ज्ञायते। ततः कात्यायन एव पाणिनिकृतव्याकरणस्य वार्त्तिककारः। स स्वग्रन्थे विदुषां वरं पाणिनिं आचार्यत्वेन स्वीकृतवान्।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने भारतीय मत को प्राधान्य देते हुए वार्त्तिककार कात्यायन का काल विक्रम से लगभग २९००–३००० वर्ष ई० पूर्व माना है। उन्होंने याज्ञवल्क्य के पौत्र तथा कात्यायन के पुत्र वररुचि कात्यायन को वार्त्तिककर्त्ता माना है[1]।

अन्य विद्वानों ने कात्यायन के काल के सम्बन्ध में जो मत प्रस्तुत किये हैं वे निम्न हैं।

एस० चक्रवर्ती[2]	३२१ ई० पू०।
के० पी० जायसवाल[3]	२४८ ई० पू०।
सत्यव्रत सामश्रमी[4]	१२००-२००० ई० पू०।
मैक्समूलर[5]	३५० ई० पू०।

---

१. युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० इतिहास भाग १, पृ०२८०–२९० तक। कात्यायन के नामादि से सम्बन्धित उद्धरणों में सहायता सं० व्या० शा० इतिहास पृ० २८०–२९० भाग १, से ली है।

2. S. C. Chakravarti—Introduction to Nyasa. p. 6.

3. K. P. Jayasaval—Date of Panini and Katyayana—Indian Antiquary 1918. p. 137.

४. सत्यव्रत सामश्रमी—निरुक्तालोचन, पृ० १० कलकत्ता संस्करण।

5. Max Muller—"History of Ancient Sanskrit Literature". pp. 127-162.

गोल्डस्टूकर[1] ३५० ई० पू०।
बेल्वलकर[2] २५०–५०० ई० पू०।

इस प्रकार कात्यायन के काल के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न विचार-धारायें हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि कात्यायन, पाणिनि से उत्तरवर्त्ती थे। अधिकतर विद्वान् कात्यायन का काल ई० पू० चौथी शताब्दी अधिक संगत मानते हैं। हमें भी कात्यायन का यही काल मान्य है।

कात्यायन का सम्प्रदाय-भेद

हम पहले ही यह बता चुके हैं कि व्याकरण शास्त्र में दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं—एक माहेश्वर, दूसरा ऐन्द्र। माहेश्वर-सम्प्रदाय में आपिशलि एवं पाणिनि के व्याकरणों का समावेश होता है और ऐन्द्र-सम्प्रदाय में काशकृत्स्न, कातंत्र आदि का। जिस प्रकार पाणिनि-व्याकरण माहेश्वर-सम्प्रदाय का है, उसी प्रकार यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि पाणिनि के व्याख्याता कात्यायन को भी क्यों न माहेश्वर-सम्प्रदायानुवर्त्ती माना जाय ?

कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदाय से संबन्ध तथा उसके पुष्ट्यर्थ प्रमाण

हमें कुछ आंतरिक एवं बाह्य प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनके आधार पर कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदायावलम्बी होना निश्चित हो जाता है। काशकृत्स्न व्याकरण, जो निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है, ऐन्द्र-सम्प्रदाय का है। पाणिनि ने अपने व्याकरण-निर्माण में ऐन्द्र-सम्प्रदायान्तर्गत व्याकरण-नियमों की अपेक्षा माहेश्वर-सम्प्रदाय के व्याकरण-नियमों को अधिक स्थान दिया है जो स्वाभाविक है।

अभी तक काशकृत्स्न के केवल १४० सूत्र उपलब्ध हुए हैं। उनके साथ वार्त्तिकों की तुलना करने पर वार्त्तिककार का ऐन्द्रसाम्प्रदायिकत्व सुतरां सिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ—

क—अभी तक जितने सूत्र मिले हैं उनसे कृत सभी कार्य प्रायः पाणिनि-सूत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। काशकृत्स्न-सूत्रों में एक सूत्र मिलता है—**तद्वदिष्ठेमेयस्सु बहुलम्**[3]।

1. Goldstucker—Panini : His Place in the Sanskrit Literature."
2. Belvalkara—"Systems of Sanskrit Grammar". 1950. p. 29.
३. युधिष्ठिर मीमांसक-काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र।

अर्थात् "इन्" के परे जो कार्य कहा है वह "इष्ठ, इम" और "ईयस्" के परे भी हो जाता है। **नेदिष्ठा त्वेदिमा** आदि।

इन कार्यों का विधान पाणिनि ने ६।४।१५६-१६० तक किया है। परन्तु ध्यान रहे उसने इष्ठन्, इमनिच्, ईयसुन् के परे रहने पर कार्य किया है[1] "इन्" के परे रहने पर नहीं।

वार्त्तिककार ने पाणिनि-व्याकरण की इस कमी को पूर्ण करने के लिये वार्त्तिक बनाया--

णाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य पुंवद्भावरभावटिलोपयणादिपरार्थम्[2]। इससे 'णि' या 'इन्' के परे रहने पर उन सभी कार्यों का अतिदेश किया गया है जिनका विधान पाणिनि ने इष्ठेमेयस्सु के परे रहने पर ही किया था।

स्पष्ट है कि कात्यायन ने काशकृत्स्न के आधार पर पूरक वार्त्तिक का निर्माण किया है। हमारी दृढ़ धारणा है कि यदि काशकृत्स्न के पूर्ण सूत्र उपलब्ध हो जायें तो निश्चय ही कात्यायन के पूरक वार्त्तिकों के मूल का सरलता से पता लग सकता है। बहुत से ऐसे परिवर्तन और परिवर्धन भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें पाणिनि ने अपने व्याकरण में स्थान नहीं दिया और वे ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरण में उपलब्ध होते थे, उनको माहेश्वर-व्याकरण में स्थान दिलाने के लिये वार्त्तिकों की रचना की गई।

ख—शताच्च ठन्यतावशते (५।१।२१॥) पर कैयट ने **शताच्च ठन्यतावग्रन्थे** इसको काशकृत्स्न का सूत्र माना है। उसने लिखा है—**आपिशलिकाशकृत्स्नयोस्त्वग्रन्थ इति वचनात्**[3]। यहां कैयट ने काशकृत्स्न-सूत्र को उतना ही उद्धृत किया है जितना पाणिनि—सूत्र से पृथक् है। इससे स्पष्ट है कि काशकृत्स्न का सूत्र **शताच्च ठन्यतावग्रन्थे** था।

पाणिनि-सूत्र क्रीतादि अर्थों में ठन् व यत् का विधान करना है, जहां शत अर्थ वाच्य न हो। "शत" संख्या दो प्रकार की होती है, एक, स्वविषयक और दूसरी अन्यविषयक। स्वविषयक, जैसे—**शतकं निदानं** यहां "शत" शब्द से सौ अध्यायों का बोध होता है। अन्यविषयक, जैसे—**शत्यं शाटकशतम्** यहां "शत्य" शब्द से शत संख्या की प्रतीति नही होती;

---

१ स्थूलदूरयुवह्रस्व० ६।४।१५६।

२. पतंजलि-महाभाष्य ६।४।१५५॥ भाग ३, पृ० २३०, वा०।

३. कैयट-प्रदीप–५।१।२१॥, गु०प्र०सं०, पृ० २९३।

इसीलिये पृथक् शत शब्द पढ़ा है। पाणिनि के सूत्र के अनुसार दोनों स्थानों में प्रत्यय का प्रतिषेध प्राप्त है, क्योंकि सूत्र में 'अशते" कहा गया है। काशकृत्स्न ने तो प्रथमतः इस दोष के समाधान के लिये सूत्र में "अग्रन्थे" पद पढ़ दिया जिससे ठन् और यत् प्रत्यय नहीं होंगे तथा 'शत्यं शाटकशतम्' में यत् प्रत्यय हो ही जाएगा अतः पाणिनि के स्वोपज्ञ परिवर्तित नियम में काशकृत्स्न के मान्य भाव को परिवर्धित करने के लिए कात्यायन ने वार्त्तिक बनाया—**शतप्रतिषेधेऽन्यशतत्वेऽप्रतिषेधः**[1]।

ग—पाणिनि के **तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च** (२।१।५१) सूत्र पर कैयट ने **किं पुनर्द्विगुसंज्ञा प्रत्ययोत्तरपदयोर्भवति**[2] इसके भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है[3]—

काशकृत्स्नं प्रत्ययोत्तरपदयोरिति सूत्रं तावद् विचारयति। पाणिनीयं तु पश्चात् विचारयिष्यति। इससे यह स्पष्ट है कि **प्रत्ययोत्तरपदयोः समाहारे** यह सूत्र काशकृत्स्न का है। कात्यायन ने इस सूत्र के विचार के लिये वार्त्तिक दिया हैं—

द्विगुसंज्ञा प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेदितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः।

इसके द्वारा इतरेतराश्रय दोष दिया है और **सिद्धं तु प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति वचनात्** इसके द्वारा समाधान दिया है। पाणिनि के सूत्र पर भी **अर्थे चेत्तद्धितानुपपत्तिर्बहुव्रीहिवत्** यह दोष दिया है। यदि **समासतद्धितविधौ** इस प्रकार का न्यासान्तर कर लेते हैं, उस अवस्था में भी दोष प्राप्त है। तब दोष आयेगा—**समासतद्धितविधाविति चेदन्यसमाससंज्ञाभावः।** वार्त्तिककार ने यहाँ पाणिनि-न्यास पर आक्षेप कर जो दोष दिया था और काशकृत्स्न के सूत्र पर जो दोष दिया था, उसका समाधान **सिद्धं तु** कहकर दिया। इसमें काशकृत्स्न के सूत्र को ही वचन रूप में पढ़ने का सुझाव दिया है और समाधानान्तर भी दिया है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ वार्त्तिककार ने काशकृत्स्न के सूत्र पर भी विचार किया और उस विचार का मुख्य ध्येय यही है कि पाणिनि-सूत्र के स्थान पर दोषों के समाधानार्थ काशकृत्स्न का सूत्र रखा जाय।

---

१. पतंजलि–महाभाष्य–५।१।२१, भाग २, पृ० २४६।

२. पतंजलि-महाभाष्य-भाग १, पृ० ३९३।

३. कैयट-प्रदीप-गु० प्र० सं०, २।१।५१, पृ० ११५।

घ—कात्यायन ने उन संज्ञाओं का आश्रयण लिया जो पाणिनि-तंत्र में नहीं हैं, अपितु ऐन्द्रसम्प्रदायावलम्बी काशकृत्स्न-व्याकरण में उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ—

कात्यायन[1]	काशकृत्स्न[2]	पाणिनि[3]
अनुषंग	अनुषंग	अनुनासिक
अनुबन्ध	अनुबन्ध	इत्संज्ञक
अघोष	अघोष	खय्
स्वर	स्वर	अच्
सन्ध्यक्षर	सन्ध्यक्षर	एच्
समान	समान	अक्, इत्यादि

कात्यायन ने पाणिनि-स्वीकृत संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग किया हैं, परन्तु साथ ही अनुषंगादि का भी प्रयोग किया है जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपने व्याकरण में नहीं किया।

ङ—स्वयं कात्यायन ने अपने को स्पष्टतः ऐन्द्रसम्प्रदाय से सम्बन्धित कहा है। सोमदेव के कथासरित्सागर में वैयाकरण कात्यायन की कथा उद्धृत है—

---

१. भाष्य १।१।४७ वा०—अन्त्यात् पूर्वो मस्जेरनुषंगसंयोगादिलोपार्थम्॥ १।१।२१ वा०—भा० १, पृ० ७६—सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्॥ ॥१।४।१०९ वा०—भा० १, पृ० ३५४। ह्लादाविरामे स्पर्शाघोष-सन्नियोगे सन्निधानादसंहितम्॥ १।१।८ वा०—भा० १, पृ० ५९। स्वरानन्तर्हितवचनम् ॥१।१।२ वा०—भा० १, पृ० २४। वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत् संध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः।

२. काशकृत्स्न-अनुषङ्गलोपोऽनुनासिकानाम्। सू० ४३। इदनुबन्धान्नु। सू० ८॥ छशराजादीनां छो घोषे। सू० ४०॥ य्वोर्धातोरियुवो स्वरे। सू० १०८॥ सन्ध्यक्षराणामाकारः। सू० ६७॥ ढो ढे लोपः पूर्वस्य समानस्य दीर्घः। सू० २०॥

३—पाणिनि—अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६।४।२४), यहीं पर न्यासकार-नकारस्योपधाया अनुषंग इति पूर्वाचार्यैः संज्ञा कृता॥ इदितो नुम् धातोः (७।१।५८)। पुमः खय्यम्परे (८।३।८)। अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ (६।४।७७)। आदेच उपदेशेऽशिति (६।१।४५) अकः सवर्णे दीर्घः, (६।१।१००)। कैयट—समानशब्देन पूर्वाचार्यनिर्देशात् अकोऽभिधीयते। शिवसूत्र १।१।२॥

अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत् ।
तत्रैकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोऽभवत् ॥
स शुश्रूषापरिक्लिष्टः प्रेषितो वर्षभार्यया ।
अगच्छत् तपसे खिन्नो विद्याकामो हिमालयम् ॥
तत्र तीव्रेण तपसा तोषिताद् इन्दुशेखरात् ।
सर्वविद्यामुखं तेन प्राप्तं व्याकरणं नवम् ॥
ततश्चागत्य मामेव वादायाह्वयते स्म सः ।
प्रवृत्ते चावयोर्वादे प्रयाताः सप्त वासराः ॥
अष्टमेऽह्नि मया तस्मिञ्जिते तत्समनन्तरम् ।
नभःस्थेन महाघोरो हुंकारः शम्भुना कृतः ॥
तेन प्रनष्टं ऐन्द्रं तद् अस्मद् व्याकरणं रुवि ।
जिताः पाणिनिना सर्वे मूर्खीभूता वयं पुनः[1] ॥

च—काशकृत्स्न-व्याकरण का एक सूत्र है—**इकतिपौ धातुस्वरूपे, सू० सं० ४९** । इसी को कुछ पाठभेद से कात्यायन ने पढ़ा—**इकश्तिपौ धातुनिर्देशे । महाभाष्य ३।३।१०८** ।

छ—कातंत्र, काच्चायन, और तोलकापियम् व्याकरणों को, जो कि क्रमशः संस्कृत, पाली, और तामिल व्याकरण हैं, डा० बर्नेल ने ऐन्द्र-सम्प्रदाय का सिद्ध किया है[2] । उनकी स्वीकृत संज्ञायें कात्यायन ने पढ़ीं[3], जिनका पाणिनि ने उल्लेख भी नहीं किया । बहुत से सूत्र भी समानता रखते हैं, जो कि पाणिनि-व्याकरण में नहीं हैं ।

कलाप व्याकरण का प्रारम्भ "सिद्ध" शब्द से होता है । कातंत्र (कालाप) व्याकरण का प्रथम सूत्र **सिद्धो वर्णसमाम्नायः** है । इसी प्रकार

---

१. सोमदेव—कथासरित्सागर, तरंग ४,२०-२५, इसी प्रकार बृहत्कथामंजरी में भी उपलब्ध होता है—जहार (नो हरः को) पाद् ऐन्द्रव्याकरणस्मृतिम् ।

1. A. C. Burnell—"The Aindra School of Sanskrit Grammarian's." pp. 8, 9. Taranath—"History of Indian Buddhism". p. 45.

2. Dr. Burnell—The Aindra School of Sanskrit Crammarian's. p. 6.

कात्यायन के वार्त्तिकों का प्रारम्भ भी "सिद्ध" शब्द से ही हुआ है **सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे** इत्यादि।

इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि कात्यायन ने काशकृत्स्न का समर्थन किया। पाणिनि द्वारा संक्षिप्त किये नियमों में कात्यायन ने काशकृत्स्न के नियमों के लाने की कोशिश की, जैसा कि क. ख. व ग. उदाहरणों से स्पष्ट है। अभी काशकृत्स्न के पूरे सूत्र उपलब्ध नहीं हुए हैं, यदि कहीं पूर्ण सूत्र उपलब्ध हो जायें तो, हमारा विचार है कि पाणिनि-सूत्रों के व्याख्यान में उत्पन्न आक्षेपों के समाधानार्थ कात्यायन द्वारा परिवर्तन के सुझाव प्रायः काशकृत्स्न-व्याकरण में उपलब्ध हो जायेंगे।

यह स्पष्ट है कि कात्यायन ऐन्द्रसम्प्रदायावलम्बी था। उसने पाणिनिसूत्रों का व्याख्यान किया, परन्तु साथ ही उसकी दृष्टि ऐन्द्रसम्प्रदायावलम्बिनी रही। यही कारण है कि जहाँ उसने माहेश्वर-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नियमों और संज्ञाओं पर विचार किया और उनको उद्धृत किया है, वहां अभ्यास-वश ऐन्द्र-सम्प्रदाय की प्रसिद्ध संज्ञाओं का भी प्रयोग किया है। संक्षेप में यदि ऐसा कहा जाय कि कात्यायन ने पाणिनि सूत्रों का व्याख्यान, परिवर्तन, एवं परिवर्धन ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों के आधार पर किया, तो अधिक उपयुक्त होगा।

कात्यायन की वार्त्तिकनिर्माण-शैली
(शैलीगत विशेषतायें)

कात्यायन की पाणिनि-सूत्र-व्याख्याशैली सूत्रमय है, अतः सूत्र में जिस प्रकार संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी किया गया है। व्याख्यान में जिस प्रकार लाघव और गौरव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता उसी प्रकार वार्त्तिकों में भी लाघव और गौरव की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। वृत्तिसूत्रों में तो अर्धमात्रा का लाघव भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है[1]। जिस प्रकार सूत्रों में संकेताक्षरों और सांकेतिक पदों से अर्थ-बोध होता है, उसी प्रकार कात्यायन ने अपनी व्याख्यान-पद्धति में विशिष्ट संकेतों का अनुसरण किया है।

(१) "वा" शब्द से विकल्प एवं समुच्चय अर्थ लिये हैं।

---

१. पाणिनि–परिभाषापाठ, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः।

क–विकल्प के लिए (अथवार्थ में) प्रयोजन देते समय—

अभेर्मुखम् । अपाच्च ॥ ६।२।१८५-१८६॥

१—अभेर्मुखमपाच्चाऽध्रुवार्थम् ।

२—बहुव्रीह्यर्थं वा ।

ऐसे स्थानों पर चतुर्थी के अर्थ में "अर्थ" शब्द का प्रयोग मिलता है।

ख—विकल्प के लिये (आक्षेप-समाधान प्रसंग में अथवार्थ में)—ऐसे स्थानों पर पञ्चम्यन्त का प्रयोग मिलता है। इसमें भी दो प्रकार हैं। एक वह जहाँ समाधान प्रथम देकर पुनः समाधानान्तर देते हैं, दूसरा वह जहाँ आक्षेप देकर सीधा समाधान देते हैं।

१—समाधानान्तर के लिए—

इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च ॥६।३।६८॥

१—सिद्धं तु द्वितीयैकवद्वचनात् ।

२—एकशेषनिर्देशाद्वा ।

२—आक्षेप के सीधे समाधान के लिये (प्रायः पूरक वार्त्तिकों की अन्यथा सिद्धि के लिये)—

दामहायनान्ताच्च ॥४।१।२७॥

१—दामहायनान्तात् संख्यादेः ।

२—तत्पुरुषविज्ञानाद्वा सिद्धम् ।

ग—विकल्प के लिये (अन्यतरस्यां के अर्थ में)—

हे मपरे वा ॥८।३।२६॥

१—यवलपरे यवला वा ।

इस अर्थ में "विभाषा" आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है।

घ—समुच्चयार्थ में—

अनुपसर्जनात् ॥४।१।१४॥

१—पूर्वसूत्रनिर्देशो वापिशलमधीत इति । यहाँ कैयट ने 'वा' शब्द को समुच्चयार्थक माना है—

पूर्वं तदन्तविधेर्ज्ञापितत्वात् उपसर्जनेनापि तदन्तविधिः स्यादिति प्रयोजनसमुच्चयार्थो वाशब्दः[1] ।

इस अर्थ में 'च' का भी प्रयोग मिलता है।

---

१. कैयट—प्रदीप गु० सं० ४।१।१४, पृ० ४८ ।

(२) सूत्र के संक्षेपीकरणार्थ **आनर्थक्य, अनर्थक, अनिर्देश,** और **अग्रहण** आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है।

क—**आनर्थक्य**—आनर्थक्य पद से युक्त वार्त्तिकों में आनर्थक्य के कारण का पञ्चम्यन्त से निर्देश मिलता है। आनर्थक्य के स्थल का निर्देश सप्तम्यन्त से होता है और अनर्थक पद का निर्देश भी किया जाता है—

कर्तृकर्मणोः कृति ॥२।३।६५॥

१—कर्तृकर्मणोः षष्ठीविधाने कृद्ग्रहणानर्थक्यम् लप्रतिषेधात्।

ख—**अनर्थक**—ऐसे स्थान पर अनर्थक पद और उसके अनर्थक होने के कारण का निर्देश किया जाता है—

स्वांगाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् ॥४।१।५४॥

१—उपसर्जनग्रहणमनर्थकं बहुव्रीह्यधिकारात्।

ग—**अनिर्देश**—ऐसे स्थान पर कारण का निर्देश पञ्चम्यन्त से करते हैं। जिसका अनिर्देश है उसका भी ग्रहण होता है। किन्हीं स्थानों पर जिस प्रकरण में यह पठित है उस प्रकरण का भी उल्लेख कर देते हैं—

आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ॥५।१।९॥

१—भोगोत्तरपदात्खविधानेऽनिर्देशः पूर्वपदार्थविहितत्वात्।

घ—**अग्रहण**—इस की रचनाशैली भी अनिर्देश के समान ही है—

गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च ॥३।३।११९॥

१—गोचरादीनामग्रहणं प्रायवचनाद्यथा कषे निकष इति।

(३) दोष के समाधानार्थ **सिद्धं तु** या **सिद्धं** शब्द का प्रयोग करते हैं—

क—**सिद्धं तु**—इसके द्वारा समाधान दिया जाता है। कारण के परिज्ञान के लिये पञ्चम्यन्त पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे स्थानों पर विशेष करके परिवर्तन या परिवर्धन का सुझाव दिया जाता है। कहीं कहीं समाधान मात्र ही देते हैं। यह 'सिद्धन्तु' पद वार्त्तिक के आरम्भ में प्रयुक्त होता है।

(ख) **सिद्धम्**—यह पद अन्त में प्रयुक्त होता है। समाधान के कारण का निर्देश पञ्चम्यन्त से होता है। प्रायः ऐसे स्थलों पर विशुद्ध समाधान ही होता है, परन्तु कहीं-कहीं परिवर्तन, परिवर्धन, एवं पूरकों का भी विधान किया गया है।

(४) तु शब्द **तर्हि** के अर्थ में आता है। प्रायः इसका प्रयोग प्रयोजन देने के लिये किया जाता है—

तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ॥२।३।५१॥

१—अभिधानार्थं तु ।

(५) प्रयोजन के लिये अर्थ शब्द का या प्रयोजन शब्द का व्यवहार किया जाता है—

क—पूर्ववत् सनः ॥१।३॥६२॥

१—पूर्ववत् सन इति शर्दिभ्रियत्यर्थम् ।

ख—आद्यन्तवदेकस्मिन् ॥१।१।२१॥

१—आदिवत्वे प्रयोजनं प्रत्ययनिदाद्युदात्तत्वे ।

(६) चेत् शब्द का प्रयोग पक्षोपस्थापनार्थ करते हैं, अर्थात् यदि ऐसा हो तो कोई दोष होगा वह दिखावेंगे ।

सार्वधातुकमपित् ॥१।२।४॥

१—अपिन्ङिदिति चेच्छवेकादेशप्रतिषेधः ।

(७) अनिष्ट या अनिष्टत्व शब्दों से अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं—

क—ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च ॥३।३।५८॥

१—अस्तेयार्थमिति चेन्नाऽनिष्टत्वात् ।

ख—गोत्रावयवात् ॥४।१।७९॥

१—गोत्रावयवादगोत्रार्थमिति चेत्तदनिष्टम् ।

(८)—अनिष्टप्रसंग या अतिप्रसंग शब्द अतिव्याप्ति को कहते हैं ।

क—चार्थे द्वन्द्वः ॥२।२।२९॥

१—चार्थे द्वन्द्ववचने समासेऽपि चार्थसम्प्रत्ययादनिष्टप्रसंगः ।

ख षष्ठी स्थाने योगा ॥१।१।४९॥

१—अवयवषष्ठ्यादिष्वतिप्रसंगः शासो गोह इति ।

(९) अप्राप्ति, अप्रसिद्धि, अप्रसंग, एवं अनुपपत्ति आदि पदों से अव्याप्ति की बताते हैं—

क—षष्ठी स्थाने योगा ॥१।१।४९॥

१—अवयवषष्ठ्यादीनां चाऽप्राप्तिर्योगस्याऽसन्दिग्धत्वात् ।

ख—गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् ॥१।२।१॥

१—ङित्किन्वचने तयोरभावादप्रसिद्धिः ।

ग—धातो कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा ॥३।१।७॥

१—सुबन्ताच्चाप्रसंगः क्यजादीनामपवादत्वात् ।

घ—आर्धधातुके ॥२।४।३५॥

१—पौर्वापर्याभावाच्च सामान्येनानुपपत्तिः ।

"अप्रसंग" पद जहाँ देते हैं वहाँ जिससे अप्रसक्ति होगी उसका पंचम्यन्त से निर्देश करते हैं और कारण का भी पंचम्यन्त पद से निर्देश किया जाता है। "अप्राप्ति" में जिसकी अप्राप्ति होती है, उसका षष्ठ्यन्त से निर्देश करते हैं और कारण का पंचम्यन्त से। "अनुपपत्ति" में भी कारण का पंचम्यन्त से निर्देश मिलता है। 'अप्रसिद्धि" पद प्रयोग में, कारण का पंचम्यन्त से और जिस नवीन विधान के कारण अप्रसिद्धि है उस विधान का सप्तम्यन्त से निर्देश उपलब्ध होता है।

(१०) विप्रतिषिद्धम् द्वारा विप्रतिषेध को द्योतित करते हैं।

कात्यायन द्वारा पाणिनि-व्याकरण में अनुल्लिखित संज्ञाओं का प्रयोग

कात्यायन ने बहुत सी पूर्वाचार्यों की संज्ञाओं का आश्रयण लिया है, जिनका कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में उल्लेख नहीं किया। यथा—

१—उपचार—१।१।४१ में **अव्ययीभावस्याव्ययत्वे प्रयोजनं लुङ्-मुखस्वरोपचाराः** । यहां उपचार द्वारा विसर्जनीय के स्थान में कृत सकार का ग्रहण होता है—**विसर्गादेशस्य सकारस्य उपचारेति पूर्वाचार्यसंज्ञा**[1] ।

२—सन्ध्यक्षर—शिवसूत्र ३-४ में—**सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारणम्** । सन्ध्यक्षर, "एच्" की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है—**सन्ध्यक्षरमित्यन्वर्था पूर्वाचार्यसिद्धा एचां संज्ञा**[2] ।

३—समानाक्षर—शिवसूत्र ३-४ में—**वर्णैकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः** । समान शब्द से अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लृ ये अक्षर लिये जाते हैं। पाणिनि ने उन्हें "अक्" से बोधित

---

१. विश्वेश्वरसूरि सिद्धान्त सुधानिधि, खण्ड १ पृ० ३६०।

२. भट्टोजि दीक्षित—शब्दकौस्तुभ, गु० प्र० सं० नवाह्निक पृ० १११। तुलना करो, काशकृत्स्न—सन्ध्यक्षरणामाकारः सू० २५—पृ० ६७।

किया है। **समानशब्देन पूर्वाचार्यनिर्देशादकोऽभिधीयते "दशसमाना" इति वचनात्**[1]।

४—**विनाम**–८।२।१६ पर **अनोऽकि विनामकविधिप्रतिषेधः**। विनाम शब्द से "न" का मूर्धन्य लिया गया है। प्रातिशाख्यों में—**विनामो नतिः, नतिर्दन्त्यस्य मूर्धन्यभावः**[2]।

५—**अवग्रह**—८।२।१६ पर **परादौ वत्वप्रतिषेधोऽवग्रहश्च**। अवग्रह पूर्वाचार्यों का पारिभाषिक शब्द है, इसका प्रातिशाख्यों में विधान किया गया है।

६—**अनुषंग**—१।१।४७ पर **अन्त्यात् पूर्वो मस्जेरनुषंगसंयोगादिलोपार्थम्**। अनुषंग से उपधानकार लिया जाता है। **अनुषंग इति नकारस्योपधायाः प्राचां संज्ञा**[4]।

७—**नुम्**–१।१।४ पर **नुम्लोप स्त्रिव्यनुबन्धलोपे प्रतिषेधार्थम्**। नुम् शब्द नकार का बोधक है। **नुमिति नकारस्य पूर्वाचार्यसंज्ञा**[5]।

८—**तणि**– **बहुलं तणि**। तणि से संज्ञा और छन्द का ग्रहण होता है। **तणीति संज्ञाछन्दसोर्ग्रहणम्**[6]।

(९) **अद्यतनी**–६।४।११४ पर–**अद्यतन्यां च**। अद्यतनी "लुङ्०" की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। **अद्यतनीति पूर्वाचार्यप्रसिद्ध्या लुङुच्यते**[7]।

---

१. कैयट–प्रदीप, गु० प्र० सं० नवाह्निक पृ० ११७। तुलना करो काशकृत्स्न–ढे ढो लोपः पूर्वस्य समानस्य दीर्घः। कातंत्र १।१।३, दशसमानाः। प्रातिशाख्यों में ८ और ९ की भी समान संज्ञा की है।

२. कात्यायन–प्रातिशाख्य ४।१९२ पृ० १७३। सम्भवतः यह संज्ञा स्वयं कात्यायन की ही हो।

३. ऋक्प्रातिशाख्य ४।१।२५ "शब्देन सावग्रहं पदमुच्यते"।

४. विश्वेश्वर–व्या० सि० सुधा० नि० पृ० ३७०। तुलना करो–काशकृत्स्न–अनुनासिकोऽनुषंगः। सू० ६ पृ० ६।

५. कैयट–प्रदीप नवाह्निक गु० प्र० सं० पृ० २१५।

६. पतंजलि–महाभाष्य ३।२।८। पृ० ९९, पं० ६।

७. नागेश–प्रदीपोद्योत ६।४।११४। तुलना करो–कातंत्र ३।१।२२।

(१०) **श्वस्तनी**–३।३।१५ पर **परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्यर्थे।** श्वस्तनी "लुट्" की संज्ञा है। **श्वस्तनीति लुटः संज्ञा**[1]।

(११) **भविष्यन्ती**–३।३।१५ पर **परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्यर्थे।** भविष्यन्ती शब्द से "लृट्" का परिज्ञान होता है। **भविष्यन्तीशब्देन पूर्वाचार्यसंज्ञा लृडुच्यते**[2]।

(१२) **भवन्ती**–३।२।१२३ पर **प्रवृत्तस्याविरामे शिष्या भवन्त्यवर्तमानकालत्वात्।** "भवन्ती" लृट् की पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। **भवन्तीति लटः पूर्वाचार्यसंज्ञा**[3]।

(१३) **लः**–५।२।३७ पर **प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्।** "ल" पूर्वाचार्यों की लुक् की संज्ञा है। **लुक एषा पूर्वाचार्यसंज्ञा**[4]।

(१४) **आत्मनेभाषा–परस्मैभाषा**–६।३।७, **आत्मनेभाषपरस्मैभाषयोरुपसंख्यानम्।** ये दोनों आत्मनेपद एवं परस्मैपद के लिये पूर्वाचार्यों द्वारा व्यवहृत संज्ञा शब्द हैं।

(१५) **संस्थानत्वम्–चक्षिङः ख्याञ्** २।४।५४ में–**संस्थानत्वं नमःख्यात्रे** यहां संस्थानत्वं द्वारा जिह्वामूलीय का ग्रहण होता है। **जिह्वामूलीयस्येयं पूर्वाचार्यसंज्ञा**[5]।

(१६) **प्रसारण**–१।१।३ पर **प्रसारणे च।** प्रसारण के द्वारा सम्प्रसारण लिया गया है।

अन्य वार्त्तिककार एवं कात्यायन के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन

महाभाष्य में जितने वार्त्तिक उपलब्ध होते हैं, वे सब कात्यायन विरचित ही नहीं हैं। उनमें पतंजलि ने अनेक आचार्यों के उपयोगी वचनों को भी संगृहीत किया है। वचनों के संग्रह-प्रसंग में निर्माता आचार्यों के नाम भी दिये हैं। हम कात्यायन के वार्त्तिकों से अन्य आचार्यों के वचनों के पृथक्-करण की पहिचान के सम्बन्ध में पूर्व अध्याय में लिख चुके हैं। यहाँ

---

१. नागेश–प्रदीपोद्योत ३।२।१५। तुलना करो–कातंत्र ३।१।१५।

२. कैयट–प्रदीप ३।२।१५ गु० प्र० सं०। तुलना करो–कातंत्र ३।१।१५।

३. कैयट–प्रदीप ३।२।१२३।

४. हरदत्त–पदमंजरी ५।२।३७, भाग २, पृ० २९४, काशी संस्करण।

५. कैयट–प्रदीप–नि० सा० सं० २।४।५४, पृ० ५५६।

हम नामोल्लेख पूर्वक उद्धृत आचार्यों के वचनों की कात्यायनीय वार्त्तिकों से तुलना करेंगे, साथ ही उन आचार्यों के विषय में भी कुछ विचार करेंगे।

१–भरद्वाज

पतंजलि ने अपने भाष्य में भारद्वाजीय वार्त्तिकों का उल्लेख किया है[1]। इन वार्त्तिकों के रचयिता कौन से भरद्वाज हैं ? पाणिनि ने **ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।७१)** आदि सूत्रों के द्वारा भरद्वाज का व्याकरण सम्बन्धी नियम उद्धृत किया है। यदि इन वार्त्तिकों का सम्बन्ध भी उसी भारद्वाज व्याकरण से माना जाय, तो निश्चय ही ये बहुत प्राचीन सिद्ध होते हैं।

कुछ लोग इन वार्त्तिकों को भी पाणिनीयाष्टक पर रचे हुए मानते हैं[2]। उदाहरणार्थ—१।२।२२ के भाष्य में[3]—**भारद्वाजीयाः पठन्ति–नित्यमकित्त्वमिडाद्योः क्त्वाग्रहणमुत्तरार्थम्**—यह वचन दिया है। इस सम्बन्ध में न्यासकार ने लिखा है[4]—**पूङश्चेति सूत्रे द्वयोर्विभाषयोर्मध्ये ये विधयस्ते नित्या भवन्ति इति मन्यमानैः भारद्वाजीयैरिदमुक्तम्—नित्यमकित्त्वमिडाद्योः।** परन्तु वास्तविकता यह है कि पाणिनि ने अपने प्रोक्त ग्रन्थ में प्राचीन व्याकरणों के नियमों का संक्षेप किया है। उस अवस्था में क्या यह सम्भव नहीं कि भारद्वाज व्याकरण के नियमों को भी कुछ परिवर्त्तित रूप में स्थान दिया हो ? यही कारण है कि भारद्वाज व्याकरण में नियम सम्भवतः कुछ अन्य प्रकार से होंगे और उन्हीं के ऊपर वार्त्तिकों की रचना की

---

१. पतंजलि–महाभाष्य की० सं० १।१।२०, भाग १, पृ० ७६, पं० २६॥ १।१।५६, भाग १, पृ० १३६ पं० १५॥ १।२।२०; भा० १, पृ० २०१, पं० १६॥ १।३।६७, भा० १, पृ० २९१ पं० १६॥ ३।१।३८, भा० २, पृ० ४६, पं० २१॥ ३।१।४८ भाग २, पृ० ५५, पं० २९॥ ३।१।८९, भा० २, पृ० ७०, पं० १४॥ ४।१।७९, भा० २, पृ० २३३, पं० १९, ॥६।४।४७ भा० ३, पृ० १९९, पं० १९॥ ६।४।५५, भा० ३, पृ० २३०, पं० ९॥

२. युधिष्ठिर मीमांसक—सं० व्या० शा० का इतिहास भाग १, पृष्ठ २९६।

३. भाष्य १।१।२०, भाग० १, पृ० २०१, पं० १६।

४. जिनेन्द्रबुद्धि—काशिकाविवरणपंजिका भाग १, पृ० २६२।

गयी होगी। भाष्यकार ने प्रसंगवश व्याख्यान करते हुए उन नियमों को उद्धृत कर दिया है और इस प्रकार मतभेद प्रदर्शित किया है।

ये वार्त्तिक कात्यायनीय वार्त्तिकों से कुछ विस्तृत हैं—

कात्यायन—**घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदर्थम्**[1]।

भारद्वाजीय—**घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिद्विकृतार्थम्**[2]।

इनकी निर्माण-शैली कात्यायन-वार्त्तिकों के समान ही है। भरद्वाज इन्द्र की परम्परा में आते हैं[3]। सम्भवतः भरद्वाज का व्याकरण भी ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित होगा। कात्यायन का ऐन्द्र-सम्प्रदायावलम्बी होना पूर्व सिद्ध किया जा चुका है। उस अवस्था में कात्यायन के वार्त्तिकों की भारद्वाजीय वार्त्तिकों के साथ तुलना करने पर उनका सामंजस्य भी हमारे कथन में प्रमाण है। सम्भवतः कात्यायन ने वार्त्तिक-निर्माण में भारद्वाजीय वचनों का, जो कि ऐन्द्र सम्प्रदाय के थे, आश्रयण लिया होगा और यही कारण है कि भाष्यकार ने तत्तत् वार्त्तिकों में तुलना के रूप में भारद्वाजीय वचन उद्धरण के रूप में दिये हैं।

भारद्वाजीय वार्त्तिकों में श्लोकांश भी उपलब्ध होते हैं—

भ्रस्जो रोपधयोर्लोप आगमो रम् विधीयते[4]।

इससे यह ज्ञात होता है कि सम्भवतः भारद्वाजीय वार्त्तिककारों ने श्लोकों का भी निर्माण किया होगा।

---

१. कात्यायन—महाभाष्य १।१।२०, भाग० १, पृ० ७६, पं० २६ वा०।

२. महाभाष्य १।१।२०, भाग १, पृ० ७३ पं० २६।

३. ऋक्तंत्र—१।४ में लिखा है—इन्द्रो भरद्वाजाय। इसके अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। ऐतरेय आरण्यक २।२।४ में लिखा है—तस्य यानि व्यंजनानि तच्छरीरम्, यो घोषः स आत्मा, य ऊष्माणः स प्राणः..... एतदुह वैन्द्रो भरद्वाजाय प्रोवाच। अर्थात् इन्द्र ने भरद्वाज के लिये घोषवत् और ऊष्म वर्णों का उपदेश किया। तैत्तिरीय ब्रा० ३।१०।११ के अनुसार भरद्वाज के साथ इन्द्र का विशेष सम्पर्क था यह निश्चित है।

४. भाष्य ६।४।४७, भाग ३, पृ० २३०।

२--सौनाग

पदमंजरीकार हरदत्त के कथनानुसार[1] **सुनागाचार्यस्य शिष्याः सौनागाः** अर्थात् सुनाग आचार्य के शिष्यों को सौनाग कहा जाता है। भाष्य में कुछ स्थलों पर सौनागों के नामोल्लेख से वचन उपलब्ध होते हैं[2]। इन वचनों का निर्माण पाणिनि-सूत्रों पर ही हुआ है। गुरुपद हालदार ने अपने ग्रन्थ "व्याकरणदर्शनेर इतिहास, पृ० ४४५ पर सुनाग को पाणिनि का पूर्ववर्ती माना है। भाष्य ४।३।१५५ पर पतंजलि ने लिखा है--**इह हि सौनागाः पठन्ति वुञश्चाऽकृतप्रसंगः** इसके व्याख्यान में कैयट ने लिखा—**पाणिनीयलक्षणे दोषोद्भावनमेतत्।** इसी तरह **ओमाङोश्च** (६।१।९५) पर भी सौनागों का मत उद्धृत किया है—**इह हि सौनागाः पठन्ति चोऽनर्थकोऽधिकारादेङः।** इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि सौनाग-वार्त्तिक, पाणिनि-व्याकरण पर रचे गये थे। इस प्रकार हालदार का कथन अनुचित ही है।

कात्यायन से उत्तरवर्त्तित्व

कैयट ने २।२।१८ पर लिखा है—**कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शयितुं सौनागैरतिविस्तरेण पठितमित्यर्थः**—इससे यह भी प्रतीत होता है कि सम्भवतः कात्यायन के बाद इनका निर्माण हुआ हो।

सौनाग-वार्त्तिकों का कात्यायनीय वार्त्तिकों से साम्य

हमारे विचार में जिस प्रकार कात्यायन के वार्त्तिक व्याख्यान, प्रत्याख्यान और अकृतशासनार्थ हैं उसी प्रकार सौनागों के वार्त्तिक भी पाणिनि-सूत्रों के व्याख्यानार्थ प्रत्याख्यानार्थ और अकृतशासनार्थ हैं। जैसे—

व्याख्यानार्थ—व्याख्यान में संशय और निर्णयों का भी समावेश होता है यह हम पूर्व बता चुके हैं। ४।३।१५५ पर सौनागों का वचन **वुञश्चाकृत-प्रसंगः** दिया है। यह पाणिनि सूत्र में दोष प्रदर्शनार्थ है[3]। इसी प्रकार

---

१. पदमंजरी भाग २, पृ० ७६१। काशी संस्करण।

२ पतञ्जलि—महाभाष्य, की० सं० २।२।१८, भाग १, पृ० ४१६, पं० १५॥ ३।२।५६, भाग २, पृ० १०५, पं० ७॥ ४।१।७४, भाग २, पृ० २२८, पं० ६॥ ४।१।८७, भाग २, पृ० २३८, पं० १०॥ ४।३।१५५ भाग २, पृ० ३२५, पं० ११॥ ६।१।९५, भाग ३, पृ० ७६, पं० १०॥ ६।३।४३ भा० ३, पृ० १५९, पं० ८॥

३. कैयट—प्रदीप—पाणिनीये लक्षणे दोषोद्भावनमेतत्।

कुगतिप्रादयः सूत्र में, सूत्र के द्वारा कहां और किसका किसके साथ समास हो इसको स्पष्ट किया है। भाष्यकार ने लिखा—**एतदेव सौनागैर्विस्तरेण पठितम्।** इन वचनों से स्पष्ट है कि सौनागों के वार्त्तिकों में भी अन्वाख्यान और व्याख्यान की वही शैली थी जो कात्यायन की थी।

प्रत्याख्यान—ऊपर ६।१।९५ का सौनागों का उद्धरण दिया गया है—**चोनऽर्थकोऽधिकारादेङः।** यहाँ स्पष्टतः पाणिनिसूत्रस्थ चकार ग्रहण का प्रत्याख्यान किया गया है। कात्यायन भी इसी प्रकार "अनर्थक" आदि शब्दों के द्वारा संक्षेपीकरण प्रदर्शित करते हैं।

अकृतशासन—सौनागों के वार्त्तिकों में कात्यायन के समान पूरक वार्त्तिक भी हैं, परन्तु वे कात्यायन वार्त्तिकों से विस्तृत हैं। जैसे–४।१।१५ पर **ख्युनः उपसंख्यानम्** कात्यायन का पूरक वार्त्तिक है। यहीं सौनागों का वार्त्तिक भाष्यकार ने उद्धृत किया है—**अत्यल्पमिदमुच्यते ख्युन इति। नञ्स्नञीकक्ख्युंस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्।** यह वार्त्तिक भी पूरक वार्त्तिक है। यद्यपि यहाँ इसको सौनाग के नाम से उद्धृत नहीं किया गया है, तथापि ३।२।५६ तथा ४।१।८७ पर इसी वार्त्तिक को **सौनागाः पठन्ति** कहकर उद्धृत किया गया है। इसीलिये यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कात्यायन के वार्त्तिक पाणिनि सूत्रों पर व्याख्यान, अन्वाख्यान, प्रत्याख्यान और अकृतशासनार्थ हैं, उसी प्रकार सम्भवतः सौनागों के वार्त्तिक भी पाणिनि सूत्रों के व्याख्यानार्थ, अन्वाख्यानार्थ, प्रत्याख्यानार्थ और अकृतविधानार्थ होंगे।

सम्भव है सौनागों का कोई पृथक् वार्त्तिक ग्रन्थ हो; परन्तु आजकल उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। शृंगारप्रकाश में महाभाष्य २।१।५१ में पठित वार्त्तिक के रचयिता का उल्लेख महावार्त्तिककार के नाम से है[1]—

ननु च द्वन्द्वतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनमिति महावार्त्तिककारः। भाष्यकार ने अपने ४।२।६५ के व्याख्यान में माहावार्त्तिक उदाहरण दिया है—**इह मा भूत—माहावार्त्तिकः,** अर्थात् माहावार्त्तिक पद महावार्त्तिक ग्रन्थ के अध्येता के लिये प्रयुक्त होता है। इस अवस्था में यदि महावार्त्तिक पद से सौनागों के वार्त्तिक ग्रन्थ की तरफ संकेत है, तब तो २।१।५१ में पठित वार्त्तिक कात्यायन का न मानकर सौगानों का मानना पड़ेगा।

---

१. शृंगार प्रकाश पृ० २९।

परन्तु इस विषय में अभी अन्य कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या यह सम्भव नहीं कि कात्यायनीय वार्त्तिकों के लिये महावार्त्तिक शब्द प्रयुक्त किया गया हो ? जब तक अन्य पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते तब तक इस विषय पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना तो निश्चय है कि सौनागों का वार्त्तिकपाठ कात्यायनीय वार्त्तिकपाठ से किसी भी दृष्टि में कम नहीं होगा, बड़ा भले ही हो सकता है।

सौनाग-वार्त्तिकों की पहिचान

महाभाष्य में उद्धृत वार्त्तिकों में कौन से वार्त्तिक सौनागों के हैं ? सौनाग वार्त्तिकों के परिज्ञानार्थ श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है—

पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सौनाग वार्त्तिक कात्यायनीय वार्त्तिकों से अधिक विस्तृत थे। महाभाष्य ४।१।१५ में **अत्यल्पमिदमुच्यते** कहकर उद्धृत किया वार्त्तिक सौनागों का है, यह पूर्व लेख से स्पष्ट है, महाभाष्य में अनेक स्थानों पर "अत्यल्पमिदमुच्यते" कहकर कात्यायनीय वार्त्तिकों से विस्तृत वार्त्तिक उद्धृत किये गये हैं—(महाभाष्य २।४।४९, ३।१।१४, २२,२५,९७ आदि में)। बहुत सम्भव है वे सब सौनागों के वार्त्तिक हों।[1]

अतः सम्भव है, भाष्य में "अत्यल्पमिदमुच्यते" कहकर कहे वचन सौनागो के हों। जबतक अन्य कोई विरोधी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक हम इसी मत को स्वीकार करेंगे।

३—वाडव (कुणरवाडव)

प्लुतावैच इदुतौ (८।२।१०६) सूत्र पर भाष्य में तीन वार्त्तिक उपलब्ध होते हैं—

१—ऐचोरुभयविवृद्धिप्रसंगादिदुतोः प्लुतवचनम्।

क—तत्राऽयथेष्टप्रसंगः।

ख—सिद्धं त्विदुतोर्दीर्घवचनात्।

(१) में सूत्र का (प्लुत विधान का) प्रयोजन दिया है। (क) में १. में दोष दिखाया अर्थात् यह सूत्र नवीन प्लुत विधान नहीं करता अपितु अन्यशास्त्र-पठित प्लुत के विषय को बताता है। (ख) में क. का समाधान दिया है।

---

१. सं० व्या० शा० का इतिहास, भाग १, पृ०

वार्त्तिककार ने जब **ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात्** कहा है, उस अवस्था में ख. वचन की क्या आवश्यकता है ? भाष्यकार ने कहा—**तदेतत् कथं कृत्वा सिद्धं भवति ? यदि समप्रविभागे मात्राऽवर्णस्य मात्रेवर्णोवर्णयोः ।** भाष्यकार को समप्रविभाग पक्ष ही इष्ट है, जबकि वार्त्तिककार उत्तरभूयस्त्व पक्ष मानते हैं । ख. वचन वाडवाचार्य का है । स्वयं भाष्यकार ने लिखा है—**तत्र सौर्यभगवतोक्तमनिष्टज्ञो वाडवः पठति । इष्यत एव चातुर्मात्र्यः प्लुतः ।** इसके द्वारा ख. का खण्डन कर दिया है । यहां नागेश ने ख. का निर्माता वाडव माना है—

सिद्धं त्विदितोरिति वार्त्तिकं वाडवस्य ।[1]

हमारे विचार में क. भी वाडव का प्रतीत होता है, क्योंकि क. में अनिष्टप्रसंग दिखाकर ख. में समाधान दिया है । अतः क–ख. वाडव के हैं ।

महाभाष्य में दो स्थलों पर कुणरवाडव के मत का उल्लेख मिलता है । जैसे—३।२।१४ में, **कुणरवाडवस्त्वाह नैषा शंकरा, शंगरैषा । गृणातिः शब्दकर्मा तस्यैष प्रयोगः ।**

७।३।१। में—**कुणरवाडवस्त्वाह नैष वहीनरः कस्तर्हि । विहीनर एष, विहीनो नरः कामभोगाभ्याम् । विहीनरस्यापत्यम् वैहीनरिः ।** क्या यहां पठित "कुणरवाडव" और "वाडव" एक ही आचार्य के नाम हैं ? । वाडव के वार्त्तिकों के निर्माण की शैली भी कात्यायन के समान ही है । उपरिलिखित क. ख. वार्त्तिकों में क. में अनिष्ट प्रसंग देने की शैली और उसका ख. में "सिद्धं तु" कहकर समाधान, कात्यायन के समान ही है ।

वाडव का कोई अन्य वचन या उद्धरण उपलब्ध नहीं होता जिसके द्वारा इसके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञात हो सके ।

४—विप्रतिषेधवार्त्तिककार

विप्रतिषेध-वार्त्तिकों का कर्ता कात्यायन नहीं है

प्रायः सभी विद्वानों की यही धारणा है कि सभी विप्रतिषेध-वार्त्तिक कात्यायन के हैं परन्तु हमारा विचार इससे कुछ भिन्न है । इस विषय में संक्षेप में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं ।

---

१. पतंजलि-महाभाष्य—८।२।१०६, गु० प्र० सं० पृ० १४९ ।

शैलीभेद

विप्रतिषेधबोधक वचनों में द्विविध शैलियां उपलब्ध होती हैं। प्रथम—**विप्रतिषिद्धम्** या **पूर्वविप्रतिषिद्धम्**। दूसरी—**विप्रतिषेधेन**।

प्रथम शैली के उदाहरण[1]—

१—अन उपधालोपिन ऊधसो ङीष् पूर्वविप्रतिषिद्धम्।

२—पशुशकुनिद्वन्द्वविरोधिनां पूर्वविप्रतिषिद्धम्।

३—अ रञ्विधेर्नद्यां मतुप् विप्रतिषिद्धम्।

इस प्रकार की शैली में, जिससे पूर्वविप्रतिषेध दिखाते हैं उसका निर्देश पंचम्यन्त से करते हैं। जिसका पूर्वविप्रतिषेध हो उसका प्रथमान्त और षष्ठ्यन्त से निर्देश होता है और विप्रतिषिद्ध (क्तान्त) शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।

दूसरी शैली के उदाहरण[2]—

१—भ्रस्जादेशात् सम्प्रसारणं विप्रतिषेधेन।

२—सनोतेरनुनासिकलोपादात्त्वं विप्रतिषेधेन।

३—कृत्स्वराच्च।

इस शैली में जिससे विप्रतिषेध हो उसका पञ्चम्यन्त से निर्देश और जिसका विप्रतिषेध से बलीयस्त्व हो उसका प्रथमान्त से निर्देश होता है। यहाँ विप्रतिषेध शब्द का तृतीयान्त प्रयोग मिलता है।

प्रथम शैली में "पूर्वविप्रतिषिद्धम्" कहकर पूर्वविप्रतिषेध दिखाया गया है। परविप्रतिषेध दिखाने के लिये भी "विप्रतिषिद्ध" शब्द का प्रयोग है। जैसा कि प्रथम शैली के ३. उदाहरण में बता चुके हैं, परन्तु इस प्रकार के प्रयोग अत्यधिक स्वल्प है केवल १. २. स्थानों पर ही है। दूसरी शैली में विप्रतिषेधेन कहकर प्रायः परविप्रतिषेध दिखाया गया है। १. २. स्थलों पर पूर्वविप्रतिषेध भी दिखाया है। स्पष्ट ही ये दोनों पृथक् शैलियां हैं। कात्यायन को ही पूर्व और परविप्रतिषेधबोधक उभयविध शैलियों के बनाने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब पाणिनि-सूत्र **विप्रतिषेधे परं कार्यम्** (१।४।२)

---

१. पतंजलि-भाष्य वा० २।४।१२ भाग १—पृ० ४७६, ४।१।७५, ४।२।७१ भाग २—पृ० २८७।

२. पतंजलि-भाष्य वा० ६।४।४७—भाग ३, पृ० १९९ ॥ ६।४।४२—भाग ३, पृ० १९७ ॥ ६।२।५२, भाग ३, पृ० १३१।

पर विप्रतिषेध से बलीयस्त्व दिखाने वाला साधारण नियम है ही, उस अवस्था में पुनः परविप्रतिषेध से बलीयस्त्व बोध कराने की क्या आवश्यकता है ? हाँ, पूर्वविप्रतिषेध तो कठिनता से जाना जा सकता है, एतदर्थ उसको बताने के लिये वचन-निर्माण आवश्यक है। इसीलिये इन दोनों में शैली-भेद भी है। क्तान्त शैली का निर्माता अन्य है और तृतीयान्त शैली का अन्य। यही कारण है कि क्तान्त "विप्रतिषिद्ध" पदयुक्त वार्त्तिकों के खण्डनार्थ (७।१।९६) को छोड़कर, जहां तक हमारा ज्ञान है, "न वा" प्रतीकात्मक वचन प्रयुक्त नहीं हुआ है। "विप्रतिषेधेन" तृतीयान्त पदयुक्तों के प्रत्याख्यानार्थ "न वा" प्रतीकात्मक वचनों का प्रयोग अधिक उपलब्ध होता है। क्या यह सम्भव है कि एक ही व्यक्ति एक कार्य के लिये द्विविध शैलियों का आश्रयण करे ? इस प्रकार इन दोनों शैलियों के निर्माता पृथक् पृथक् ही हैं।

"विप्रतिषेधेन" तृतीयान्त पदयुक्तों के कात्यायनातिरिक्त निर्मातृत्वसिद्धि में प्रमाण

कर्मण्यण् (३।२।१) पर एक वचन है—

अकारादनुपपदात् कर्मोपदेशो विप्रतिषेधेन। इस वचन में "अच्" प्रत्यय एवं "अण्" प्रत्यय में विप्रतिषेध दिखाया है। यह विप्रतिषेध उस अवस्था में सम्भव है जब कि गणपठित धातुओं से ही अच् प्रत्यय हो। यदि सब धातुओं से अच् होता तब तो **येन नाऽप्राप्ति०** इस न्याय से अण् प्रत्यय, अच् प्रत्यय का अपवाद है। उस अवस्था में तुल्यबलविरोधाभाव के कारण विप्रतिषेध नहीं बनता। कैयट के शब्दों में— **यदा गणपठित-धातुविषय एवाच्प्रत्ययस्तदायं विप्रतिषेधो यदा तु सर्वधातुविषयोऽ-च्प्रत्ययस्तदा येन नाऽप्राप्ति न्यायादण्प्रत्ययस्यापवादत्वादुत्सर्गापवादयो-र्विप्रतिषेधोऽनुपपन्नः**[1]।

स्पष्ट है कि जब वार्त्तिककार ने (३।१।१३४) में **अजपि सर्वधातुभ्यः** यह वार्त्तिक दिया है, जिसके कारण उनके मत से सम्पूर्ण धातुओं से "अच्" प्रत्यय होता है, उस अवस्था में अण्, स्वयं अपवाद हो जावेगा। विप्रतिषेध वार्त्तिक की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं वार्त्तिककार ने स्पष्ट शब्दों में **कर्मण्यण्** को अपवाद माना है। ३।१।१३४ पर वार्त्तिक है—**पचाद्यनु-क्रमणमनुबन्धासंजनार्थमपवादबाधनार्थं च।** इस वार्त्तिक के व्याख्यान में

---

१. कैयट–प्रदीप—गु० प्र० सं० ३।१।१। पृ० २१०।

जरामरा और **श्वपचा** ये दो उदाहरण दिये हैं। इसी का व्याख्यान करते हुए कैयट ने लिखा है—**श्वपचेति कर्मण्यण् बाध्यते,** अर्थात् अपवाद अण् का बाधक अच् है। इस कारण इतना तो स्पष्ट है कि इस विप्रतिषेधवार्त्तिक का निर्माता अन्य है और **अजपि सर्वधातुभ्यः** आदि का निर्माता अन्य है। यही कारण है कि ३।१।१३४ के वार्त्तिकों का इस विप्रतिषेधवार्त्तिककार ने ध्यान नहीं रखा।

अन्य प्रमाण विस्तारभय से नहीं दिये जा रहे हैं[1]।

"विप्रतिषेधेन" पदयुक्त वचनों का कात्यायन से पूर्ववर्त्तित्व

"विप्रतिषेधेन" कहकर दिये वार्त्तिक कात्यायन से पूर्ववर्ती हैं। इसके लिये हमें कुछ संकेत कात्यायन के वार्त्तिकों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। यथा—

पुंवद् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु (६।३।४२) सूत्र पर दो विप्रतिषेध-वार्त्तिक हैं।

१—अग्नेरीत्त्वाद् वरुणस्य वृद्धिर्विप्रतिषेधेन।

२—पुंवद्भावाद् ह्रस्वत्वं खिद्घादिकेषु।

ये वार्त्तिक किसी अन्य के हैं और कात्यायन से पूर्ववर्ती हैं, क्योंकि **स्त्रियाः पुंवद् भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु** (६।३।३४) पर एक वार्त्तिक है—**अर्थातिदेशे विप्रतिषेधाऽनुपपत्तिः** इसी पर भाष्यकार ने लिखा है—**अर्थातिदेशे विप्रतिषेधो नोपपद्यते। पठिष्यति ह्याचार्यो विप्रतिषेधं, पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्घादिकेष्विति स विप्रतिषेधो नोपपद्यते।**

अर्थात् आचार्य—(विप्रतिषेधवार्त्तिककार) ने जो **पुंवद्भावाद् ह्रस्वत्वं खिद्घादिकेष्विति** इस वार्त्तिक द्वारा विप्रतिषेध दिखाया है वह नहीं बनेगा। स्पष्ट है कि विप्रतिषेधानुपपत्ति दिखाने वाला अन्य है और विप्रतिषेध दिखाने वाला अन्य। साथ ही इतना भी निश्चित है कि विप्रतिषेधवार्त्तिक इस विप्रतिषेधानुपपत्ति दिखाने वाले वार्त्तिक से पूर्व था।

इसी प्रकार **अनुदात्तं पदमेकवर्जम्** (६।१।१५८) सूत्र पर एक वार्त्तिक दिया है—**अनुदात्ते विप्रतिषेधो नोपपद्यते। पठिष्यति ह्याचार्यो विप्रतिषेधं जे दीर्घाद् बह्वचः इति स विप्रतिषेधो नोपपद्यते।**

---

१. "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" में उपपदमतिङ् २।२।१९ की टिप्पणी देखें।

अर्थात् ६।२।४२ पर **जे दीर्घात् बह्वचः** यह जो वार्त्तिक विप्रतिषेध-वार्त्तिककार ने दिया है, वह ठीक नहीं बनता। स्पष्ट है कि विप्रतिषेध दिखाने वाला वार्त्तिक अन्य का है और उसको ध्यान में रखकर ही (६।१।१५८ में) विप्रतिषेधानुपपत्तिदोष का देने वाला जो वार्त्तिक बनाया है, वह अन्य का है।

इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि सम्भवतः विप्रतिषेधवार्त्तिककार कात्यायन से पूर्ववर्ती है।

विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के लिए भाष्य में कथित "पठिष्यति ह्याचार्यः" पद पर विचार और निर्णय

यहाँ यह शंका उठ सकती है कि इन वार्त्तिकों के व्याख्यान में भाष्यकार ने "पठिष्यति ह्याचार्यः" कहा है। विप्रतिषेध वार्त्तिकों के लिये "पठिष्यति ह्याचार्यः" मात्र दो स्थानों पर आया है, जिनका उद्धरण हम पूर्व दे चुके हैं। प्रायः विद्वानों की ऐसी धारणा है कि भाष्यकार "आचार्य" पद का प्रयोग पाणिनि या कात्यायन के लिये ही करते हैं। उस अवस्था में जब ये विप्रतिषेध-वचन पाणिनि के नहीं हैं तब कात्यायन के होने चाहियें। परन्तु भाष्य में कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ कात्यायन एवं पाणिनि से भिन्न आचार्यों के लिये भी 'आचार्य' पद का भाष्यकार ने व्यवहार किया है।

(क)— भाष्यकर ने आचार्यों के नामोल्लेखसहित "आचार्य" पद का व्यवहार किया है। यथा—**उञः ऊँ** (१।१।१७) सूत्र पर—**उञ ऊँ इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन। ऊँ विभाषा यथा स्यात्।**

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१।१।६४) सूत्र पर—**आकृत्याभिधानाद्वैकं शब्दं विभक्तौ वाजप्यायन आचार्यो न्याय्यं मन्यते।** इसी सूत्र पर कहा है—**द्रव्याभिधानं व्याडिराचार्यो न्याय्यं मन्यते।**

ई चाक्रवर्मणस्य (६।१।१३०) सूत्र पर लिखा है—**अविशेषेण चाक्रवर्मणस्याचार्यस्याप्लुतवद्भवतीत्येव।** इन स्थलों पर 'आचार्य' पद सहित आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है।

(ख)—कुछ स्थलों पर नामोल्लेख के विना भी आचार्य पद व्यवहृत किया है—**विप्रतिषेधे परं कार्यम्** (१।४।२) सूत्र पर भाष्यकार ने आचार्य पद से दो वचन उद्धृत किये हैं—

एतावदिह सूत्रं विप्रतिषेधे परमिति। पठिष्यति ह्याचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेवेति। पुनश्च पठिष्यति पुनः प्रसंग-विज्ञानात् सिद्धमिति।

यहां 'पठिष्यति ह्याचार्यः' कहकर जो उद्धरण दिये हैं, उनमें से प्रथम—(सकृद्गतौ०) वचन तो पूरे भाष्य में वार्त्तिक रूप में किसी भी स्थान पर पठित नहीं है। भाष्यकार ने कुछ स्थलों पर व्याख्या-प्रसंग में अवश्य यह वचन दिया है, जैसे—६।२।४२, ६।३।१३९ आदि में। दूसरे (पुनः प्रसंग-विज्ञानात् सिद्धम्) वचन का शब्दशः उल्लेख तो पूरे भाष्य में नहीं है। कुछ स्थानों पर पाठभेद से अवश्य उपलब्ध होता है। जैसे —७।१।८२, ७।२।१, ७।४।१० आदि। विवेचन करने पर यह वचन कात्यायन का न होकर भाष्यकार का ही सिद्ध होता है। यथा—

सावनडुहः (७।१।८२) सूत्र पर **पुनः प्रसंगविज्ञानाद् वा सिद्धम्** यह वचन दिया है।

इस वचन का सम्बन्ध भाष्यकार के शब्दों से हैं। **पुनः प्रसंग०** वाला वचन दिया, उससे पूर्व **न वा वर्णोपधस्य नुम् वचनात्** यह वचन दिया है। हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं कि "न वा" प्रतीकात्मक वचन कात्यायन के नहीं हैं। "न वा वर्णो० यह वचन भाष्यकार का है[1]। तदनन्तर "पुनः प्रसंग०" यह वचन दिया है। इस वचन में "वा" पठित है। भाष्यकार ने प्रथम अथवार्थ में "वा" का व्याख्यान किया, परन्तु "न वा०" वचन के साथ इस "पुनः प्रसंग०,' वचन की समाधानान्तर के रूप में संगति नहीं लगती। एतदर्थ भाष्यकार ने "वा" को समुच्चयार्थ माना और इसी बात को स्पष्ट किया है—

'इदमयं चोद्यो भवति—अनडुहः सावामप्रतिषेधो नुमोऽनवकाशत्वादिति। तस्य परिहारो न वा वर्णोपधस्य नुम्वचनादिति। ततोऽयं चोद्यो भवति। यत्र तर्ह्यवर्णप्रकरणं नास्ति तत्र ते अमा नुमो बाधनं प्राप्नोति। बह्वनड्वांहि ब्राह्मणकुलानीति तत उत्तरकालं पठितं पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्।

---

१. इसके लिये "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" की "सावनडुहः" सूत्र पर दी गई टिप्पणी देखें, जिसके आधार पर "न वा वर्णोपधस्य०" वचन का कर्ता कात्यायन नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार दोषान्तर का समाधान "पुनः प्रसंग०" वचन से दिया है। अतः इतना तो स्पष्ट है कि सम्भवतः यह वचन कात्यायन का नहीं है।

सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७।२।१) में भी "पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्" यह वचन दिया है। यह भी कात्यायन का नहीं, भाष्यकार का है, यह हम आगे सिद्ध करेंगे[1]।

ऋतश्च संयोगादेर्गुणः (७।४।१०) में भी "पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्" यह वचन उपलब्ध होता है। वस्तुतः यह भी कात्यायन का नहीं, क्योंकि इस वचन की संगति विप्रतिषेधवार्त्तिक के साथ है। इसी कारण से वचन में "वा" प्रयुक्त है। अतः स्पष्ट है कि इन सभी स्थानों पर प्रथम तो "पुनः प्रसंगविज्ञानाद् सिद्धम्" यह वचन ही नहीं है, यदि इसे और "पुनः प्रसंगविज्ञानाद्वा सिद्धम्" इन दोनों को एक ही मान लें, तब भी यह वचन कात्यायन का नहीं है, भाष्यकार का या किसी अन्य आचार्य का है।

वास्तविकता यह है कि विप्रतिषेधसूत्र पर भाष्यकार ने जो "पठिष्यति ह्याचार्यः" कहकर वचन उद्धृत किये हैं वे कात्यायन के नहीं हैं। भाष्यकार ने इन वचनों का उद्धरण व्याडीय "परिभाषासूचनम्" से दिया है। व्याडि पतंजलि से पूर्ववर्ती है। व्याडीय "परिभाषासूचनम्" में प्रथम **सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद्बाधितमेव** यह परिभाषा है और उसके अव्यवहितोत्तर **पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम्** यह परिभाषा है[2]। अब भाष्यकार के शब्दों से तुलना कीजिये—

पठिष्यति ह्याचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेवेति। पुनश्च पठिष्यति पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम्।

---

१. "महाभाष्य-वार्त्तिकानुशीलन" के ७।२।१ सूत्र पर दी टिप्पणी देखें जहाँ इस वचन का भाष्यकारीयत्व सिद्ध किया है।

२. द्रष्टव्य—पूना से श्री काशीनाथ अभ्यंकर द्वारा सम्पादित परिभाषा-संग्रह में व्याडिकृत "परिभाषासूचनम्" नामक परिभाषाग्रन्थ में पृ० ३४ पर परिभाषासंख्या ८१, ८२। इसी ग्रन्थ में पृ० ४० पर व्याडीय परिभाषापाठ भी दिया है वहाँ परिभाषा-संख्या ४०-४१ है। विशेष इतना है कि प्रथम परिभाषा कुछ परिवर्त्तित है (सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं बाधितमेव तत्) वैसे "परिभाषासूचनम्" में भी यह परिभाषा है, वहां इसकी संख्या ३५ है और उसके बाद "पुनः०" वाली परिभाषा नहीं है।

अर्थात् प्रथम 'सकृद्गतौ०'' यह परिभाषा पढ़ेंगे और उसके अव्यवहितोत्तर ''पुनः प्रसंगविज्ञानात्०'' यह पढ़ेंगे। स्पष्ट है कि भाष्यकार का यह उद्धरण व्याडीय ''परिभाषासूचनम्'' से लिया गया है और ''आचार्य'' पद से व्याडि की तरफ संकेत किया है।

इसी प्रकार **स्त्रियाम्** (४।१।३) सूत्र पर भी भाष्यकार ने कहा है—

नैतन्मन्तव्यं स्वमनीषिकयोच्यते। पठिष्यति ह्याचार्यो लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्येति।

जहाँ तक हमारा ज्ञान है, यह उद्धरण पूरे भाष्य में वार्त्तिक रूप में कहीं पर नहीं है।

इसके बाद पढ़ा—**पुनश्च पठिष्यत्येकार्थे शब्दान्यत्वाद् दृष्टं लिंगाऽन्यत्वमवयवाऽन्यत्वाच्च।** एकार्थे० वाला उद्धरण तो वार्त्तिकरूप में '**तस्यापत्यम्**' (४।१।९२) पर दिया है।

हमारा विचार है कि ये उद्धरण भी सम्भवतः परिभाषापाठ से लिये गये हैं। **लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्य** यह परिभाषा ''चान्द्र'' एवं ''जैनेन्द्र'' परिभाषा पाठों में है[1]। परन्तु वहाँ द्वितीय उद्धरण जो 'पुनः पठिष्यति' कहकर दिया है, वह नहीं है क्या यह सम्भव नहीं कि परिभाषा पाठ में ही किसी कारणवश इस 'एकार्थे०' वचन का लोप हो गया हो? कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि ''लिंगमशिष्यं लोकाश्रयत्वात्'' वचन उस परिभाषा पाठ से उद्धृत किया है जिसका आश्रयण चान्द्र एवं जैनेन्द्र ने अपने परिभाषा-पाठों के निर्माण में किया था। जैनेन्द्र-व्याकरण को डा० बरनेल ने ऐन्द्र एवं माहेश्वर (पाणिनि) सम्प्रदाय से पृथक् माना है परन्तु पाणिनि से अधिक सम्बन्धित माना है[2]।

---

१. द्रष्टव्य—काशीनाथ अभ्यंकर द्वारा सम्पादित परिभाषासंग्रह पूना सं०, चान्द्र परिभाषा-पाठ, पृ० ४८, परि० सं० ७३। तथा जैनेन्द्र परि० वृत्ति, पृ० १०३ संकीर्ण-प्रकरण परि० सं० १०५।

2. Dr. A.C. BURNELL Ph. D.—The Aindra School of Sanskrit Grammaraian's LONDON 1876, P. 36.
''About Sakatayana's and Jinendra's Grammers there can be no doubt; both differ from the Aindra Grammers and Panini's work in essential points, but they are for nearer to the last.

जिस प्रकार इन उद्धरणों में "आचार्य" पद से कात्यायन का ग्रहण नहीं है, अपितु परिभाषाओं के निर्माता व्याडि आदि आचार्यों का ग्रहण है, उसी प्रकार ६।३।४२ एवं ६।१।१५८ पर भाष्यकार ने "पठिष्यति ह्याचार्यः" कहकर विप्रतिषेध वार्त्तिकों के उद्धरण दिये है। वहां "आचार्य" पद से विप्रतिषेधवार्त्तिककार की तरफ संकेत है। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि सम्भवतः ये कात्यायन से पूर्ववर्ती हैं।

विप्रतिषेध-वार्त्तिकों का निर्माता

इन विप्रतिषेध-वार्त्तिकों के निर्माता के सम्बन्ध में अधिक सामग्री तो उपलब्ध नहीं हो सकी है, फिर भी कुछ संकेत अवश्य प्राप्त हुए हैं। भाष्य १।१।३ भाग-१ पृ० ४६ में क्रोष्ट्रीयों के वचन को उद्धृत किया है।

अन्यदेवेदं परिभाषान्तरमसंबद्धमनया परिभाषया। परिभाषान्तरमिति मत्वा क्रोष्ट्रीयाः पठन्ति—नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन।

यह क्रोष्ट्रीयों का वचन विप्रतिषेध बताने के लिये दिया है। उसकी शैली भी भाष्य में उपलब्ध विप्रतिषेधवार्त्तिकों (जिनको विप्रतिषेधवार्त्तिककार का माना है) के समान है। इसमें "विप्रतिषेधेन" तृतीयान्त निर्देश भी है। इन कारणों से सम्भवतः क्रोष्ट्रीय आचार्य विप्रतिषेधवार्त्तिकों के निर्माता हैं। इस "क्रोष्टा" के सम्बन्ध में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

काशिका के वार्त्तिकों का महाभाष्य के वार्त्तिकों के साथ तुलनात्मक परीक्षण

अष्टाध्यायी पर उपलब्ध प्राचीन वृत्तियों में सब से प्राचीन वृत्ति काशिका-वृत्ति है। महाभाष्य एवं भर्तृहरि विरचित ग्रन्थों के अनन्तर यही वृत्ति महत्त्व-पूर्ण है। यह वृत्ति वामन और जयादित्य इन दो विद्वानों के सम्मिलित परिश्रम का परिणाम है। इसमें १–५ अध्याय जयादित्य के एवं ६–८ वामन के बनाये माने जाते हैं। वामन की व्याख्या जयादित्य की अपेक्षा प्रौढ है। इसका रचनाकाल वि०सं० छठी शताब्दी उत्तरार्ध है। इसमें प्राचीन वृत्तियों एवं ग्रन्थकारों के अनेक मत उद्धृत हैं, जिनका उल्लेख अन्य स्थानों पर नहीं है। बहुत से सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तियों के आधार पर की है। जिन स्थलों पर भाष्यकार से विरोध है, वहाँ प्राचीन वृत्तियों का आश्रयण लेकर

व्याख्या की है। उदाहरण और प्रत्युदाहरण प्राचीन ग्रन्थों से ही लिये गये हैं, जिनसे बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान होता है। इस ग्रन्थ में वार्त्तिकों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। बहुत से वार्त्तिक, जो भाष्य में नहीं हैं, काशिका में उपलब्ध होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि बहुत से महाभाष्य के पूरक वार्त्तिक इसमें संगृहीत नहीं किये गये हैं। कुछ वार्त्तिकों के पाठभेद काशिका में उपलब्ध होते हैं।

हम यहाँ संक्षेप में काशिका में भाष्य से उपलब्ध अतिरिक्त वार्त्तिकों एवं पाठभेदों को संगृहीत करेंगे।

अतिरिक्त वार्त्तिक

काशिका में लगभग ३७ वार्त्तिक भाष्य से अतिरिक्त उपलब्ध होते हैं, यहाँ उनका संग्रह किया गया है। उद्धरण में केवल अध्याय, पाद एवं सूत्र-संख्या दी है और तदनन्तर अतिरिक्त वार्त्तिक का उल्लेख किया है—

१।३।८७—अदेः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

२।१।३९ शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम्।

२।३।७१—उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्यः।

३।१।६—मानेर्जिज्ञासायाम्। वधेर्वैरूप्ये। दानेरार्जवे। शानेर्निशाने।

३।१।८—छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्।

३।१।१०९—शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्।

३।२।४१—भगे च दारेरिति वक्तव्यम्।

३।२।६०—दृशेः क्सश्च वक्तव्यः।

३।२।७८—उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेरुपसंख्यानम्।

३।२।१६२—व्यधेः संप्रसारणम् कुरच्च वक्तव्यः।

३।२।१७२—धृषेश्चेति वक्तव्यम्।

४।१।५४—अंगगात्रकंठेभ्यः इति वक्तव्यम्।

४।२।३७—गुणादिभ्यो ग्रामज् वक्तव्यः।

४।२।५१—नरकारितुरंगाणां स्कन्धच् प्रत्ययः। पूर्वादिभ्यः काण्डः प्रत्ययो भवति]।

४।३।८—आदेश्चेति वक्तव्यम्। ऊधसोर्लोपश्च।
४।३।१२१—रथसीताहलेभ्यो यद्विधाविति तदन्तविधिरुपसंख्यायते।
४।३।१ ३—पत्राद् बाह्ये।
४।४।२०—भावप्रत्ययान्तादिमब्वक्तव्यः।
५।१।१२६—दूतवणिगभ्यां चेति वक्तव्यम्।
५।१।१३२—सहायाद्वेति वक्तव्यम्।
५।२।१०७—नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्। कच्छ्वा ह्रस्वत्वं च।
५।२।१०८—अर्णसो लोपश्च।
६।१।३—वकारस्याप्ययं प्रतिषेधो वक्तव्यः। वकारपरस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्।
६।१।१२—चरिचिलिपतिवदीनां द्वित्वमच्याक्चाऽभ्यासस्य वेति-वक्तव्यम्।
६।३।८९—दृशेः क्सः प्रत्ययोऽपि तत्रैव वक्तव्यः।
६।३।१२६—गवि च युक्ते भाषायामष्टनो दीर्घो भवतीति वक्तव्यम्।
६।३।१३७—शुनो दन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु।
६।४।३४—क्वौ शास ईत्वं भवतीति वक्तव्यम्। क्विप्-प्रत्यये तु तस्यापि भवतीति वक्तव्यम्।
६।४।१२२—श्रन्थेश्चेति वक्तव्यम्।

पाठभेद

पाठभेदों में काशिका एवं महाभाष्य दोनों में पठित वार्त्तिक दिये गये हैं जिनके आधार पर इस बात का परिज्ञान हो सके कि काशिका के वार्त्तिकों में भाष्य से कहाँ पर पाठ में भिन्नता है।

यहाँ काशिका चौखम्बा संस्करण एवं भाष्य गु० प्र० सं० का आश्रयण लिया गया है।

काशिका	महाभाष्य
१।२।४८—ईयसो बहुव्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१—ईयसो बहुव्रीहौ पुंवद् वचनम्।
१।२।५९—सविशेषणस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१—१।२।५८ पर अपर आह कहकर—अस्मदः सविशेषणस्य प्रयोगे न।

काशिका	महाभाष्य
१।३।२०–आस्यविहरणसमानक्रियादपि प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१–आङो दोऽव्यसनक्रियस्य।
१।३।३९–दृशेश्चेति वक्तव्यम्।	१–अर्तिश्रुदृशिभ्यश्च।
१।३।५२–अशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे।	१–अशिष्टव्यवहारे तु तृतीया च विधीयते।
१।४।५२–(१) आदिखाद्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः। (२) गत्यर्थेषु निवहयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१–आदिखादिनीवहीनां प्रतिषेधः।
२।१।३३–कृत्यग्रहणे यण्यतोर्ग्रहणं कर्तव्यम्।	१– कृत्यैरधिकार्थवचनेऽन्यत्रापि दृश्यते।
२।१।३७– भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्।	भाष्य में यह वचन अत्यल्पमिदमुच्यते कहकर दिया है।
२।३।६६–यहाँ काशिका में एक वचन है।	भाष्य में अपर आह कहकर दिया है।
३।१।७–आशंकायामुपसंख्यानम्।	१–आशंकायामचेतनेषूपसंख्यानम्।
३।१।१७– सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्चेति वक्तव्यम्।	१–सुदिनदुर्दिनाभ्यां च। २–नीहाराच्च।
३।१।२५– अर्थवेदसत्यानामापुक् वक्तव्यम्।	१–भाष्य में अत्यल्पमिदमुच्यते कहकर वचन दिया है—णिविधावर्थवेदसत्यानामापुग्वचनम्।
३।१।८९–यहाँ भारद्वाजियों का वार्त्तिक साधारण वार्त्तिक के रूप में दिया है।	
३।१।९७–यहां काशिकाकार ने भाष्यकार का "अत्यल्पमिदमुच्यते" कहकर दिया, वचन दिया है।	
३।१।१००–चरेराङि चाऽगुरौ।	१–अनुपसर्गाच्चरेराङि चाऽगुरौ।
३।१।११२–समवपूर्वाच्च।	१–समश्च बहुलम्।
३।१।१४५–नृतिखनिरंजिभ्यः परिगणनं कर्तव्यम्।	१–नृतिखनिरंजिभ्यः।

काशिका	महाभाष्य
३।२।८–बहुलं छन्दसीति वक्तव्यम्।	१–बहुलं तणि।
३।२।७१–श्वेतवाहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्।	१–श्वेतवाहादीनां डस्। २–पदस्य वर्थम्।
३।२।११५–अत्यन्तापह्नवे च लिड् वक्तव्यः।	१–परोक्षे लिडत्यन्तापह्नवे।
३।२।१३५–(१) त्विषेर्देवतायामकारश्चोपधायाः। (२) अनिट्त्वं च।	१– त्विषेर्देवतायामकारश्चोपधाया अनिट्त्वं च।
(३) क्षदेश्च नियुक्ते।	२–छदेश्च युक्ते।
३।२।१३९– दंशेश्छन्दस्युपसंख्यानम्।	१–स्थादंशिभ्यां स्नुश्छन्दसि।
३।३।१७८–दृभय इस्यस्य ह्रस्वत्वं द्वे च।	१–दृणाते ह्रस्वश्च द्वे च क्विप् च।
३।३।१५–परिदेवने श्वस्तनी भविष्यदर्थे।	१–परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्यर्थे।
३।३।५६–अज्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्।	१–भाष्य में अत्यल्पमिदमुच्यते कहकर "भयादीनामिति" यह वचन दिया है।
३।३।१५७–कामप्रवेदन इति वक्तव्यम्।	१–इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ कामप्रवेदनं चेत्।
३।४।२४–आस्यं व्यादाय स्वपिति सम्मील्य हसतीत्युपसंख्यानमपूर्वकालत्वात्।	१–व्यादाय स्वपितीत्युपसंख्यानमपूर्वकालत्वात्।
४।१।१५–काशिका में केवल सौनागों का "नञ्स्नञ०" वाला वचन ही वार्त्तिक रूप में दिया है।	१–भाष्य में यहाँ ख्युनः उपसंख्यानम् दिया, फिर अत्यल्पमिदमुच्यते कहकर सौनागों का नञ्स्नञ्० वाला वार्त्तिक दिया है।
४।१।४४– वसुशब्दाद् गुणवचनाद्ङीबाद्युदात्तार्थम्।	(१) गुणवचनात् ङीबाद्युदात्तार्थम्।
४।१।५२– बहुलं संज्ञाछन्दसोः।	४।१।५३– बहुलं तणि।

काशिका	महाभाष्य
४।१।६५- इन उपसंख्यानमजात्यर्थम्।	१—इतो मनुष्यजातेरिन उपसंख्यानम्।
४।१।९५- भाष्य में "अत्यल्पमिदमुच्यते" कहकर दिया वचन, वार्त्तिक रूप में दिया है।	
४।१।१२८- चटकाच्चेतिवक्तव्यम्।	१—चटकायाः पुल्लिगनिर्देशः।
४।१।१७१- पाण्डोर्जनपदशब्दात् क्षत्रियाड्ड्यण् वक्तव्यः।	४।१।१६८- पर (१) पाण्डोर्ड्यण्।
४।२।८- पर कारिका भी दी है, साथ ही वार्त्तिक भी दिया है।	भाष्य में कारिका के पदमात्र दिये हैं। और भाष्यकार द्वारा प्रदत्त उनका व्याख्यान और अन्त में कारिका है।
४।२।४२- (१) अह्नः खः क्रतौ। (२) पर्वाण्णस् वक्तव्यः।	४।२।४३- पर (१) अह्नः खः। (२) क्रतौ। (३) पर्वाः सण्।
४।२।४३- गजाच्चोतः यह वार्त्तिक दिया है। "सहाय" शब्द सूत्र में ही पढ़ा है।	भाष्य में गजसहायाभ्यां च यह वार्त्तिक दिया है।
४।२।१०४- अविसश्छन्दसि।	१—अव्ययात्त्यप्याविष्टस्योपसंख्यानम्।
४।३।८७- लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्।	१—लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्।
४।४।४९- नराच्चेति वक्तव्यम्।	१—नृनराभ्यामञ् वक्तव्यः।
४।४।१४०- वसुशब्दादपि यद् वक्तव्यः।	१—छन्दसि बहुभिर्वसव्यैरुपसंख्यानम्।
५।१।२५- (१) अर्धाच्च। (२) कार्षापणाट्टिठन् वक्तव्यः।	१—टिठन्नर्धाच्च। २—कार्षापणाद्वाप्रतिश्च।

काशिका	महाभाष्य
(३) प्रतिशब्दश्चास्यादेशो वा वक्तव्यः।	
५।१।४७– चतुर्थ्यर्थे उपसंख्यानम्।	१–तदस्मै दीयतेऽस्मा इति च।
५।१।९४– महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य उपसंख्यानम्।	१–तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाम्न्यादिभ्य उपसंख्यानम्।
५।२।२९– (१) कटच् प्रकरणेऽलाबूतिलोत्तमाभंगाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्।	१–कटच् प्रकरणे अलाबूतिलोमाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्।
(२) भवने क्षेत्रे इत्वादिभ्यः शाकट्शाकिनौ।	२– भंगायाश्च।
	३– सम्भावने क्षेत्रे शाकट् च।
	४– शाकिनच्च।
५।२।७७– तावतिथेन गृह्णातीति कन्वक्तव्यः पूरणप्रत्ययस्य च नित्यं लुक्।	१– तावतिथेन गृह्णातीति लुक् च।
५।३।८३– अनजादौ च विभाषा लोपो वक्तव्यः।	१– अनजादौ च।
५।३।८४– शेवलादीनां तृतीयादन्यो लोपः स चाऽकृतसन्धीनामिति वक्तव्यम्।	१– वरुणादीनां तृतीयात्स चाऽकृतसंधीनाम्।
५।४।३६– अण्प्रकरणे कुलालवरुणनिषादकर्मारचण्डालमित्राऽमित्रेभ्यश्छन्दस्युपसंख्यानम्।	१– अण्प्रकरणे कुलालवरुणनिषादचण्डालाऽमित्रेभ्यश्छन्दस्युपसंख्यानम्।
	२– अण्मित्राच्च।
६।१।६२– द्विर्वचनप्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्।	१– अभ्यासप्रतिषेधानर्थक्यं च छन्दसि वा वचनात्।
६।१।६३– यदि वर्णनगरयोर्नेति वक्तव्यम्।	१– अवर्णनगरयोः।
६।१।८६– संप्रसारणङीट्सु प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१– सम्प्रसारणङीट्सु सिद्धः।

काशिका	महाभाष्य
६।१।९८–अनेकाच इति वक्तव्यम्।	१– इतावनेकाज्ग्रहणं श्रदर्थम्।
६।१।१७६–(१) रे शब्दाच्च मतुप उदात्तत्वं वक्तव्यम्।	१– मतुप उदात्तत्वे रे ग्रहणम्।
(२) त्रेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः।	२– त्रिमतिप्रतिषेधः।
६।२।१२२– चावतद्धिताविति वक्तव्यम्।	१– चोरतद्धिते।
६।३।३७– कोपधप्रतिषेधे वुतद्धित-ग्रहणम्।	१– कोपधप्रतिषेधे तद्धित-वुग्रहणम्।
६।३।८९-९१ में दृक्षे चेति वक्तव्यम् यह वार्त्तिक तीनों सूत्रों में पृथक् पृथक् दिया है।	भाष्य में ६।३।८९ पर दृग्दृश-वतुषु दृक्ष उपसंख्यानम् इस प्रकार का वचन पढ़ा है।
६।३।९२– छन्दसि स्त्रियां बहुल-मिति वक्तव्यम्।	१– तत्र छन्दसि स्त्रियां प्रतिषेधः यह वार्त्तिक दिया है, पर भाष्यकार ने कद्रीची यहां दोष दिखाकर काशिका के समान पाठ को ही उचित माना– एवं तर्हि छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्।
६।४।४९– वृद्धिदीर्घाभ्यामतो लोपः पूर्वविप्रतिषेधेन।	१– व्यलोपावियङ्यण्गुणवृद्धि-दीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषिद्धम्।
६।४।१४१–आङोऽन्यत्रापि छन्दसि लोपो दृश्यते।	१– छान्दसत्वात् सिद्धम्।
६।४।१४८– यस्येत्यौङः श्यां प्रतिषेधः।	१– पिबस्येत्यादौ श्यां प्रतिषेधः।
६।४।१५९-(१) मत्स्यस्य ङ्यामिति वक्तव्यम्।	१– सूर्यमत्स्ययोङ्र्याम्।
(२) सूर्यागस्त्ययोश्छे च ङ्यां च।	२– सूर्याऽगस्त्ययोश्छे च।
(३) ये च।	३– तथाऽघौ येऽन्त्यथर्वसु।

काशिका	महाभाष्य
७।२।१०७– उत्तरपदभूतानां त्यदादीनामकृतसन्धीनामादेशा वक्तव्याः।	१– उत्तरपदभूतानामादेश उपदेशिवद्वचनमनादिष्टार्थम्।
७।३।३७– लुगागमस्तु तस्य वक्तव्यः।	१– पातेर्लुग् वचनम्।
७।३।४४– प्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्यपोश्चोपसंख्यानम्।	१– त्यक्त्यपोश्च प्रतिषिद्धत्वात्।
७।३।४५– यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्।	१– प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्।
८।१।५– परेर्वर्जने समासे वेति वक्तव्यम्।	१– परेरसमासे। २– परेवर्जने वा वचनम्।
८।१।२६-युष्मदस्मदोर्विभाषा अन्वादेश इति वक्तव्यम्।	१– युष्मदस्मदोरन्यतरस्यामन्वादेशे।
८।१।६७– मलोपश्च।	१– मलोपवचनं च।
८।२।३–प्लुतविकारस्तुग्विधौ छे सिद्धो वक्तव्यः।	८।२।६ पर–प्लुतिस्तुग्विधौ छे च।
८।२।८–ङावुत्तरपदे प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१–न ङि सम्बुद्ध्योरनुत्तरपदे।
८।२।२९–झलि सङीति वक्तव्यम्।	८।२।२२ पर–(१) सङि लत्वसंयोगलोपसंयोगादिलोपकुत्वदीर्घत्वानि।
८।२।८३–स्त्रियामपि प्रतिषेधो वक्तव्यः।	१–अशूद्रस्त्र्यसूयकेषु यहाँ भाष्य में असूयकेषु अधिक पठित है। काशिका में असूयकेऽपि केचित् प्रतिषेधमिच्छन्ति दिया है।
८।३।१–वन उपसंख्यानं कर्तव्यम्।	१–मतुवसोरादेशे वन उपसंख्यानम्।
८।३।३६–खर्परे शरि वा लोपः।	१–वा शर्प्रकरणे खर्परे लोपः।

यहाँ काशिका और भाष्य के वार्त्तिकों के पाठभेदों को दिखाया गया है। इस पाठ-भेद के प्रदर्शन प्रसंग में प्रायः साधारण शाब्दिक भेद को ध्यान

में नहीं रखा गया है। इन पाठभेदों पर विचार करने पर स्पष्ट पता लगता है कि काशिकाकार ने प्रायः शाब्दिक भेद के अवसर पर वार्त्तिक की भाष्य-व्याख्या का ही आश्रयण लिया है। जहाँ वार्त्तिक में कोई दुरूह संज्ञाशब्द है; वहाँ उसको स्पष्ट करने वाली भाष्य-व्याख्या को ही वार्त्तिक रूप में स्वीकार किया है।

इन पाठभेदों के दिखाने में हमने गु० प्र० सं० का आश्रयण लिया है, अतः बहुत से ऐसे वार्त्तिक हैं जिनको कीलहार्न ने वार्त्तिक नहीं माना है, वे काशिका में भी दिये हैं और भाष्य में भी। उस दृष्टि से जो कात्यायन के वार्त्तिक नहीं हैं, केवल भाष्यकार की ही अपनी "इष्टि" हैं, वे भी काशिकाकार ने ले ली हैं।

अतिरिक्त पाठ में वे वार्त्तिक हैं जो काशिका में दिए हैं; परन्तु भाष्य में उनका अभाव है। गु० प्र० सं० के अनुसार प्रायः "वक्तव्यं" पदयुक्त वार्त्तिक मिलते हैं, जो प्रायः वार्त्तिकों की भाष्यकार की अपनी व्याख्या है। काशिका-कार ने उसी का वार्त्तिक रूप में आश्रयण लिया है। बहुत से स्थानों पर "अत्यल्पमिदमुच्यते" कहकर भाष्य में पठित विस्तृत वचनों का काशिकाकार ने आश्रयण लिया है। कहीं सौनागों एवं भारद्वाजियों के वार्त्तिकों को भी पढ़ा है। कुछ स्थानों पर भाष्य में मात्र 'अपर आह' कहकर पठित वचनों को ही वार्त्तिक रूप में पढ़ा है, मुख्य कात्यायन के वचन को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि काशिकाकार के वार्त्तिकों का बहुत कुछ आधार अद्यत्वे उपलब्ध महाभाष्य ही है। जो वार्त्तिक काशिका में अतिरिक्त पठित हैं, चाहे वे वार्त्तिकांश हों चाहे पूरे वार्त्तिक, इनका पाठ काशिकाकार ने कहाँ से लिया? यह एक विचारणीय विषय है।

कुछ लोगों ने सम्भवतः इसी समस्या के समाधानार्थ अष्टाध्यायी पाठ का त्रिविधत्व सिद्ध किया है[1]। प्राच्य, उदीच्य और दाक्षिणात्य, ये तीन पाठ माने हैं। काशिका वृत्ति का आधार प्राच्य पाठ है। कात्यायन ने जिस पाठ पर वार्त्तिक लिखे वह दाक्षिणात्य पाठ था। क्षीरस्वामी का आधारभूत पाठ उदीच्य पाठ था। इनमें भी प्राच्य पाठ वृद्ध पाठ है। उदीच्य एवं दाक्षिणात्य पाठ लघु पाठ माने हैं।

---

१. द्रष्टव्य—युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० का इति० भा० १, पृ० २११–२१२।

इस मान्यता के लिये कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। साथ ही इससे शंका का समाधान भी पूर्णतः नहीं हो पाता। जो वार्त्तिकांश भाष्यकार ने वार्त्तिक रूप में पढ़े उनको काशिकाकार ने सूत्रांश के रूप में क्यों पढ़ा ? इस शंका का समाधान भले ही हो जावे, परन्तु जो भाष्य से अतिरिक्त वार्त्तिक या वार्त्तिकांश है, उनका आधार क्या है ? इस शंका का समाधान नहीं हो पाता। जहाँ यह सत्य है कि काशिकाकार ने अपनी वृत्ति का निर्माण करते हुए भाष्य का आश्रयण अधिक लिया, वहाँ यह भी सत्य है कि उसने अपने व्याख्यान का आधार अन्य वृत्तियों एवं भाष्यों को भी बनाया है। एतदर्थ इन अतिरिक्त पाठों में बहुत से वचन अन्य वृत्तियों के व्याख्यान-वचन हो सकते हैं। सम्भवतः काशिकाकार को किसी अन्य वार्त्तिककार की कोई कृति उपलब्ध हुई हो, उसका भी आश्रयण लिया हो।

उपसंहार

इस अध्याय में कात्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। युक्तिप्रमाणों के आधार पर कात्यायन को ऐन्द्र-सम्प्रदाय से सम्बन्धित सिद्ध किया गया है। कात्यायन के वार्त्तिकों की शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए अन्य वार्त्तिककारों के वार्त्तिकों के साथ कात्यायन के वार्त्तिकों का तुलनात्मक परीक्षण किया गया है। विप्रतिषेध-वार्त्तिकों का कात्यायनातिरिक्त-निर्मातृत्व सिद्ध किया गया है। साथ ही काशिका में भाष्य से अतिरिक्त वार्त्तिकों एवं पाठभेदों के आधार पर कुछ सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं।

षष्ठ अध्याय

इष्टि एवं श्लोक-वार्तिक

'इष्टि' के सम्बन्ध में विद्वानों की विचारधारा

प्रोफेसर गोल्डस्टूकर ने अपने 'पाणिनि' नामक निबन्ध में 'इष्टि' शब्द से भाष्यकार पतंजलि के स्वयं निर्मित मौलिक वार्त्तिकों का ग्रहण किया है[1]। उन्होंने इष्टियों को कात्यायन के वार्त्तिकों और पतंजलि के भाष्य का महत्वपूर्ण अंग माना है[2]। प्रोफेसर वेबर ने भी इष्टियों का यही अर्थ लिया, अर्थात् इष्टि उनका नाम है जो कि स्वयं पतंजलि की बनाई हुई हैं।

डा० कीलहार्न[3] ने प्रोफेसर गोल्डस्टूकर एवं प्रोफेसर वेबर आदि के मत की बड़ी विद्वत्तापूर्ण विवेचना की और उन्होंने उपर्युक्त विद्वानों के विवेचन प्रसंग में, कौन से वार्त्तिक कात्यायन के हैं और कौन से भाष्यकार के अपने हैं ? इस विषय पर विचार किया है। उनके अनुसार 'इति वक्तव्यम्' या 'इति-वाच्यम्' आदि शब्दों द्वारा जिसकी व्याख्या मिलती हो, वह व्याख्येय अंश कात्यायन का है और व्याख्यान अंश भाष्यकार का है। जहाँ व्याख्येय वाक्यांश नहीं उपलब्ध होता, मात्र भाष्यकार का ही 'इति वक्तव्यम्' आदि पदात्मक वचन उपलब्ध होता है, वह वचन स्वयं भाष्यकार का है, ऐसा साधारण

---

1. Prof. Theodor Goldstucker. Panini, His Place in the Sanskrit Literature (Allahabad 1914) p. 92.
   "While its Ishtis, on the other hand, are original Varttikas on such Sutras of Panini as called for his own remarks."
2. "Of Patanjali's Ishtis or "desiderata, "which are his own additions to Katyayana's Varttikas, I need not speak, since they are an essential portion of his own Great Commentary." p. 69.
3. Dr. F. Kielhorn. "Katyayana & Patanjali" p. 26-30.

सिद्धान्त माना है। दूसरे शब्दों में इन्हीं भाष्यवचनों को "इष्टि" नाम से पुकार सकते[1] हैं।

उपर्युक्त सभी के अनुसार 'इष्टि' भाष्यकार के द्वारा बनाये पूरक वचन हैं, ऐसा पूर्णरूपेण सिद्ध हो रहा है।

महाभाष्य के आधार पर कात्यायनीय इष्टियों का वर्णन

प्रश्न यह है कि क्या इष्टियों का निर्माता मात्र भाष्यकार पतंजलि ही है, विशेषकर क्या कात्यायन ने इष्टियां नहीं बनाई ?

भाष्य में **वर्णो वर्णेन** (२।१।६८) पर कात्यायन के कुछ वार्त्तिक उपलब्ध होते हैं—

१—समानाधिकरणसमासाद् बहुव्रीहिः।

२—कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थः।

३—पूर्वपदातिशये आतिशायिकाद्बहुव्रीहिः सूक्ष्मवस्त्रतराद्यर्थः।

४—उत्तरपदातिशय आतिशायिके बहुव्रीहिर्बहुवाढयतराद्यर्थः।

ये वचन कात्यायन के हैं। इनमें १–३ को भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से इष्टि माना है। यहाँ कैयट ने लिखा है[2]—

समानाधिकरणसमासादिति। समानाधिकरणसमासाद् बहुव्रीहिः कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थ इति वार्त्तिककारेणेष्टिरूपेण पठितम्। भाष्यकारस्तु न्यायव्युत्पादनाय विप्रतषेधमुपन्यस्य दूषयित्वा इष्टिरूपतां स्थापयिष्यति–प्रत्यासत्तेः सामर्थ्यस्य बलवत्वाश्रयेण।

स्पष्ट है कि 'समानाधिकरण' आदि १–२ वचन वार्त्तिककार ने इष्टि रूप में पढ़े हैं। भाष्यकार ने विप्रतिषेध दिखाया और उसका खण्डन कर उसकी इष्टि रूपता को सिद्ध किया है। भाष्यकार के शब्दों[3] में—

---

१. म० म० श्री अभ्यंकर—व्याकरण महाभाष्य, मराठी टीका, भाग ७ में डा० कीलहार्न के वार्त्तिक पृथक्करण के आधार पर जहाँ केवल व्याख्यानांश उपलब्ध होता है, उसे कीलहार्न के मत में 'इष्टि' माना है।

२. कैयट—प्रदीप, नि० सा० सं० २।१।६८, पृ० ४०८।

३. भाष्य—की० सं०, भाग १, पृ० ४०४, पं० ११–१३।

एवं तर्हि नेदं तस्य योगस्योदाहरणं विप्रतिषेधे परमिति। किं तर्हि। इष्टिरियं पठिता समानाधिकरणसमासाद् बहुव्रीहिरिष्टः। कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थ इति।

इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से १–२ को इष्टि माना है। इसी प्रकार ३. वचन के विषय में भी कैयट ने लिखा है[1]—

पूर्वपदातिशय इति। अतिशयेन सूक्ष्माणि वस्त्राण्यस्येत्यर्थ-विवक्षायामुभयप्रसंगे पूर्वं बहुव्रीहिरिष्यते ततो बहुव्रीहेः प्रत्ययः। भाष्य-कारस्तु विप्रतिषेधं प्रत्यासत्त्या पूर्ववदुपन्यस्य सामर्थ्याश्रयेण दूषयित्वेष्टित्वं स्थापयिष्यति।

अर्थात् "अतिशयेन सूक्ष्माणि वस्त्राण्यस्य" इस विग्रह में आतिशायिक प्रत्यय और बहुव्रीहि दोनों की प्राप्ति है, वहाँ प्रथम बहुव्रीहि समास इष्ट है और पुनः प्रत्यय। भाष्यकार ने प्रथम तो विप्रतिषेध दिखाया, परन्तु उसका खण्डन कर अन्त में इस ३. का इष्टित्व सिद्ध किया है।

भाष्यकार के शब्दों में[2]—

एवं तर्हि नेदं तस्य योगस्योदाहरणं विप्रतिषेधे परमिति। किं तर्हि? इष्टिरियं पठिता। पूर्वपदातिशये आतिशायिकाद्बहुव्रीहिरिष्टः सूक्ष्म-वस्त्रतराद्यर्थ इति।

भाष्यकार एवं कैयट के इन उद्धरणों द्वारा १–३ का इष्टित्व सुतरां सिद्ध है। ऐसी अवस्था में उपर्युक्त विद्वानों ने जो इष्टि को भाष्यकृत वचन ही माना है, वह कहाँ तक उपयुक्त है? वैसे इष्टि को केवल भाष्यकार के वचन मानने में इन विद्वानों का अपना मौलिक विचार नहीं है। इन विचारों के आधारभूत साम्प्रदायिक वैयाकरणों के वचन हैं। पदचंन्द्रिकावृत्तिकार ने अपनी प्रस्तावना में कथित वचन **इष्टिर्भाष्यकृतः** द्वारा स्पष्ट रूप से इष्टियों को भाष्यकार का माना है। **"वृद्धिरादैच्"** (१।१।१) पर कहे **छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति**[3] इस भाष्यवचन को कैयट ने इष्टि माना है साथ ही केवल व्याकरण-सूत्रों को ही छन्दोवत् माना है। वैशैषिक आदि सूत्रों को छन्दोवत् नहीं माना—

---

१. कैयट—प्रदीप—नि० सा० सं०—२।१।६८, पृ० ४११।

२. भाष्य–भाग १, पृ० ४०५, पं० १२-१३।

३. भाष्य–१।१।१ भाग १, पृ० ३७, पं० ४।

छन्दोवदिति। न वैशेषकादिसूत्राणि, अपि त्वंगत्वाद्व्याकरण-सूत्राण्येव। इष्टिश्चेयं छन्दोवदिति[1]।

कैयट के इस कथन को नागेश ने अधिक स्पष्ट किया है। उसने वेदांगत्व को ही इष्टि में प्रयोजक माना है, आर्षत्व को नहीं। कैयट के उक्त कथन की पुष्टि के लिये १।४।३ सूत्र के भाष्य को प्रमाणरूप में उपस्थित किया है। जहां छन्दोवत् कवयः कुर्वन्ति इस वचन को इष्टि नहीं माना है। नागेश के शब्दों में[2]—

अस्यामिष्टौ नार्षत्वं प्रयोजकं नैषेष्टिरस्ति छन्दोवत् कवयः कुर्वन्तीति यूस्त्र्याख्याविति सूत्रे भाष्योक्ते। तस्मादंगत्वमेव प्रयोजकमिति भावः। ननु छन्दसि विहितस्य सूत्रे कथं प्रवृत्तिरत आह–इष्टिरिति।

"इष्टि" किसे कहते हैं? इस भाव को बतलाने के लिये "छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति" का भाव बताया—इष्टि से भाष्यकारीय अतिदेश वचनों का ग्रहण होता है—इष्टिरिति। तथा च भाष्यकारीयातिदेशात्सूत्रेषु छन्दः-कार्यप्रवृत्तिरिति भावः।

शब्दकौस्तुभकार ने इष्टि को भाष्यकृत माना है—

इष्टिरियं भाष्यकृतः[3]।

इन सभी प्रमाणों को आधार मानकर प्रो० गोल्डस्टूकर आदि ने इष्टियों को भाष्यकारीय वचन माना है।

यदि गहराई से विचार किया जाय तो इष्टि को केवल भाष्यकारीय वचन मानने में कोई पुष्ट आधारभूत प्रमाण नहीं है, जैसा कि ऊपर प्रमाण दे चुके हैं, भाष्यकार ने कात्यायनीय वचनों को इष्टि माना है। इससे तो यही ज्ञात होता है कि केवल भाष्यकार के वचनों को ही इष्टि नहीं कह सकते, अन्यों के वचन भी "इष्टि" द्वारा पुकारे जा सकते हैं।

कात्यायन एवं भाष्यकार के आधार पर "इष्टि" का वास्तविक स्वरूप

"इष्टि" शब्द की वास्तविक परिभाषा तथा स्वरूप के लिये सर्वप्रथम उसके शब्द पर विचार करना होगा। इष्टि शब्द "इष्" धातु से सिद्ध हुआ

---

१. कैयट–प्रदीप–गु० प्र० सं०, नवाह्निक, पृ० १६१-१६२।
२. नागेश–प्रदीपोद्योत–गु० प्र० सं०, नवाह्निक, पृ० १६२।
३. भट्टोजि दीक्षित–शब्दकौस्तुभ–गु० प्र० सं०, पृ० १६१।

है। कात्यायन ने "इष्टिः" शब्द के सिद्ध्यर्थ ३।३।९५ सूत्र पर वार्त्तिक बनाया—**श्रुयजिषिस्तुभ्यः करणे**[1]। इसके द्वारा "ल्युट्" को बाधकर करण में "क्तिन्" विधान किया है। "इष्" धातु इच्छार्थक है। इससे "क्तिन्" प्रत्यय करके "इष्टि" शब्द बना। भाष्यकर ने इष्टि शब्द का विग्रह **'इष्यतेऽनयेष्टिः'**[2] यह किया है। इस प्रकार "इष्टि" शब्द का यौगिक अर्थ यह हुआ—आचार्य की इच्छा व्यक्त करने का मुख्य साधन, अर्थात् ग्रन्थकार की स्वेच्छा व्यक्त करने के लिये प्रयुक्त वचन। अब भाष्यकार के उस कथन की ओर ध्यान दीजिये जिसमें उन्होने **समानाधिकरणसमासाद्बहुव्रीहिः कदाचित् कर्मधारयः** इस वचन को "इष्टि" रूप में मानकर—**इष्टिरियं पठिता—समानाधिकरणसमासाद्बहुव्रीहिरिष्टः कदाचित् कर्मधारयः सर्वधनाद्यर्थ इति**[3] इस प्रकार पढ़ा है। शब्दों का साम्य है, केवल "इष्ट" शब्द अधिक है। "इष्ट" पद लगाकर भाष्यकार ने कात्यायनीय वचन का इष्टित्व सिद्ध किया है। इससे यह ज्ञात हुआ कि इष्टियों में "इष्" धातु के रूपों का भी प्रयोग होना चाहिए या "इष्" धातु के अर्थ को बोध कराने वाला कोई पद हो। इसीलिये **छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति** यहां यद्यपि "इष्" धातु के किसी रूप का प्रयोग नहीं है, तथापि "भवन्ति" शब्द ही इष्टार्थ को द्योतित कर रहा है, अर्थात् इस प्रकार का कार्य आचार्य को इष्ट है।

इस प्रकार "इष्टि" की परिभाषा यों कर सकते हैं—

पूर्व आचार्यों द्वारा अनुपदिष्ट; कार्यसम्पादनार्थ उत्तरवर्त्ती आचार्यों के स्वोपज्ञ नियम 'इष्टि' नाम से व्यवहृत होते हैं।

"इष्टि" का सूत्र एवं वार्त्तिक से पृथक्त्व

अब प्रश्न यह है कि शब्दसिद्ध्यर्थ सूत्रों का निर्माण किया गया और उनकी पूर्ति के लिये वार्त्तिकों का निर्माण किया गया। ऐसी अवस्था में इष्टियों का पृथक् अस्तित्व क्या है? क्या सूत्रकार एवं वार्त्तिककार को वह कार्य इष्ट नहीं, जो सूत्रों तथा वार्त्तिकों से विधान किया गया है? इष्टियाँ भी सूत्र और वार्त्तिकों के अन्तर्गत ही हैं। क्या इष्टियाँ सूत्र और वार्त्तिकों से पृथक् हैं?

---

१. भाष्य—की० सं०, भाग २, पृ० १५२, पं० १६, वा०।
२. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, १८।
३. ,, ,, ,, ,, १ ,, ४०४ ,, १७-१८।

जैसा कि हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं कि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्त्ती वैयाकरणों की कृतियों का आश्रयण लेकर लोकभाषा के आधार पर अष्टाध्यायी ग्रन्थ का निर्माण किया, अर्थात् अष्टाध्यायी एक प्राचीन विभिन्न व्याकरण-नियमों का संग्रहग्रन्थ है। इसी प्रकार वार्त्तिककार ने भी प्रायः अपने पूरक वार्त्तिकों का निर्माण इसी दृष्टि-कोण को लेकर किया कि ऐन्द्रसम्प्रदाय के काशकृत्स्न आदि व्याकरण-नियमों का भी माहेश्वर-सम्प्रदाय में सम्मिलन हो जावे, जिन नियमों को किसी कारणवश उपेक्षित रखा था। इस प्रकार कात्यायन का कार्य भी पूर्णतः अपना नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ भाग दूसरे के निर्मित नियमों का पाठान्तर मात्र है।

"इष्टि" शब्द का वास्तविक अर्थ, जैसा कि ऊपर दिया—

पूर्व आचार्यों द्वारा अनुपदिष्ट, कार्य सम्पादनार्थ उत्तरवर्त्ती आचार्यों के स्वोपज्ञ नियम 'इष्टि नाम से व्यवहृत होते हैं।

पाणिनि-सूत्र प्रोक्त हैं। प्रोक्त ग्रन्थों की सम्पूर्ण वर्णानुपूर्वी उस ग्रन्थ के प्रवक्ता द्वारा ग्रथित नहीं होती। प्रवक्ता पूर्वतः विद्यमान शास्त्र का परिष्कारक होता है। प्रोक्त ग्रन्थों में प्रवक्ता का स्वोपज्ञ अंश अतिस्वल्प होता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिये सभी वैयाकरण पाणिनि-व्याकरण (अष्टाध्यायी) को—**पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् शब्दानुशासनम्** इस प्रकार कहते हैं, न कि—**पाणिनिना कृतम्।** यही कारण है कि सूत्रों को "इष्टि" शब्द से व्यवहृत नहीं किया जा सकता और इसीलिये पाणिनि ने सम्भवतः इष्टियां नहीं बनाईं।

कात्यायन ने भी अकृतशासन वार्त्तिकों द्वारा किया है। यह अकृतशासन पाणिनि की माहेश्वरसम्प्रदायानुवर्ती अष्टाध्यायी को दृष्टि में रखकर है। अर्थात् अष्टाध्यायी में वे नियम अकृत हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे सर्वथा अकृत हैं या दूसरे शब्दों में कात्यायन के स्वोपज्ञ हैं। इनका भी अस्तित्व ऐन्द्र-सम्प्रदाय के व्याकरणों में उपलब्ध हो जाता है, जैसा कि हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। इस कारण इष्टियों को वार्त्तिक के द्वारा भी व्यवहृत नहीं किया जा सकता। अतः "इष्टि" का अस्तित्व इन दोनों से पृथक् है। यदि पाणिनि का कुछ नवीन स्वोपज्ञ हो तो उसे भी हम "इष्टि" नाम से पुकार सकते हैं। इसी प्रकार कात्यायन के जो स्वोपज्ञ नियम हैं उन्हें "इष्टि" कहा गया है, अर्थात् उन नियमों का अस्तित्व कात्यायन से पूर्व

नहीं था। एतदर्थ भाष्यकार द्वारा स्पष्ट इष्टि रूप में पठित नियम कात्यायन के स्वोपज्ञ हैं। अन्य भी नियम ऐसे हो सकते हैं जो कात्यायन के स्वोपज्ञ हो; उनको भी हम इष्टि कहेंगे।

इसी प्रकार भाष्यकार ने भी इष्टियों का निर्माण किया है। जैसा कि डा० कीलहार्न ने भाष्यकारीय वचन मानने में जो युक्तियाँ दीं और अन्त में सिद्धान्त निश्चित किया कि व्याख्येयवाक्यांशरहित व्याख्यान ही मिलता हो तो वह भाष्यकारीय वचन है। हम इस सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत नहीं। हाँ, अंशतः यह मान्य अवश्य है। यद्यपि भाष्यकार के अन्य भी वचन हैं, जिनकी पहिचान हम पीछे बता चुके हैं, तथापि पूरक वार्त्तिकों के सम्बन्ध में हमने डा० कीलहार्न का सिद्धान्त माना है। वहां यदि हस्तलेखों आदि से तुलना करने के बाद भी व्याख्यान अंश ही उपलब्ध होता है तो उसे भाष्यकारीय वचन या दूसरे शब्दों में "भाष्येष्टि" कह सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार के सभी नियम भाष्यकार के स्वोपज्ञ हैं। इनमें बहुत से ऐसे नियम हो सकते हैं जो मात्र व्याख्यान वाक्यांश के रूप में ही उपलब्ध होते हों, परन्तु उनका अस्तित्व भाष्यकार से पूर्व हो। यही कारण है कि भाष्य में ऐसे स्थल उपलब्ध होते हैं, जहां व्याख्येयवाक्यांश नहीं, केवल व्याख्यान भाष्य ही है। उसके भी 'अपर आह' आदि द्वारा व्याख्याभेद या पूरक द्वारा परिवर्तन या परिवर्धन दिखाये गये हैं, जो निश्चय ही इस बात के द्योतक हैं कि उन पूरक नियमों का अस्तित्व भाष्यकार से पूर्ववर्ती है; अर्थात् वे वचन भाष्यकार के स्वयं कृत नहीं हैं। इस बात का निर्णय कि उन नियमों में कौन सा नियम भाष्यकार का अपना स्वोपज्ञ है और कौन सा पूर्वानुवर्ती है? कष्टसाध्य है। मोटे तौर पर जबतक कोई मुख्य आधारभूत प्रमाण नहीं उपलब्ध हो जाता तब तक उन व्याख्येयवाक्यांशरहित पूरकों को भाष्य का स्वोपज्ञ, दूसरे शब्दों में "भाष्येष्टि" मानने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती।

कुछ स्थानों पर "भाष्य" की "स्वपदानि च वर्ण्यन्ते" इस परिभाषा के अनुसार अपने पदों का भी व्याख्यान उपलब्ध हो सकता है। ऐसी अवस्था में कुछ ऐसे भी वचन भाष्यकारीय हो सकते हैं जिनके व्याख्यान एवं व्याख्येय-वाक्यांश उपलब्ध होते हों। उस स्थिति में कात्यायन के वार्त्तिकों से भाष्य-वचनों के पृथक्करण में और कठिनाई उपस्थित हो जाती है। पूरक वार्तिकों के अतिरिक्त अन्य वार्त्तिकों में तो, भाष्यकार और कात्यायन के वचनों के पृथक्करणार्थ पिछले अध्यायों में कुछ सिद्धान्त निश्चित किये हैं।

जहाँ तक पूरक वार्त्तिकों का प्रश्न है यह स्थिति निश्चित ही जटिल हो जाती है। हमारे विचार से तो इस प्रश्न का समाधान तभी सम्भव है जब कि भाष्यकार से पूर्ववर्ती सभी व्याकरण ग्रन्थों की उपलब्धि हो जाये। सम्प्रति इसका सुलझाना अत्यन्त कठिन है। अतः जब तक कोई और प्रमाण उपलब्ध न हो तब तक पूर्वकथित सिद्धान्त ही भाष्यकारीय पूरक वचनों के निर्णय के लिये अधिक उपयुक्त है और इन्हीं भाष्य वचनों को हम "भाष्येष्टि" नाम से पुकारेंगे।

काशिका के "इष्ट्युपसंख्यानवती" शब्द पर विचार

काशिका में भी इष्टियों की स्थिति है। काशिका के आरम्भ के श्लोकों में काशिका के स्वरूप, अर्थात् काशिका ग्रन्थ में क्या है ? इस को बतलाते हुए लिखा है[1]—

इष्ट्युपसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्था।
व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिकानाम ॥

अर्थात् "इष्टि" एवं "उपसंख्यानों" से युक्त, शुद्धगण युक्त, गूढसूत्रार्थ को स्पष्ट करने वाली और उदाहृत शब्दसिद्ध्यर्थ व्युत्पत्ति प्रदर्शिका यह काशिका वृत्ति है।

इसी "इष्ट्युपसंख्यानवती" को स्पष्ट करते हुए हरदत्त ने लिखा[2] है—

इष्ट्युपसंख्यानवतीति। सूत्रेणासंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते तदुपलक्षणमिष्ट्युपसंख्यानग्रहणम्। तेन वक्तव्यादीनामपि ग्रहणम्। वृत्त्यन्तरेषु सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते इयं पुनरिष्टादिमतीति।

अर्थात् सूत्रों के द्वारा अकृत कार्य के विधानार्थ इष्टि और उपसंख्यानों का भी पाठ किया है। यह उपलक्षण मात्र है। "वक्तव्यम्" आदि के द्वारा कहे गये वचन भी इसी से संगृहीत हो जावेंगे। अन्य वृत्तियों में केवल सूत्रों का ही व्याख्यान है पर काशिका में "इष्टि" और "उपसंख्यान" आदि भी हैं। इस उपर्युक्त कथन से तीन बातें ज्ञात होती हैं।

---

१. जयादित्य—काशिका, चौ० सं०, पृ० १ (१९५२)।
२. हरदत्त पदमंजरी, का० सं, पृ० ४, अध्याय १।

१—"इष्टि" सूत्रों से असंगृहीत कार्य सिद्धयर्थ है।

२—"इष्टि" वार्त्तिकों से पृथक् है। वैसे वार्त्तिक भी सूत्रों से असंगृहीत कार्य बोधक होते हैं, पर इसके लिए काशिकाकार ने "उपसंख्यान" शब्द पृथक् पढ़ा है और इसी में "वक्तव्यम्" आदि वचनों का समावेश हो जाता है।

३—काशिका की अन्य वृत्तियों से पृथक्ता इसी कारण है कि इसमें इष्टियाँ भी हैं और वार्त्तिक (उपसंख्यान) भी हैं।

प्रथम दो (१–२) में परिज्ञात सिद्धान्त तो हमारे उपर्युक्त इष्टि के स्वरूप एवं इष्टि का वार्त्तिकों से भेद दिखाने में प्रमाण हैं। तीसरे के द्वारा इष्टियों का काशिका में अस्तित्व पूर्णतः सिद्ध है। उस अवस्था में काशिका में कौन सी इष्टियाँ हैं ? क्या वे इष्टियाँ स्वयं काशिकाकार की हैं या पूर्व वैयाकारणों की इष्टियों का संग्रह है ?

जहाँ तक काशिका की इष्टियों का प्रश्न है, काशिकाकार ने प्राचीन इष्टियों का संग्रह अपने ग्रन्थ में किया है। उसने कात्यायन की इष्टियों का, भाष्यकार की इष्टियों का तथा अन्य वैयाकरणों की इष्टियों का भी संग्रह किया है।

काशिका के आधार पर कात्यायन के वार्त्तिकों का इष्टित्व

काशिका में कात्यायन के कुछ वचन, जिन्हें भाष्य में साधारण वार्त्तिक के रूप में पढ़ा है (जो इष्टियां प्रतीत नहीं होती हैं), काशिकाकार ने इष्टिरूप में पढ़ें हैं।

उदाहरणार्थ—

१—**अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्** (१।२।४५) सूत्र पर काशिकाकार ने एक इष्टि दी है—

अनर्थकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिकसंज्ञेष्यते।

भाष्य में इसी कार्य के लिये कात्यायन का वचन है—

निपातस्यानर्थकस्य प्रातिपदिकत्वम्।

२—**मिदचोन्त्यात् परः** (१।१।४७) पर काशिका में इष्टि दी है—

मस्जेरन्त्यात् पूर्वं नुममिच्छन्त्यनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्।

भाष्य में इसी कार्य के लिए कात्यायन का वचन है—

अन्त्यात्पूर्वो मस्जेरनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्।

३—**चक्षिङः ख्याञ्** (२।४।५४) पर काशिका में **ख्शादिरयमादेश इष्यते** यह इष्टि दी है। भाष्य में कात्यायन का वचन है—**खशादिर्वा**।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कात्यायन के बहुत से वे वचन, जिन्हें हम वार्त्तिक मानते हैं, वस्तुतः उनकी स्वोपज्ञ इष्टियाँ हैं।

काशिका में **अल्पाच्तरम्** (२।२।३१) सूत्र पर लिखा है—

अनियमश्चात्रेष्यते.....तत्कथं वक्तव्यमिदम्। धर्मादिषूभयम्। अर्थात् "धर्मार्थौ" यहाँ अनियम इष्ट है, नियम की प्राप्ति है; अतः उसके लिये "धर्मादिषूभयम्" इस प्रकार की इष्टि पढ़नी चाहिए। स्पष्ट है कि काशिकाकार ने "तत्कथं वक्तव्यं" के द्वारा भाष्य में पठित "धर्मादिषूभयम्" इस वचन को ही उद्धृत किया है। वस्तुतः यह कात्यायन की स्वोपज्ञ इष्टि है।

अन्य आचार्यों के वचनों का इष्टिरूप से काशिका में उद्धरण

कुछ ऐसी भी इष्टियां काशिका में उपलब्ध होती हैं जिनका अस्तित्व भाष्य में नहीं है। उदाहरणार्थ—

१—**सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥**
समस्य सर्वशब्दपर्यायस्य सर्वनामसंज्ञेष्यते।

२—**द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् ॥२।२।३॥**
तुरीयशब्दस्यापीष्यते इत्यादि।

इनमें यह सन्देह बना ही रहता है कि क्या स्वयं काशिकाकार की भी इष्टियाँ है? पर जहाँ तक सम्भव है अधिकांश अन्य वैयाकरणों की स्वोपज्ञ इष्टियाँ हो सकती हैं, जिनका यहाँ काशिकाकार ने संग्रह किया है।

कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ स्पष्ट रूप से अन्य वैयाकरणों के वचनों को काशिकाकार ने इष्टि रूप में पढ़ा है—

१।१।५ पर **मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते**। भाष्यकार ने **इको गुणवृद्धी** (१।१।३) सूत्र पर कहा है—

तस्मात् मृजेरिगलक्षणा वृद्धिरेषितव्या। एवं तर्हीहाऽन्ये वैयाकरणा मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्ते। इस सन्दर्भ द्वारा भाष्यकार ने इस वचन को अन्य वैयाकरणों की कृति माना है।

भाष्यकारीय वचनों एवं विचारों को भी काशिकाकार ने इष्टि रूप में पढ़ा है। उदाहरणार्थ—

अजेर्व्यघञपोः (२।४।५६) सूत्र पर काशिका में एक इष्टि दी है—

वलादावार्धधातुके विकल्प इष्यते। उदाहरण—"प्रवेता। प्राजिता" दिये हैं। भाष्यकार ने इन उदाहरणों को लेकर सूत और वैयाकरण का बड़ा रोचक संवाद प्रस्तुत किया है।

भाष्यकार ने इन उदाहरणों की सिद्धि के लिये कात्यायनीय वचन एवं सूत्र का खण्डन करते हुए कहा है[1]—

एवं तर्हि नार्थ उपसंख्यानेन नापि घञपोः प्रतिषेधेन। इदमस्ति चक्षिङःख्याञ् वा लिटि (२।४।५४-५५) ततो वक्ष्यामि। अजेर्वी भवति वा व्यवस्थितविभाषा चेति। तेनेह भविष्यति, प्रवेता प्रवेतुम् प्रवीतो रथः संवीतिरिति। इह च न भविष्यति, समाजः उदाजः समजः उदजः समजनम् समज्येति। तत्राप्ययमर्थः इदमपि सिद्धं भवति प्राजितेति।

इस प्रकार भाष्यकार ने योगविभाग करके 'वा' को व्यवस्थित विभाषा मानकर सूत्र कथित 'अघञपोः' इस प्रतिषेध और कात्यायन के प्रतिषेध के पूरक की अनावश्यकता दिखाई है। योगविभाग का आश्रयण लेकर 'प्राजिता' रूप की सिद्धि भी दिखाई है।

भाष्यकार ने 'प्राजिता' इस उदाहरण के सम्बन्ध में सूत और वैयाकरण का संवाद दिया है[2]—

किं च भो इष्यत एतत् रूपम्। बाढमिष्यते एवं हि वैयाकरण आह—कोऽस्य रथस्य प्रवेतेति। सूत आह—आयुष्मन्नहं प्राजितेति। वैयाकरण आह—अपशब्द इति। प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियो नत्विष्टिज्ञः इष्यत एतद् रूपम्। इत्यादि।

---

१. भाष्य-भाग १ – पृ० ४८८, पं० १३–१७।

२. भाष्य-भाग १ – पृ० ४८८, पं० १७-२०।

इस संवाद के द्वारा दोनों रूपों की स्थिति एवं आवश्यकता की ओर संकेत किया गया है। साथ ही एक बात और निकलती है, वह यह है कि यहाँ कहा—**प्राप्तिज्ञो देवानां प्रियो नत्विष्टिज्ञः।** इस वाक्य के द्वारा भाष्यकार ने इष्टियों के सूत्र और वार्त्तिकों से पृथक् होने की ओर संकेत किया है, अर्थात् आप—(वैयाकरण) प्राप्ति (सूत्र और वार्त्तिकों) के द्वारा प्राप्त विधान को तो जानते हैं, परन्तु इष्टि (इच्छितार्थ व्यक्त करने वाले वचन) को नहीं जानते हैं जिसके कारण "प्राजिता" रूप भी सिद्ध हो सकता है।

क्या उस सूत का "नत्विष्टिज्ञः" के द्वारा, काशिका में पठित **"वलादावार्धधातुके विकल्प इष्यते"** इस "इष्टि" की तरफ ही संकेत है? सम्भवतः यह अति प्राचीन इष्टि हो जिसको काशिकाकार ने उद्धृत किया हो। जो कुछ भी हो, सूत का किसी न किसी "इष्टि" की तरफ संकेत अवश्य है। नहीं तो वह यह भी कह सकता था "नत्विष्टज्ञः", परन्तु ऐसा न कहकर" "नत्विष्टिज्ञः" कहा है, जिससे स्पष्ट ही "इष्टि" वचन की तरफ सूत ने वैयाकरण का ध्यान आकृष्ट कराया है।

भाष्यकार ने इस उपरिलिखित सन्दर्भ में इष्टियों का अस्तित्व सूत्र और वार्त्तिकों से पृथक् स्वीकार किया है।

काशिका की इष्टियों के आधार पर कात्यायन के उन बहुत से वचनों की, जो कि वार्त्तिक रूप में भाष्य में पठित हैं, पहिचान हो जाती है, अर्थात् वे वचन प्रोक्त नहीं, स्वोपज्ञ हैं। इसी कारण वे इष्टि हैं।

इष्टियों के सम्बन्ध में यथासम्भव कुछ प्रकाश डाला, जिसके आधार पर हम इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इष्टियां न केवल भाष्यकार ने बनाईं अपितु कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि एवं कतिपय अज्ञातनामा वैयाकरणों ने भी बनाई हैं तथा इष्टियां सूत्र और वार्त्तिकों से पृथक् हैं।

श्लोकवार्त्तिक

पतंजलि के महाभाष्य में कुछ पद्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें व्याकरण के गहन सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। इन पद्यों के निर्माता को कैयट ने श्लोकवार्त्तिककार एवं इनको श्लोक नाम से या उस पद्य के छन्द से व्यवहृत

किया है[1]। इस प्रकार हम इन पद्यों को श्लोक या श्लोकवार्त्तिक नाम से पुकार सकते हैं[2]।

श्लोकवार्त्तिक भाष्य के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। जिस प्रकार भाष्यकार पतंजलि ने वाक्यवार्त्तिकों एवं पाणिनि-सूत्रों का व्याख्यान किया उसी प्रकार श्लोकवार्त्तिकों पर भी परीक्षक दृष्टिकोण से विचार किया है।

ये श्लोक जहां भाष्य के व्याख्यान के अंग हैं वहां इनका वाक्यवार्त्तिकों से पार्थक्य भी दृष्टिगोचर होता है। इन श्लोकों का निर्माण कहीं कात्यायन के नियमों के ऊपर विचार करने के लिये किया गया है, कहीं पर नवीन विचार करना ही इनका उद्देश्य है, कहीं भाष्य के व्याख्यान की पुष्टि करने के लिये इनका निर्माण किया गया है।

इन श्लोक-वार्त्तिकों के कर्ता अनेक हैं और भाष्यकार ने विभिन्न आचार्यों द्वारा श्लोक रूप में निर्मित सामग्री को व्याख्यान के प्रसंग में उद्धृत किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन श्लोकवार्त्तिकों में भाष्यकार या कात्यायन के श्लोक नहीं हैं। इस विषय पर आगे विचार करेंगे।

---

१. भाष्य ५।४।९ में पतंजलि के "अत्र किं न्याय्यम्। परिगणनं कर्तव्यम्। आकर्षात् पर्पादि.०" इत्यादि के सम्बन्ध में कैयट ने लिखा है—

"श्लोकवार्त्तिककारः सन्दिग्धानसन्दिग्धांश्च भ्रान्तिनिरासाय पर्यजीगणत्।" तथा ६।४।२२ में "वार्त्तिककारोक्तेषु प्रयोजनेषु प्रत्याख्यातेषु श्लोकवार्त्तिककारोक्तप्रयोजनोपक्षेपः"।

"उक्तार्थसंग्रहाय श्लोकाः। नित्यं प्रसारणमिति, (३।२।८)"।

"प्रकृत्यर्थादिति। पूर्वोक्तार्थसंग्रहश्लोकाः (५।२।४८)"।

"अवधारणं नञा चेदिति पूर्व एवार्थ आर्यया प्रदर्शितः (२।१।६०)"।

२. इनके लिये "कारिका" शब्द का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। कैयट ने १।४।५९ पर "कारिकाशब्दस्य" के व्याख्यान में कहा है—"यस्तु श्लोकवाची कारिकाशब्दस्तस्य ग्रहणं न भवति"। यही कारण है कि प्रो० गोल्डस्टूकर ने अपने "पाणिनि" ग्रन्थ में (पृ० ७०) श्लोकवार्त्तिक के लिये "कारिका" शब्द का ही प्रायः सब स्थानों पर व्यवहार किया है।

हम इन श्लोकवार्त्तिकों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

१—भाष्यकार द्वारा व्याख्यात।

२—अव्याख्यात।

३—अंशतः व्याख्यात।

व्याख्यात

भाष्य में बहुत से श्लोकवार्त्तिक हैं जिनका भाष्यकार ने पूर्णतः व्याख्यान किया है। इनका व्याख्यान कात्यायनीय वार्त्तिकों के समान ही किया जाता है। सम्पुटीकरण की शैली भी उपलब्ध होती है[1]।

इन व्याख्यात श्लोकवार्त्तिकों को भी हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, जहां कात्यायन के वार्त्तिक के सम्बन्ध में श्लोकवार्त्तिक में विचार किया गया है और उसका सम्पुटीकरण की शैली से व्याख्यान किया है[2]। दूसरी, जहाँ कात्यायन के वार्त्तिक का कोई सम्बन्ध नहीं है, मात्र भाष्यकार ने अपने व्याख्या-प्रसंग में कारिका देकर उसका पूरा व्याख्यान किया है।[3]

---

१. सम्पुटीकरण की शैली में कुछ को छोड़कर प्रायः सभी व्याख्यात श्लोकवार्त्तिक हैं। शैली का उदाहरण लीजिये—

भाष्य ६।१।८७ पृ० ६७ "आदेकश्चेद् गुणः केन। आदेकश्चेद्गुणः केनेदानीं भविष्यति·····स्थानेऽन्तरतमो हि सः। स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवति। एदौतावपि तर्हि न प्राप्नुतः। एदौतौ नैचि तावुक्तौ। एदौतौ न भविष्यतः। किं कारणम्। एचि तावुच्येते।

२. भाष्य ७।३।३ पृ० ३१७-१८ में वार्त्तिक दिया है—"एचोर्विषयार्थम् प्रतिषेधसन्नियुक्तवचनम्।" यह वार्त्तिक प्रतिषेध के प्रयोजन के लिये दिया है। इसी के सम्बंध में श्लोक भी दिया है—

यत्र य्वाभ्यां परा वृद्धिस्तत्राध्यश्वेर्यथा न तौ।
अचामादेर्य्वाभ्यां हि तौ कथं द्व्याशीतिके न तौ। आदि।

इसका व्याख्यान भी वाक्य-वार्त्तिकों के समान ही किया है।

३. महाभाष्य ६।४।७४ पृ० २०८-९ में कोई वाक्यवार्त्तिक नहीं है, दो श्लोकवार्त्तिक दिये गये हैं। "ऐज्यत, औप्यत" आदि में दोष

अव्याख्यात

अव्याख्यात श्लोकवार्त्तिकों को भाष्यकार ने अपने व्याख्यान-प्रसंग में उद्धृत किया है। उनका व्याख्यान नहीं किया है। इन श्लोकवार्त्तिकों को (कुछ को छोड़कर[1]) दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम में, श्लोक में पूर्वकथित वार्त्तिक का ही व्याख्यान या सार देते हैं[2]। ये सूत्र के भाष्य के मध्य में तथा अन्त में पठित हैं। मध्य में प्रायः उस समय आते हैं जबकि पूरे सूत्र से श्लोक का सम्बन्ध नहीं होता है, अपितु कुछ अंश से

है एतदर्थ "आडजादीनाम्" सूत्र के आड्ग्रहण का खण्डन किया है। इसके लिये श्लोक दिये हैं—

अजादीनामटा सिद्धं वृद्ध्यर्थमिति चेदटः।
अस्वपो हसतीत्यत्र धातौ वृद्धिमटः स्मरेत्॥
पररूपं गुणे नाट ओमाङोरुसि तत्समम्।
छन्दोर्थं बहुलं दीर्घमिणस्त्योरन्तरंगतः॥

१. इनमें "अपर आह" कहकर कुछ श्लोक दिये हैं। भाष्य ४।१।४४ में "वोतो गुणवचनात्। गुणवचनादित्युच्यते। को गुणो नाम। सत्त्वे निविशते" आदि उपोद्घात रूप कारिकायें दी हैं। इसी से सम्बन्धित कारिका दी है—अपर आह। उपेत्यन्यज्जहात्य०। इससे गुण की परिभाषान्तर दी है। इसी प्रकार "जातेरस्त्री०" ४।१।६७ में "जातिरित्युच्यते का जातिर्नाम। आकृतिग्रहणा०" इसी से सम्बन्धित "अपर आह" कहकर श्लोक दिया है—प्रादुर्भाव-विनाशाभ्यां० आदि। ३।१।११२ में "अपर आह। संज्ञायां पुंसि०" इत्यादि। ३।२।१०९ में "अपर आह। नोपेयिवान्०" आदि। १।४।५१ में "अपर आह। प्रधान कर्मण्याख्येये०" आदि। इन में प्रायः वार्त्तिक के साथ सम्बद्ध न होकर एकपक्षान्तर रूप में ये श्लोक हैं।

२. २।१।६० में "अवधारणं नञा०" आदि श्लोक दिया। उसके लिये कैयट ने कहा है— अवधारणं नञा चेदिति पूर्व एवार्थ आयया संगृहीतः। इसी प्रकार २।१।१० में २ वार्त्तिक दिये और उन्हीं को श्लोक के रूप में भी दिया है। इसी प्रकार ३।१।७९, ५।२।४८ आदि में भी हैं। २।३।३६ में "निमित्तात्कर्मसंयोगे" इस वार्त्तिक का ही "चर्मणि द्वीपिनं०" आदि श्लोक में विस्तार है।

या वार्त्तिकविशेष से ही होता है[1]। द्वितीय में, सार नहीं होता अपितु वह भाष्य का एक आवश्यक अंग होता है। वहाँ कभी तो कारिका द्वारा सामान्य टिप्पण देते हैं या नये विचार या हेतु की उस शृंखला को पुष्ट करते हैं, जिसपर कि भाष्यकार विचार कर रहे होते हैं[2]। कभी कभी भाष्योक्त सामग्री का संक्षेप करते हैं[3]।

अंशतः व्याख्यात

अंशतः व्याख्यात में, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, श्लोक का कुछ अंश तो व्याख्यात होता है और कुछ अव्याख्यात। इनमें भी कुछ में तो वार्त्तिकोक्त विषय को ही स्पष्ट किया जाता है या वार्त्तिकोक्त विचार से विपरीत विचार के स्थापनार्थ श्लोक रखा जाता है। कभी कभी वार्त्तिक से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, भाष्यकार ही अपने कथन की पुष्टि या व्याख्यान देने के लिये श्लोक देते हैं। कहीं कहीं श्लोक के भाव को ही श्लोकान्तर द्वारा स्पष्ट करते हैं[4]।

इस प्रकार इन तीन विभागों में प्रायः भाष्योक्त सभी श्लोकवार्त्तिकों का समावेश हो जाता है।

श्लोकवार्त्तिकों का निर्माता

महाभाष्य में उद्धृत श्लोकों का निर्माता कौन है ? क्या एक ही व्यक्ति ने समग्र श्लोकों का निर्माण किया है ? वास्तविकता यह है कि इन श्लोकों में

---

१. १।१।२० में "सर्वे सर्वपदादेशा०" आदि श्लोक दिया है। इसका सम्बन्ध वचन से, जो सूत्र रूप में दिया है, है। इसी प्रकार १।१।१०, ४।४।१४, १।२।६४, ५।३।५५ आदि में मध्य में श्लोक दिये हैं।

२. ८।२।८० में अन्त में कारिका दी है। इसमें वार्त्तिक के प्रत्याख्यान-प्रसंग में श्लोक का उद्धरण दिया है। इसी के समान ३।१।२२ में, ६।४।११४ आदि में भी श्लोक दिये हैं।

३. २।४।८५ में ३ कारिकायें दी हैं। उनमें १. के लिये कैयट ने कहा है—"एष एवार्थ आर्यया प्रदर्शितः" २–३ के लिये—"पूर्वोक्त एवार्थः श्लोकेन संगृहीतः" यह कहा है। ३।२।८ में कारिका है वहाँ कैयट ने कहा है—"उक्तार्थसंग्रहश्लोकाः", ८।२।५९, ८।२।६२ आदि भी इसी के समान हैं।

४. इनके उद्धरणों के लिये प्रोफेसर गोल्डस्टूकर के ग्रन्थ "पाणिनि" पृष्ठ ७९–८० द्रष्टव्य हैं।

बहुत से आचार्यों की कृतियों का समावेश है। इनमें कात्यायन के भी सम्भवतः श्लोक हैं, क्योंकि हम ने पूर्व अध्यायों में यह सिद्ध किया है कि "कश्चात्र विशेषः" और "अत उत्तरं पठति" इस अवतरणिका के बाद कात्यायनीय वार्त्तिक अवश्यमेव होना चाहिये। भाष्य में कुछ श्लोक भी "कश्चात्र विशेषः" इस प्रतीक के उपरान्त[1] तथा "अत उत्तरं पठति" इस अवतरणिका के उपरान्त प्राप्त होते हैं[2]।

सम्भवतः उनका निर्माता कात्यायन हो। इन श्लोकों को कात्यायन का मानने में एक प्रमाण यह भी है कि "कश्चात्र विशेषः" एवं "अत उत्तरं पठति" कहकर पठित श्लोकों की निर्माण-शैली भी वाक्यवार्त्तिकों के समान ही है। जिस प्रकार वाक्यवार्त्तिकों में तिङन्त पद का प्रयोग नहीं होता है उसी प्रकार इन श्लोकों में प्रायः तिङन्त पद के प्रयोग का अभाव है[3]। भाष्यकार ने कुछ श्लोकवार्त्तिकों का व्याख्यान भी सम्पुटीकरण की शैली से किया है। सम्भवतः उनमें भी कुछ श्लोक कात्यायन के हों परन्तु यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उनमें कौन सा श्लोक कात्यायन का है और कौन सा अन्य का है।

अव्याख्यातों में बहुत से स्वयं भाष्यकार के हो सकते हैं, कुछ अन्य आचार्यों के भी हैं। जहाँ भाष्योक्त विषय का ही संक्षेप किया है सम्भवतः वे

---

१. भाष्य, तस्माच्छसो नः पुंसि (६।१।१०३) सूत्र पर "नत्वं पुंसां बहुत्वे०" आदि श्लोक। दो दद् घोः (७।४।४६) "तान्ते दोषो दीर्घत्वं०" आदि।

२. भाष्य, वित्तो भोगप्रत्यययोः (८।२।५८) सूत्रपर "यस्य विदेः श्नशकौ०" आदि श्लोक। नामि (६।४।३) सूत्र पर "नामि दीर्घ आमि०" आदि।

३. ८।२।५८ भाग ३, पृ० ४१० पर "अत उत्तरं पठति" इस अवतरणिका के बाद श्लोक दिया है—

यस्य विदेः श्नशकौ तपरत्वे तनवचने तदु वाप्रतिषेधौ।
श्यन्विकरणान्नविधिश्छदितुल्यः लुग्विकरणो वलि पर्यवपन्नः॥

"कश्चात्र विशेष" कहकर ७।४।४६, भाग ३, पृ० ३५० पर श्लोक दिया है—

तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्यात् दान्ते दोषो निष्ठा नत्वं।
धान्ते दोषो धत्वप्राप्तिः थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः॥

इन दोनों श्लोकों की शैली वाक्यवार्त्तिकों के समान ही है।

श्लोक भाष्यकार के ही हों, परन्तु जहाँ विषय की पुष्टि के लिये "एष एवार्थः[1]" आदि कहकर या "अपर आह" या "अपर आहुः[2]" कहकर श्लोक दिये हैं, उनका निर्माता भाष्यकार से भिन्न हो सकता है।

पूर्ण व्याख्यात या अंशतः व्याख्यात श्लोकवार्त्तिकों में कुछ भाष्यकार के भी वार्त्तिक हो सकते हैं। हमने पूर्व अध्यायों में भाष्यकारीय वचन के परिज्ञानार्थ, जहां अन्य भी हेतु दिये हैं, वहां एक साधन "किं चातः" वाक्य का प्रयोग भी है। यदि "किं चातः" वाक्य का प्रयोग किया हो और उसके बाद कोई वचन हो तो वह भाष्यकारीय वचन माना जाय, ऐसा सिद्धान्त है। अतः "किं चातः" वाक्य-प्रयोग के बाद यदि श्लोक-वार्त्तिक आता है[3], तो उसे भाष्यकारीय श्लोकवार्त्तिक मान सकते हैं।

श्लोकवार्त्तिककार, कात्यायन से भिन्न व्यक्ति हैं[4]। नागेश ने स्पष्ट ही कात्यायन से पृथक् श्लोकवार्त्तिककार को माना है[5]।

कात्यायन से भिन्न श्लोकवार्त्तिककार हैं जिनका स्पष्टतः उल्लेख तो भाष्य में नहीं किया गया है परन्तु व्याकरण के प्राचीन विद्वानों ने कुछ श्लोकों के

---

१. भाष्य—८।२।५८ पर "एष एवार्थः" कहकर "ययोर्विद्योः०" आदि श्लोक दिया है।

२. भाष्य ३।१।२७, ४।१।४४, ४।१।१६१, ४।१।६३, ३।१।११२, ३।२।१०९, ८।२।५८ इत्यादि।

३. भाष्य—७।१।९६ पृ० २७२ पर "किं चातः" कहकर श्लोक दिया है—तृज्वत् स्त्रियां विभक्तौ चेत्क्रोष्ट्रीभक्तिर्न सिध्यति। आदि। ६।४।१९ पृ० १८५ में "किंचातः" कहकर श्लोक-वार्त्तिक दिया है—शूठ्त्वे क्विन्दधिकारश्चेच्छः षत्वम् तुक् प्रसंगश्च।

४. शिवदत्त—सिद्धान्तकौमुदी—पृ० ५०५ "वाक्यवार्त्तिकाराच्छ्लोक-वार्त्तिककारो भिन्न एवेति"।

५. भाष्य—६।४।२२ में पठित कारिका के सम्बन्ध में कैयट ने कहा है—
वार्त्तिककारोक्तेषु प्रयोजनेषु प्रत्याख्यातेषु श्लोकवार्त्तिककारोक्त-प्रयोजनोपक्षेपः। इसी के व्याख्यान में नागेश भट्ट ने कहा है—वार्त्तिककारः कात्यायनः। श्लोकवार्त्तिककारस्त्वन्य एवेति भावः।

निर्माता का नाम अपने ग्रन्थों में दिया है, जिससे उनका निर्मातृत्व सिद्ध होता है। कुछ श्लोक भी भाष्य में उद्धृत हैं, उनके साथ उसके निर्माता का भी नामनिर्देश किया गया है, जिससे उनको श्लोकों का निर्माता कहा जा सकता है।

व्याघ्रभूति

भाष्य में व्याघ्रभूति का स्पष्टतः नामोल्लेख तो तहीं मिलता, परन्तु भाष्य २।४।३६ में कथित **जग्धिविधिर्ल्यपि०** आदि श्लोकवार्त्तिक दिया है। कैयट आदि ने इस श्लोकवार्त्तिक का निर्माता व्याघ्रभूति माना है—

अयमेवार्थो व्याघ्रभूतिनाप्युक्त इत्यत आह।

७।२।१० में पठित अनिट् कारिकाओं को भी व्याघ्रभूति का माना जाता है[1]।

गोनर्दीय

गोनर्दीय आचार्य के कुछ उद्धरण भाष्य में उपलब्ध होते हैं। उनमें श्लोकांश भी हैं। भाष्यकार के शब्दों में—

गोनर्दीयस्त्वाह—अकच्स्वरौ तु कर्तव्यौ प्रत्यंगं मुक्तसंशयौ[2]।

यहाँ श्लोकांश से गोनर्दीय आचार्य का मतोल्लेख किया है। सम्भवतः भाष्य में कथित श्लोकों में कहुत से श्लोक गोनर्दीय आचार्य के हों।

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने गोनर्दीय को गोंडा-निवासी माना है (पृ० ३०३)। कैयट राजशेखर आदियों ने गोनर्दीय शब्द से पतंजलि का

---

१. भट्टोजि दीक्षित—शब्दकौस्तुभ "यमिर्ज्ञमन्तेष्वनिडेक इष्यते इति व्याघ्रभूतिना व्याहृतस्य....."अ० १, पाद १, आ० २, पृ० ८२। सायण—धातुवृत्ति—पृ० ८२, "तपि तममिति व्याघ्रभूतिवचन-विरोधाच्च"।
गुरुपदहालदार—व्याकरणदर्शनेर इतिहास, पृ० ४४४।
तत्त्वबोधिनी टीका, पृ० ४०८ "परन्तु तद्व्यावृत्तये अनिट्कारिकासु अदन्तपर्युदास उक्तो व्याघ्रभूतिना स एव प्राचानुसृतः।"

२. महाभाष्य १।१।२९॥

ग्रहण किया है[1]। वैजयन्तीकार यादव ने गोनर्दीय को पतंजलि का पर्याय माना है[2]। वात्स्यायन-कामसूत्र में गोनर्दीय आचार्य के मत का उल्लेख मिलता है[3]। कामन्दकीय नीतिसार की उपाध्याय-निरपेक्षिणी टीका में कामसूत्र को कौटिल्य का बनाया माना है[4]। कौटिल्य पतंजलि से प्राचीन है। ऐसी अवस्था में गोनर्दीय और पतंजलि एक कैसे हो सकते हैं ?

श्री मीमांसक जी ने (यदि गोनर्दीय को पतंजलि का पर्यायवाची माना जाय उस अवस्था में) पतंजलि के द्वारा निदान-सूत्रकार का ग्रहण किया है।

श्लोकवार्त्तिकों के विषय में प्रो० गोल्डस्टूकर ने अपने ग्रन्थ में अच्छा प्रकाश डाला है। वह विचारकों के लिये इस विषय में बहुत उपयोगी है।

संक्षेप में यहां पर श्लोक-वार्त्तिकों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इस प्रकार इन श्लोक-वार्त्तिकों के निर्माता विभिन्न हैं। इनमें कात्यायन एवं पतंजलि भी सम्मिलित हैं।

उपसंहार

इस अध्याय में इष्टियों के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए यह सिद्ध किया गया है कि "इष्टि" आचार्य का स्वोपज्ञ नियम है। उसे किसी व्यक्तिविशेष ने नहीं बनाया है। विभिन्न आचार्यों की इष्टियाँ हैं।

---

१. कैयट–प्रदीप, भाष्यकारस्त्वाह (१।१।२१)। नागेश–उद्योत, गोनर्दीयपदं व्याचष्टे–भाष्यकार इति (१।१।२१)। काव्यमीमांसा, पृ० २६।

२. वैजयन्ती, गोनर्दीयः पतंजलिः, पृ० ९६ श्लोक १९७।

३. कामसूत्र, दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में मुद्रित कामसूत्र का हिन्दी अनुवाद, ४।१।११५, १।५।२५, ४।२।२५। डा० कीलहार्न ने गोनर्दीय को महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति माना है।

४. युधिष्ठिर मीमांसक–सं० व्या० शा० इति० पृ० ३०२, भा० १।

श्लोकवार्त्तिकों के सम्बन्ध में भी मुख्य तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं। इन श्लोकों का निर्माता भी कोई एक नहीं है, अपितु कात्यायन, पतंजलि तथा अन्य आचार्य इन श्लोकों के निर्माता हैं।

इति मयनपुरी (मैनपुरी) मण्डलान्तर्गत नौनेराऽभिजनेन
श्री पं० वाचस्पति मिश्रात्मजेन पदवाक्यप्रमाणज्ञ-
महावैयाकरणानां श्री पं० शङ्करदेवाचार्याणा-
मन्तेवासिना
वेदपति मिश्रेण
विरचितः
व्याकरण-वार्त्तिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन-नामा
ग्रन्थः
पूर्त्तिमगात्

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध पाठ	शुद्ध पाठ
१३	२०	एव	एवं
१७	१४	शुचावकाशे	शुचाववकाशे
१९	११	सुत्रों	सूत्रों
२०	२१	सर्वसादे द्विगो०	सर्वसादेर्द्विगो०
२१	२	सवात्तिक:	सवार्त्तिक:
२२	८	मिलती है	मिलती हैं
२३	१२	तेना दृष्टं	तेनादृष्टं
,,	१३	वात्तिककार	वार्त्तिककार
,,	१३	दषयति	दूषयति
२४	टि० २	Vartika	Varttika
२६	६	जर्मन	जर्मनी
२८	१३	एच् इति	ऐच् इति
३१	२६	पर	कर
३६	९	श्रीर	श्रौर
३९	१५	जर्मन	जर्मनी
४०	२०	होगी	होंगी
४०	२६	वात्तिक	वार्त्तिक
४२	१९	श्रभाव	श्रम्भाव
४४	३	से	ने
४६	३	हैं	है
४६	२४	कही	यही
४८	१२	कुक्ष	कुछ
५१	१९	श्रधार	श्राधार
५३	टि०–४	far	for
,,	टि०–१०	performs	perform
५४	टि०–२८	Varttikes	Varttikas
५७	टि०–६	cemposed	composed

५७	टि०–९	distinctlctly	distinctly
५७	टि–२८	wich	which
६२	१८	(७)	(४)
६२	२०	३-१	१-३
६३	११	में ग्रहण	में "वा" ग्रहण
६३	१२	लघुन्यासकारों	लघुन्यासान्तरों
६४	२	"च्वि" प्रतिषेध	"च्वि" प्रतिषेध का खण्डन
६४	२५	अन्त्य	अत्त्व
६५	१	२.	३
६५	१	वचन	सौनाग-वचन
६५	३	३।१।१३	३।१।२३
६५	८	है	हैं
६५	९	दोनों पक्ष	दोनों पक्षों
६५	१२	"पचति"	"यजते"
६५	१५	भाष्यकार से	भाष्यकार ने
६५	,,	"पक्"	"यक्"
६५	,,	प्रत्यय	प्रातिपदिक
६६	१	सभ्मत	सम्मत
६६	१	पर सप्तमी	परसप्तमी
६६	१०	सनादियों को	इसको सनादि
६६	११	"य्"	"प्"
६६	२३	निया	किया
६६	२३	५. में	५.
६७	५	किया	दिया
६७	७	दूसरे	तीसरे
६७	१०	है	हैं
६७	१८	देना है	दी हैं
६७	३०	(१)	एक
६८	११	द्वारा	द्वारा
६९	२२	स्थांपना	स्थापना
७८	२३	अवस्या	अवस्था

८०	२२	आत्मसंयोगे कर्मकर्तुः	आत्मसंयोगेऽकर्मकर्तुः
८१	२१	उपलब्ध	उपलब्ध है
८९	१२	सख्युणित्वा	सख्युर्णित्वा
९१	२८	८ वां	९ वां
९५	२३	अन्यो यं	अन्योऽयं
,,	टि० २	२।२।१	२।१।१।
९७	२१	मान है	माना है
१०५	१६	५।२।६८	५।३।६८
१०५	२०	यवागुरिति	यवागूरिति
१०७	१३	(११।५४)	(१।१।५४)
१११	२५	धातव	धातवः
११२	२१	जष्त्व	जश्त्व
११३	२	अध्याय	अध्याय
११५	५	वाक्यकारीय	वाक्यकरणीय
११८	४	द्यामुष्यायण	द्व्यामुष्यायण
१२०	२७	नही	नहीं
१२७	८	निदाद्युदात्तत्वे	ञ्निदाद्युदात्तत्वे
१२७	२४	की	को
१२९	८	गया है।	गया है[३]।
१२९	१२	नुम्लोप स्त्रिव्य	नुम्लोपस्त्रिव्य
१३४	२६	भूत	भूत्
,,	२९	सौगानों	सौनागों
१३५	टि० १	पृ०	पृ० २९८
१३७	७	अ रन्	ओरन्
१४०	९	पद	वाक्य
,,	१८	भाष्यकर	भाष्यकार
१४१	१४	हैं	है
१४६	५	वणिगभ्यां	वणिग्भ्यां
१४७	९	निवह्योः	नीवह्योः
,,	१८	दुदिनाभ्यां	दुर्दिनाभ्यां
१४८	१३	३।३।१७८ दभय	३।२।१७८ दृ भय

१४८	२५	नञ्स्नञ	नञ्स्नञ्
१४९	२८	यदि	यति
१५६	१७	सर्वद्यनाद्यर्थ	सर्वधनाद्यर्थ
१५९	४	भाष्यकर	भाष्यकार
१६१	३	हो	हों
१७३	टि० ३	तपि तम	तपि तिप

—:o:—